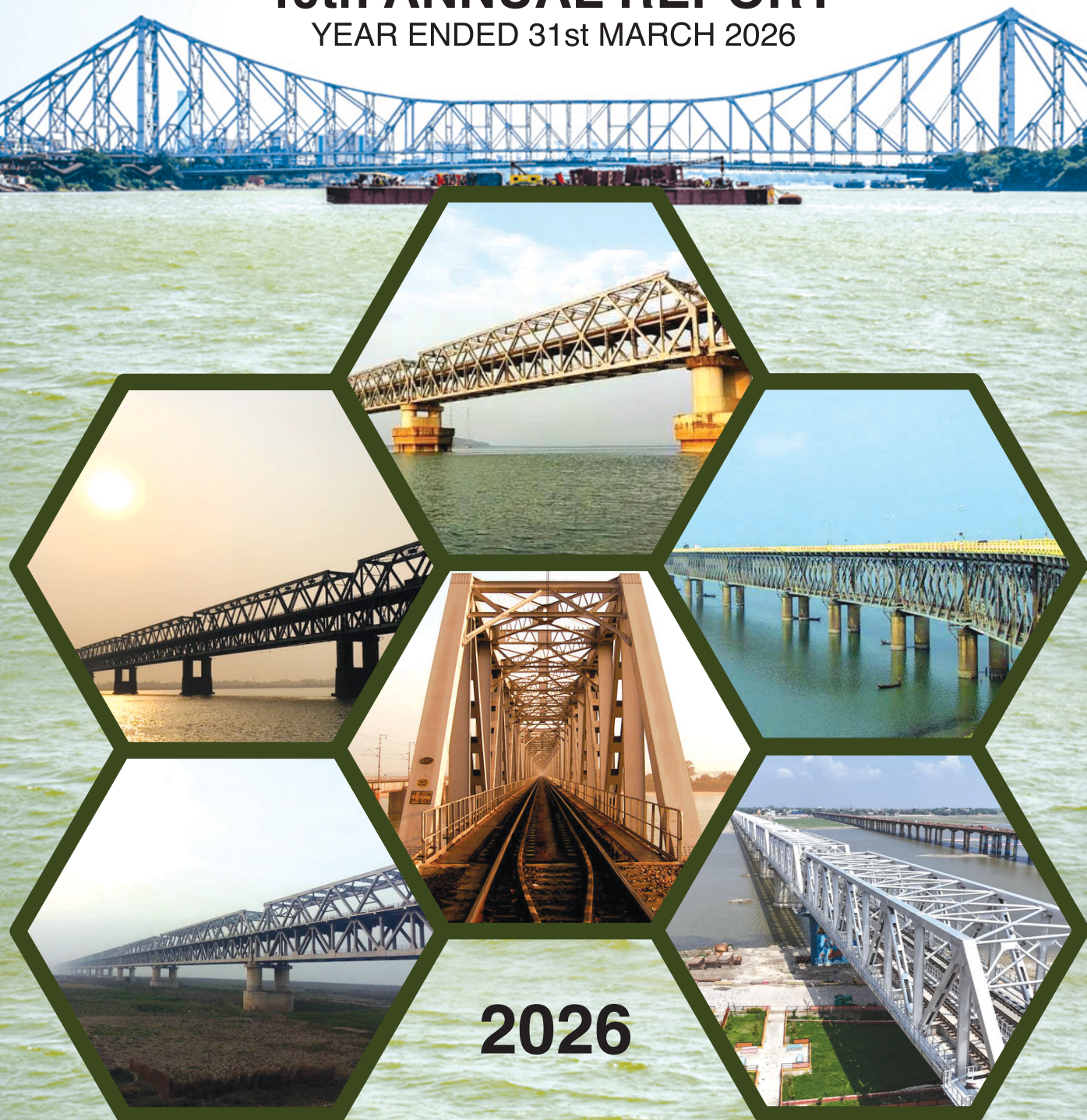


40वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

31 मार्च , 2026 को समाप्त वर्ष

40th ANNUAL REPORT

YEAR ENDED 31st MARCH 2026



2026

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

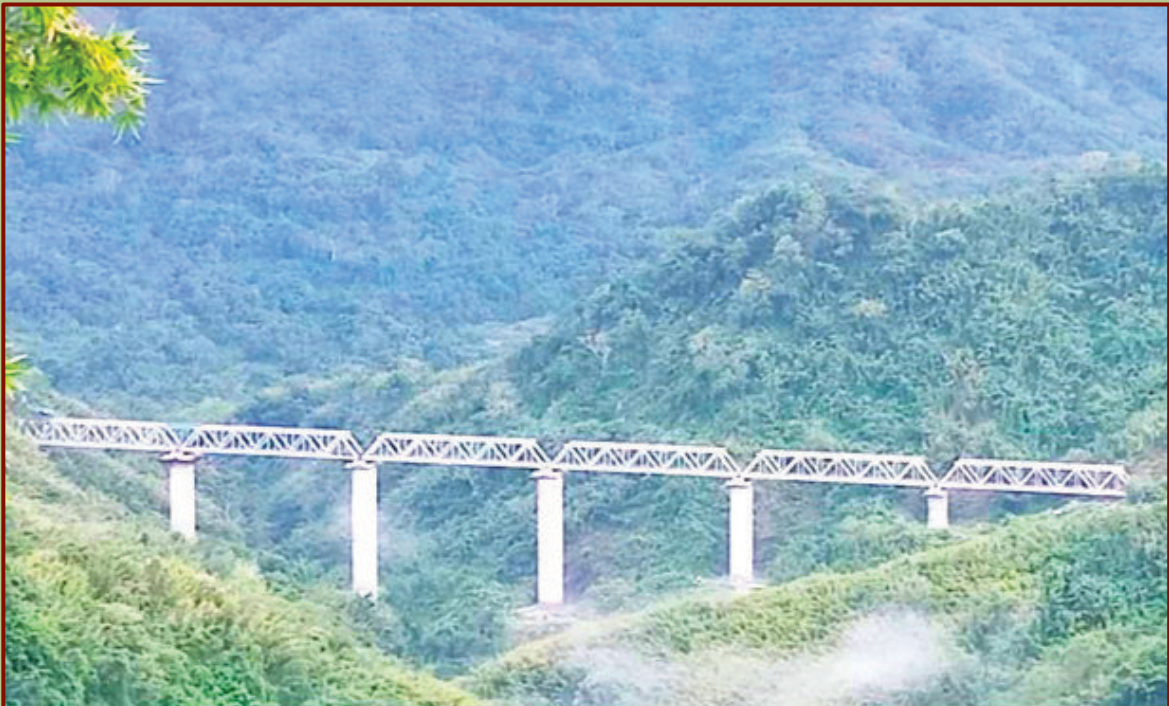
THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)



मिज़ोरम में बैराबी-सैरांग नई लाइन के पुल संख्या 15 का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और 13.09.2025 से ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है।

Construction of Bridge No.15 of Bairabi - Sairang new line in Mizoram successfully completed and train operation started w.e.f. 13.09.2025.



मिज़ोरम में बैराबी-सैरांग नई लाइन के पुल संख्या 78 का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और 13.09.2025 से ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है।

Construction of Bridge No.78 of Bairabi - Sairang new line in Mizoram successfully completed and train operation started w.e.f. 13.09.2025.

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



कोमोडोर राकेश छीलर (सेवानि)
CMDE. RAKESH CHHILLAR (Retd.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

पूर्णकालिक निदेशक / WHOLE TIME DIRECTOR



श्री सुजीत कुमार घोष
SHRI SUJIT KUMAR GHOSH
निदेशक (वित्त) / Director (Finance)



श्री नरेश कुमार
SHRI NARESH KUMAR
निदेशक (तकनीकी) / Director (Technical)

सरकारी नॉमिनी निदेशक GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR



श्री उदय भान सिंह
SHRI UDAI BHAN SINGH

गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक NON-OFFICIAL (INDEPENDENT) DIRECTOR



श्री जगन्नाथ प्रसाद पाणिग्राही
SHRI JAGANNATH PRASAD PANIGRAHI

वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी)

STUDENT

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशक मंडल	1
2.	शेयरधारकों को सूचना	3
3.	अध्यक्ष का संदेश	7
4.	निदेशकों का रिपोर्ट	9
5.	स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट	36
6.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	52
7.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	55
8.	तुलन पत्र	57
9.	लाभ और हानि का विवरण	59
10.	नकद प्रवाह विवरण	60
11.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	62
12.	कंपनी सूचना, सामग्री लेखांकन नीतियां एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां	63

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हुए परिवर्तन सहित निदेशकों की अद्यतन सूची

वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26

	नाम	अवधि
निदेशक मंडल	: कोमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निदेशक (तकनीकी) – अतिरिक्त प्रभार	पूरे वर्ष 13.07.2025 तक
	श्री सुजीत कुमार घोष निदेशक (वित्त)	पूरे वर्ष
	श्री नरेश कुमार निदेशक (तकनीकी)	14.07.2025 से
	श्री उदय भान सिंह सरकार नामित निदेशक	पूरे वर्ष
	श्री जगन्नाथ प्रसाद पाणिग्रही गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	17.08.2026 से
मुख्य सतर्कता अधिकारी	: सुश्री चंद्राणी गुप्ता रोहित कुमार मिश्रा	15.12.2025 तक 08.06.2026 से
लेखापरीक्षक	: बाटलीबाँय, पुरोहित और दरबारी सनदी लेखाकार	
सॉलिसिटर	: फॉक्स एंड मंडल कोलकाता फॉक्स मंडल एंड एसोसिएट एलएलपी कोलकाता फॉक्स एंड मंडल एलएलपी नई दिल्ली	
बैंकर्स	: भारतीय स्टेट बैंक कैनरा बैंक एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक	
पंजीकृत कार्यालय	: 27, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल	

सदस्यों/शेयरधारकों को 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों / शेयरधारकों की 40वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 14 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 11:45 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 27, आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001, पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी: -

साधारण काम-काज :

1. 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च 2026 की तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह और टिप्पणियाँ आदि सहित इक्विटी में परिवर्तन, वार्षिक आम बैठक की तारीख तक तैयार की गयी निदेशक मंडल के प्रतिवेदन, स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ग्रहण करना, उस पर विचार करना और उसे पारित करना।
2. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए लाभांश की घोषणा करना।
3. वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।
4. सरकारी आदेश द्वारा की गई निदेशकों की नियुक्ति को नोट करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह /-
(नवीन कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
27, आर.एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता- 700001 पश्चिम बंगाल

दिनांक : 21 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि: सभी निदेशकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों को

द्रष्टव्य:

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और इस तरह के प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉक्सी फॉर्म इस नोटिस के साथ संलग्न है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और एमसीए के परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। तदनुसार, कंपनी की 40वीं एजीएम सदस्यों को यदि आवश्यक हो तो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के विकल्प के साथ आयोजित की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए वीसी/ओएवीएम लिंक अलग से साझा किया जाएगा।
3. 40वीं एजीएम के लिए निर्धारित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा जैसा कि एजीएम के नोटिस में बताया गया है।

प्रॉक्सी फॉर्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सीआईएन : यू70100डब्ल्यूबी1986जीओआई041286
कंपनी का नाम : दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, मोदी बिल्डिंग, कोलकाता, पं.बं. 700001, भारत

सदस्य(यों) का नाम	:	
पंजीकृत पता	:	
ईमेल आईडी	:	
फोलियो नं. / ग्राहक आईडी	:	
डीपी आईडी	:	लागू नहीं

मैं / हम उपर्युक्त नाम की कंपनी में शेयर के धारक होने के नाते कंपनी के सदस्य के रूप में एतद्वारा निम्नलिखित

- नाम: पता: ईमेल आईडी:
हस्ताक्षर:....., या उसके चूकने पर
- नाम: पता: ईमेल आईडी:
हस्ताक्षर:....., या उसके चूकने पर
- नाम: पता: ईमेल आईडी:
हस्ताक्षर:....., या उसके चूकने पर

को मेरे / हमारे तथा मेरी / हमारी ओर से, सितम्बर, 2026 को, कंपनी की पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता में आयोजित होने वाली कंपनी के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने (मतदान में) के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/ते हूँ/ हैं और इस तरह के संकल्पों के संबंध में इसके किसी भी स्थगन निम्न रूप में दिए गए हैं।

संकल्प संख्या

- 1
- 2
- 3
- 4

.....(दिन)..... (महीना) 2026 को हस्ताक्षरित।

हस्ताक्षर: (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य : इस प्रॉक्सी फार्म के प्रभावी होने के लिए इसे विधिवत रूप से पूरा भर कर एवं बैठक के प्रारंभ होने के पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।



अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से मैं आप सभी का 40वीं वार्षिक आम बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित वार्षिक रिपोर्ट आपके अवलोकन के लिए पहले ही परिचालित की जा चुकी है।

मैं आपको वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आपकी कंपनी के कार्य निष्पादन के संबंध में संक्षेप में अवगत कराना चाहूंगा: -

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी की कुल आय ₹11593.78 लाख रही, जो कि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 19578.07 लाख थी।
- उक्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर-पश्चात लाभ) ₹1396.77 लाख रहा (पिछले वित्तीय वर्ष ₹ 3059.62 लाख)।
- आरक्षित एवं अधिशेष ₹ 15060.28 लाख है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह ₹ 14291.54 लाख थी (वर्ष-दर-वर्ष 5.38% वृद्धि)। निवल मूल्य ₹ 27146.33 लाख है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के ₹ 26377.59 लाख की तुलना में 2.91% वृद्धि दर्शाता है।
- वर्षांत रिपोर्ट के दौरान ऑर्डर बुक ने उर्ध्वगामी प्रवृत्ति प्रदर्शित की है, जिसकी राशि 31 मार्च 2026 को ₹ 61104.41 लाख रही। हमें विश्वास है कि आगामी व्यापारिक अवसरों को देखते हुए ऑर्डर बुक और अधिक बढ़ेगी।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में कम है। पिछले एक दशक में बी.बी.जे. को स्टील रेलवे ब्रिज (95% व्यवसाय) के अपने मुख्य खंड में महत्वपूर्ण बदलावों का सामना करना पड़ा है। नामांकन आधार से बीओक्यू/ आइटम रेट से ई पी सी में संक्रमण, साथ ही बड़ी संख्या में प्रमुख संस्थाओं के प्रवेश और तीव्र प्रतिस्पर्धा ने वर्षों से कंपनी की ऑर्डर बुक और कुल कारोबार (टर्नओवर) को प्रभावित किया है।
- बीबीजे ने रेलवे से ₹ 1200 करोड़ से अधिक के ऑर्डर 2015 से 2021 के बीच चरणों में प्राप्त किए, जो मिजोरम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में थे। कई तकनीकी वाणिज्यिक/लॉजिस्टिक समस्याओं, रेलवे द्वारा उपसंरचनाओं की तैयारी में विलंब और कोविड जैसी परिस्थितियों (जो बीबीजे के नियंत्रण से बाहर थीं) के कारण कार्यों की प्रगति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।
- परिणामस्वरूप, वित्तीय परिसंपत्तियाँ अवरुद्ध हो गईं और बोली क्षमता बाधित हुई। इसके अतिरिक्त, मुंगेर रेल कम रोड परियोजना की साख अप्रैल 2023 में समाप्त हो गई, जिससे ऑर्डर बुक (जो राजस्व का प्रमुख पैरामीटर है) पर गंभीर प्रभाव पड़ा। हालांकि, अनुकूल परियोजना स्थल उपलब्ध होने पर ₹ 1200 करोड़ से अधिक के कार्य 2023-26 के दौरान शीघ्रता से पूर्ण किए गए। अब बीबीजे के पास रेलवे स्टील ब्रिजों के मूल्यवान तकनीकी/वित्तीय प्रमाणपत्र, स्वस्थ वित्तीय स्थिति और पर्याप्त बोली क्षमता है, जिससे वह नए व्यापारिक अवसरों का अन्वेषण कर सकता है।

प्रमुख परियोजनाएँ — प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में गंगा नदी पर रेलवे पुल का निर्माण, मिजोरम में बैराबी सैरांग रेल लिंक पर रेलवे पुल, तथा मणिपुर में इरांग एवं इरिंग नदियों पर रेल पुल — दक्षता के साथ संपन्न की गई हैं। प्रयागराज में गंगा नदी पर रेलवे पुल दिसंबर 2024 से परिचालन में है और महाकुंभ के दौरान व्यापक रूप से उपयोग किया गया। मिजोरम में बैराबी सैरांग लाइन जून 2025 से परिचालित हो चुकी है। अन्य परियोजनाएँ छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में क्रमशः अक्टूबर 2025 और मार्च 2026 में पूर्ण कर परिचालन में लाई गईं। कंपनी ने सभी परिचालन कार्यों को प्रभावी एवं दक्षतापूर्वक संपन्न किया है, यद्यपि सामग्री लागत में वृद्धि और दूरस्थ स्थलों की लॉजिस्टिक चुनौतियाँ विद्यमान थीं। इसके बावजूद कंपनी परिचालन मार्जिन/लाभप्रदता बनाए रखने में सक्षम रही। चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं की सफल पूर्णता ने संगठन की संस्थागत विशेषज्ञता को सुदृढ़ किया है, टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया है तथा कंपनी की तकनीकी/वित्तीय साख को भविष्य के व्यापारिक अवसरों हेतु सशक्त बनाया है।

रेलवे पुलों के मुख्य खंड में व्यवसाय को सुदृढ़ करने हेतु संगठित प्रयास किए जा रहे हैं तथा अन्य खंडों में विविधीकरण के अवसरों की निरंतर खोज की जा रही है। हाल ही में कंपनी ने अन्य व्यावसायिक खंडों — रोड ओवर ब्रिज (आर ओ बी), रेल पुलों का पुनः गर्डरिंग, फुट ओवर ब्रिज (एफ ओ बी), औद्योगिक संरचनाएँ तथा लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट — में सीमित शुरुआत की है। यह उल्लेखनीय है कि इन नए व्यावसायिक खंडों में ₹ 45000.00 लाख से अधिक की ऑर्डर बुक हासिल की गई है। कंपनी निरंतर दक्षताओं को बढ़ाने, ग्राहक संबंधों को सुधारने, संगठनात्मक संरचना का पुनः संयोजन करने तथा भविष्य के व्यापारिक अवसरों एवं चुनौतियों के अनुरूप ढालने की दिशा में कार्यरत है।

हमारा प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विविधीकरण कर सतत विकास प्राप्त करना है। छोटे/मध्यम/बड़े मूल्य के परियोजनाओं को स्वयं अथवा प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एम ओ यू /टाई अप के माध्यम से निष्पादित करने हेतु एक सुदृढ़ व्यवसायिक रणनीति अपनाई जा रही है, ताकि आशाजनक अवसरों का लाभ उठाया जा सके। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, जोखिम शमन, लागत जागरूकता एवं अनुकूलन तथा व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, साथ ही वित्तीय स्थिरता एवं लचीलापन सुनिश्चित करना, हमारे सभी प्रयासों का आधार है। कंपनी स्थिरता, विकास और लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए सही दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

हम एक छोटी और चुस्त संगठन विकसित करने के अपने दृष्टिकोण में दृढ़ हैं, जिसमें विविध एवं बहु कुशल टीम हो जो वर्तमान व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ साथ नए कार्य क्षेत्रों को भी संबोधित कर सके। संस्थागत विशेषज्ञता को सुदृढ़ करते हुए, प्रशिक्षण, उन्नत कौशल, प्रौद्योगिकियों/नवोन्मेषी विधियों/प्रक्रियाओं पर बल दिया जा रहा है, जिससे हमारी टीम भविष्य के लिए तैयार हो सके। हम स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं तथा अपनी परियोजनाओं के दौरान पर्यावरण मानकों का पालन करते हैं।

कंपनी डीपीई, भारत सरकार द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अंतर्गत त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट डीपीई को निर्धारित समय सीमा के भीतर बिना किसी विलंब के प्रस्तुत की जाती है। डीपीई द्वारा जारी सीपीएसईज की ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, बीबीजे ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुपालन में लगातार 'उत्कृष्ट' ग्रेड प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर विस्तृत रिपोर्ट अलग से दी गई है। हम डीपीई/भारत सरकार के प्रचलित दिशानिर्देशों एवं निर्देशों के अनुसार अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं।

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के अपने सहयोगियों को कंपनी के समग्र प्रबंधन में उनके मूल्यवान सहयोग और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं भारी उद्योग मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय एवं भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, आरवीएनएल, इस्कॉन, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, नियामक एवं वैधानिक प्राधिकरणों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षकों, विधिक सलाहकारों एवं परामर्शदाताओं, संयुक्त उद्यम भागीदारों तथा सभी हितधारकों से प्राप्त पूर्ण समर्थन के लिए भी आभारी हूँ। हमें कंपनी के भावी प्रयासों में उनके निरंतर सहयोग की अपेक्षा है।

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, बीबीजे के सभी स्तरों के कर्मचारियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और उनके समर्पण, परिश्रम एवं निष्ठा के लिए हमारी सराहना दर्ज करना चाहता हूँ।

आप सभी को धन्यवाद।

जय हिंद

सीएमडीई राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

निदेशकों का रिपोर्ट

सेवा में

शेयर धारकगण

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के संचालन और प्रदर्शन पर 40वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है।

1 वित्तीय मुख्य बातें

- 1.1.1 कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक (आईएस) के अनुपालन में लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार किए जाते हैं जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित और लागू प्रावधानों के बाद के संशोधनों के तहत अधिसूचित हैं।

- 1.1.2 वित्तीय वर्ष 2025-26 बनाम 2024-25 के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश नीचे दिया गया है:-

(₹ लाख में)

ब्यौरा	2025-26	2024-25
संचालन से राजस्व	10051.78	18276.59
अन्य आय	1542.00	1301.48
मूल्यहास से पहले लाभ/(हानि), वित्तीय लागत, असाधारण वस्तुएँ और कर व्यय	1988.57	4178.96
घटाएँ: मूल्यहास/ परिशोधन/ क्षति	98.24	119.49
वित्तीय लागत, असाधारण मदों और कर व्यय से पहले लाभ/(हानि)	1,890.32	4059.47
घटाएँ: वित्तीय लागत	58.44	50.84
कर व्यय से पहले लाभ/(हानि)	1831.89	4008.63
घटाएँ: कर व्यय (वर्तमान और आस्थगित)	435.12	949.01
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	1396.77	3059.62

- 1.1.3 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की कुल आय ₹ 11593.78 लाख है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान यह ₹19578.07 लाख थी। उक्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर पश्चात लाभ) ₹1396.77 लाख है (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹3059.62 लाख)।
- 1.1.4 आपकी कंपनी ने परिचालन और लाभप्रदता दोनों के संदर्भ में वृद्धि को गति देने के उद्देश्य से रेलवे और अन्य ग्राहकों से लाभदायक ऑर्डर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। आपकी कंपनी ने लगातार लाभ कमाने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखा है।

2 पूंजी संरचना

- 2.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी की पूंजी संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ। 31 मार्च, 2026 को अधिकृत पूंजी ₹ 34810 लाख है और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 12086.05 लाख है।

3 सामान्य रिजर्व

3.1 31 मार्च, 2026 को सामान्य आरक्षित (प्रतिधारित आय को छोड़कर) ₹ 1473.65 लाख है (31 मार्च 2025 ₹ 1473.65 लाख)।

4 लाभांश

- 4.1 बोर्ड की सिफारिश और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार आयोजित की जाने वाली आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुवर्ती अनुमोदन के बाद भारत सरकार को लाभांश देय होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 611.92 लाख का लाभांश दिया।
- 4.2 लाभांश का भुगतान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों के अनुसार और भारत सरकार/निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा निर्देशित या छूट के रूप में किया जाएगा, यदि कोई हो, जैसा कि डीआईपीएएम द्वारा विचार किया जा सकता है।

5 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

5.1 कंपनी का संक्षिप्त विवरण

- 5.1.1 17 सितंबर, 1986 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) के रूप में निगमित, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति इसकी संपूर्ण 100% इक्विटी शेयर पूंजी रखते हैं। कंपनी एमएचआई के तहत एक अनुसूची 'सी' सीपीएसई है।
- 5.1.2 6.1.2 कंपनी निम्नलिखित व्यवसाय में लगी हुई है:
- i इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय - रेलवे, आरओबी, रिगडिंग आदि के लिए स्टील ब्रिज
 - ii परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) व्यवसाय - सिविल निर्माण,
 - iii औद्योगिक संरचनाएं,
 - iv बायो माइनिंग विरासत अपशिष्ट,
 - v कंपनी अन्य संबंधित क्षेत्रों में भी विविधता लाने का प्रयास कर रही है।
- 5.1.3 कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई हैं।
- 5.1.4 बीबीजे की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकताओं के अनुसार है और आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन के तहत प्रमाणित है।

5.2 बीबीजे का विजन, मिशन और उद्देश्य:

5.2.1 दृष्टि

- उच्च गुणवत्ता के साथ पुलों और अन्य इंजीनियरिंग चमत्कारों का नवाचार, डिजाइन और निर्माण करना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और लागत प्रभावी प्रथाओं के माध्यम से इंजीनियरिंग मानक।
- सभी के प्रति देखभाल और चिंता के साथ लाभदायक, उत्पादक, रचनात्मक, अनुपालनशील और वित्तीय रूप से सुदृढ़ बने रहना हितधारकों.

5.2.2 मिशन और उद्देश्य

- विश्व स्तरीय प्रमुख इंजीनियरिंग परियोजना कार्यान्वयन संगठन बनना।
- देश के भीतर और बाहर विशिष्ट पुलों और इंजीनियरिंग चमत्कारों का निर्माण करना।

- नवोन्मेषी, उद्यमशील बनना, निरंतर मूल्य सृजन करना तथा वैश्विक मानक प्राप्त करना।
- ग्राहक संतुष्टि के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध तथा नवाचार और कौशल उन्नयन के माध्यम से संगठन एवं कर्मचारियों की क्षमताओं को निरंतर विकसित करने हेतु संकल्पित।

5.3 उद्योग संरचना और विकास

5.3.1 अर्थव्यवस्था की स्थिति - वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था

3 से 5 जून, 2026 की भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार:

2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.6 प्रतिशत पर अनुमानित, तिमाही 1 6.6 प्रतिशत पर; तिमाही 2 6.3 प्रतिशत पर; तिमाही 3 6.5 प्रतिशत पर; और तिमाही 4 6.8 प्रतिशत पर है। लंबे समय तक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ी हुई अस्थिरता और मौसम संबंधी झटके घरेलू विकास दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करते रहते हैं।

2026-27 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत होने का अनुमान है, तिमाही 1 4.2 प्रतिशत पर; तिमाही 2 5.1 प्रतिशत पर; तिमाही 3 5.9 प्रतिशत पर; और तिमाही 4 5.4 प्रतिशत पर। 2026-27 के लिए मुख्य मुद्रास्फीति 4.7 प्रतिशत पर अनुमानित है

(स्रोत - https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=62974.)

5.3.2 भारतीय अवसंरचना क्षेत्र और सरकारी पहल

5.3.2.1 सरकारी पहलें बुनियादी ढांचा क्षेत्र में समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी:

मजबूत मांग

आकर्षक अवसर

नीति समर्थन

निवेश बढ़ाना

5.3.2.2 बुनियादी ढांचे और रेलवे के विकास के लिए सरकार की दृष्टि से निर्माण क्षेत्र को विकास के उत्कृष्ट अवसर के साथ बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आपकी कंपनी, पुल निर्माण, सिविल निर्माण और औद्योगिक संरचनाओं में अपने अनुभव, विशेषज्ञता और क्षमता/योग्यता के साथ, अपनी ताकत का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से स्थित है। बाजार विकास की दिशा में लगातार प्रयास करने और स्थिरता और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थापित संस्थाओं के साथ गठजोड़ के माध्यम से क्षमता बढ़ाने की आपकी कंपनी की रणनीति, सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने में सक्षम बनाएगी। आपकी कंपनी उद्देश्य-आधारित और भविष्य के लिए तैयार रहने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।

5.3.2.3 आपकी कंपनी आधुनिक इंफ्रा परियोजनाओं में प्रसार और पीएमसी व्यवसाय में विविधीकरण के माध्यम से अपने वित्तीय परिणामों में सुधार करने के लिए भी तैयार है, जबकि आने वाले वर्षों में रेलवे पुलों के मुख्य खंड में व्यवसाय को समेकित किया जाएगा।

5.3.2.4 आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों से पारंपरिक व्यवसाय प्रक्षेपवक्र से विविध क्षेत्र में अपेक्षित विकास दर के साथ इसके प्रदर्शन में काफी सुधार होगा।

5.3.2.5 भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर लगातार जोर और आपकी कंपनी की पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर आदि जैसे कठिन क्षेत्रों में काम करने की क्षमता से इन क्षेत्रों में कारोबार बढ़ने की उम्मीद है।

5.4 ताकत और कमजोरी

5.4.1 ताकत

- मजबूत ब्रांड जागरूकता और प्रतिष्ठा, भारत में महत्वपूर्ण/हस्ताक्षर पुलों में समृद्ध अनुभवा रेलवे ब्रिज, सिविल कंस्ट्रक्शन और औद्योगिक संरचना परियोजनाओं में काम करता है।
- दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र में काम करने का दशकों का अनुभव
- जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड
- हमारे ग्राहकों, उप-ठेकेदारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ आपसी विश्वास और सम्मान पर बने स्थायी संबंध
- अत्यधिक योग्य और अनुभवी इंजीनियरों/अधिकारियों और अन्य कुशल कर्मचारियों के साथ लीन संगठन
- सकारात्मक निवल मूल्य 2005 से लगातार लाभप्रदता
- अल्पकालिक में A1 + और दीर्घकालिक में ए + की क्रेडिट रेटिंग सुविधाएँ हैं।
- उत्तर और उत्तर पूर्व में दूरस्थ और उच्च इलाके में काम करने के लिए प्रमाण पत्र।

5.4.2 कमजोरी

- कंपनी में उच्च स्तर और प्रमुख पदों पर सेवानिवृत्ति के कारण अनुभवी कर्मचारियों की घटती संख्या
- सीमित तकनीकी/वित्तीय क्षमताओं वाली छोटी कंपनी होने के कारण, बड़े ई पी सी रेलवे प्रोजेक्ट्स में जे वी/एम ओ यू/टाई-अप के जरिए हिस्सा लेने के लिए बड़ी कंपनियों पर निर्भरता
- वित्तीय और अन्य सीमाओं के कारण बीओटी/बीओओ और अन्य प्रमुख परियोजना निष्पादन में प्रवेश करने में असमर्थता।

5.5 अवसर, खतरे और बाधाएं

5.5.1 अवसर

- भारत सरकार की घोषित नीतियां 'आत्मनिर्भर भारत अभियान', 'मेक इन इंडिया', 'स्मार्ट सिटी मिशन', 'पीएम गति शक्ति योजना' और विभिन्न अन्य पहल के परिणामस्वरूप सड़क और सिविल निर्माण आदि में मांग होगी, जिससे निर्माण कंपनियों के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे।
- भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के लिए उच्च बजटीय आवंटन।
- उद्योग समर्थक नीतियां और पहल जैसे कि कॉर्पोरेट कर का युक्तिकरण, आरईआईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की स्थापना के बुनियादी ढांचे आदि के क्षेत्र में निवेश।
- भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के काम में जोर और सीमावर्ती क्षेत्र में विकास कार्य और पूर्वोत्तर राज्य के विकास कार्य।
- सतह परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर।
- प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम/सहयोग।

5.5.2 आशंका

- बुनियादी ढांचे में भारी निवेश ने बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के उद्यमों को आकर्षित किया है जिससे प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।
- निजी क्षेत्र के उद्यमों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ के मार्जिन में कमी आ सकती है।
- नामांकन व्यवसाय पर प्रतिबंध।
- विपरीत नीलामी परिचालन मार्जिन को प्रभावित करती है।

5.5.3 प्रतिबंध

कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई होने के नाते निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम लचीलापन रखती है। छोटे आकार और वित्तीय सीमाओं के बावजूद, आपकी कंपनी ने अपनी मुख्य दक्षताओं के साथ भारत सरकार को प्रो. क्षमता बनाए रखी है और लगातार लाभांश का भुगतान किया है, जबकि भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व भाग सहित बुनियादी ढांचे की पहलों में मामूली योगदान दिया है।

5.5.3.1 प्रमुख परियोजनाओं की लंबी अवधि के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों को लॉक करना, जिससे नई परियोजनाओं में भागीदारी सीमित हो जाती है।

5.5.3.2 उच्च मूल्य और जटिल सिविल परियोजना/वाया-डक्ट/एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए प्रमाण पत्र की कमी।

5.5.4 जोखिम एवं खतरे

5.5.4.1 नामांकन द्वारा व्यवसाय में प्रतिबंध, निजी क्षेत्र द्वारा कड़ी प्रतिस्पर्धा और आक्रामक बोली, सीमित वित्तीय क्षमता/कारोबार के मुकाबले बड़े मूल्य के ईपीसी अनुबंध, निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा के मुकाबले कम परिचालन लचीलापन भविष्य के व्यावसायिक अवसरों को प्रभावित कर सकता है।

5.5.4.2 कंपनी के कर्मचारियों और परियोजनाओं को कठिन भौगोलिक क्षेत्र में काम करने के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कंपनी चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने में गर्व महसूस करती है और पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों को सुनिश्चित करती है।

5.5.4.3 वित्तीय विवरणों पर नोट्स के तहत जोखिम से संबंधित विवरण भी उल्लिखित हैं।

5.6 वर्तमान परिचालन, मौजूदा हालात और भविष्य के लिए दृष्टिकोण

5.6.1 व्यावसायिक वातावरण आक्रामक बोली के साथ निजी क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। इसके अलावा, रिवर्स नीलामी ने अवसरों को भी सीमित कर दिया है। बड़े मूल्य के ईपीसी निविदाओं के लिए उन्नत क्रेडेंशियल्स (तकनीकी के साथ-साथ श्रेयोल्ड वित्तीय क्षमता) की आवश्यकता होती है। इस वर्तमान परिदृश्य में मार्जिन काफी कम हो गया है।

5.6.2 बढ़ी हुई दक्षता की दिशा में उपरोक्त पहलों के परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी निकट भविष्य में ऑर्डर बुक को पर्याप्त रूप से सुरक्षित करने और सुधारने के लिए बहुत आशावादी है। हम लगातार बोली, संचालन, खरीद, निष्पादन और परियोजनाओं के तेजी से कारोबार में दक्षता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

5.6.3 आपकी कंपनी उच्च मूल्य वाले ईपीसी और अन्य अनुबंधों की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ संयुक्त उद्यम और गठजोड़ की भी खोज कर रही है, साथ ही उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के कठिन इलाकों में जटिल परियोजनाओं को करने की अपनी क्षमता का लाभ उठा रही है।

5.7 संचालन कार्य प्रदर्शन से संबंधित वित्तीय प्रदर्शन पर परिचर्चा

5.7.1 बीबीजे रेलवे, सिविल निर्माण, आरओबी और अन्य सिविल परियोजनाओं के लिए स्टील पुलों के निर्माण और निर्माण के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) कार्यों में लगा हुआ है।

5.7.2 कंपनी के वर्तमान व्यवसाय का विवरण नीचे दिए गए हैं:

सी एन सं	विवरण	उत्पाद और सेवाएं	ग्राहक
(अ)	इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय - स्टील पुल	निर्माण: स्टील पुलों का निर्माण, पुराने पुलों का पुनर्बास, पुल गर्डर आदि का विनिर्माण और आपूर्ति।	भारतीय रेलवे और अन्य सीपीएसई जैसे आरवीएनएल और इस्कॉन

सी एन सं	विवरण	उत्पाद और सेवाएं	ग्राहक
(ब)	परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) व्यवसाय - सिविल निर्माण कार्य	निर्माण: भवन, स्कूल परिसर, सड़क आदि।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन
(सी)	औद्योगिक संरचना	इस्पात संरचना का निर्माण और स्थापना	मेकॉन और अन्य सीपीएसई
(डी)	विरासत अपशिष्ट का जैव-खनन	अपशिष्ट प्रबंधन	चंडीगढ़ नगर पालिका

5.7.3 परिचालन प्रदर्शन

5.7.3.1 31 मार्च 2026 को ऑर्डर बुक की स्थिति रेलवे ब्रिज परियोजनाओं से ₹ 60408.88 लाख है और सिविल और औद्योगिक संरचना सहित औद्योगिक परियोजनाओं से ₹ 695.53, कुल मिलाकर ₹ 61104.41 लाख.

5.7.3.2 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, ₹ 34985.72 लाख का आदेश रेल पुल, रोड ओवरब्रिज, री-गिरडरिंग, स्टेशन विकास आदि के लिए सुरक्षित किए गए।

5.7.4 विविधीकरण और भविष्य की संभावना

5.7.4.1 भविष्य के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक है और कंपनी आगामी वर्ष में उत्कृष्टता प्राप्त करने की संभावना है।

5.7.4.2 कंपनी अपनी साख (तकनीकी और वित्तीय) बढ़ाने और उच्च मूल्य वाले ईपीसी/पीएमसी/दर अनुबंधों के लिए “भविष्य के लिए तैयार” होने की आवश्यकता के प्रति सचेत है।

कंपनी द्वारा मौजूदा उत्पाद लाइन के समेकन के साथ-साथ कंपनी की व्यापक उत्पाद लाइन को फिर से सक्रिय करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

इस दिशा में, कंपनी उच्च मूल्य के ऑर्डर और अधिक अवसरों के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ सहयोग/टाई अप की लगातार खोज कर रही है।

एलिवेटेड कॉरिडोर, केबल स्टेय ब्रिज, एफओबी, आरओबी, औद्योगिक संरचनाओं आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण किया जा रहा है। गतिविधियों के पूरे स्पेक्ट्रम में दक्षता बढ़ाई जा रही है।

मौजूदा आदेशों को पूरा करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को जारी करने और भविष्य के आदेशों के लिए इसका लाभ उठाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अभ्यास करने में संभावित चुनौतियों का सक्रिय दृष्टिकोण और जोखिम कम करना। आपकी कंपनी भविष्य में उत्पादन औरलाभप्रदता में महत्वपूर्ण सुधार के बारे में आशावादी है।

5.7.4.3 उच्च मूल्य की निविदाओं के लिए बोली लगाने हेतु निर्माण उद्योग की अन्य प्रमुख कंपनियों के साथ आपकी कंपनी द्वारा समझौता ज्ञापन/संघ के रूप में रणनीतिक गठजोड़ पर विचार किया जा रहा है। इस नीतिगत पहल का मुख्य उद्देश्य समझौता ज्ञापन प्रक्रिया के माध्यम से कंपनियों के बीच तकनीकी-आर्थिक तालमेल के लाभों का पता लगाना है। तकनीकी रूप से अनुकूल होने के अलावा, यह प्रक्रिया समय के साथ कंपनियों और संघ के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और इसके परिणामस्वरूप लाभ में वृद्धि होगी।

5.7.5 कंपनी की योजना अपनी मुख्य क्षमता को मजबूत करने और नए क्षेत्रों में प्रवेश करने की है, जो इस प्रकार है: -

1) ईपीसी व्यवसाय में वृद्धि

क) संयुक्त उद्यम के माध्यम से: उच्च मूल्य वाले सरकारी निविदाओं में भाग लेने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ संबंध/संयुक्त उद्यम (जेवी)।

इस उद्देश्य के लिए, आपकी कंपनी ने आईटीडी सीमेंटेशन और एबीसीआई के साथ क्रमशः जेवी का गठन किया है जो वर्तमान में कार्यरत हैं।

ख) राज्य संपर्क परियोजनाओं के अंतर्गत स्टील पुलों के निर्माण, रेलवे के विभिन्न खंडों की नई लाइन/दोहरीकरण लाइन परियोजनाओं के निर्माण आदि के लिए रेलवे, आरवीएनएल, इरकॉन आदि द्वारा आमंत्रित बोलियों में नियमित भागीदारी।

2) पीएमसी व्यवसाय में विपणन प्रयासों में वृद्धि:

पीएमसी व्यवसाय में पीएमसी अनुबंध प्राप्त करने और उन्हें क्रियान्वित करने के अवसरों का विविधीकरण की दिशा में अन्वेषण किया गया है। हाल ही में बीबीजे द्वारा पीएमसी व्यवसाय में एक परियोजना को क्रियान्वित करने का कार्य शुरू किया गया है। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी अन्य सीपीएसई हैं।

5.8 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

5.8.1 कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्त प्रणाली है जो प्रबंधन को वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों की प्रभावशीलता की समीक्षा करने में मदद करती है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी लेनदेन अधिकृत, रिकॉर्ड और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं।

5.9 मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध में विकास।

5.9.1 इस खंड पर निदेशक की रिपोर्ट में अलग से चर्चा की गई

5.10 पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण: -

5.10.1 इस खंड पर निदेशक की रिपोर्ट में अलग से चर्चा की गई है।

5.11 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:-

5.11.1 इस खंड पर निदेशक की रिपोर्ट में अलग से चर्चा की गई है।

5.12 चेतावनी विवरण

5.12.1 कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाली इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कथन लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ के भीतर 'आगे की ओर देखते हुए बयान' हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से काफी भिन्न या भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कंपनी के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं उनमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र में गिरावट, भारत और विदेशों में आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, कर कानून, मुकदमेबाजी और श्रम संबंध शामिल हैं।

5.12.2 इस खंड के तहत सूचना का सामान्य स्रोत निम्नानुसार है:

- आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त और भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) - वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्ट।

6 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

6.1 आपकी कंपनी को ओएम संख्या एम-03/0021/2022-23-डीपीई (एमओयू) दिनांक 25-10-2022 के माध्यम से एमओयू प्रक्रिया से छूट दी गई है। हालांकि, डीपीई दिशानिर्देशों के बाद एक आंतरिक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया और बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।

7 बोर्ड, समितियां और संबंधित जानकारी

7.1 निदेशक मंडल

7.1.1 बोर्ड और अन्य समिति बैठकों की संरचना का विवरण, बैठकों की तारीख, अवधि के दौरान बैठकों की संख्या जिसमें निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति शामिल है और अन्य आवश्यक विवरण, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के तहत अलग से कवर किए गए हैं, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न और इसका हिस्सा हैं।

7.2 प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी

7.2.1 31 मार्च 2026 को निम्नलिखित कार्यात्मक निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी थे: -

- i सीएमडीई राकेश छीलर (सेवानिवृत्त) - अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
- ii श्री सुजीत कुमार घोष - निदेशक (वित्त)
- iii श्री नरेश कुमार - निदेशक (तकनीकी)
- iv श्री नवीन कुमार मिश्रा - कंपनी सचिव (सीएस)।

7.3 बोर्ड मूल्यांकन और बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

7.3.1 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के माध्यम से सरकारी कंपनियों को अपने निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन से छूट दी है।

7.3.2 भारत सरकार द्वारा बोर्ड में नियुक्त गैर-कार्यकारी बोर्ड के सदस्य उद्योग, वाणिज्य और प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बोर्ड में उनकी उपस्थिति व्यावसायिक निर्णय लेने में लाभप्रद और फलदायी रही है। निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और अन्य गतिविधियों से परिचित कराने के उद्देश्य से कंपनी के अवलोकन पर प्रस्तुति दी जाती है। कंपनी के समग्र मामलों के बारे में बोर्ड को एजेंडा पत्रों और वित्तीय प्रदर्शन, चल रही परियोजनाओं की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक संचालन से संबंधित मामलों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग के माध्यम से अद्यतन रखा जाता है।

7.4 निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

7.4.1 अधिनियम की धारा 134 के अनुसार, निदेशकगण प्रमाणित करते हैं कि:

- (क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही यदि कोई हो तो भौतिक प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है
- (ख) उचित लेखांकन नीतियों का चयन और लगातार लागू किया गया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च, 2026 को कंपनी के मामलों की स्थिति और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और उचित दृश्य दिया जा सके
- (ग) कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है;
- (घ) वार्षिक लेखे चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किये गये हैं;
- (ङ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की जाती हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

7.5 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

7.5.1 31 मार्च 2026 तक 2 स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित घोषणा, जिसमें स्वतंत्र निदेशक से धारा 149 के तहत घोषणा भी शामिल है, लागू नहीं है।

7.6 लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति

- 7.6.1 आपकी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित पारदर्शिता, जवाबदेही, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर लेखा परीक्षा और अन्य बोर्ड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करना जारी रखती है।
- 7.6.2 बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों से संबंधित संविधान, बैठकों, उपस्थिति और अन्य विवरणों का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के तहत शामिल किया गया है, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इसका हिस्सा है।
- 7.6.3 सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश 2010 के तहत बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है।
- 7.6.4 लेखापरीक्षा समिति के लिए संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत 'लेखापरीक्षा समिति की भूमिका' पर खंड 4.2 के तहत शासित हैं।

7.7 संबंधित पक्ष लेन-देन

- 7.7.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया था, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में उल्लिखित संबंधित पक्ष लेनदेन के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

- 7.7.2 संबंधित पार्टी के अंतर्गत आने वाले नियमित लेनदेन, यदि कोई हो, इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग में प्रकट और समझाया गया है।

7.8 कंपनी (नियुक्ति और प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार प्रकटीकरण

- 7.8.1 कंपनी, भारत सरकार का उद्यम होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ-साथ कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के अनुसार निर्धारित पारिश्रमिक और अन्य विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं से मुक्त है।

- 7.8.2 आपकी कंपनी ने कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

8 सूचना और सतर्कता ढांचा, नीतियां, प्रक्रियाएं:

8.1 गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा

- 8.1.1 आपकी कंपनी वांछित गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानदंडों और मानकीकृत विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। निरंतर मूल्यांकन के भाग के रूप में और कार्यात्मक आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है। निर्माण में सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वास्तव में, हर समय निर्माण के हर पहलू में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कंपनी की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकताओं के अनुसार आईएसओ 9001:2015 के तहत प्रमाणित है।

8.1.2 बीबीजे में गुणवत्ता नीति (आईएस/आईएसओ 9001: 2015)

“अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और लागत प्रभावी प्रथाओं के माध्यम से उच्च इंजीनियरिंग मानकों के साथ पुलों और अन्य इंजीनियरिंग मानक में गुणवत्ता प्रणाली का नवाचार, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव करना।

पूर्ण ग्राहक संतुष्टि और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए, सभी वैधानिक, कानूनी और अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए नवाचार और कौशल उन्नयन के माध्यम से संगठन और कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाना”

- 8.1.3 राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह वार्षिक आधार पर मुख्यालय में मनाया जाता है, जिसका आयोजन गुणवत्ता प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है और इस अवसर पर सुरक्षा के लिए सामान्य दिशानिर्देशों पर विचार-विमर्श किया जाता है और परियोजना स्थलों पर सुरक्षा की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता के लिए प्रसारित किया जाता है।

- 8.2 कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण जिसमें जोखिम के तत्वों की पहचान भी शामिल है, यदि कोई हो, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है**
- 8.2.1 जोखिम प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेट और परिचालन उद्देश्यों के साथ एक एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के हिस्से के रूप में किया जाता है और निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में नहीं। एक अभिन्न अंग होने के नाते, कार्यप्रणाली की प्रक्रिया में जहां भी आवश्यक हो और आवश्यकता हो, जोखिम प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए नीतिगत पहल की जाती है।
- 8.3 कॉर्पोरेट प्रशासन**
- 8.3.1 आपकी कंपनी अपने समग्र कामकाज में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए लगातार प्रयास करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाती है, जिसे डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के संदर्भ में वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाता है।
- 8.3.2 आपकी कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और बोर्ड द्वारा नामित सदस्यों द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति की प्रक्रिया के माध्यम से समय-समय पर ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया जाता है।
- 8.4 सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी**
- 8.4.1 कंपनी के पास निदेशकों और कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र अच्छी तरह से स्थापित है, जो कंपनी की आचार संहिता को शामिल करता है जिसमें उचित रूप से अपनाई गई व्हिसल ब्लोअर नीति शामिल है। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मामलों का संचालन करना, व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाना।
- 8.4.2 नीति का उद्देश्य भयमुक्त वातावरण बनाना है। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है और <https://www.bbconst.com/rti/bbj-whistle-blower-policy.pdf> पर उपलब्ध है।
- 8.5 सूचना का अधिकार**
- 8.5.1 कंपनी के पास सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए उचित तंत्र है।
- 8.5.2 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत कुल 15 आवेदन और 3 प्रथम अपील प्राप्त हुईं। आवेदन पत्रों का उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त अधिनियम के तहत दिया गया।
- 8.6 सतर्कता**
- 8.6.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सतर्कता गतिविधियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया गया।
- 8.6.2 सुश्री चंद्रानी गुप्ता, आईईएस ने भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्या 8(12)/ 2004-PE .III दिनांक 13 दिसंबर 2023 के संदर्भ में 15 दिसंबर 2025 को कंपनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। श्री रोहित कुमार मिश्रा, आईओएफएस (2009) ने 08 जून, 2026 से कंपनी में सीवीओ (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में कार्यभार संभाला।
- 8.7 लेखांकन नीति का पालन/मानक**
- 8.7.1 कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लागू लेखांकन मानकों और नियमों के अनुसार बनाए गए और इसे अपनाने के बाद से इसका पालन किया जा रहा है।
- 8.7.2 वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पणियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण पर्याप्त रूप से दर्शाया गया है।
- 8.7.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड का रखरखाव किया जाता है और लगातार बनाए रखा जाता है।

8.8 आंतरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण

- 8.8.1 कंपनी के पास कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम, सटीक और त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग, अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।
- 8.8.2 कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय कानूनी, वैधानिक और विनियामक अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किया जाए।
- 8.8.3 चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म को कंपनी के बोर्ड द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य करने और उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए नियुक्त किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों की रिपोर्ट समय-समय पर कंपनी के प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती है। संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और इस प्रकार आंतरिक लेखा परीक्षकों के सुझावों के अनुसार समग्र नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाता है।
- 8.8.4 कंपनी के पास प्रबंधन द्वारा जारी की गई स्थापित कार्यालय प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय हैं जो सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों अर्थात्, विपणन, खरीद और कार्य, सामग्री, भंडार, खाते और व्यक्तिगत मैनुअल आदि को समाहित करते हैं।
- 8.8.5 आंतरिक लेखापरीक्षा का दायरा, योजना, आंतरिक नियंत्रण तंत्र और वित्तीय और परिचालन प्रणाली के मुद्दों को सभी प्रकार की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक संरचित बनाया गया है।
- 8.8.6 प्रबंधन उचित देखभाल करता है और परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटि की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करना सुनिश्चित करता है।

9 लेखा परीक्षक

9.1 2025-2026 के खातों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

- 9.1.1 मेसर्स बाटलीबॉय पुरोहित और दरबारी (सीए1398), सनदी लेखाकार, कोलकाता, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 1303086ई) कोलकाता को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- 9.1.2 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में टिप्पणियों को खातों पर टिप्पणियों में पर्याप्त रूप से समझाया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों की 29 जुलाई 2026 की रिपोर्ट (उनकी पहले की रिपोर्ट दिनांक 20 जून 2026 के स्थान पर) के साथ लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण अनुभाग में इस वार्षिक रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर भी रखा गया है।
- 9.1.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सीए) के तहत आवश्यकतानुसार, धोखाधड़ी के संबंध में धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा कोई प्रतिकूल रिपोर्टिंग नहीं है।

9.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियाँ

- 9.2.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर दिनांक 2 सितम्बर 2026 को अपनी टिप्पणियाँ जारी की हैं जिसमें कहा गया है कि पूरक लेखा-परीक्षा के दौरान उठाई गई कुछ टिप्पणियों को प्रभावी बनाने हेतु सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कोई अतिरिक्त टिप्पणी अथवा परिशिष्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की प्रति कंपनी की वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

9.3 सचिवीय लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

- 9.3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधान सचिवीय लेखापरीक्षा के संबंध में कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

9.3.2 कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू/अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

10 मानव संसाधन, सीएसआर, महिला सशक्तिकरण और कल्याण गतिविधियाँ

10.1 मानव संसाधन

- 10.1.1 परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, संगठन की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ बदलते औद्योगिक परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कठोर और निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
- 10.1.2 आवश्यकतानुसार नीतियों में संशोधन किया गया, जिसमें कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से संगठन में कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में मान्यता देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कंपनी में पारदर्शिता और प्रभावी संचार प्रणाली में वृद्धि के लिए दक्ष एचआर सिस्टम बनाने की दिशा में कई पहल की गई और एमओयू मापदंडों को उचित प्रणाली के माध्यम से ठीक से संबोधित किया गया।
- 10.1.3 कर्मचारी से संबंधित किसी भी शिकायत को समय पर हल करने के लिए शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाता है। कर्मचारियों के कार्यात्मक और व्यवहारिक कौशल को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थित किया गया ताकि दक्षता बढ़ाई जा सके और कर्मचारियों के बीच स्व-शिक्षण को प्रोत्साहित किया जा सके।
- 10.1.4 इसके अलावा, वर्तमान अभिनव और चुनौतीपूर्ण बाजार को देखते हुए, आपकी कंपनी ने अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में हो रहे नवीनतम रुझानों/तकनीकों और परिवर्तनों के बारे में जागरूक करने और उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया ताकि वे एक टीम के रूप में समग्र संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर क्षमता और उत्साह के साथ काम कर सकें। क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला अनुबंध प्रबंधन, मध्यस्थता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, महिला प्रबंधकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, प्रशासनिक नेतृत्व और सुशासन, मशीन लर्निंग और एआई, सार्वजनिक खरीद आदि पर डीपीई कैलेंडर के अनुसार थी। समीक्षा के दौरान औद्योगिक संबंध पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण रहे।

10.2 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व; वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों पर कंपनी द्वारा विकसित और कार्यान्वित नीति के बारे में विवरण

- 10.2.1 कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत अपेक्षित सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में रखी गई है, जिसमें रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सीएसआर निधि और इसके उपयोग का विस्तार से बताया गया है।
- 10.2.2 कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट पर <https://www.bbjconst.com/rti/bbj-csr-policy.pdf> पर उपलब्ध है

10.3 महिलाओं का सशक्तिकरण

- 10.3.1 कंपनी ने लैंगिक समानता को उचित महत्व देना जारी रखा है। कंपनी द्वारा अक्षरशः और भावना के अनुरूप महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय/वैधानिक प्रावधान जैसे वेतन का भुगतान, काम के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण पहलू और मातृत्व लाभ आदि का पालन किया जा रहा है।

10.4 समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

- 10.4.1 मौजूदा श्रम कानूनों और उसके तहत बनाए गए नियमों में शामिल वैधानिक कल्याणकारी सुविधाएं कंपनी द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रशासित की जाती हैं, इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण नीति के प्रति कल्याण और सामाजिक न्याय के प्रावधानों के साथ-साथ सरकार की नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रशासित की जाती हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए सभी राष्ट्रपति के निर्देशों का कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है।

10.4.2 एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी कार्मिक

31 मार्च 2026 तक 7 अनुसूचित जाति कर्मचारी, शून्य अनुसूचित जनजाति कर्मचारी, 2 ओबीसी कर्मचारी और शून्य पीडब्ल्यूडी कर्मचारी हैं। उपरोक्त सभी पुरुष कर्मचारी हैं।

10.5 एमएसएमई को प्रोत्साहन/सहायता

10.5.1 समीक्षाधीन अवधि के लिए कुल खरीद में से अधिकांश एमएसएमई के माध्यम से की गई थी। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अंत में एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को 45 दिनों से अधिक की अवधि के लिए कुछ भी बकाया नहीं है।

10.5.2 आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से सामाजिक कल्याण संगठनों को सामग्री और सेवाओं की चयनात्मक सोर्सिंग/खरीद के माध्यम से सहायता और समर्थन प्रदान किया गया।

11 अन्य प्रकटीकरण

11.1 कानूनी शिकायतें

11.1.1 बोर्ड को नियमित आधार पर वैधानिक और अन्य अनिवार्य कानूनी अनुपालन के बारे में एजेंडा नोट्स के माध्यम से अवगत कराया जाता है, जिसमें वैधानिक प्राधिकरणों से प्राप्त नोटिस, यदि कोई हों, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई शामिल है।

11.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत प्रकटीकरण

11.2.1 कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधान का अनुपालन किया है। आंतरिक शिकायत समिति यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों की जांच करने और स्पष्ट समय सीमा के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सशक्त है।

11.2.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

- (i) गवित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या : शून्य
- (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या : शून्य
- (iii) वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या : शून्य

11.3 ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरण

11.3.1 समीक्षाधीन अवधि के लिए, कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं किया गया था जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत अनुमोदन की आवश्यकता है। ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण वित्तीय विवरणों और उसके भाग के रूप में नोट्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

11.4 बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता

11.4.1 आपकी कंपनी के पास अच्छी तरह से परिभाषित नीतिगत ढांचा है जो सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नैतिक व्यावसायिक आचरण के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, जिसका उद्देश्य कंपनी के व्यवसाय को नैतिक रूप से और

जिम्मेदारी, ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ संचालित करना है। कोड कंपनी की वेबसाइट <https://www.bbjconst.com/rti/bbj-code-of-conduct.pdf> पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने समीक्षाधीन अवधि के लिए आचार संहिता का अनुपालन किया है।

- 11.4.2 डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुरूप आचार संहिता के अनुपालन पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

आचार संहिता पर घोषणा

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए दिनांक 14 मई 2010 को भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा जारी “कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देश, 2010” के खंड 3.4.2 के अनुसार, मैं यह घोषित करता हूँ कि वित्त वर्ष 2025 -26 के लिए सभी बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने उक्त दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित आचार संहिता के वार्षिक आधार पर पालन की पुष्टि की है।

हस्ताक्षर :

सीएमडीई राकेश छिल्लर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन: - 09832486

11.5 हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

- 11.5.1 कंपनी में हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए उपाय

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने राजभाषा विभाग, भारत सरकार की राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए अपना प्रयास जारी रखा। कुछ प्रमुख अनुपालन इस प्रकार हैं:

- कंपनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।
- त्रैमासिक हिंदी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।
- उनकी समीक्षा के लिए टीओएलआईसी द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया और हिंदी भाषा में टीओएलआईसी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने की पुष्टि की।
- सितंबर, 2025 के महीने में कंपनी में “हिंदी पखवाड़ा” का आयोजन किया गया और उक्त पखवाड़े के दौरान कंपनी के कर्मचारियों के बीच विभिन्न हिंदी कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं के बीच पुरस्कार भी वितरित किए गए।

11.6 वार्षिक रिटर्न का सार

- 11.6.1 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ विधिवत दाखिल वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक निम्नलिखित वेब-लिंक पर उपलब्ध है -<https://www.bbjconst.com/financials.html>। उपरोक्त पहले पैरा में उल्लिखित प्रावधानों को देखते हुए, एमजीटी-9 में ‘वार्षिक रिटर्न का उद्घरण’ समीक्षाधीन अवधि के लिए बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है।

11.7 वर्ष के दौरान सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों का प्रदर्शन

- 11.7.1 भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीबीसीसीपीएल) बीबीजे और गैमन इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। नामित निदेशक की स्थिति 'निष्क्रिय' होने के बाद, बीबीजे द्वारा अपने निदेशक के लिए या तो दोष को सुधारने या बीबीसीसीपीएल के गठन के लिए एसोसिएशन के लेखों और संयुक्त उद्यम समझौते के संदर्भ में निदेशकों का नया नामांकन करने का अनुरोध किया गया था। कई अनुस्मारक के बावजूद, जीआईएल द्वारा निदेशकों का कोई सुधार या नया नामांकन नहीं किया गया है। इस कारण से, निदेशकों या शेयरधारकों की बैठकें आयोजित करने में गतिरोध है क्योंकि बोर्ड या शेयरधारकों की उक्त बैठकें आयोजित करने के लिए कोई कोरम नहीं है। इस संबंध में कोई नई प्रगति नहीं हुई है।
- 11.7.2 उक्त गतिरोध के कारण फॉर्म संख्या 22ए, सक्रिय दाखिल नहीं किया जा सका और इसलिए, कंपनी की वर्तमान स्थिति निष्क्रिय, गैर-अनुपालन वाली है।
- 11.7.3 बीबीसीसीपीएल वस्तुतः एक निष्क्रिय संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका आधार दूसरे हुगली पुल के निर्माण के उद्देश्य के पूरा होने के बाद नष्ट हो गया, जिसके लिए इसे निगमित किया गया था। वर्तमान में, बीबीसीसीपीएल में कोई कर्मचारी नहीं है।
- 11.7.4 भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) एक सहायक कंपनी है जो माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता द्वारा समापन आदेश पारित करने पर परिसमापन के अधीन है। परिसमापन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
- 11.7.5 निष्क्रिय संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का वित्तीय विवरण उपलब्ध न होने के कारण समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया है।

11.8 पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी का संरक्षण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

11.8.1 ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण:

- 11.8.1.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। आंतरिक तंत्र के माध्यम से, विभिन्न स्थानों पर परियोजना स्थलों पर उपयोग में आने वाले संयंत्रों से कार्बन और अन्य गैसों के उत्सर्जन के स्तर की निगरानी के लिए समय-समय पर सिस्टम और इसकी नीति की जांच के माध्यम से ऊर्जा के संरक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
- 11.8.1.2 विभिन्न साइटों पर चल रही परियोजनाओं की सीमित तैनाती, अनुबंधों की प्रकृति और कम अवधि के साथ, इन साइटों पर ऊर्जा संरक्षण उपकरणों में पूंजी निवेश के माध्यम से वैकल्पिक स्रोत का उपयोग किया जा रहा है और फिलहाल यह संभव नहीं है। हालाँकि, भविष्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए रास्ते खोजे जा रहे हैं।
- 11.8.1.3 सभी नई निर्माण परियोजनाओं में सर्वोत्तम उपलब्ध बिजली बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाकर ऊर्जा खपत को कम करने पर जोर दिया गया है। एलसीडी से एलईडी लाइटिंग में स्विचिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। अधिकांश परियोजनाओं के अलावा निष्पादित ऊर्जा मानदंडों के अनुरूप हैं, उपयोग किए गए उपकरण सभी ऊर्जा कुशल हैं।
- 11.8.1.4 आपकी कंपनी समुदाय और इसके लोगों के लिए पर्यावरण के अनुकूल बनी रही। प्रासंगिक कानूनों के किसी भी गैर-अनुपालन के लिए अधिकारियों या नियामकों से कभी भी कोई नोटिस या कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ।

11.8.2 प्रौद्योगिकी अवशोषण:

- 11.8.2.1 वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा प्रौद्योगिकी का कोई आयात नहीं किया गया था।
- 11.8.2.2 वरिष्ठ प्रबंधन को नई तकनीकों और उत्पादों के बारे में जागरूकता प्रदान की जा रही है ताकि वे उनका उपयोग कर सकें। नई और नवीन तकनीकों पर प्रस्तुतियाँ आयोजित की जा रही हैं। कार्य की पारंपरिक प्रकृति, लागत और आकार संबंधी बाधाओं आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण, कंपनी वर्तमान में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ नहीं कर रही है।

11.8.3 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

11.8.3.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपकी कंपनी द्वारा कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं किया गया था।

12 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित अन्य खुलासे

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणियाँ
1)	कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, और रिपोर्ट की तिथि के बीच घटित हुई हों।	शून्य
2)	एक विवरण जिसमें यह दर्शाया गया हो कि बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के कार्य निष्पादन तथा अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है।	बीबीजे एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जिसमें 100% सरकारी शेयरधारिता है। इसके अलावा, कुछ सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण, ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं होते हैं।
3)	निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति	बीबीजे एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जिसमें 100% सरकारी शेयरधारिता है। इसके अलावा, कुछ सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण, ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं होते हैं।
4)	वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजी संरचना में कोई भी परिवर्तन	शून्य
5)	शेयरों या अन्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम	शून्य
6)	कर्मचारी स्टॉक विकल्प या स्वेट इक्विटी शेयरों का निर्गम	शून्य
7)	डिबेंचर, बांड या किसी भी गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम	शून्य
8)	वारंट जारी करना	शून्य
9)	जमा राशि का विवरण	शून्य
10)	निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ)	पिछले सात वर्षों में कोई भी लाभांश अप्रदत्त नहीं है।
11)	व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो;	शून्य
12)	उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या नहीं रह गई हैं;	शून्य
13)	अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों से संबंधित विवरण	शून्य
14)	उन जमाओं का ब्यौरा जो अधिनियम के अध्याय V की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं;	शून्य
15)	नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण जो भविष्य में चालू व्यवसाय की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं;	शून्य

अभिस्वीकृति

निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों के अथक प्रयासों की सराहना करते हैं, जिन्होंने रिपोर्ट के दौरान कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका समर्पण और प्रतिबद्धता संगठन को भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी।

बीबीजे को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विशेषकर भारी उद्योग मंत्रालय, राज्य सरकारों आदि से भरपूर समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सभी हितधारकों, विशेषकर आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और व्यावसायिक भागीदारों ने संगठन की सफलता के लिए जबरदस्त समर्थन दिया है।

निदेशकगण यह आश्वासन देते हैं कि वे आपकी कंपनी की रणनीतिक योजनाओं पर निरंतर केंद्रित रहते हुए इसे उत्तरदायी रूप से उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

निदेशक मंडल की ओर से,
दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

कोमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
से: -09832486

दिनांक: 14 सितंबर 2026
कोलकाता

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

यह रिपोर्ट भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों पर कंपनी का सिद्धांत	कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी के सिद्धांत का उद्देश्य दीर्घकालिक शेयरधारकों के मूल्य और कंपनी की संपत्ति बनाने की क्षमता को बढ़ाना है: ● अच्छे व्यावसायिक निर्णय लेने और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन में शीर्ष प्रबंधन की सहायता करना ● कंपनी के सभी निर्णयों और गतिविधियों में पारदर्शिता और व्यावसायिकता प्राप्त करना ● प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुपालन का पालन करना ● कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करना: 1. कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रचलित दिशानिर्देशों का पालन करना और जहाँ तक संभव हो, उत्कृष्टता प्राप्त करना 2. कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हुए व्यवसाय के संचालन में उच्च नैतिक मानक स्थापित करना 3. आगे सुधार के लिए मौजूदा प्रणाली और नियंत्रणों की समय-समय पर समीक्षा करना															
निदेशक मंडल	कंपनी के बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का विवरण नीचे दिया गया है:															
Board Composition	<table><tr><th>निदेशकों का डीआईएन</th><th>नाम</th><th>वर्ग</th></tr><tr><td>09832486</td><td>कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि.)</td><td>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (तकनीकी)- अतिरिक्त प्रभार</td></tr><tr><td>09222808</td><td>श्री उदय भान सिंह</td><td>उप सचिव – एमएचआई (सरकार द्वारा नामित निदेशक)</td></tr><tr><td>09614219</td><td>श्री सुजीत कुमार घोष</td><td>निदेशक (वित्त)-कार्यात्मक निदेशक</td></tr><tr><td>11194115</td><td>श्री नरेश कुमार</td><td>निदेशक (तकनीकी)-कार्यात्मक निदेशक</td></tr></table> वित्त वर्ष 2025 -26 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए, जिसमें 31 मार्च, 2026 के बाद से निदेशकों के रिपोर्ट की तिथि तक की अवधि शामिल है: भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश के अनुसार संदर्भ संख्या 12(1)/2020-पीई-III दिनांक 08 जुलाई 2025 के अनुसार श्री नरेश कुमार को 14.07.2025 से दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के लिए स्वीकृत पद संख्या 2 है। भारी उद्योग मंत्रालय (MHI), भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संदर्भ सं.8(15)/2004.PE.III (Vol III) दिनांक 17.08.2026 के अंतर्गत दिनांक 17.08.2026 से श्री जगन्नाथ पाणिग्राही को गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का एक पद रिक्त है।	निदेशकों का डीआईएन	नाम	वर्ग	09832486	कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि.)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (तकनीकी)- अतिरिक्त प्रभार	09222808	श्री उदय भान सिंह	उप सचिव – एमएचआई (सरकार द्वारा नामित निदेशक)	09614219	श्री सुजीत कुमार घोष	निदेशक (वित्त)-कार्यात्मक निदेशक	11194115	श्री नरेश कुमार	निदेशक (तकनीकी)-कार्यात्मक निदेशक
निदेशकों का डीआईएन	नाम	वर्ग														
09832486	कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि.)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (तकनीकी)- अतिरिक्त प्रभार														
09222808	श्री उदय भान सिंह	उप सचिव – एमएचआई (सरकार द्वारा नामित निदेशक)														
09614219	श्री सुजीत कुमार घोष	निदेशक (वित्त)-कार्यात्मक निदेशक														
11194115	श्री नरेश कुमार	निदेशक (तकनीकी)-कार्यात्मक निदेशक														

आयोजित बैठकें (बोर्ड एवं लेखा परीक्षा समिति)	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें	बैठक संख्या एवं बैठक की तिथि		निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति
		171 वीं बोर्ड बैठक 25-06-2025 को		सभी ने भाग लिया
		172वीं बोर्ड बैठक 20-08-2025 को		सभी ने भाग लिया
		173वीं बोर्ड बैठक 27-11-2025 को		सभी ने भाग लिया
	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकें	174वीं बोर्ड बैठक 26-02-2026 को		सभी ने भाग लिया
		77वीं बैठक 25-06-2025 को		सभी ने भाग लिया
		78वीं बैठक 20-08-2025 को		सभी ने भाग लिया
		79वीं बैठक 27-11-2025 को		सभी ने भाग लिया
		80वीं बैठक 26-02-2026 को		सभी ने भाग लिया
		कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 17.08.2026 को लेखा-परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित 3 सदस्य सम्मिलित हैं — - गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष), - सरकारी नामित निदेशक (सदस्य), तथा - एक कार्यकारी निदेशक (सदस्य)।		

लेखा परीक्षा समिति	भूमिका और संदर्भ की शर्तें	● सार्वजनिक उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश के पैरा 4.2 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत निर्दिष्ट मामलों में भाग लेना।	
		● प्रबंधन, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच कड़ी के रूप में कार्य करना	
		● वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली और जोखिम संबंधी मामलों का आकलन करना	

संरचना, बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति	निदेशकों का नाम		वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	
	कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि.)		बैठक आयोजित -04	उपस्थित – 04
	श्री सुजीत कुमार घोष		बैठक आयोजित -04	उपस्थित – 04
	श्री नरेश कुमार		बैठक आयोजित -03	उपस्थित – 03
	श्री उदय भान सिंह		बैठक आयोजित -04	उपस्थित - 04

संरचना, लेखा परीक्षा समिति की बैठकें और उपस्थिति	निदेशकों का नाम		वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति	
	श्री उदय भान सिंह		बैठक आयोजित -04	उपस्थित – 04
	श्री सुजीत कुमार घोष		बैठक आयोजित -04	उपस्थित – 04

वित्तीय वर्ष 2025 -26 में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें, जो अनिवार्य थीं, निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर ली गईं।				
--	--	--	--	--

	कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 17.08.2026 को लेखा-परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित 3 सदस्य सम्मिलित हैं — - गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष), - सरकारी नामित निदेशक (सदस्य), तथा - एक कार्यकारी निदेशक (सदस्य)।			
--	---	--	--	--

सीएसआर और अन्य समिति की बैठकें	वित्तीय वर्ष 2025 -26 के दौरान, एक बैठक अर्थात 14वीं सीएसआर समिति की बैठक 26 फरवरी 2026 को आयोजित की गई। इस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।			
स्वतंत्र निदेशक	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सरकारी आदेशों द्वारा की जाती है, जिनके पास अपने संबंधित क्षेत्र/पेशे में विशेषज्ञता/अनुभव होता है। स्वतंत्र निदेशक न तो प्रवर्तकों से जुड़े होते हैं और न ही उनसे संबंधित होते हैं, और न ही उनका कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध होता है, और इसके अलावा, कंपनी की कुल मतदान शक्ति का दो प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा उनके पास नहीं होता है। 31.03.2026 को कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत अपेक्षानुसार स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा लागू नहीं होती है। स्वतंत्र निदेशकों की बैठक फीस कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर है।			
आचार संहिता	बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए निर्धारित आचार संहिता का मसौदा लागू कर दिया गया है। डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश 2010 के खंड 3.4.2 के अनुसार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा यह घोषणा कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है, निदेशकों की रिपोर्ट के प्रासंगिक भाग के तहत दी गई है।			
सामान्य निकाय की बैठकें पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण	वित्त वर्ष	बैठक की संख्या और तिथि	समय और स्थान	विशेष संकल्प
	2022-23	37वां एजीएम, 30 सितंबर, 2023	11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता – 700 001, पश्चिम बंगाल में	शून्य
	2023-24	38वां एजीएम, 31 अगस्त, 2024	11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता – 700 001, पश्चिम बंगाल में	शून्य
	2024-25	39 वां एजीएम, 12 सितंबर 2025	11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता – 700 001, पश्चिम बंगाल में	शून्य
	सभी वार्षिक आम बैठकें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित की गईं।			
वार्षिक आम बैठक – 2026	कंपनी के सदस्यों की 40वां वार्षिक आम बैठक कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर अर्थात सितंबर 2026 के भीतर आयोजित की जानी है।			

अन्य प्रकटीकरण	निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के साथ भौतिक प्रकृति के लेन-देन जो कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकते हैं	शून्य
	संबंधित पक्ष लेनदेन	प्रकटित। 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लेखा के अंतर्गत संलग्न
	कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन या उस पर लगाए गए प्रतिबंधों का विवरण	शून्य
	व्हिसल ब्लोअर नीति और यह पुष्टि कि किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है	यह पुष्टि की जाती है कि किसी को भी लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया था
	इन दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण	अनुपालन किया गया है : कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के लिए स्वीकृत पद संख्या 2 है। भारी उद्योग मंत्रालय (MHI), भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संदर्भ सं.8(15)/2004.PE.III (Vol III) दिनांक 17.08.2026 के अंतर्गत दिनांक 17.08.2026 से श्री जगन्नाथ पाणिग्राही को गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का एक पद रिक्त है। कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 17.08.2026 को तीन बोर्ड स्तरीय समितियों अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति तथा पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित 3 सदस्य सम्मिलित हैं — • गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष), • सरकारी नामित निदेशक (सदस्य), तथा • एक कार्यकारी निदेशक (सदस्य)।
	वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और उनके अनुपालन का विवरण	अनुपालन हेतु कोई निर्देश लंबित नहीं हैं
	लेखा बही में डेबिट किए गए व्यय की मर्दे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं	शून्य
	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय तथा निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए व्यय	शून्य

संचार के साधन	एक गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के नाते, तिमाही परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। पत्राचार के लिए पता: दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, 27, राजेंद्र नाथ मुखर्जी रोड, कोलकाता – 700001 वेबसाइट: www.bbjconst.com ई-मेल: info@bbjconst.com टेलीफोन: 91 33 2248 5841-44 (ईपीबीएक्स) 91 33 2210 3961 (फैक्स)
लेखापरीक्षा योग्यताएं	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी पर प्रबंधन का उत्तर भी इस वार्षिक रिपोर्ट के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अनुभाग में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ रखा गया है।
प्रशिक्षण	बोर्ड सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा कंपनी द्वारा उसका अनुपालन किया जाता है।
कॉर्पोरेट प्रशासन लेखा परीक्षा	कॉर्पोरेट प्रशासन पर सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड,
27, आर. एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल

हमने दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “कंपनी” कहा गया है) द्वारा 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देश, 2010 के खंड 8.2.1 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है (जिसे आगे “दिशा-निर्देश” कहा गया है)।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण केवल उन प्रक्रियाओं एवं उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित रहा, जिन्हें कंपनी ने दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु अपनाया है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी की वित्तीय विवरणियों पर किसी प्रकार की राय व्यक्त करता है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 -26 के दौरान कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जैसा कि दिशानिर्देशों में निर्धारित है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 303086ई

हेमल मेहता
साझीदार
सदस्यता संख्या: 063404
यूडीआईएन: 26063404 ओवीआईजेडजेडएच 3081

स्थान : कोलकाता
तिथि: 20 जून 2026

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

[कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के अंतर्गत निर्धारित अनुलग्नक-II]

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा।

कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप, बीबीजे ने अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, सितंबर, 2012 में आयोजित बोर्ड बैठक में पहली बार सीएसआर नीति को मंजूरी दी और इसके बाद कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर से संबंधित मामलों में समय-समय पर किए गए गतिशील परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए बाद में संशोधन किए, इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित किया, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे:

- सीएसआर परियोजना की योजना
- आधारभूत सर्वेक्षण
- कार्यान्वयन की प्रक्रिया
- कार्यान्वयन एजेंसी के लिए वित्तपोषण, निगरानी और योग्यता मानदंड
- स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित निधि में योगदान भी शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग के सीएसआर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम / प्रकृति
1.	श्री उदय भान सिंह	सरकार द्वारा नामित निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री सुजीत कुमार घोष	निदेशक (वित्त) - सदस्य

वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या: वित्त वर्ष 2025-26 में 1 (एक) सीएसआर समिति की बैठक आयोजित की गई

वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या: सीएसआर समिति की बैठक में उपस्थिति नीचे दी गई है:

26-02-2026 को आयोजित 14वीं सीएसआर समिति की बैठक में सभी सदस्यों ने निम्नलिखित रूप से भाग लिया:

क्र.सं.	नाम	निदेशक पद का पदनाम / प्रकृति
1।	श्री उदय भान सिंह	सरकारी नामित निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री सुजीत कुमार घोष	निदेशक (वित्त) - सदस्य

3. वेब-लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर बताई गई हों।

- वेब-लिंक: <https://bbjconst.com/rti.html>

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

- लागू नहीं

5. कंपनियों (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसार समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण तथा यदि कोई हो, तो संबंधित वित्त वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि का विवरण।

- लागू नहीं

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।

धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	कर से पहले का लाभ (रुपये लाखों में)
2022-23	1309.43
2023-24	2795.32
2024-25	4008.63
औसत शुद्ध लाभ	2704.46

7. (क) कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत धारा 135(5) के अनुसार

Rs. 54.09 लाख (जो कि वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के औसत शुद्ध लाभ का 2% है)

- (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।

कोई नहीं

- (ग) यदि कोई हो तो वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ की जाने वाली राशि।

कोई नहीं

- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7 क + 7ख - 7ग)।

वित्तीय वर्ष 2025 -26 के लिए कुल सीएसआर दायित्व 54.09 लाख रुपये है

8. क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि। (रु. में)	राशि अप्रयुक्त (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार कुल राशि अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई। (रु. में)		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि (रु. में)		
	मात्रा	स्थानांतरण की तारीख	निधि का नाम	मात्रा	स्थानांतरण की तारीख
54.09 लाख (2025-26)	शून्य		जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पुदुकोट्टई जिला, तमिलनाडु	10.00 लाख	09.01.2026
			पीएम केयर्स फंड	44.09 लाख	27.03.2026

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के विरुद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम।	अधिनियम की अनुसूची में गतिविधियों की सूची से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)।	परियोजना का स्थान।		परियोजना अवधि।	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)।	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)।	परियोजना के लिए अनुभाग 135(6) (रु. में) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित राशि।	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)।	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य।	ज़िला।						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या।
लागू नहीं												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के विरुद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: लागू नहीं।

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि- लागू नहीं।

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो- लागू नहीं।

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख + 8ग + 8घ + 8ङ)- लागू नहीं।

(छ) यदि कोई हो तो सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि-

क्र.सं.	विशिष्ट	राशि (रु. में)
(i)	क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।	रु. 54.09 लाख (वित्तीय वर्ष 2025-26)
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि *	रु. 54.09 लाख (वित्तीय वर्ष 2025-26)
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	अगले वित्तीय वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii) - (iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए बिना खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र.सं.	पूर्व वित्तीय वर्ष।	धारा 135 (6) के तहत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)।	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित की गई राशि, यदि कोई हो।			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (रु. में)
				निधि का नाम	राशि (रु. में)।	स्थानांतरण की तारीख।	
लागू नहीं							

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (है) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: लागू नहीं

10. पूंजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर के माध्यम से सृजित या अधिग्रहित संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण) - शून्य
- (क) पूंजी संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तारीख- शून्य
- (ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि- शून्य
- (ग) संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजी संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि-शून्य
- (घ) बनाई या अधिग्रहित पूंजी संपत्ति (पूरी पते और पूंजी संपत्ति के स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें- शून्य
11. कारण बताएं, यदि कंपनी औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, जैसा कि धारा 135(5) के अनुसार है।
- उपरोक्त बिंदु 6 के मद्देनजर लागू नहीं।

(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)।

(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)।

दिनांक : 14 सितंबर, 2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का संशोधित रिपोर्ट

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

रिपोर्ट के संशोधन का आधार

रिपोर्ट के संशोधन का आधार

यह संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा भेजी गई टिप्पणियों के अनुसार जारी की जा रही है। तदनुसार, यह संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हमारी विगत स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 20 जून 2026 को प्रतिस्थापित करती है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट के पैरा 2(ई) और 2(जी) में रिपोर्टिंग में संशोधन किया गया है, कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (“आदेश”) (अनुलग्नक “ए”) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) (अनुलग्नक “सी”) से संबंधित हमारे विवरणी में जोड़े गए बिंदु xxi को संशोधित किया गया है।

हमारी राय अपरिवर्तित है।

योग्य राय

हमने दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (“कंपनी”) के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2026 तक के तुलन पत्र और तब समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण, (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) द्वारा अपेक्षित जानकारी को अपेक्षित तरीके से देते हैं और अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, (“इंड एस”) जैसा कि संशोधित किया गया है, और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की स्थिति को 31 मार्च 2026 को और उसके बाद के लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के बारे में एक सच्चा और उचित दृश्य देते हैं।

योग्य राय का आधार

1. नोट सं.7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां-वर्तमान में भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), एक सहायक कंपनी

को 5,932.96 लाख रुपये (31 मार्च 2025 5,932.96 लाख रुपये) का ऋण और अर्जित ब्याज 33,656.29 लाख रुपये (31 मार्च 2025 3,3656.29 लाख रुपये) और वे वर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल), कंपनी की एक सहायक कंपनी को 656.03 लाख रुपये (31 मार्च 2025 636.03 लाख रुपये) का ऋण और अर्जित ब्याज 350.26 लाख रुपये (31 मार्च 2025 350.26 लाख रुपये) शामिल हैं। नोट सं.16, उधार में भारत सरकार से ऋण 6,588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2025 6,588.99 लाख रुपये) शामिल हैं और नोट सं.20, अन्य वित्तीय देनदारियां, इसमें उक्त भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज देय 34,006.55 लाख रुपये (31 मार्च 2025 34,006.55 लाख रुपये) शामिल हैं। बीपीएमईएल 2004 से परिसमापन के अधीन है, जिसमें कंपनी के 39,898.01 लाख रुपये (31 मार्च 2025 39,898.01 लाख रुपये) के स्वीकृत दावे हैं और सभी परिसमापन कार्यवाही पूरी होने के बाद डब्ल्यूआईएल 2020 में भंग हो गया।

उपरोक्त सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, इस तथ्य के आधार पर कि कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार उक्त सहायक कंपनियों को देय ऋणों के साथ-साथ ब्याज और भारत सरकार से ऋणों के साथ-साथ उसी का प्रतिनिधित्व करने वाले उपार्जित ब्याज लागत पर दर्शाया गया है। चूंकि वर्ष के वित्तीय विवरण में ऋण और उपार्जित ब्याज के नुकसान भत्ते के लिए कोई मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए वर्ष के लिए कंपनी की लाभप्रदता और देनदारियों/परिसंपत्तियों पर इसका विशिष्ट वित्तीय निहितार्थ अनिश्चित है।

2. नोट सं.7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, लेनदारों को अग्रिम में विभिन्न पार्टियों को 571.56 लाख रुपये (31 मार्च 2025 571.56 लाख रुपये) शामिल हैं, जिनके विरुद्ध उस तिथि तक 885.25 लाख रुपये (31 मार्च 2025 885.25 लाख रुपये) की संबंधित देनदारी है। कंपनी द्वारा उसे खारा समझा गया और वर्ष के दौरान कोई समायोजन नहीं किया गया है। इस तरह के समायोजन लंबित होने के कारण, लेनदारों और संबंधित देनदारियों के अग्रिम के साथ, वर्ष के लिए कंपनी की लाभप्रदता और देनदारियों/परिसंपत्तियों पर विशिष्ट वित्तीय निहितार्थ अनिश्चित है।
3. नोट सं.5 निवेश में भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) जो एक पूर्व सहायक कंपनी है, में 486.30 लाख रुपये (31 मार्च 2025 486.30 लाख रुपये) और जेसप एंड कंपनी लिमिटेड में 2,558.01 लाख रुपये (31 मार्च 2025 2,558.01 लाख रुपये) शामिल हैं, दोनों परिसमापन के अधीन हैं। प्रबंधन द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, रिपोर्टिंग तिथि पर उपरोक्त संस्थाओं की स्थिति के बावजूद, उक्त निवेश लागत पर किए गए हैं। चूंकि वर्ष के दौरान वित्तीय विवरण में ऐसे निवेश के मूल्य में हानि के लिए कोई मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान नहीं किए गए हैं, इसलिए वर्ष के लिए कंपनी की लाभप्रदता और देनदारियों/परिसंपत्तियों पर इसका विशिष्ट वित्तीय निहितार्थ अनिश्चित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक (एसए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के 'स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियां' अनुभाग में किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताएं हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले पर जोर

हम वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. नोट सं.7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां-वर्तमान में 26.21 लाख रुपये (31 मार्च 2025 26.21 लाख रुपये) की अन्य अग्रिम राशि शामिल

है, जिसमें बिक्री कर अपील के लिए जमा के लिए 15.76 लाख रुपये (31 मार्च 2025 15.76 लाख रुपये) और शेष राशि 10.45 लाख रुपये (31 मार्च 2025 10.45 लाख रुपये) वेतन अग्रिम के रूप में शामिल है, जो समाधान के अधीन है।

2. नोट सं.13 अन्य चालू परिसंपत्तियों में सांविधिक प्राधिकरणों के पास अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि 21.84 लाख रुपये (31 मार्च 2025 21.84 लाख रुपये) शामिल है जो बहुत पुरानी है। कंपनी इसके समाधान और समायोजन की प्रक्रिया में है।
3. नोट सं. 58, कंपनी ने 6,588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2025 6,588.99 लाख रुपये) के ऋण पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अर्जित कोई भी ब्याज पर विचार नहीं किया है जिसे भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, एक सहायक कंपनी जो परिसमापन के अधीन है और वे बर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल), एक सहायक कंपनी जिसकी पुनरुद्धार न हो पाने को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07 फरवरी 2020 के अनुसार बंद कर दी गई थी, को दिया गया है।

इसके अलावा, कंपनी ने भारत सरकार से 6,588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2025 6,588.99 लाख रुपये) से संबंधित ऋणों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए देय किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है, जिसका उपयोग उपरोक्त सहायक कंपनियों को ऋण देने के लिए किया गया था।

4. नोट सं.54, संबंधित सहायक अभिलेखों में दिखाई देने वाले शेष राशि के अनुसार बही में शामिल कुछ व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ऋण और अग्रिम आदि की शेष राशि संबंधित पार्टियों से पुष्टि और समेकन से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। हालांकि कंपनी का मानना है कि इस संबंध में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं होंगी।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, यह विचार करना है कि क्या ऐसी अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है। हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हमारा निष्कर्ष है कि यह अन्य जानकारी तात्विक रूप से गलत उल्लिखित है, तो उस तथ्य को रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन सहित वित्तीय प्रदर्शन का सच्चा और उचित दृश्य देने वाले इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और

विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की सक्रियता और लाभप्रद व्यवसाय के रूप में जारी रहने के लिए क्षमता का आकलन करने, लागू मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के लाभप्रद आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को परिसमाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अहम मिथ्याकथन से मुक्त हों, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी भौतिक गलत विवरण का पता लगा लेगा, जब वह मौजूद हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती हो। एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के अंतर्गत, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के सारभूत अशुद्ध कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना चाहे जालसाजी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और निष्पादित करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्त्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन के चालू प्रतिष्ठान आधार पर लेखा उपयोग की उपयुक्तता और इस पर आधारित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर निष्कर्ष निकालते हैं, कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित मैटेरियल अनिश्चितता विद्यमान है जो कि चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण रूप से संदेह युक्त है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटनों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या स्टैंडअलोन

वित्तीय विवरणियां अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं कि उचित प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के निर्धारित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में गवर्नेस के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में जो भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

जो लोग अभिशासन से जुड़े हैं, उन्हें भी हम एक विवरण देते हैं जो स्वतंत्रता के संदर्भ में हमने संबद्ध नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उनके साथ सभी रिश्तों व अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त हों और, जो सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ लागू हों, उनकी सूचना देते हैं। गवर्नेस की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रभारी लोगों के साथ बातचीत के आधार पर, हम उन मामलों की पहचान करते हैं जो 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे मुख्य ऑडिट मामले हैं। हम अपने लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि अथवा विनियमन इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी विषय की सूचना नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इसके प्रतिकूल परिणाम संचार के सार्वजनिक हित लाभ को प्रभावित करने की सम्भावना होगी।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, जो अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण "अनुलग्नक ए" में देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (ए) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, योग्यता राय अनुभाग के आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर, साथ में दिए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;
 - (बी) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित लेखा की उचित बही कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जहां तक कि योग्यता राय खंड के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर उन बही की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - (सी) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाया गया तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बही के अनुरूप है;
 - (डी) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, सिवाय योग्यता राय खंड के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव के;
 - (ई) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं.जीएसआर463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप धारा (2) के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होता है;
 - (एफ) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, इस रिपोर्ट के "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई है;

- (जी) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं.जीएसआर463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता है। तदनुसार अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधान की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग इस कंपनी पर लागू नहीं होती है;
- (एच) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में संशोधित और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी ने अपने वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में प्रकट किया है, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की नोट 31 और नोट 43 देखें;
 - कंपनी ने दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों में प्रवेश किया है और वित्तीय वर्ष के अंत में दीर्घकालिक अनुबंधों के निष्पादित न किए गए हिस्से पर 23.66 लाख रुपये के नुकसान का हिसाब लगाया है। कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया है;
 - ऐसी कोई राशि नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाना आवश्यक थी।
 - (अ) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाई (मध्यवर्ती संस्थाएं) भी शामिल है, को कोई भी धन (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिक है) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार धन या शेयर प्रीमियम या अन्य स्रोतों या किसी अन्य प्रकार के धन से) नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगा;
- (ब) प्रबंधन ने यह प्रस्तुत किया है कि अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाई ("वित्तपोषण पक्ष") भी शामिल है, से कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ—चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा—कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, जिसे किसी भी प्रकार से वित्तपोषण पक्ष द्वारा या उसके पक्ष से पहचाना गया हो ("अंतिम लाभार्थी"), ऋण देगी या निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों के पक्ष में कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार का प्रावधान करेगी
- (स) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे हमें यह विश्वास करने का कारण मिले कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) में प्रदान किया गया है, किए गए प्रस्तुतियों में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण निहित है।
- कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश घोषित और भुगतान किया गया है और अधिनियम की धारा 123 यथा लागू के अनुसार है।
 - हमारी जांच के आधार पर जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपने लेखा बही का रखरखाव करने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकार्ड करने के फिचर है और आवेदन में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए वर्ष के दौरान इसका संचालन किया गया है। हमारी ऑडिट के दौरान, हमें लेखांकन सॉफ्टवेयर के संबंध में ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला है।



दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के ऑडिट ट्रेल को कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित किया गया है, जहां तक इसे सक्षम और पिछले वर्ष में रिकॉर्ड किया गया था।

- (i) अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार और दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वार्षिक लेखा के ऑडिट के दौरान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में, हम संलग्न अनुलग्नक “सी” में एक रिपोर्ट देते हैं।

कृते बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 303086ई

हेमल मेहता

साझीदार

सदस्यता संख्या: 063404

यूडीआईएन: 26063404वाईएफक्यूएफएक्सएफ4580

स्थान : कोलकाता

तिथि: 29 जुलाई 2026

लेखापरीक्षकों के संशोधित रिपोर्ट का अनुलग्नक “क”

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

(हमारी उस तारीख की रिपोर्ट के ‘अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और लेखा बही एवं अभिलेखों का, जो हमने सामान्य लेखा-परीक्षण प्रक्रिया में परीक्षण किया है, आधार लेते हुए हम यह कथन करते हैं कि -

I. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

- (क) (अ) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक जानकारी और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। (ब) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।
- (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संयंत्र, संपत्ति और उपकरण का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसी सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं। हमारे ऑडिट के दौरान यह देखा गया है कि वर्ष के दौरान नई खरीद के मामले को छोड़कर संयंत्र, संपत्ति और उपकरण के स्थान निश्चित संपत्ति रजिस्टर में उल्लेख नहीं किए गए हैं।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, हमें प्रदान किए गए पंजीकृत विक्रय विलेख/हस्तांतरण विलेख/हक विलेख में, हम रिपोर्ट करते हैं कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अमूर्त संपत्तियों (अमूर्त संपत्तियां जहां कंपनी पट्टेदार है, के अलावा) के हक विलेख तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।
- (घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ङ) 31 मार्च 2026 तक बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

II. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है और हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है।

- (ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यकारी पूंजी सीमा बैंकों द्वारा चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है तथा कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों को प्रस्तुत की गई त्रैमासिक प्रतिवेदन या विवरणियां कंपनी की लेखा बही के अनुरूप हैं।

III. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को ऋण की प्रकृति में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, सुरक्षित या असुरक्षित। इसलिए, आदेश का खंड 3(iii) लागू नहीं है।

IV. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी ने निवेश करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 में निर्धारित किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया है और इसलिए कंपनी पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- V. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी ने ऐसी कोई जमा राशि या राशि स्वीकार नहीं की है या नहीं रखी है, जो अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा स्वीकार) नियम, 2014 के अर्थ के अंतर्गत जमा मानी जाती है। इसलिए, आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- VI. हमें प्राप्त जानकारी एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा किए गए व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए लागत अभिलेखों का संधारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उप धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के खंड 3(V) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- VII. सांविधिक देय राशि के संबंध में:

- (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जाँची गई बही और अभिलेखों के अनुसार, कंपनी नियमित रूप से प्राधिकृत अधिकारियों के पास प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, माल एवं सेवा कर, उपकर और अन्य सांविधिक देय राशि जमा करती है, जो कंपनी द्वारा कुछ मामलों में देरी को छोड़कर नियमित रूप से वर्ष के दौरान प्राधिकृत अधिकारियों के पास जमा की गई है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार नीचे दर्शाए गए को छोड़कर आयकर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक देय राशि के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि 31 मार्च 2026 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं था।

क्र.सं.	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (रु. लाख में)	यह किस अवधि से संबंधित है (वित्तीय वर्ष)
1	व्यावसायिक कर	0.66	पुराने बकाया
2	स्रोत पर एकत्र किया गया कर	0.16	
3	सेवा कर देय (बीबीयूएनएल)	1.94	
4	स्रोत पर कर कटौती	1.45	
5	बिक्री कर	1.54	
6	आयकर	4.47	2006-07
7	आयकर	2.35	2008-09

- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांच की गई बही और अभिलेखों के आधार पर, जैसा भी लागू हो, नीचे दिए गए हैं आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, भविष्य निधि के बकाया का विवरण जो विवादों के कारण जमा नहीं किया गया है और वह मंच जहां विवाद लंबित है:

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	जिस अवधि से संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	फोरम जहां विवाद लंबित/खारिज है	राशि (रु. लाख में)
1	पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य अनुबंध कर	2011-12	संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त	4.30
2	बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	कार्य अनुबंध क	2010-11	संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त	33.25
3	बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	कार्य अनुबंध कर	2011-12	संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त	30.98

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	जिस अवधि से संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	फोरम जहां विवाद लंबित/खारिज है	राशि (रु. लाख में)
4	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर की मांग, धारा 75 (राशि योग्य नहीं) के तहत उस पर ब्याज और लगाया गया जुर्माना	2007-08 to 2011-12	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण	154.45
5	कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952	क्षति/देय ब्याज	03/2000 to 04/2008	भविष्य निधि आयुक्त, आरओ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल ने मांग उठाई है। कंपनी ने कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली और माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी है। मांग की राशि रु.96.10 लाख और बीबीयूएनएल प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट संगठन के साथ रु.41.96 लाख है।	54.14
6	दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004	कार्य अनुबंध कर	2004-05	वाणिज्यिक कर विभाग	19.36
7	पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य अनुबंध कर	2016-17	अपीलीय प्राधिकरण	0.21
8	आयकर	आयकर की मांग	2007-08	आयकर आयुक्त (अपील)	11.13
9	आयकर	आयकर की मांग	2009-10	आयकर आयुक्त (अपील)	10.65
10	आयकर	आयकर की मांग	2010-11	अधिकार क्षेत्र निर्धारण अधिकारी	0.96
11	आयकर	आयकर की मांग	2011-12	आयकर आयुक्त (अपील)	69.95
12	आयकर	आयकर की मांग	2013-14	अधिकार क्षेत्र निर्धारण अधिकारी	66.80
13	आयकर	आयकर की मांग	1999-20	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	58.67
14	आयकर	आयकर की मांग	2014-15	अधिकार क्षेत्र निर्धारण अधिकारी	4.94
15	आयकर	आयकर की मांग	2016-17	अधिकार क्षेत्र निर्धारण अधिकारी	6.00

VIII. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, पहले से अघोषित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर आकलन में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया है।

- IX. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी ने बैंकों को अपने ऋणों या उधार चुकाने में या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चुक करने वाला घोषित नहीं किया गया है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

- (इ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र जांच में, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उसके कारण किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।
- (च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं उठाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix) (एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- X. (क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे के सार्वजनिक निर्गम (ऋण साधनों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है और अतः आदेश की खंड 3(x)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का वरीयता आवंटन या शेयरों का निजी निर्गम या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह, आंशिक रूप से अथवा विकल्प रूप से) नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x) (बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- XI. (क) कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (12) के अंतर्गत हमारे द्वारा वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक केंद्र सरकार के साथ, कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र ADT-4 में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं किया गया है।
- (ग) कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- XII. कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- XIII. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी संबंधित पार्टियों के साथ लागू लेन-देन के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन कर रही है तथा संबंधित पार्टी के लेन-देन का विवरण लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकृत किया गया है।
- XIV. (क) हमारी राय में कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
- (ख) हमने वर्ष के दौरान और हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी को जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।
- XV. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी ने अपने निदेशकों या निदेशकों से संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- XVI. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi) (क), (ख), (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- XVII. वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को नकद नुकसान नहीं हुआ है।
- XVIII. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है।
- XIX. वित्तीय अनुपातों, परिसंपत्तियों की आयु और अपेक्षित प्राप्ति तिथियों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के हमारे ज्ञान तथा मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी परीक्षा के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे हमें यह विश्वास करने का कारण मिले कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई

महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जो यह इंगित करती हो कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों को, उनके देय होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग केवल लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा समय पर निर्वहन किया जाएगा।

XX. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी राय में, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) के अंतर्गत कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरण हेतु कोई अप्रयुक्त राशि नहीं है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के द्वितीय उपबंध के अनुपालन में आवश्यक है। तदनुसार आदेश के खंड 3(xx)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी की कोई चालू परियोजनाएँ नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 3(xx)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं होती है।

XXI. कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के तहत उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 303086ई

हेमल मेहता

साझीदार

सदस्यता संख्या: 063404

यूडीआईएन: 26063404वाईएफक्यूएफएक्सएफ4580

स्थान : कोलकाता

तिथि: 29 जुलाई 2026

अनुलग्नक बी

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर उस तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक के संशोधित रिपोर्ट का अनुलग्नक बी

(हमारी उस तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैरा 2(फ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2026 को दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन "भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण आधारित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

ऑडिटर की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपने ऑडिट का संचालन भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार किया है, जहां तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और उसे अंजाम दें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और रखरखाव किया गया था और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते थे।

हमारे ऑडिट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी ऑडिट राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वासनीयता और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विस्तार में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करता है कि लेनदेन को आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया गया है और कंपनी की प्राप्य और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन हैं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2026 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 303086ई

हेमल मेहता

साझीदार

सदस्यता संख्या: 063404

यूडीआईएन: 26063404वाईएफक्यूएफएक्सएफ4580

स्थान : कोलकाता

तिथि: 29 जुलाई 2026

अनुलग्नक सी

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर उस तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक के संशोधित रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

2025-26 वर्ष के लिए सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर लागू कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक को सीएजी के निर्देश।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर
(I) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए कंपनी द्वारा या ट्रस्टों के माध्यम से सीधे किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और अ-उद्धृत दोनों का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय एएस के साथ निरंतरता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। ऑडिटर मूल्यांकन दृष्टिकोण, इसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा, किसी भी भौतिक विचलन या गलत बयानों की रिपोर्ट करेगा।	हमें दी गई व्याख्या और जानकारी के अनुसार, कंपनी के पास उपलब्ध सेवानिवृत्ति के बाद लाभ सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण है। ग्रेच्युटी, एक परिभाषित अंशदान योजना है और इसका रखरखाव भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसीआई) द्वारा समूह ग्रेच्युटी योजना के माध्यम से किया जाता है। अवकाश नकदीकरण लाभ कंपनी के नियमों के आधार पर कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर उनके बकाया और संचित छुट्टियों के रूप में भुगतान किया जाता है। इन निवेशों के लिए कंपनी द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन दृष्टिकोण और मूल्यांकन पद्धतियों के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 35 में बताए अनुसार उचित और भारतीय एएस-19 के अनुरूप हैं। कोई भी भौतिक विचलन या गलत बयानी नहीं देखी गई है।
(II) क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हां, तो क्या कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण इस प्रणाली और नियंत्रणों की समीक्षा, वर्ष में कम से कम एक बार की आवृत्ति पर सीईआरटी इन द्वारा सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठन द्वारा की गई है और यदि कोई भौतिक विसंगतियां पाई गई हैं, तो उन्हें उचित रूप से रिपोर्ट किया गया है? लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित करने के लेखांकन की अखंडता पर निहितार्थ के साथ-साथ वित्तीय निहितार्थों की भी रिपोर्ट की जा सकती है।	हाँ, हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार कंपनी टैली प्राइम नामक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है और स्टॉक को छोड़कर सभी लेखांकन लेनदेन इसके माध्यम से संसाधित करती है, जिसे मैनुअल रूप से अकाउंट किया जा रहा है। हमारे द्वारा की गई ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षाओं की रिपोर्टों के आधार पर, आईटी सिस्टम और नियंत्रण में कोई कमजोरी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप इकाई के वित्तीय विवरणों का भौतिक गलत बयानी हो सकती है। कंपनी द्वारा या सीईआरटी आईएन द्वारा सूचीबद्ध किसी भी सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठन या किसी अन्य बाहरी एजेंसी द्वारा वर्ष के दौरान कंपनी की प्रणालियों और नियंत्रणों की किसी भी आईटी समीक्षा का कोई सबूत नहीं था।
(III) क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धन (अनुदान/आर्थिक सहायता का लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन किया गया था और क्या प्राप्त धन का उपयोग उसकी निबंधन और शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज का लेखांकन अनुदान की निबंधन और शर्तों के अनुसार किया गया है। विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को वर्ष के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के तहत कोई धनराशि (अनुदान/आर्थिक सहायता आदि) प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, संबंधित योजना की निबंधन और शर्तों के अनुसार ऐसे धन के उपयोग का प्रश्न नहीं उठता है।

4. क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, (ए) क्या वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है? (बी) क्या कंपनी ने अपनी डेटा संपत्तियों की पहचान की है और क्या इसका रूप से उचित मूल्यांकन किया गया है?	कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है और इन जोखिमों को कम करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इसमें कंपनी के संचालन और जोखिम प्रोफाइल के लिए उपयुक्त माने जाने वाले सिद्धांतों को शामिल किया गया है। (ए) लेखा में यह नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। (बी) कंपनी ने मूल्यांकन के उद्देश्य से किसी भी डेटा संपत्ति की पहचान नहीं की है।
5. क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटीआईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय भुगतान निगम, जहां भी लागू हो, के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध इकाई है। तदनुसार, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, हमारी प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कंपनी आम तौर पर संबंधित प्राधिकरणों जैसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और अन्य प्रासंगिक नियामक निकायों के लागू नियमों और विनियमों का पालन कर रही है, जहां भी लागू हो। हमारे ऑडिट के दौरान लागू कानूनों और विनियमों के न अनुपालन या विचलन के कोई उदाहरण हमारे ध्यान में नहीं आया है।

कृते बाटलीबॉय, पुरोहिती और दरबारी

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 303086ई

हेमल मेहता

साझीदार

सदस्यता संख्या: 063404

यूडीआईएन: 26063404वाईएफक्यूएफएक्सएफ4580

स्थान : कोलकाता

तिथि: 29 जुलाई 2026

लेखा परीक्षकों के अवलोकन पर प्रबंधन का जवाब

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
	योग्य राय	
1	नोट सं.7 वर्तमान संपत्तियाँ में भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), एक सहायक कंपनी को 5,932.96 लाख रुपये (31 मार्च 2025 5,932.96 लाख रुपये) का ऋण और अर्जित ब्याज 33,656.29 लाख रुपये (31 मार्च 2025 3,3656.29 लाख रुपये) और वेवर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल), कंपनी की एक सहायक कंपनी को 656.03 लाख रुपये (31 मार्च 2025 636.03 लाख रुपये) का ऋण और अर्जित ब्याज 350.26 लाख रुपये (31 मार्च 2025 350.26 लाख रुपये) शामिल हैं। नोट सं.16, उधार में भारत सरकार से ऋण 6,588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2025 6,588.99 लाख रुपये) शामिल हैं और नोट सं.20, अन्य वित्तीय देनदारियां, इसमें उक्त भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज देय 34,006.55 लाख रुपये (31 मार्च 2025 34,006.55 लाख रुपये) शामिल हैं। बीपीएमईएल 2004 से परिसमापन के अधीन है, जिसमें कंपनी के 39,898.01 लाख रुपये (31 मार्च 2025 39,898.01 लाख रुपये) के स्वीकृत दावे हैं और सभी परिसमापन कार्यवाही पूरी होने के बाद डब्ल्यूआईएल 2020 में भंग हो गया। उपरोक्त सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, इस तथ्य के आधार पर कि कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार उक्त सहायक कंपनियों को देय ऋणों के साथ-साथ ब्याज और भारत सरकार से ऋणों के साथ-साथ उसी का प्रतिनिधित्व करने वाले उपार्जित ब्याज लागत पर दर्शाया गया है। चूंकि वर्ष के वित्तीय विवरण में ऋण और उपार्जित ब्याज के नुकसान भत्ते के लिए कोई मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए वर्ष के लिए कंपनी की लाभप्रदता और देनदारियों/परिसंपत्तियों पर इसका विशिष्ट वित्तीय निहितार्थ अनिश्चित है।	बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों को योजनागत और गैर-योजनागत उद्देश्यों के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण, संबंधित सहायक कंपनियों को संवितरित करने के लिए बीबीयूएनएल (पूर्ववर्ती होल्डिंग कंपनी) के माध्यम से भेजे जाते थे। सहायक कंपनियों की स्थिति चाहे जो भी हो, ऐसे ऋण और उस पर ब्याज की वसूली न होने की किसी भी स्थिति में, भारत सरकार के उचित निर्देशों के साथ, उसे भारत सरकार को देय ऋण और ब्याज की संगत राशि में समायोजित किया जाना चाहिए। सहायक कंपनियों को ऐसे ऋणों को लागत पर देने का संबंध कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अनुच्छेद 17 पर आधारित है और वर्षों से इसका निरंतर पालन किया जा रहा है।

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
2	नोट सं.7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, लेनदारों को अग्रिम में विभिन्न पार्टियों को 571.56 लाख रुपये (31 मार्च 2025 571.56 लाख रुपये) शामिल हैं, जिनके विरुद्ध उस तिथि तक 885.25 लाख रुपये (31 मार्च 2025 885.25 लाख रुपये) की संबंधित देनदारी है। कंपनी द्वारा उसे खारा समझा गया और वर्ष के दौरान कोई समायोजन नहीं किया गया है। इस तरह के समायोजन लंबित होने के कारण, लेनदारों और संबंधित देनदारियों के अग्रिम के साथ, वर्ष के लिए कंपनी की लाभप्रदता और देनदारियों/परिसंपत्तियों पर विशिष्ट वित्तीय निहितार्थ अनिश्चित है।	इस तरह के अग्रिम विभिन्न पक्षों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिए गए थे और उनके बिल आज तक असमायोजित हैं। जिन मामलों में अनुबंधों के विरुद्ध ऋण शेष असमायोजित पड़े हैं, उन्हें तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए और शेष राशि की वसूली हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी वसूली न होने या किसी लंबित समायोजन की स्थिति में, मामले-दर-मामला आधार पर उचित प्रावधान किया जाना चाहिए।
3	नोट सं.5 निवेश में भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) जो एक पूर्व सहायक कंपनी है, में 486.30 लाख रुपये (31 मार्च 2025 486.30 लाख रुपये) और जेसप एंड कंपनी लिमिटेड में 2,558.01 लाख रुपये (31 मार्च 2025 2,558.01 लाख रुपये) शामिल हैं, दोनों परिसमापन के अधीन हैं। प्रबंधन द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, रिपोर्टिंग तिथि पर उपरोक्त संस्थाओं की स्थिति के बावजूद, उक्त निवेश लागत पर किए गए हैं। चूंकि वर्ष के दौरान वित्तीय विवरण में ऐसे निवेश के मूल्य में हानि के लिए कोई मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान नहीं किए गए हैं, इसलिए वर्ष के लिए कंपनी की लाभप्रदता और देनदारियों/परिसंपत्तियों पर इसका विशिष्ट वित्तीय निहितार्थ अनिश्चित है।	सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम के इक्विटी उपकरणों में निवेश, कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के पैरा 17 के अनुसार लागत पर वहन किए जाते हैं। पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) ने निर्दिष्ट सहायक कंपनियों में संबंधित निवेश के लिए भारत सरकार द्वारा जारी इक्विटी फंड से ऐसी सहायक कंपनियों में निवेश किया था। सहायक कंपनियों की स्थिति चाहे जो भी हो, ऐसे निवेशों के प्राप्ति योग्य मूल्य में किसी भी अंतर की स्थिति में, भारत सरकार के उचित निर्देशों के साथ, कंपनी अपनी लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन करेगी।
	विषय का महत्व	
1	नोट सं.7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां-वर्तमान में 26.21 लाख रुपये (31 मार्च 2025 26.21 लाख रुपये) की अन्य अग्रिम राशि शामिल है, जिसमें बिक्री कर अपील के लिए जमा के लिए 15.76 लाख रुपये (31 मार्च 2025 15.76 लाख रुपये) और शेष राशि 10.45 लाख रुपये (31 मार्च 2025 10.45 लाख रुपये) वेतन अग्रिम के रूप में शामिल है, जो समाधान के अधीन है।	ऐसे अग्रिमों की एक सूची वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स के नोट संख्या 49 में दी गई है। कंपनी ऐसे सभी अग्रिमों की गहन जांच करेगी और जहां भी आवश्यक हो, इसकी वसूली/समायोजन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।
2	नोट सं.13 अन्य चालू परिसंपत्तियों में सांविधिक प्राधिकरणों के पास अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि 21.84 लाख रुपये (31 मार्च 2025 21.84 लाख रुपये) शामिल है जो बहुत पुरानी है। कंपनी इसके समाधान और समायोजन की प्रक्रिया में है।	ऐसी जमाओं की एक सूची वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स के नोट संख्या 50 में दी गई है। कंपनी ऐसी सभी जमाओं की गहन जांच करेगी और जहां भी आवश्यक हो, उनकी वसूली/समायोजन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
3	नोट सं. 58, कंपनी ने 6,588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2025 6,588.99 लाख रुपये) के ऋण पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अर्जित कोई भी ब्याज पर विचार नहीं किया है जिसे भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, एक सहायक कंपनी जो परिसमापन के अधीन है और वे बर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल), एक सहायक कंपनी जिसकी पुनरुद्धार न हो पाने को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07 फरवरी 2020 के अनुसार बंद कर दी गई थी, को दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने भारत सरकार से 6,588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2025 6,588.99 लाख रुपये) से संबंधित ऋणों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए देय किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है, जिसका उपयोग उपरोक्त सहायक कंपनियों को ऋण देने के लिए किया गया था।	बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों को योजना और गैर-योजना उद्देश्य के लिए भारत सरकार के ऋण संबंधित सहायक कंपनियों को संवितरण के लिए बीबीयूएनएल (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) के माध्यम से भेजे जाते थे। सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, ऐसे ऋण और उस पर ब्याज की वसूली न होने की किसी भी स्थिति में, इसे भारत सरकार को उनके उचित निर्देशों के साथ देय ऋण और ब्याज की राशि के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। चूंकि सहायक कंपनियाँ परिसमापन/बंद होने के अधीन हैं, ऐसे ऋण और अग्रिमों पर ब्याज को पुस्तकों में उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए सहायक कंपनियों से ब्याज की वसूली अनिश्चित है।
4	नोट सं.54, संबंधित सहायक अभिलेखों में दिखाई देने वाले शेष राशि के अनुसार बही में शामिल कुछ व्यापार प्राप्त, व्यापार देय, ऋण और अग्रिम आदि की शेष राशि संबंधित पार्टियों से पुष्टि और समेकन से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। हालांकि कंपनी का मानना है कि इस संबंध में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं होंगी।	कुछ पार्टियों से पुष्टि प्राप्त हो चुकी है और लेखा परीक्षकों को दिखाई जा चुकी है। हालांकि, लेखा परीक्षकों की उक्त टिप्पणी को आगे के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है, जो कि अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। यह कार्य उन्होंने अपने दिनांक 29 जुलाई 2026 के संशोधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, जो कि उनके पूर्व दिनांक 20 जून 2026 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को निरस्त करता है, में किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का पूरा लेखा परीक्षण किया है। यह पूरा लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से किया गया है, जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों तक कोई पहुँच नहीं रही है, तथा यह मुख्यतः वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जाँच तक सीमित रहा है।

वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संशोधन कर, मेरे पूरा लेखा परीक्षण के दौरान उठाए गए कुछ लेखा परीक्षण अवलोकनों को सम्मिलित किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर मुझे कोई अतिरिक्त टिप्पणी या परिशिष्ट देने की आवश्यकता नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(आशुतोष जोशी)

लेखापरीक्षा महानिदेशक (विद्युत)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 02 सितंबर 2026

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

31 मार्च 2026 को तुलन पत्र

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा और जहां अन्यथा कहा गया है, को छोड़कर)

	टिप्पणी	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
संपत्तियां			
गैर-वर्तमान संपत्तियां			
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	422.95	490.56
अमूर्त संपत्ति	3	7.89	3.94
पूंजीगत प्रगतिधीन कार्य	4	-	-
वित्तीय संपत्तियां			
निवेश	5	3,184.10	3,179.16
व्यापार प्राप्तियाँ	6	-	-
अन्य	7	5,972.72	4,839.82
आस्थगित कर संपत्ति, शुद्ध	8	807.25	719.82
		10,394.91	9,233.30
वर्तमान संपत्तियां			
भंडार	9	2,605.62	2,802.85
वित्तीय संपत्तियां			
व्यापार प्राप्तियाँ	6	5,044.92	1,987.61
नकद और नकदी समकक्ष	10	1,927.96	5,190.80
अन्य बैंक शेष	11	14,852.87	13,945.21
अन्य	7	44,365.98	43,579.61
वर्तमान कर संपत्ति	12	412.92	-
अन्य वर्तमान संपत्तियां	13	2,330.98	6,245.06
		71,541.25	73,751.14
कुल संपत्ति		81,936.16	82,984.44
इक्विटी और देयताएँ			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	14	12,086.05	12,086.05
अन्य इक्विटी	15	15,076.39	14,291.54
कुल इक्विटी		27,162.44	26,377.59
गैर वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधार	16	163.43	192.11
अन्य वित्तीय देयताएँ	20	95.05	69.89
व्यापार देय	19		

	टिप्पणी	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के कुल बकाया		317.50	323.96
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया		-	-
प्रावधान	17	371.17	418.34
अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ	18	4,114.50	4,135.28
		5,061.65	5,139.58
वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधार	16	6,589.00	6,589.00
पट्टे की देयताएँ		-	-
व्यापार देय	19	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के कुल बकाया		710.51	499.00
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया		-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ	20	38,538.99	38,219.10
अन्य वर्तमान देयताएँ	18	3,792.49	6,027.67
वर्तमान कर देयताएँ	21	-	90.98
प्रावधान	17	81.08	41.52
		49,712.07	51,467.27
कुल देयताएँ		54,773.72	56,606.85
कुल इक्विटी और देयताएँ		81,936.16	82,984.44
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।
हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
संनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

हेमल मेहता
साझीदार
सदस्यता सं. 063404
UDIN : 26063404JWVBXE5585

स्थान : कोलकाता
तारीख: 20 जून 2026

एन के मिश्रा
कंपनी सचिव
पैन - AIQPM3388P

नरेश कुमार
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 11194115

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

एस के घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 10659781

सीएमडीई. राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 09832486

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा और जहां अन्यथा कहा गया है, को छोड़कर)

	टिप्पणी	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन से राजस्व	22	10,051.78	18,276.59
अन्य आय	23	1,542.00	1,301.48
कुल आय		11,593.78	19,578.07
खर्च			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	24	1,459.72	556.02
भंडार और प्रगतिधीन कार्य में परिवर्तन	25	84.71	959.74
उप अनुबंध और अन्य रूपांतरण शुल्क	25A	4,907.40	9,879.07
भंडार, स्पेयर पार्ट्स और ढीले औजार की खपत	25B	52.99	80.79
कर्मचारी के लाभ व्यय	26	1,827.07	2,350.97
वित्त लागत	27	58.44	50.84
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	98.24	119.49
अन्य खर्च	29	1,273.32	1,572.51
कुल खर्च		9,761.89	15,569.43
कर से पहले लाभ		1,831.89	4,008.63
कर व्यय			
वर्तमान कर	30	522.55	1,029.68
आस्थगित कर	30	(87.43)	(80.67)
कुल कर व्यय		435.12	949.01
वर्ष के लिए लाभ		1,396.77	3,059.62
अन्य व्यापक आय			
वे मदें जिन्हें लाभ-हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
वे मदें जिन्हें लाभ-हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
आयकर प्रभाव	30	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर के बाद शुद्ध		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		1,396.77	3,059.62
प्रति इक्विटी शेयर आय (1,000 रुपये का नाममात्र मूल्य) रुपये में	37		
मूल		115.57	253.15
तनुकृत		115.57	253.15
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार

फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

हेमल मेहता

साझीदार

सदस्यता सं. 063404

UDIN : 26063404JWVBXE5585

स्थान : कोलकाता

तारीख: 20 जून 2026

एन के मिश्रा

कंपनी सचिव

पैन - AIQPM3388P

नरेश कुमार

निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन - 11194115

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

एस के घोष

निदेशक (वित्त)

डीआईएन - 10659781

सीएमडीई. राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 09832486

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
I. संचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	1,831.89	4,008.63
कर पूर्व लाभ को शुद्ध नकदी प्रवाह से सामंजस्य स्थापित करने हेतु समायोजन		
मूर्त संपत्तियों का मूल्यहास	93.95	113.53
अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन	4.29	5.96
परिसंपत्तियों, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	(43.32)	(4.67)
बैंक एवं सुरक्षा जमाओं पर ब्याज आय	(1,421.60)	(1,245.64)
वित्तीय लागत	58.44	50.84
ब्याज आय	(4.95)	(4.69)
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	518.70	2,923.96
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन:		
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु समायोजन		
व्यापार प्राप्य	(3,057.31)	355.67
भंडार	197.23	1,050.65
अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	(3,109.26)	593.80
अन्य वर्तमान संपत्तियाँ	3,914.08	(5,262.57)
परिचालन देयताएँ में (वृद्धि)/कमी हेतु समायोजन		
व्यापार देनदारियाँ	205.05	(1.64)
अन्य वित्तीय देयताएँ	345.05	(186.91)
अन्य वर्तमान देयताएँ	(2,235.17)	3,311.94
प्रावधान	(7.61)	(63.37)
परिचालन से उत्पन्न नकदी	(3,229.24)	2,721.53
आयकर का भुगतान	(1,026.45)	(482.42)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न/(उनमें प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	(4,255.69)	2,239.11
II. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
परिसंपत्तियों, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त (पूँजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) की खरीद		(34.76)
परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त (पूँजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) का निपटान		6.86
बैंकों में 3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाओं का (निवेश)/ विमोचन		(249.51)
प्राप्त ब्याज	1,421.60	1,245.64
बैंक में जमा – बैलेंस शीट तिथि से एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाले	1,189.99	213.92
निवेश गतिविधियों से प्राप्त/(प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	1,712.67	1,182.15
III. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
दीर्घकालिक उधारी से प्राप्त/(पुनर्भुगतान) शुद्ध राशि	(49.46)	(47.42)
अल्पकालिक उधारी से प्राप्त/(पुनर्भुगतान) शुद्ध राशि	-	-
ब्याज का भुगतान	(58.44)	(50.84)
अंतिम लाभांश	(611.92)	(412.61)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-
वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त/(प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	(719.82)	(510.87)

	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
नकद एवं नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि (I+II+III)	(3,262.84)	2,910.39
वर्ष की शुरुआत में नकद एवं नकद समकक्ष	5,190.80	2,280.41
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष (नीचे दी गई टिप्पणी देखें)	1,927.96	5,190.80
टिप्पणी:		
नकद एवं नकद समकक्ष में सम्मिलित हैं:		
हाथ में नकद	2.71	2.17
बैंकों में शेष राशि:		-
- चालू खातों में शेष राशि	181.55	324.29
- मूल परिपक्वता तीन माह से कम वाले जमा खातों में शेष राशि	1,743.70	4,864.34
कैनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
	1,927.96	5,190.80

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।
हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

हेमल मेहता
साझीदार
सदस्यता सं. 063404
UDIN : 26063404JWVBXE5585

एन के मिश्रा
कंपनी सचिव
पैन - AIQPM3388P

एस के घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 10659781

स्थान : कोलकाता
तारीख: 20 जून 2026

नरेश कुमार
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 11194115

सीएमडीई. राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 09832486

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल 2024 तक शेष राशि	12,08,605	12,086.05
1 अप्रैल 2025 तक शेष राशि	12,08,605	12,086.05
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी	-	-
31 मार्च 2026 तक शेष राशि	12,08,605	12,086.05

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन राशि का आवंटन लंबित	इक्विटी शेयर जमा का पुनर्गठन	प्रारक्षित और अधिशेष				कुल
			पूंजी प्रारक्षित	सामान्य प्रारक्षित	प्रतिधारित आय	ऋणपत्र रिडेम्प्शन रिजर्व	
31 मार्च 2024 तक	-	-	0.06	1,473.65	10,079.66	91.16	11,644.53
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	3,059.62	-	3,059.62
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	-	-	-	-	12.50	(12.50)	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	(412.61)	-	(412.61)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ/ (हानि) का पुनर्मापन	-	-	-	-	-	-	-
आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	-	-	0.06	1,473.65	12,739.17	78.66	14,291.54
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	1,396.77	-	1,396.77
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	(611.92)	-	(611.92)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	-	-	-	-	12.50	(12.50)	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ/ (हानि) का पुनर्मापन, कर के बाद निवल	-	-	-	-	-	-	-
आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2026 तक शेष राशि	-	-	0.06	1,473.65	13,536.52	66.16	15,076.39

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते बाटलीबाँय, पुरोहित और दरबारी के लिए
संनदी लेखाकार

फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

हेमल मेहता

साझीदार

सदस्यता सं. 063404

UDIN : 26063404JWVBXE5585

एन के मिश्रा

कंपनी सचिव

पैन - AIQPM3388P

एस के घोष

निदेशक (वित्त)

डीआईएन - 10659781

स्थान : कोलकाता

तारीख: 20 जून 2026

नरेश कुमार

निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन - 11194115

सीएमडीई. राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 09832486

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

1 कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

अ. कंपनी परिचय

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') एक भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत में है और यह शेयरों द्वारा सीमित है (सीआईएन: U70100WB1986GOI041286)। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, मोदी बिल्डिंग, कोलकाता - 700001 है। कंपनी मुख्य रूप से निर्माण कार्य सहित निर्माण इंजीनियरिंग के व्यवसाय में संलग्न है।

ब. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

1 अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और उसके बाद के संशोधनों के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस), कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक) और कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधान का अनुपालन करते हैं।

2 तैयारी का आधार

“ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के अनुसार, कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, सिवाय अन्यथा उल्लिखित के।”

3 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

तुलन पत्र और लाभ-हानि विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किए जाते हैं। नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7 “नकदी प्रवाह विवरण” की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित तुलन पत्र और लाभ-हानि विवरण की मदों से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं को वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले टिप्पणियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

4 कार्यात्मक मुद्रा

“वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। किसी इकाई की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा होती है जिसमें वह इकाई संचालित होती है।

भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि अन्यथा कहा गया हो।”

5 परिचालन चक्र

“सभी संपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संपत्तियाँ:

किसी संपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है: क) कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसकी प्राप्ति की उम्मीद है, या यह बिक्री या उपभोग के लिए है;

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है;

ग) रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीनों के भीतर इसकी प्राप्ति की उम्मीद है; या

घ) यह नकद या नकद समतुल्य है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीनों तक इसे विनिमय या किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित न किया गया हो।

देनदारियाँ:

किसी देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है:

क) कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसकी प्राप्ति की उम्मीद है;

ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है;

ग) रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीनों के भीतर इसका निपटान किया जाना है; या

घ) कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने तक देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। देयता की शर्तें जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी लिखतों के निर्गमन द्वारा इसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।”

चालू संपत्तियाँ/देनदारियाँ क्रमशः गैर-चालू संपत्तियों/देनदारियों का वर्तमान भाग शामिल हैं। अन्य सभी संपत्तियाँ/देनदारियाँ गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। आस्थगित कर संपत्तियाँ/देनदारियाँ गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

6 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और वित्तीय विवरण की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियाँ, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों और आकस्मिक देनदारियाँ व आकस्मिक परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिचालन के परिणामों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्य किए जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और किसी भी भविष्य की अवधि में जो प्रभावित होती है। लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, लेखांकन नीतियों और/या वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में शामिल की जाती है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में आकलन, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नानुसार है:

आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान - आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान किस सीमा तक की जा सकती है, यह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर संपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

संपत्तियों की हानि के सूचकों का मूल्यांकन - संपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का आकलन आवश्यक है, जिनके परिणामस्वरूप संपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि - प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, अपेक्षित अवधि में देखी गई ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करता है।

प्रावधान - प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, प्रबंधन निर्णय, तथ्यों और कानूनी पहलुओं में परिवर्तन के आधार पर, कंपनी बकाया आकस्मिक देनदारियाँ के विरुद्ध प्रावधान की आवश्यकता का आकलन करती है। हालाँकि, वास्तविक भविष्य का परिणाम इस निर्णय से भिन्न हो सकता है।

“मूल्यहास योग्य/परिशोधन योग्य संपत्तियों का उपयोगी जीवन काल - प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर संपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

आधार पर मूल्यहास योग्य/परिशोधन योग्य संपत्तियों के उपयोगी जीवन काल के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएँ तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित हैं जो संपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती हैं।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ का प्रबंधन का अनुमान कई अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित होता है, जैसे मुद्रास्फीति की मानक दें, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा। इन मान्यताओं में परिवर्तन डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

उचित मूल्य मापन - प्रबंधन वित्तीय साधनों (जहाँ सक्रिय बाजार भाव उपलब्ध नहीं हैं) का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है। इसमें बाजार सहभागियों द्वारा साधन का मूल्य निर्धारण करने के तरीके के अनुरूप अनुमान और मान्यताएँ विकसित करना शामिल है।

7 उचित मूल्यों का मापन

उचित मूल्यों का मापन "कंपनी की कई लेखा नीतियों और प्रकटीकरणों में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए उचित मूल्यों के मापन की आवश्यकता होती है।

उचित मूल्यों को मूल्यांकन तकनीकों में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस प्रकार है:

- स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं)।
- स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से प्राप्त) प्रेक्षणीय हैं।
- स्तर 3: परिसंपत्ति या देनदारी के लिए इनपुट जो प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अप्रेक्षणीय इनपुट)।

किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य को मापते समय, कंपनी यथासंभव प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों का उपयोग करती है। यदि किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापने के लिए प्रयुक्त इनपुट उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में आते हैं, तो उचित मूल्य मापन को उचित मूल्य पदानुक्रम के उसी स्तर पर पूरी तरह से वर्गीकृत किया जाता है, जहाँ निम्नतम स्तर का इनपुट, जो संपूर्ण मापन के लिए महत्वपूर्ण है, रखा जाता है। कंपनी उस रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तरों के बीच स्थानांतरण को मान्यता देती है, जिसके दौरान परिवर्तन हुआ है।

C. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1 राजस्व मान्यता

अ) अनुबंध से प्राप्त राजस्व को निम्नानुसार मान्यता दी जाती है

इंड एस 115 “ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व” के अनुसार, निर्माण और सेवा गतिविधियों से राजस्व की पहचान “समय के साथ” पद्धति के आधार पर की जाती है और कंपनी वितरण की प्रगति को मापने के लिए आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है। जब व्यक्तिगत अनुबंधों के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो अनुबंध राजस्व और अनुबंध लागत को रिपोर्टिंग तिथि पर समापन के चरण के संदर्भ में क्रमशः राजस्व और व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और राजस्व को अनुबंध की अनुमानित कुल लागत के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर कुल लागत के अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है। किसी अनुबंध का अनुमानित परिणाम तब विश्वसनीय माना जाता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

- i. राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;
- ii. यह संभावना है कि अनुबंध से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे;

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

iii. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध के समापन के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है; और

iv. अनुबंध के संबंध में किए गए या किए जाने वाले खर्चों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

किसी अनुबंध पर अपेक्षित हानि, यदि कोई हो, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचानी जाती है जिसमें उसका पूर्वानुमान किया जाता है, चाहे अनुबंध के पूरा होने का चरण कुछ भी हो।

अनुबंधों के परिणामस्वरूप प्राप्त राजस्व, बिलिंग से अधिक माना जाता है, अनुबंध परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है और अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम भुगतानों को अनुबंध देयता माना जाता है। अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देयताओं को वित्तीय विवरणों में चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निक्षेपागार कार्यों के लिए, अनुबंध परिसंपत्तियों को उन अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त जमा राशि को घटाकर दर्शाया जाता है।

अनुबंधों के परिणामस्वरूप प्राप्त राजस्व, बिलिंग से अधिक माना जाता है, अनुबंध परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है और अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम भुगतानों को अनुबंध देयता माना जाता है। अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देयताओं को वित्तीय विवरणों में चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निक्षेपागार कार्यों के लिए, अनुबंध परिसंपत्तियों को उन अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त जमा राशि को घटाकर दर्शाया जाता है।

किए गए कार्य के लिए बिल की गई राशि, जिसका भुगतान ग्राहक द्वारा अभी तक नहीं किया जाना है, तुलन पत्र में व्यापारिक प्राप्य के रूप में दर्शाई जाती है। ग्राहकों द्वारा रखी गई प्रतिधारण राशि को अन्य चालू परिसंपत्तियों के भाग के रूप में दर्शाया जाता है और भुगतान की तिथि आने पर उसे व्यापारिक प्राप्य के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

ब) माल की बिक्री: माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी ने माल के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार क्रेता को हस्तांतरित कर दिए हों, अब बेची गई वस्तुओं पर उसका नियंत्रण नहीं रह जाता, राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, यह संभावना है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और लेनदेन के संबंध में किए गए या किए जाने वाले खर्चों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

स) सेवाएँ प्रदान करना: सेवाएँ प्रदान करने से प्राप्त राजस्व तब माना जाता है जब किसी लेन-देन के परिणाम का लेन-देन के पूरा होने के चरण के संदर्भ में विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। किसी लेन-देन के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान तब लगाया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

1. राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;
2. यह संभावना है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे;
3. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन के पूरा होने के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है; और
4. लेन-देन के संबंध में हुई या होने वाली लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

समापन का चरण, लेन-देन की अनुमानित कुल लागतों में आज तक हुई वास्तविक लागतों के अनुपात से निर्धारित होता है।

बिल न किया गया राजस्व, अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है, लेकिन बिल नहीं किया गया है।

द) ब्याज आय: किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय तब पहचानी जाती है जब यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय समय अनुपात के आधार पर, बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में अर्जित की जाती है, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्ति को प्रारंभिक पहचान पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर सटीक रूप से छूट देती है।

ई) लाभांश आय: लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

2 पट्टे

पट्टे का लेखा भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार किया जाता है जो 1 अप्रैल, 2019 से अनिवार्य हो गया है।

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के रूप में गिना जाता है तथा तदनु रूप पट्टा देयता को पट्टा प्रारंभ तिथि पर गिना जाता है।

प्रारंभ में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत पर मापा जाता है, जिसमें पट्टा देयता की आरंभिक राशि शामिल होती है, जिसे प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है, साथ ही कोई भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने या हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या जिस स्थान पर वह स्थित है, उसे पुनर्स्थापित करने की लागत का अनुमान, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाकर।

पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसे कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। इसे तब पुनः मापा जाता है जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन, या गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य के अनुमान में परिवर्तन, या खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण भविष्य के पट्टा भुगतानों में कोई परिवर्तन होता है। जब पट्टा देयता को इस प्रकार पुनः मापा जाता है, तो उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में एक संगत समायोजन किया जाता है, या यदि उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि शून्य हो जाती है, तो इसे लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति को लागत मॉडल लागू करके मापा जाता है, अर्थात् उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति की लागत में से संचित मूल्यहास और संचयी क्षति, यदि कोई हो, घटाकर। उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति का मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके आरंभ तिथि से लेकर पट्टा अवधि के अंत तक या अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन, जो भी पहले हो, तक किया जाता है। पट्टा देयता की अग्रणीत राशि, पट्टा देयता पर ब्याज द्वारा बढ़ाई जाती है और किए गए पट्टा भुगतानों द्वारा घटाई जाती है।

निम्नलिखित पट्टे से संबंधित पट्टा भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है: (i) कम मूल्य के पट्टे; और (ii) वे पट्टे जो अल्पकालिक हैं।

पट्टे पर दी गई संपत्तियों को या तो परिचालन पट्टे या वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह अंतर्निहित संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और लाभों को मूलतः हस्तांतरित कर देता है। वित्तीय पट्टे के तहत धारित संपत्ति को प्रारंभ में तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय आय को पट्टे की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की एक स्थिर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित होती है। एक पट्टा जिसे वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, एक परिचालन पट्टा है।

कंपनी परिचालन पट्टे पर दी गई संपत्तियों के मामले में पट्टा प्राप्तियों को सीधी रेखा आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है। कंपनी परिचालन पट्टे के अधीन अंतर्निहित संपत्तियों को अपनी तुलन पत्र में संबंधित संपत्ति वर्ग के अंतर्गत प्रस्तुत करती है।

3 विदेशी मुद्राएँ

कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (विदेशी मुद्राओं) के अलावा अन्य मुद्राओं में किए गए लेन-देनों को लेन-देन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों का उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनर्अनुवाद किया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी जाने वाली गैर-मौद्रिक मदों का पुनर्अनुवाद नहीं किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

4 उधार लेने की लागत

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

किसी अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित विशिष्ट उधार लागतों को उस परिसंपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए और उधार लागतें व्यय न हो जाएँ। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है जिसे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लगता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की जाती हैं। उधार लागत में ब्याज व्यय, छूट का परिशोधन, निधियों के उधार लेने के संबंध में वहन की गई सहायक लागतें और विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न विनिमय अंतर शामिल हैं, जहाँ तक उन्हें ब्याज लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

5 आयकर

आयकर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल होते हैं। आयकर व्यय को आय विवरण में उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक वह सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो, ऐसी स्थिति में उसे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

चालू कर

चालू कर, रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में किसी भी समायोजन का उपयोग करते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर की मान्यता तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करके की जाती है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतरों के लिए प्रावधान करती है। निम्नलिखित अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर की मान्यता नहीं दी जाती है: किसी ऐसे लेनदेन में परिसंपत्तियों या देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता जो व्यावसायिक संयोजन नहीं है और जो न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है; सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में निवेश से संबंधित अंतर, इस सीमा तक कि यह संभावना है कि वे निकट भविष्य में उलट नहीं जाएँगे; और सद्भावना की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न होने वाले कर योग्य अस्थायी अंतर। आस्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है जो रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद होती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर देनदारियाँ और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा एक ही कर योग्य इकाई पर, या विभिन्न कर संस्थाओं पर लगाए गए आयकरों से संबंधित हों, लेकिन वे वर्तमान कर देनदारियाँ और परिसंपत्तियों का शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहते हों या उनकी कर परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ एक साथ वसूल की जाएँ। एक आस्थगित कर संपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उन्हें उस सीमा तक कम कर दिया जाता है जहाँ तक यह संभावना न रह जाए कि संबंधित कर लाभ वसूल किया जाएगा।

6 प्रति शेयर आय

कंपनी अपने साधारण शेयरों के लिए प्रति शेयर मूल और तनु आय ("ईपीएस") आँकड़े प्रस्तुत करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्त शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। तनु आय पर शेयर की गणना तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार शुद्ध लाभ को मूल आय प्रति शेयर प्राप्त करने के लिए विचार किए गए भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किया जा सकता है। संभावित इक्विटी शेयरों को केवल तभी तनुकृत माना जाता है जब इक्विटी शेयरों में उनका रूपांतरण प्रति शेयर शुद्ध लाभ को कम कर देगा।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

7 सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

पीपीई की प्रारंभिक लागत में उसका क्रय मूल्य, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य क्रय कर शामिल हैं, और किसी परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति और स्थान पर लाने की कोई भी प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत, जिसमें प्रासंगिक उधारी लागत और विनिवेश की कोई भी अपेक्षित लागत, संचित मूल्यहास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर शामिल है, शामिल है। पीपीई के चालू होने के बाद किए गए व्यय, जैसे मरम्मत और रखरखाव, उस अवधि में लाभ-हानि विवरण में दर्ज किए जाते हैं जिसमें लागतें वहन की गई थीं। यदि पीपीई के किसी भाग के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी जीवन अलग-अलग है, तो उन्हें पीपीई के अलग-अलग भागों (प्रमुख घटकों) के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, स्टैंड-बाय उपकरण और सेवा उपकरण जैसी सामग्री वस्तुओं को पीपीई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वे भारतीय लेखा मानक 16 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में निर्दिष्ट पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हैं। 10,000/- रुपये या उससे कम लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रहण के वर्ष में पूर्ण मूल्यहास किया जाता है।

7.1 निर्माण अवधि के दौरान व्यय

निर्माण अवधि के दौरान व्यय (योग्य पीपीई के निर्माण या अधिग्रहण हेतु उधार ली गई धनराशि से संबंधित वित्तपोषण लागत सहित) को चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है, और निर्माण पूरा होने पर इसे संबंधित पीपीई को आवंटित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया पीपीई के अधिग्रहण या निर्माण के लिए दिए गए अग्रिमों को “अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों” के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिमों के रूप में दर्शाया जाता है।

7.2 मूल्यहास

मूल्यहास, पीपीई की मूल्यहास योग्य राशि का उसके उपयोगी जीवन काल में व्यवस्थित आवंटन है और अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन काल के दौरान लिखित मूल्य विधि के अनुसार प्रदान किया जाता है।

पीपीई के लिए मूल्यहास योग्य राशि, पीपीई की लागत में से उसके अनुमानित अवशिष्ट मूल्य को घटाकर प्राप्त की जाती है। पीपीई का उपयोगी जीवन वह अवधि है जिसके दौरान कंपनी द्वारा पीपीई के उपयोग के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद है, या कंपनी द्वारा परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाली उत्पादन या समान इकाइयों की संख्या है।

अतिरिक्त वस्तुओं पर मूल्यहास स्थापना या अधिग्रहण की तिथि से आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है। कटौती/निपटान पर मूल्यहास कटौती/निपटान की तिथि तक आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की वहन राशि से तुलना करके किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

8 अमूर्त संपत्तियां और परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और क्षति घटाकर दर्शाया जाता है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल के दौरान, उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से, सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

परिशोधन

किसी पहचान योग्य अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन काल कई कारकों पर आधारित होता है, जिनमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव और संपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है।

कंपनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके 3 वर्षों की अवधि में करती है।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

9 भंडार

माल-सूची का मूल्यांकन अप्रचलन को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार किया जाता है:

(i) कच्चा माल, घटक, निर्माण सामग्री, भंडार, पुर्जे और खुले उपकरण, भारत औसत लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर। हालाँकि, इन वस्तुओं को लागत पर प्राप्ति योग्य माना जाता है यदि जिन तैयार उत्पादों में इनका उपयोग किया जाएगा, उनके लागत पर या उससे अधिक पर बेचे जाने की उम्मीद है।

(ii) निर्माण गतिविधि के संबंध में पूर्ण संपत्ति/प्रगतिशील कार्य, विशिष्ट रूप से पहचान योग्य लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआर४) का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है और जब वे परिस्थितियाँ, जिनके कारण पहले इन्वेंट्री को लागत से नीचे लिखा गया था, अब मौजूद नहीं होती हैं या जब बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के कारण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में वृद्धि का स्पष्ट प्रमाण होता है, तो पिछली अवधि में यदि कोई कटौती हुई है, तो उसे मूल लिखी गई राशि की सीमा तक उलट दिया जाता है, ताकि परिणामी वहन राशि लागत और संशोधित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो कम हो।

10 नकद और नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी और नकदी समतुल्य में बैंक में और हाथ में नकदी तथा बैंकों के पास अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जिन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं और अल्पकालिक नकदी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के उद्देश्य से रखे जाते हैं।

11 नकद प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह को परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में विभाजित करके तैयार किया जाता है। परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसमें कर-पूर्व लाभ को निम्नलिखित प्रभावों के लिए असाधारण मदों को छोड़कर समायोजित किया जाता है:

(i) अवधि के दौरान इन्वेंट्री और गैर-नकद प्रकृति के परिचालन प्राप्य और देय लेनदेन में परिवर्तन;

(ii) गैर-नकद मदें जैसे मूल्यहास, प्रावधान, अप्राप्त विदेशी मुद्रा लाभ और हानि; और

(iii) अन्य सभी मदें जिनके लिए नकदी प्रभाव निवेश या नकदी प्रवाह का वित्तपोषण कर रहे हैं।

नकदी प्रवाह विवरण में दर्शाई गई नकदी और नकदी समकक्ष (बैंक शेष सहित) में वे मदें शामिल नहीं हैं जो तुलन पत्र की तिथि तक सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

12 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को मान्यता तब दी जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सभी संलग्न शर्तों का पालन किया जाएगा। जहाँ कंपनी को गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, वहाँ परिसंपत्ति और अनुदान का लेखा उचित मूल्य पर किया जाता है और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन काल के दौरान लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

13 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों, इन्वेंट्री और आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि क्या हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। किसी परिसंपत्ति या नकदी-उत्पादक इकाई (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) की वसूली योग्य राशि उसके उपयोग मूल्य और उसके उचित

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

मूल्य में से विक्रय लागत घटाकर जो भी अधिक हो, वह होती है। उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति या नकदी-उत्पादक इकाई से संबंधित जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, परिसंपत्तियों को उन परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह में समूहीकृत किया जाता है जो निरंतर उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं और जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों ("नकदी-उत्पादक इकाई") के नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं।

यदि किसी परिसंपत्ति या उसकी नकदी-उत्पादक इकाई की अनुमानित वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम है, तो आय विवरण में हानि की पहचान की जाती है। पूर्व अवधियों में पहचानी गई हानि की पहचान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इस बात के किसी भी संकेत के लिए की जाती है कि हानि कम हो गई है या अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो हानि को उलट दिया जाता है। हानि की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जब परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि उस अग्रणीत राशि से अधिक न हो जो मूल्यहास या परिशोधन को घटाकर निर्धारित की जाती है, यदि कोई हानि की पहचान नहीं की गई होती। किसी सहयोगी कंपनी में निवेश की अग्रणीत राशि का हिस्सा बनने वाली ख्याति को अलग से मान्यता नहीं दी जाती है, और इसलिए उसकी हानि के लिए अलग से जाँच नहीं की जाती है। इसके बजाय, किसी सहयोगी कंपनी में निवेश की पूरी राशि की हानि के लिए एकल परिसंपत्ति के रूप में जाँच की जाती है, जब वस्तुनिष्ठ प्रमाण मौजूद हों कि सहयोगी कंपनी में निवेश क्षतिग्रस्त हो सकता है।

इक्विटी लेखाकृत निवेशक के संबंध में हानि की माप निवेश की वसूली योग्य राशि की उसकी अग्रणीत राशि से तुलना करके की जाती है। आय विवरण में हानि की पहचान की जाती है, तथा यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त अनुमानों में अनुकूल परिवर्तन हुआ है तो हानि को उलट दिया जाता है।

14 कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, संबंधित सेवा प्रदान किए जाने के साथ ही व्यय किए जाते हैं। यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए देयता को मान्यता दी जाती है।

परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के अंशदान, कर्मचारियों से सेवाएँ प्राप्त होने पर आय विवरण में दर्शाए जाते हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य रोजगार-पश्चात लाभों से संबंधित देयता की गणना योग्य बीमाकर्तों की सलाह के अनुरूप अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, उच्च-गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड की ब्याज दरों का उपयोग करके अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह को घटाकर निर्धारित किया जाता है, जो उस मुद्रा में मूल्यवर्गित होते हैं जिसमें लाभ का भुगतान किया जाएगा, और जिनकी परिपक्वता अवधि संबंधित परिभाषित लाभ दायित्व की अवधि के लगभग समान होती है। परिभाषित लाभ योजना की वर्तमान सेवा लागत, जिसे आय विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, चालू वर्ष में कर्मचारी सेवा, लाभ परिवर्तनों, कटौती और निपटान के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि को दर्शाती है। पिछली सेवा लागतों को आय में तुरंत मान्यता प्राप्त है। शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके की जाती है। यह लागत आय विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल है। अनुभव समायोजनों और बीमाकृत मान्यताओं में परिवर्तनों से उत्पन्न बीमाकृत लाभ और हानियाँ, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में इक्विटी में प्रभाषित या जमा की जाती हैं जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

समाप्ति लाभ

समाप्ति लाभों को तब व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी, वापसी की वास्तविक संभावना के बिना, सामान्य सेवानिवृत्ति तिथि से पहले रोजगार समाप्त करने, या स्वैच्छिक छंटनी को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रस्ताव के परिणामस्वरूप समाप्ति लाभ प्रदान करने की औपचारिक विस्तृत योजना के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध हो। स्वैच्छिक छंटनी के लिए समाप्ति लाभों को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है यदि कंपनी ने स्वैच्छिक छंटनी को प्रोत्साहित करने वाला प्रस्ताव दिया है, तो यह संभावना है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा, और स्वीकृतियों की संख्या का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के संबंध में कंपनी का शुद्ध दायित्व, कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पिछली अवधियों में अपनी सेवा के बदले अर्जित भविष्य के लाभ की राशि है। उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए छूट दी जाती है। पुनर्मापन को उस अवधि के लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

15 प्रावधान

प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी पर कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व हो जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सके, और यह संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक होगा। यदि धन के सामयिक मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधान का निर्धारण अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व दर पर छूट देकर किया जाता है जो धन के सामयिक मूल्य और देयता से संबंधित जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। जहाँ छूट का उपयोग किया जाता है, वहाँ समय बीतने के कारण प्रावधान में हुई वृद्धि को वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

16 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन संभवतः नहीं होगी। जहाँ कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, वहाँ कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, आकस्मिक परिसंपत्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का अंतर्वाह होगा, तो परिसंपत्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन होता है।

17 वित्तीय उपकरण

“वित्तीय परिसंपत्तियों और/या वित्तीय देयताओं को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी संबंधित वित्तीय साधनों वाले किसी अनुबंध में पक्षकार बन जाती है। सभी वित्तीय परिसंपत्तियों, वित्तीय देयताओं और वित्तीय गारंटी अनुबंधों को प्रारंभ में लेन-देन मूल्यों पर मापा जाता है और जहाँ ये मूल्य उचित मूल्य से भिन्न होते हैं, वहाँ उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियाँ (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियाँ को छोड़कर) के अधिग्रहण या निर्गमन से संबंधित लेन-देन लागतों को, प्रारंभिक मान्यता के समय, ऐसी वित्तीय आस्तियों या देनदारियों के उचित मूल्य में, जैसा भी मामला हो, जोड़ा या घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण से सीधे संबंधित लेन-देन लागतों को लाभ या हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

ब्याज मुक्त या रियायती ऋणों और अधिमानीय शेयरों के रूप में सहायक कंपनियों को वित्तपोषित करने के मामले में, प्रारंभिक रूप से मापे गए उचित मूल्य से अधिक वास्तविक वित्तपोषित राशि को इक्विटी निवेश के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

(i) वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में उनकी संपूर्णता में या तो परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर निर्भर करता है, इस प्रकार:

1. ऋण उपकरणों में निवेश जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में नामित किया गया है - उचित मूल्य पर।
2. ऋण उपकरणों में निवेश जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है (जब तक कि उसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में नामित न किया गया हो):
 - i) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय प्रतिमान के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को धारण करना है; और
 - ii) उपकरण की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हैं।
3. निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले ऋण उपकरणों में निवेश को बाद में अन्य व्यापक आय [एफवीटीओसीआई] के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है (जब तक कि उन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में निर्दिष्ट न किया गया हो)
 - i) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय प्रतिमान के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है; और
 - ii) उपकरण की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।
4. एफवीटीपीएल में ऋण उपकरण, यदि कोई हो, तो ऋण उपकरणों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है और सभी परिवर्तनों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।
5. सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा जारी इक्विटी उपकरणों में निवेश को लागत घटा हानि पर मापा जाता है।
6. सहायक कंपनियों के अधिमान्य शेयरों में निवेश को इक्विटी उपकरण माना जाता है यदि वे इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हैं या ऐसे निवेशों के मोचन के उद्देश्य से जारी किए गए इक्विटी उपकरणों की आय से मोचन योग्य हैं। उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाले अधिमान्य शेयरों में निवेश को एफवीटीपीएल में ऋण उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
7. इक्विटी उपकरणों में निवेश को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि संबंधित उपकरण ट्रेडिंग के लिए नहीं रखे जाते हैं और कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर अपरिवर्तनीय रूप से उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का चुनाव नहीं करती है।
8. एफवीटीओसीआई पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज और लाभांश के रूप में आय, हानि के लिए प्रावधान और विनिमय अंतर, यदि कोई हो, (ऋण उपकरण पर) को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है और उचित मूल्य में परिवर्तन (उपर्युक्त आय या व्यय के कारण) को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और अन्य इक्विटी में संचित किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरणों के निपटान पर, अन्य इक्विटी में पहले से संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर इक्विटी उपकरणों के मामले में, इस तरह के संचयी लाभ या हानि को निवेश के निपटान पर लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
9. किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता मुख्यतः तब रद्द की जाती है जब:

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- i) परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो, या
 - ii). कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो या किसी पास-श्रू व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी महत्वपूर्ण देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण कर लिया हो; और
- (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को लगभग पूरी तरह से हस्तांतरित कर दिया हो, या
- (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया हो और न ही उन्हें अपने पास रखा हो, बल्कि परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया हो।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की संपूर्ण मान्यता रद्द होने पर, मान्यता रद्द होने की तिथि पर मापी गई वहन राशि और प्राप्त प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

10. वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति: कंपनी अपेक्षित ऋण हानि मॉडल का उपयोग करके व्यापार प्राप्य पर क्षति हानि की पहचान करती है, जिसमें भारतीय लेखा मानक 109 के तहत अनुमत ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव के आधार पर निर्मित प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग शामिल है। निवेशों पर क्षति हानि तब पहचानी जाती है जब वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

(ii) वित्तीय देयताएँ:

1. वित्तीय देयताएँ, जिनमें डेरिवेटिव और एम्बेडेड डेरिवेटिव शामिल हैं, जिन्हें एफवीटीपीएल पर मापन के लिए निर्दिष्ट किया गया है, बाद में उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को बाद में क्षति हानि भत्ते की राशि या संचयी परिशोधन के आरंभिक निवल मूल्य पर मापी गई राशि, जो भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

ऋण और उधार सहित अन्य सभी वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

2. किसी वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब संबंधित दायित्व समाप्त हो जाता है या उसे समाप्त या रद्द कर दिया जाता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय दायित्व को तुलन पत्र में शुद्ध आधार पर समायोजित और प्रस्तुत किया जाता है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने का वर्तमान कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार मौजूद हो और इसका उद्देश्य या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना हो या परिसंपत्ति की वसूली और दायित्व का एक साथ निपटान करना हो।

18 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

19 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियाँ

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से उन पूर्व अवधियों की तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत करके ठीक किया जाता है जिनमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियां और इक्विटी के आरंभिक शेष पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

20 परिचालन खंड

इंड ए एस 108 के अनुसार, खंड संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त परिचालन खंडों की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा खंडों को संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने हेतु प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से कंपनी का 'मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता' या इंड ए एस 108 के अर्थ में 'सीओडीएम' है।

आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त संकेतक, लागू किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकते हैं। सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड परिणामों में सीधे तौर पर खंड से संबंधित मदों के साथ-साथ वे मदें भी शामिल होती हैं जिन्हें उचित आधार पर आवंटित किया जा सकता है। गैर-आवंटित मदों में मुख्य रूप से कॉर्पोरेट व्यय, वित्तीय व्यय और आयकर व्यय शामिल होते हैं।

खंडों से सीधे संबंधित राजस्व को खंड राजस्व माना जाता है। खंडों से सीधे संबंधित व्यय और उचित आधार पर आवंटित सामान्य व्यय को खंड व्यय माना जाता है। खंड पूंजीगत व्यय, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, और सद्भावना के अलावा अन्य अमूर्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अवधि के दौरान की गई कुल लागत है। खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, इन्वेंटरी और अन्य परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें सीधे या उचित रूप से खंडों में आवंटित किया जा सकता है।

वर्ष के लिए खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संबंधित खंडों से संबंधित परिचालनों हेतु परिसंपत्तियों के उपयोग की सीमा के आधार पर खंडों में आवंटित किया गया है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, प्रगति पर पूंजीगत कार्य, पूंजीगत अग्रिम, कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं जिन्हें उचित रूप से खंडों में आवंटित नहीं किया जा सकता है।

खंड देनदारियां में किसी खंड के संबंध में सभी परिचालन देनदारियां शामिल होती हैं और इनमें मुख्य रूप से व्यापार और अन्य देय राशियां, कर्मचारी लाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देनदारियां में इक्विटी, आयकर देनदारियां, ऋण और उधारी तथा अन्य देनदारियां और प्रावधान शामिल नहीं होते हैं जिन्हें उचित रूप से खंडों में आवंटित नहीं किया जा सकता है।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

2 सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

विवरण	इमारत	संयंत्र और मशीनरी	जहाज (स्पीड बोट)	कंप्यूटर	फर्निचर व फिक्सचर	वाहन	कुल
लागत या मानी गई लागत (कुल वहन राशि)							
31 मार्च 2024 तक	132.63	2,380.80	2.32	93.07	77.13	3.72	2,689.67
परिवर्धन	-	4.54	-	28.11	0.68	-	33.33
घटाएँ: निपटान / समायोजन	-	(49.35)	-	-	-	-	(49.35)
31 मार्च 2025 तक	132.63	2,335.99	2.32	121.18	77.81	3.72	2,673.65
परिवर्धन	-	6.67	-	1.70	18.59	-	26.96
घटाएँ: निपटान / समायोजन	-	(45.46)	-	-	(0.28)	-	(45.74)
31 मार्च 2026 तक	132.63	2,297.20	2.32	122.88	96.12	3.72	2,654.87
संचित मूल्यहास							
31 मार्च 2024 तक	93.81	1,861.04	2.29	87.29	68.62	3.68	2,116.73
परिवर्धन	4.00	100.18	-	6.47	2.88	-	113.53
घटाएँ: निपटान / समायोजन	-	(47.17)	-	-	-	-	(47.17)
31 मार्च 2025 तक	97.81	1,914.05	2.29	93.76	71.50	3.68	2,183.09
परिवर्धन	3.58	73.11	-	13.49	3.77	-	93.95
घटाएँ: निपटान / समायोजन	-	(44.85)	-	-	(0.27)	-	(45.12)
31 मार्च 2026 तक	101.39	1,942.31	2.29	107.25	75.00	3.68	2,231.92
कुल पुस्तक मूल्य							
31 मार्च 2026 तक	31.24	354.89	0.03	15.63	21.12	0.04	422.95
31 मार्च 2025 तक	34.82	421.94	0.03	27.42	6.31	0.04	490.56
टिप्पणी: अचल संपत्ति के सभी मालिकाना हक कंपनी के नाम पर हैं।							

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

3 अमूर्त संपत्ति

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
लागत या मानी गई लागत (सकल वहन राशि)	
31 मार्च 2024 तक	46.33
परिवर्धन	1.44
31 मार्च 2025 तक	47.77
परिवर्धन	8.24
31 मार्च 2026 तक	56.01
संचित परिशोधन	
31 मार्च 2024 तक	37.87
वर्ष के लिए शुल्क	5.96
31 मार्च 2025 तक	43.83
वर्ष के लिए शुल्क	4.29
31 मार्च 2026 तक	48.12
कुल पुस्तक मूल्य	
31 मार्च 2026 तक	7.89
31 मार्च 2025 तक	3.94

4 क. प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी
31 मार्च 2025 तक	-
परिवर्धन	-
(स्थानांतरण)	-
31 मार्च 2026 तक	-

ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) आयु निर्धारण अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	सीडब्ल्यूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2026 तक					
प्रगति पर परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक					
प्रगति पर परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

5 निवेश	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
गैर-वर्तमान निवेश		
(अ) इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश		
(क) सहायक कंपनियाँ (अउद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)		
भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड*	486.30	486.30
48,630 (31 मार्च 2025 : 48,630) 1000/- रुपये प्रति पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर		
(ख) संयुक्त उद्यम कंपनियाँ		
भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (अउद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)	0.30	0.30
300 (31 मार्च 2025 : 300) पूर्णतः चुकता 100/- रुपये मूल्य के इक्विटी शेयर		
घटाएँ: प्रावधान	(0.30)	(0.30)
(ग) अन्य कंपनियाँ		
लगान जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (अउद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)	42.20	42.20
4,22,000 (31 मार्च 2025 : 4,22,000) 10/- रुपये प्रति पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर		
जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (अउद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)*	2,558.01	2,558.01
2,55,80,122 (31 मार्च 2024 : 2,55,80,122) 10/- रुपये प्रति पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर (refer Note 60)		
(उद्धरण रहित, लागत पर मूल्यांकित)		
3,015 (31 मार्च 2025 : 3,015) वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड का पूर्णतः भुगतान किया गया इक्विटी शेयर (पहले "ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड का 5% गैर-रिडीमेबल पंजीकृत डिबेंचर स्टॉक")	0.16	0.16
(ब) डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश		
99 नंबर (31 मार्च 2025: 99 नंबर) आईसीआईसीआई रिडीमेबल मनी मल्टीप्लायर बॉन्ड-2026	97.43	92.49
कुल निवेश	3,184.10	3,179.16
कुल पुस्तक मूल्य		
- उद्धृत निवेश	-	-
- अनउद्धृत निवेश	3,184.10	3,179.16
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं
* भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) और जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, जो भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनियाँ थीं, परिसमापन के अधीन हैं।		

6 व्यापार प्राप्य (असुरक्षित)	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
गैर वर्तमान		
दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य, अच्छे माने जाते हैं	1,084.58	1,108.42
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य के लिए भत्ते (ई सी एल)	(1,084.58)	(1,108.42)
	-	-
वर्तमान		
शोध्य माना गया	6,630.90	3,340.51
संदिग्ध माना गया	-	-
	6,630.90	3,340.51
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य के लिए भत्ता	(1,585.98)	(1,352.90)
	-	-
कुल व्यापार प्राप्य	5,044.92	1,987.61

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

6 व्यापार प्राप्य (जारी)

व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची		भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया							कुल
क्र. सं.	विवरण	देय नहीं	बिल नहीं किया गया	< 6 महीने	6 महीने-1 साल	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 साल	
	31 मार्च 2026 तक								
i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	4,396.14	-	-	-	1,165.81	60.02	1,008.93	6,630.90
ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	1,084.58	1,084.58
iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
iv)	विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
v)	विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
vi)	विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
	कम: अपेक्षित क्रेडिट हानि और संदेहास्पद प्राप्य समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	(2,670.56)
	कुल	-	-	-	-	-	-	-	5,044.92
	31 मार्च 2025 तक								
i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	662.52	-	145.71	489.59	1,001.17	200.34	841.18	3,340.51
ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	1,108.42	1,108.42
iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
iv)	विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
v)	विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
vi)	विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
	कम: अपेक्षित क्रेडिट हानि और संदेहास्पद प्राप्य समायोजन								(2,461.32)
	कुल	-	-	-	-	-	-	-	1,987.61

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
गैर-चालू		
बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक के पास जमा*	1,189.99	213.92
अन्य		
सुरक्षा जमा/ईएमडी/अन्य जमा	4,835.88	4,679.05
कम: संदेहास्पद जमा के लिए भत्ता	(53.15)	(53.15)
	<u>5,972.72</u>	<u>4,839.82</u>
वर्तमान		
ऋण और अग्रिम		
सहायक कंपनियों और अन्य को दिए गए ऋण पर प्राप्य जीओआई ऋण	6,589.06	6,796.31
कम: प्रावधान	(0.06)	(207.25)
लेनदारों को अग्रिम	<u>6,589.00</u>	<u>6,589.06</u>
अन्य अग्रिम	1,562.93	1,034.10
	100.85	111.11
प्राप्य ब्याज/उपार्जित		
सहायक कंपनियों को ऋण पर	34,006.55	34,006.55
निवेश पर अर्जित ब्याज, जमा और सावधि जमा	826.21	745.45
अन्य		
सुरक्षा जमा/ईएमडी/अन्य जमा	1,358.20	1,171.10
कम: संदेहास्पद जमा के लिए भत्ता	(77.76)	(77.76)
प्राप्य - अन्य	-	-
	<u>44,365.98</u>	<u>43,579.61</u>

*इसमें बैंक के पक्ष में चिह्नित जमा राशि 1,050.00 लाख रुपये (31 मार्च 2025 - 60.17 लाख रुपये) शामिल है।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

8 आस्थगित कर परिसंपत्ति, शुद्ध

	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
- वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि	686.89	591.94
- कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	108.87	108.96
कुल	795.76	700.90
आस्थगित कर देयता		
- मूर्त और अमूर्त संपत्तियां	22.60	28.79
- अमॉर्टाइज्ड लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(11.11)	(9.87)
स्थगित कर परिसंपत्ति, शुद्ध	807.25	719.82

9 भंडार

	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
कच्चा माल	495.43	595.05
स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स एवं उपभोग्य सामग्री	16.69	16.90
ढीले उपकरण	14.73	15.44
घटाएँ: प्रावधान	(78.62)	(66.64)
प्रगति पर कार्य	2,157.39	2,242.10
कुल भंडार	2,605.62	2,802.85

10 नकद एवं नकद समकक्ष

	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
बैंकों में शेष राशि:		
- चालू खातों में शेष राशि	181.55	324.29
- मूल परिपक्वता तीन माह से कम वाले जमा खातों में शेष राशि*	1743.70	4,864.34
हाथ में नकद	2.71	2.17
कुल नकद एवं नकद समकक्ष	1927.96	5,190.80

*इसमें बैंक के पक्ष में ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित जमा राशियां शामिल है - रु.

शून्य (31 मार्च 2025 - रु. 2335.81 लाख)।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

11 अन्य बैंक शेष

बैंकों में अवधि जमा – मूल परिपक्वता तीन माह से अधिक*

कुल अन्य बैंक शेष

*इसमें बैंक के पक्ष में ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित जमा राशियाँ 6392.84 लाख रुपये (31 मार्च 2025, 4771.25 लाख रुपये) शामिल हैं।

31 मार्च 2026 को

31 मार्च 2025 को

14,852.87

13,945.21

14,852.87

13,945.21

12 वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ

वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (प्रावधान के बाद शुद्ध)

31 मार्च 2026 को

31 मार्च 2025 को

412.92

-

412.92

-

13 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ

जीएसटी खाता - (इनपुट) - संपत्ति

अन्य सरकार और वैधानिक प्राधिकारियों के साथ शेष

31 मार्च 2026 को

31 मार्च 2025 को

608.86

727.22

22.22

22.22

631.08

749.44

अनुबंध परिसंपत्तियाँ (नीचे नोट का संदर्भ लें)

1,699.90

5,495.62

2,330.98

6,245.06

वर्ष के दौरान अनुबंध परिसंपत्तियों में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-
विवरण

रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में अनुबंध परिसंपत्तियाँ

5,495.62

-

जोड़ें: अवधि के दौरान अनुबंध परिसंपत्तियों में परिवर्तन

1,612.89

5,495.62

घटाएँ: अनुबंध प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त

5,408.61

-

घटाएँ: अनुबंध परिसंपत्तियों को अपेक्षित ऋण हानि

-

-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध परिसंपत्तियाँ

1,699.90

5,495.62

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

14 शेयर पूंजी

	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
अधिकृत शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
34,81,000 (31 मार्च 2025: 34,81,000) इक्विटी शेयर, प्रत्येक 1000/- रुपये	34,810.00	34,810.00
जारी की गई शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
12,08,605 (31 मार्च 2025: 12,08,605) इक्विटी शेयर, प्रत्येक 1000/- रुपये	12,086.05	12,086.05
अभिलक्षित और पूर्णतः चुकता शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
12,08,605 (31 मार्च 2025: 12,08,605) इक्विटी शेयर, प्रत्येक 1000/- रुपये	12,086.05	12,086.05
	12,086.05	12,086.05

(क) रिपोर्टिंग वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों का समाधान

विवरण	इक्विटी शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों की संख्या
वर्ष की शुरुआत में उत्कृष्ट	12,08,605	12,08,605
वर्ष के दौरान जारी	-	-
वर्ष के अंत में उत्कृष्ट	12,08,605	12,08,605

(ख) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

कंपनी के इक्विटी शेयरों का सममूल्य ₹1000 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश घोषित और भुगतान करती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) वार्षिक आम बैठकों में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमानीय राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ग) होल्डिंग या अंतिम होल्डिंग कंपनी के संबंध में शेयरधारिता पैटर्न

कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी नहीं है।

(घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति और उनके द्वारा नामित व्यक्ति	12,08,605	12,08,605
	12,08,605	12,08,605

(ड) तुलन पत्र की तारीख तक शेयरों की बिक्री/विनिवेश के लिए विकल्पों और अनुबंधों/प्रतिबद्धताओं के तहत जारी करने के लिए कोई साधारण शेयर आरक्षित नहीं किए गए हैं।

(च) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड ('बीसीएल'), बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड ('बीएससीएल'), भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड ('बीबीवीएल') और आरबीएल लिमिटेड ('आरबीएल') के संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा स्वीकृत पूंजी पुनर्गठन योजनाओं के परिणामस्वरूप और बीएससीएल, बीसीएल और बीबीजे के संबंध में ऋण और ब्याज को इक्विटी शेयर पूंजी और शून्य रेटेड डिबेंचर में परिवर्तित करने की अनुमति देने के लिए वित्तीय पुनर्गठन के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में और उपरोक्त राशि के लिए निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के निर्देश पर विचार करते हुए, कंपनी ने 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

(छ) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा इक्विटी/अधिमानीय शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूति जारी नहीं की गई है।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

(ज) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी निदेशक या अधिकारी द्वारा कोई भी कॉल बकाया नहीं है।

15 अन्य इक्विटी

	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
पूंजी आरक्षित	0.06	0.06
सामान्य रिजर्व	1,473.65	1,473.65
डिबेंचर मोचन रिजर्व	66.16	78.66
प्रतिधारित कमाई	13,536.52	12,739.17
	15,076.39	14,291.54

(अ) पूंजी आरक्षित

प्रारंभिक जमा	0.06	0.06
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
जमा शेष	0.06	0.06

(ब) सामान्य रिजर्व

प्रारंभिक जमा	1,473.65	1,473.65
जोड़ें: वर्ष के दौरान स्थानान्तरण	-	-
जमा शेष	1,473.65	1,473.65

सामान्य रिजर्व कंपनी के मुक्त रिजर्व हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी के मुनाफे से अलग रखा जाता है।

(स) डिबेंचर मोचन रिजर्व*

प्रारंभिक जमा	78.66	91.16
जोड़ें: वर्ष के दौरान स्थानान्तरण	(12.50)	(12.50)
जमा शेष	66.16	78.66

* कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लागू प्रावधान के अनुसार डिबेंचर की बकाया राशि के आधार पर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाया था।

(द) प्रतिधारित कमाई

प्रारंभिक जमा	12,739.17	10,079.66
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	1,396.77	3,059.62
अंतिम लाभांश	(611.92)	(412.61)
जोड़ें: डिबेंचर मोचन रिजर्व से स्थानांतरित	12.50	12.50
जमा शेष	13,536.52	12,739.17

कुल अन्य इक्विटी	15,076.39	14,291.54
-------------------------	------------------	------------------

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

16 उधारी

	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
गैर-वर्तमान उधार		
असुरक्षित ऋण		
पुनर्संरचना डिबेंचर जमा (जेडआरडी):	163.43	192.11
कुल गैर-वर्तमान उधार	163.43	192.11
वर्तमान उधार		
मांग पर चुकाए जाने वाले सुरक्षित ऋण		
केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट**:	-	-
भारत सरकार से अन्य ऋण और अग्रिम	6,589.00	6,589.00
कुल वर्तमान उधार	6,589.00	6,589.00

* पुनर्संरचना डिबेंचर जमा (जेडआरडी) :

भारत सरकार द्वारा 2005 में दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (BBJ) के वित्तीय पुनर्गठन की स्वीकृत योजना के अनुसार, भारत सरकार के 3.88 करोड़ रुपये के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने, भारत सरकार के 10.00 करोड़ रुपये के ऋण पर बकाया ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित करने और भारत सरकार के 10.00 करोड़ रुपये के ऋण पर बकाया ब्याज को शून्य दर डिबेंचर (जेडआरडी) में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई। इस योजना के तहत, कंपनी 2007-08 से 0.50 करोड़ रुपये की समान वार्षिक किश्तों में शून्य दर डिबेंचर (जेडआरडी) का भुगतान कर रही है और 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

** केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट:

केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट मुख्य रूप से स्टॉक और बुक ऋणों के बंधक द्वारा सुरक्षित है और प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर और फिक्सचर और वाहनों सहित अचल संपत्तियों के बंधक और 22, ली रोड, कोलकाता - 700020 में कंपनी के फ्लैट के समतुल्य बंधक द्वारा संपार्श्विक रूप से सुरक्षित है। ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर 10.10% प्रति वर्ष है और मांग पर चुकाया जा सकता है।

17 प्रावधान

	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
गैर वर्तमान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
- ग्रेच्युटी	-	8.15
- अवकाश नकदीकरण	371.17	410.19
	371.17	418.34
वर्तमान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
- ग्रेच्युटी	16.76	15.90
- अवकाश नकदीकरण	64.32	25.62
	81.08	41.52

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

18 अन्य देनदारियां
गैर वर्तमान

 डिबेंचर जमा (जेडआरडी) का पुनर्गठन
 अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
29.87	48.33
4,084.63	4,086.95
4,114.50	4,135.28

वर्तमान

 वैधानिक बकाया
 डिबेंचर जमा (जेडआरडी) का पुनर्गठन
 ग्राहकों से अग्रिम
 अन्य वर्तमान देनदारियां

420.10	154.00
21.32	24.19
255.74	262.14
3,095.33	5,587.34
3,792.49	6,027.67

19 व्यापार देयताएं
गैर वर्तमान

 व्यापार देयताएं
 - सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया
 - सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)

31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
317.50	323.96
-	-
317.50	323.96

वर्तमान

 व्यापार देयताएं
 - सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया
 - सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)

710.51	499.00
-	-
710.51	499.00

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

19 व्यापार देय आयु

व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची

31 मार्च 2026 तक

भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया

क्र.सं.	विवरण	देय नहीं	बिल न की गई राशि	< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष	कुल
i)	एमएसएमई							-
ii)	अन्य	705.66			0.07		322.27	1,028.00
iii)	विवादित बकाया-							-
iv)	एमएसएमई							-
	विवादित बकाया-अन्य							-
	कुल	705.66	-	-	0.07	-	322.27	1,028.00

31 मार्च 2025 तक

भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया

क्र.सं.	विवरण	देय नहीं	बिल न की गई राशि	< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष	कुल
i)	एमएसएमई							-
ii)	अन्य			494.35			328.61	822.96
iii)	विवादित बकाया-							-
iv)	एमएसएमई							-
	विवादित बकाया-अन्य							-
	कुल	-	-	494.35	-	-	328.61	822.96

20 अन्य वित्तीय देनदारियां

गैर वर्तमान

व्यापार और सुरक्षा जमा

31 मार्च 2026 को

31 मार्च 2025 को

95.05	69.89
95.05	69.89

वर्तमान

कर्मचारी लाभ देय

भारत सरकार से उधार लेने पर अर्जित एवं देय ब्याज

डिबेंचर जमा (जेडआरडी) का पुनर्गठन

व्यापार और सुरक्षा जमा

देय अन्य

89.76

92.56

34,016.12

34,016.12

50.00

50.00

4,382.44

4,060.22

0.67

0.20

38,538.99

38,219.10

21 वर्तमान कर देनदारियां

वर्तमान कर देयताएं (अग्रिम कर के बाद)

31 मार्च 2026 को

31 मार्च 2025 को

-	90.98
-	90.98

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

22	परिचालन से राजस्व	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
	अनुबंधों से राजस्व	10,783.66	12,710.23
	(अनुबंधों से सकल राजस्व - 12,692.83 लाख रुपये (31 मार्च 2025 14,998.07 लाख रुपये)		
	अनुबंध परिसंपत्तियों में परिवर्तन	(764.36)	5,495.62
		10,019.30	18,205.85
	अन्य राजस्व:		
	-स्ट्रैप की बिक्री	32.48	70.74
		10,051.78	18,276.59
23	अन्य आय	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
	ब्याज आय		
	- बैंक और सुरक्षा जमा पर	1,421.60	1,245.64
	- बांड पर	4.95	4.69
	अन्य आय	72.13	45.18
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	43.32	4.67
	बी.जी. का नकदीकरण / एस.डी. और ई.एम.डी. की जब्ती	-	1.30
		1,542.00	1,301.48
24	उपभोग की गई सामग्री की लागत	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
	कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों का प्रारंभिक स्टॉक	595.05	669.76
	जोड़ें: वर्ष के दौरान खरीदारी	1,330.29	466.49
		1,925.34	1,136.25
	घटाएँ: कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों का अंतिम स्टॉक	495.43	595.05
		1,429.91	541.20
	जोड़ें: वर्ष के दौरान अन्य व्यय	29.81	14.82
		1,459.72	556.02
25	भंडार और प्रगतिधीन कार्य में परिवर्तन	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
	प्रगतिधीन कार्य		
	वर्ष की शुरुआत में भंडार	2,242.10	3,201.84
	घटाएँ: वर्ष के अंत में भंडार	2,157.39	2,242.10
	भंडार में (वृद्धि) / कमी	84.71	959.74

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

25अ उप-ठेका व्यय

	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
उप-ठेका व्यय	4,363.63	6,055.19
निर्माण कार्य व्यय	33.09	792.52
अनुबंध व्यय	510.68	3,031.36
	<u>4,907.40</u>	<u>9,879.07</u>

25ब भंडार, पुर्जों और फुटकर औजारों की खपत

	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
भंडार, पुर्जों और फुटकर औजारों की खपत	52.99	80.79
	<u>52.99</u>	<u>80.79</u>

26 कर्मचारी लाभ व्यय

	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी और बोनस	1,646.46	2,135.37
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	141.52	179.99
कर्मचारी कल्याण व्यय	39.09	35.61
	<u>1,827.07</u>	<u>2,350.97</u>

27 वित्त लागत

	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक ब्याज और कमीशन	58.44	50.84
	<u>58.44</u>	<u>50.84</u>

28 मूल्यहास और अधिमूल्यन व्यय

	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यहास	93.95	113.53
अधिमूल्यन	4.29	5.96
	<u>98.24</u>	<u>119.49</u>

29 अन्य खर्चे

	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन	4.68	6.77
संदिग्ध ऋणों, प्राप्य और अन्य के लिए भत्ता	339.09	583.57
बैंक शुल्क	13.66	11.00
कार किराये का शुल्क	63.44	61.21
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 42)	54.09	30.66

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

माल भाड़ा अग्रेषण	10.96	43.22
बीमा	63.87	118.81
कानूनी खर्च	105.29	72.73
सलहाकरी संस्था का शुल्क	96.26	85.05
विविध व्यय	69.12	72.37
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट 34) :		
ऑडिट फीस	0.80	0.80
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.25	0.25
अन्य	1.64	0.35
डाक, टेलीफोन और फैक्स	5.44	4.74
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	11.20	8.03
वेतन (अनुबंध)	88.91	83.40
प्लॉट और क्रेन किराया शुल्क	10.20	2.15
बिजली और ईंधन	59.99	119.81
दरें और कर	58.45	84.44
किराया	121.32	108.69
मरम्मत और रखरखाव:		
- इमारतें	0.01	0.01
- संयंत्र और मशीनरी	6.24	0.51
- अन्य	5.82	4.24
साइट स्थापना व्यय	3.05	-
सदस्यता और दान	1.86	8.22
परीक्षण शुल्क	7.26	12.86
बीजी का नकदीकरण/एसडी और ईएमडी की जब्ती	17.80	-
यात्रा खर्च	52.62	48.62
	1,273.32	1,572.51

30 कर व्यय

31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए

वर्तमान आयकर:

वर्तमान आयकर प्रभार	512.34	1,029.68
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन/क्रेडिट	10.21	-
कुल चालू कर	522.55	1,029.68

आस्थगित कर:

अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उलटाव से संबंधित	(87.43)	(80.67)
लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय	435.12	949.01

वर्ष के दौरान ओसीआई में विचारित वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर

वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	-	-
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
ओसीआई पर आयकर प्रभार	-	-

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

घरेलू कर दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ के साथ कर व्यय का मिलान:

आयकर से पहले लेखांकन लाभ	1,831.89	4,008.63
सांविधिक आयकर दर पर लेखांकन लाभ पर कर 25.17% (31 मार्च 2025: 25.17%)	461.09	1,008.97
आस्थगित कर के संबंध में समायोजन	(87.43)	(80.67)
कर प्रयोजन के लिए विचार न किए जाने वाले कर योग्य आय/व्यय की गणना में राशि	51.25	20.71
समायोज्य का कर प्रभाव	10.21	-
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन/क्रेडिट	435.12	949.01
लाभ और हानि के विवरण में कर व्यय की सूचना दी गई है		

31 आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएँ

विवरण	विवरण	31 मार्च 2025 तक
i) आकस्मिक देयताएं:		
- विवादित बिक्री कर मांग	88.10	88.10
- विवादित आयकर मांग	229.12	497.28
- विवादित सेवा कर मांग	154.45	154.45
- विवादित पीएफ मांग अपील के अधीन	54.14	54.14
- बैंक गारंटी	8,338.87	6,556.09
- विवादित वस्तु एवं सेवा कर मांग (TRAN 1 ब्याज) - बिहार	0.00	12.55
- जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए (वर्ष 2019-20) के बीच अंतर के कारण विवादित वस्तु एवं सेवा कर मांग - छत्तीसगढ़	0.00	5.15

** इसके अलावा, 320.80 लाख रुपये (31 मार्च 2025: 31.85 लाख रुपये) की आय कर से संबंधित विवादित ब्याज की मांग है, जो उपरोक्त विवादित आयकर मांग और ब्याज के खिलाफ है, कुछ मांगों को पिछले वर्षों के रिफंड के साथ समायोजित किया गया था।

*कंपनी कानूनी कार्यवाहियों और दावों के अधीन है, जो सामान्य व्यावसायिक क्रम में उत्पन्न हुए हैं, जिनमें कर अधिकारियों के समक्ष मुकदमेबाजी और ऊपर उल्लिखित मामले शामिल हैं। अनिश्चितताएँ और संभावित घटनाएँ, दावेदारों या कंपनी द्वारा, जैसा भी मामला हो, लागू की गई विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के परिणामों पर निर्भर करती हैं, और इसलिए इनका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कंपनी अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिष्ठित पेशेवर सलाहकारों को नियुक्त करती है और उसे सूचित किया गया है कि ऐसे विवादों के विरुद्ध उसकी कानूनी स्थिति मजबूत है। प्रबंधन का मानना है कि कार्यवाही के बचाव में उसके पास एक उचित मामला है और इसलिए किसी और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। अदालती मामलों का विस्तृत विवरण नोट 43 में दिया गया है।

32 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

अ) निम्नलिखित तालिका संबंधित पक्ष का नाम और कंपनी के साथ उसके संबंध की प्रकृति प्रदान करती है:

नाम	
कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि.)	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि.) 13 जुलाई 2025 तक	निदेशक (तकनीकी) - अतिरिक्त प्रभार
श्री सुजीत कुमार घोष	निदेशक (वित्त)
श्री नरेश कुमार 14 जुलाई 2025 से	निदेशक (तकनीकी)
श्री उदय भान सिंह	सरकारी नामित निदेशक

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ब) वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन का विवरण:

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च 2026 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 के लिए
i)	प्रबंध निदेशकों/पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक: -		
	निदेशक के रूप में वेतन और भत्ते	116.70	137.34
	निदेशक के रूप में भविष्य निधि में योगदान (वेतन और भत्ते में अवकाश नकदीकरण भुगतान शामिल है)	9.68	9.59
ii)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क और अन्य शुल्क	-	0.60

स) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें और नियम:

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन उन शर्तों के समतुल्य किए जाते हैं जो कि आर्म्स लेंथ लेनदेन में प्रचलित होती हैं।

33 खंड जानकारी

भारतीय मानक ब्यूरो (इंड एएस) 108 "परिचालन खंड" ("भारतीय मानक ब्यूरो (इंड एएस) 108") व्यावसायिक उद्यमों द्वारा परिचालन और भौगोलिक खंडों के बारे में जानकारी और उत्पादों एवं सेवाओं, भौगोलिक क्षेत्रों, तथा प्रमुख ग्राहकों से संबंधित प्रकटीकरणों की रिपोर्टिंग के तरीके के लिए मानक स्थापित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो (इंड एएस) 108 में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, परिचालन खंडों और भौगोलिक खंडों की रिपोर्टिंग मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) को प्रदान की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप होनी चाहिए। सीओडीएम कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और समग्र आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है। कंपनी मुख्य रूप से निर्माण सहित निर्माण व्यवसाय में लगी हुई है, जिसे भारतीय लेखा मानक - 108 के अनुसार 'परिचालन खंडों' पर एकमात्र रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंड माना जाता है। कंपनी भारत में परिचालन कर रही है जिसे एक एकल भौगोलिक खंड माना जाता है।

34 लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं:

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.80	0.80
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.25	0.25
अन्य	1.64	0.35
कुल	2.69	1.40

35 भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण

अ) ग्रेच्युटी

कंपनी अपने कर्मचारियों को एक निश्चित अंशदान योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करती है, जिसे "ग्रेच्युटी योजना" कहा जाता है। ग्रेच्युटी योजना के तहत, कम से कम पाँच वर्षों की निरंतर सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति के समय पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त करने का अधिकार है, जिसकी अधिकतम सीमा 20.00 लाख रुपये है।

कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से एक समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और एलआईसी द्वारा निर्धारित परिणामी देयता कंपनी द्वारा प्रति वर्ष चुकाई जाती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी का ग्रेच्युटी व्यय एलआईसी (फंड एडमिनिस्ट्रेटर) द्वारा निर्धारित 17.55 लाख रुपये (31 मार्च 2025 15.90 लाख रुपये) है।

एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार, निम्नलिखित तालिकाएँ तुलना पत्र पर ग्रेच्युटी फंड के विभिन्न घटकों का सारांश प्रस्तुत करती हैं:

दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक और अंतिम शेष का मिलान:

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
परिभाषित लाभ दायित्व आरंभिक शेष	449.84	542.89
वर्तमान सेवा लागत	15.66	18.22
पिछली सेवा लागत		
ब्याज लागत	32.61	39.36
भुगतान किए गए लाभ	(57.47)	(140.15)
बीमांकिक लाभ	2.91	(10.48)
अधिग्रहण समायोजन		
समापन शेष परिभाषित लाभ दायित्व	443.55	449.84
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:		
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	457.70	509.23
ब्याज आय	-	-
नियोक्ता योगदान	13.40	50.98
भुगतान किए गए लाभ	(57.47)	(140.15)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	33.89	37.64
माप अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	447.52	457.70

मान्यताएँ	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.25%	7.25%
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	7.60%-7.63%	7.67%-7.68%
मुआवजे में वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	5.75%-10.00%	5.50%-9.00%

ब) छुट्टी

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (मुआवजा अनुपस्थिति सहित) प्रदान करती है जो सालाना 30 दिनों की दर से अर्जित होता है। अर्जित अवकाश (ईएल) सेवा में रहते हुए नकदी योग्य है। हालांकि, सेवानिवृत्ति पर नकदी योग्य अवकाश की कुल संख्या 300 दिनों तक सीमित होगी। वित्तीय विवरण में वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 435.49 लाख रुपये (31 मार्च 2025: 435.81 लाख रुपये) का संचित प्रावधान किया गया है।

निम्नलिखित तालिकाएँ लाभ या हानि के विवरण में पहचाने गए शुद्ध लाभ व्यय के घटकों और बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशियों को सारांशित करती हैं: बाध्यता के वर्तमान मूल्य के शुरुआती और समापन शेष राशि का मिलान:

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्रारंभिक जमा	435.81	472.69
वर्तमान सेवा लागत	20.08	21.02
पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	27.74	26.61
भुगतान किए गए लाभ	(85.80)	(154.62)
बीमांकिक लाभ	37.66	70.11
अधिग्रहण समायोजन		
जमा शेष	435.49	435.81

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

उपार्जित अवकाश नकदीकरण	439.35	428.10
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता	439.35	428.10
वर्तमान प्रावधान	64.32	25.62
गैर वर्तमान प्रावधान	371.17	410.19
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
सेवा लागत	20.08	21.02
ब्याज लागत	27.74	26.61
पुनः माप लाभ/(हानि)		
जनसांख्यिकीय धारणा परिवर्तनों के कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	-
वित्तीय धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	-
अनुभव समायोजन के कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	37.66	70.11
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक (कम)	-	-
कुल लागत	85.48	117.74

मान्यताएँ	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.06%	6.73%
भविष्य में वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%

महत्वपूर्ण धारणा के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण और अनुमानित लाभ दायित्व पर प्रतिशत के संदर्भ में इसका प्रभाव निम्नानुसार है:

	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	
	छूट दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की वृद्धि का प्रभाव	-3.73%	3.96%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की कमी का प्रभाव	3.99%	-3.73%
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
	छूट दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की वृद्धि का प्रभाव	-4.02%	4.26%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की कमी का प्रभाव	4.31%	-4.01%

इन संवेदनशीलताओं की गणना अनुमानित लाभ दायित्व में परिवर्तन को अलग से दिखाने के लिए की गई है, तथा यह मानते हुए कि बाजार की स्थितियों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है।

36 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 26 अगस्त 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है जिसमें सिफारिश की गई है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपने ग्राहकों के साथ अपने पत्राचार में उद्यमी ज्ञापन संख्या का उल्लेख करना चाहिए, जैसा कि ज्ञापन दाखिल करने के बाद आवंटित किया गया था। तदनुसार, 31 मार्च 2026 तक ऐसे उद्यमों को देय राशि के संबंध में प्रकटीकरण कंपनी के पास प्राप्त और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर वित्तीय विवरणों में किया गया है। इसके अलावा प्रबंधन के मद्देनजर, ब्याज का प्रभाव, यदि कोई हो, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ('एमएसएमईडी अधिनियम') के प्रावधान के अनुसार देय हो सकता है, सामग्री होने की उम्मीद नहीं है। कंपनी को किसी भी आपूर्तिकर्ता से ब्याज के लिए कोई दावा नहीं मिला है।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विवरण		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज।	शून्य	शून्य
ख)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि;	शून्य	शून्य
ग)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई है) लेकिन इस एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	शून्य	शून्य
घ)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि; और	शून्य	शून्य
ड)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, आगामी वर्षों में भी देय और बकाया ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दी जाती।	शून्य	शून्य

37 प्रति शेयर आय

“मूल ईपीएस राशि की गणना इक्विटी धारकों को दिए जाने वाले वर्ष के लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

तनु ईपीएस राशि की गणना इक्विटी धारकों को दिए जाने वाले लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके और सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को जोड़कर की जाती है।”

निम्नलिखित तालिका प्रति शेयर मूल और तनु आय की गणना दर्शाती है:

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयर धारकों को देय वर्ष का लाभ	1,396.77	3,059.62
शेयर		
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या - मूल (संख्या में)	12,08,605	12,08,605
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या - तनुकृत (संख्या में)	12,08,605	12,08,605
प्रति शेयर आय		
सममूल्य ₹ 1000 प्रति शेयर आय – मूल (₹)	115.57	253.15
सममूल्य ₹ 1000 प्रति शेयर आय – तनुकृत (₹)	115.57	253.15

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

38 निष्पक्ष मूल्यांकन तकनीकें

कंपनी उपलब्ध सर्वोत्तम और सबसे प्रासंगिक आँकड़ों का उपयोग करके वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का मूल्यांकन करने के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ बनाए रखती है। परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यों को उस राशि में शामिल किया जाता है जो माप तिथि पर बाज़ार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त होगी या किसी देनदारी को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान की जाएगी। कुछ उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया:

- i) नकदी और जमा, व्यापार प्राप्य, व्यापार देयताएं और अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उनकी वहन राशि के लगभग बराबर होता है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्नलिखित तालिकाएं कंपनी की परिसंपत्ति और देनदारियों के उचित मूल्य माप पदानुक्रम प्रदान करती हैं, जिन्हें नीचे वर्णित अनुसार स्तर 1 से स्तर 3 में समूहीकृत किया गया है:

- i) समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)। इसमें सक्रिय बाज़ारों में कारोबार किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य शामिल होता है और यह तुलन पत्र की तिथि पर उद्धृत बाज़ार मूल्यों पर आधारित होता है।
- ii) स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा, वे इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात्, मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात्, मूल्यों से प्राप्त) (स्तर 2) अवलोकनीय हैं। इसमें उन वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य शामिल है जिनका किसी सक्रिय बाज़ार में कारोबार नहीं होता (उदाहरण के लिए, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव) और मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। ये मूल्यांकन तकनीकें अवलोकनीय बाज़ार आँकड़ों का अधिकतम उपयोग करती हैं जहाँ वे उपलब्ध हों और कंपनी-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करती हैं। यदि किसी उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।
- iii) परिसंपत्ति या देयता के लिए ऐसे इनपुट जो अवलोकनीय बाज़ार डेटा पर आधारित नहीं हैं (अर्थात्, अवलोकनीय नहीं इनपुट) (स्तर 3)। यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाज़ार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है।

विवरण	31 मार्च 2026 तक			31 मार्च 2025 तक		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्ति						
इक्विटी उपकरणों में निवेश		3,086.51	-	-	3,086.51	-
डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश		97.59	-	-	92.65	-
कुल वित्तीय संपत्ति		3,184.10	-	-	3,179.16	-
वित्तीय देनदारियां						
ऋण को शून्य दर डिबेंचर में परिवर्तित किया गया		163.43	-	-	192.11	-
कुल वित्तीय देनदारियां		163.43	-	-	192.11	-

31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, स्तर 1 और स्तर 2 के उचित मूल्य मापनों के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ और स्तर 3 के उचित मूल्य मापनों में और उससे बाहर कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। स्तर 3 के अंतर्गत कोई लेनदेन/शेष नहीं है।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

39 जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियाँ में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देय राशियाँ शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित और समर्थन प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में इन्वेंट्री, व्यापार और अन्य प्राप्य राशियाँ, नकदी और नकद समकक्ष, और वापसी योग्य जमा राशियाँ शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होती हैं।

क) बाज़ार जोखिम

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव हो सकता है। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्यतः कंपनी के अस्थिर ब्याज दरों वाले अल्पकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है।

कंपनी परिवर्तनशील दर उधारों के संतुलित पोर्टफोलियो के माध्यम से अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी किसी भी ब्याज दर स्वेप में प्रवेश नहीं करती है।

ब्याज दर संवेदनशीलता

निम्नलिखित तालिका प्रभावित ऋणों और उधारों के उस हिस्से पर ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। अन्य सभी चर स्थिर रहने पर, कंपनी का कर-पूर्व लाभ अस्थिर दर उधारों के प्रभाव से प्रभावित होता है, जो इस प्रकार है:

	ब्याज दर में वृद्धि/कमी
31 मार्च 2026	
भारतीय रुपया	+1%
भारतीय रुपया	
31 मार्च 2025	
भारतीय रुपया	+1%
भारतीय रुपया	

ख) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्ष किसी वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है, जिससे वित्तीय हानि होती है। ऋण जोखिम मुख्यतः उसकी परिचालन गतिविधियों (मुख्यतः व्यापारिक प्राप्य) और उसकी निवेश गतिविधियों, जिनमें बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय साधनों में जमा राशियाँ शामिल हैं, से उत्पन्न होता है।

ऋण जोखिम को उन ग्राहकों की ऋण सीमाओं और साख-योग्यता का निरंतर विश्लेषण करके नियंत्रित किया जाता है जिन्हें ऋण के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऋण प्रदान किया गया है। व्यापारिक प्राप्य राशियों से वसूली की निगरानी प्राप्य टीम द्वारा निरंतर आधार पर की जाती है।

कंपनी ऋण हानि के लिए एक भत्ता स्थापित करती है जो पिछले और हाल के वसूली रुझान के आधार पर व्यापारिक और अन्य प्राप्य राशियों के संबंध में अपेक्षित हानियों के उसके अनुमान को दर्शाता है। रिपोर्टिंग तिथि तक ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्यतः व्यापारिक प्राप्य राशियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से है। वर्ष के दौरान व्यापारिक प्राप्य राशियों के संबंध में ऋण हानि भत्ते में परिवर्तन इस प्रकार रहा:

ऋण हानि के लिए भत्ता	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
प्रारंभिक जमा	1,646.25	1,062.68
क्रेडिट हानि प्रदान की गई	339.09	583.57

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ऋण हानि वापसी	-	-
जमा शेष	1985.34	1,646.25

ग) तरलता जोखिम

कंपनी का उद्देश्य बैंक जमा और ऋण के उपयोग के माध्यम से वित्तपोषण की निरंतरता और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाए रखना है।

नीचे दी गई तालिका अनुबंधित अछूते भुगतानों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देनदारियाँ की परिपक्वता प्रोफाइल का सारांश प्रस्तुत करती है:

	अग्रेषित राशि	12 महीने से कम	12 महीने के बाद	कुल
31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए				
उधारी	264.62	50.00	214.62	264.62
व्यापार देयताएं	1,028.01	710.51	317.50	1,028.01
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	4617.92	4,522.87	95.05	4,617.92
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए				
उधारी	314.62	50.00	264.62	314.62
व्यापार देयताएं	822.96	499.00	323.96	822.96
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	4287.46	4,217.57	69.89	4,287.46

भारत सरकार का 6589.00 लाख रुपये का बकाया ऋण और उस पर 34016.13 लाख रुपये का संचित ब्याज वित्तीय देनदारियाँ में शामिल है, जो भारत सरकार द्वारा पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल के माध्यम से अपनी सहायक कंपनियों, बीपीएमईएल और डब्ल्यूआईएल को दिए गए थे। बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है और डब्ल्यूआईएल परिसमापन के बाद बंद हो गई है। चूंकि सहायक कंपनियों से उक्त ऋण और ब्याज की वसूली अनिश्चित है, इसलिए इसे वित्तीय देनदारियाँ की परिपक्वता प्रोफाइल में नहीं दिखाया गया है।

40 पूंजी प्रबंधन

कंपनी की नीति एक स्थिर पूंजी आधार बनाए रखने की है ताकि निवेशकों, लेनदारों और बाजार का विश्वास बना रहे और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। प्रबंधन नियोजित पूंजी पर प्रतिफल और ऋण-कुल इक्विटी अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करता है।

ऋण-कुल इक्विटी अनुपात के लिए, ऋण को दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार माना जाता है। कुल इक्विटी में जारी शेयर पूंजी और अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल होते हैं।

31 मार्च 2026, 31 मार्च 2025 तक पूंजी संरचना निम्नानुसार थी:

विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय कुल इक्विटी	27,162.44	26,377.59
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	99.04%	98.82%
वर्तमान परिपक्वता सहित दीर्घकालिक उधार	264.62	314.63
अल्पकालिक उधार	-	-
कुल उधार	264.62	314.63
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	0.96%	1.18%
कुल पूंजी (इक्विटी और उधार)	27427.06	26,692.22

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

41 इंड एस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुसार प्रकटीकरण

अ 1 अप्रैल, 2018 से, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 115 "'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'" को अपनाया है और निर्माण एवं सेवा गतिविधियों से प्राप्त राजस्व की पहचान "'समय के साथ'" पद्धति पर आधारित है। कंपनी वितरण की प्रगति को मापने के लिए प्रतिशत अनुपालन पद्धति का उपयोग करती है, जो कंपनी द्वारा पहले अपनाई गई नीति के अनुरूप है। कंपनी की वित्तीय स्थिति पर लेन-देन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व इस प्रकार है:-

व	विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
	परिचालन से राजस्व (अनुबंधों से सकल राजस्व - रु. 12,692.83 लाख (31 मार्च 2025-रु. 14,998.07 लाख)	10,783.66	12,710.23
	अनुबंध परिसंपत्तियों में परिवर्तन	(764.36)	5,495.62
	अन्य राजस्व	32.48	70.74
	कुल	10,051.78	18,276.59

42 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
क. वर्ष के दौरान व्यय राशि की आवश्यकता	54.09	30.66
ख. विगत वर्ष के दौरान राशि में कमी	-	-
ग. कुल (क+ख)	54.09	30.66
घ. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:		
- किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
- उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	54.09	30.66
कुल	54.09	30.66
कमी की राशि	-	-

क) 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:

विवरण	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया	कुल
किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	54.09	-	54.09

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ख) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

विवरण	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया	कुल
किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	30.66	-	30.66

ग) प्रमुख शीर्षों के तहत सीएसआर व्यय का विभाजन निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
1. स्वच्छ भारत कोष	-	-
2. स्वच्छ गंगा कोष	-	-
3. कौशल विकास प्रशिक्षण		
4. शिक्षा	-	-
5. स्वास्थ्य	-	-
6. सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष	-	-
7. ग्रामीण विकास परियोजना	10.00	
8. पीएम केयर्स फंड	44.09	30.66
कुल	54.09	30.66

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

43. अदालती मामलों का विवरण

31 मार्च 2026 तक बीबीजे/बीबीयूएनएल से संबंधित लंबित कानूनी मामलों (मध्यस्थता और अदालती मामलों) की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	ब्योरा	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
1.	बेदखली मुकदमा 1982 का सिविल मुकदमा (सी. एस.) संख्या - 482 हिंदुस्तान कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में मोदी बिल्डिंग लिमिटेड) - बनाम - बीबीजे के बीच	1982	संक्षेप में तथ्य: भवन मालिक - विगत स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स लिमिटेड (पीएसबीएल) बाद में नाम बदलकर मोदी बिल्डिंग लिमिटेड (अब हिंदुस्तान कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड) कर दिया गया, द्वारा बीबीजे को परिसर से जहां बीबीजे का प्रधान कार्यालय स्थित है, बेदखल करने के लिए जुलाई, 1982 में बेदखली का मामला दायर किया गया था।	बेदखली मुकदमा	लंबित	कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय (मूल पक्ष)।
2.	मनी सूट शीर्षक मुकदमा 2009 का टी. एस. संख्या 91 (2016 का टी. एस. संख्या 0001653) बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) - बनाम - जेसप एंड कंपनी लिमिटेड के बीच	2009	संक्षेप में तथ्य : यह मनी सूट बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) द्वारा जेसप एंड कंपनी लिमिटेड से सितंबर 01 से अगस्त 03 की अवधि की सेवा शुल्क राशि 82.71,520 रुपये जिसे कंपनी द्वारा 2005 में गलती से वापस कर दिया गया था, के साथ ब्याज, लागत आदि की वसूली के लिए 27.11.2009 को दायर किया गया था।	रु. 82.71 लाख	लंबित	माननीय प्रथम सिविल जज कोर्ट (सीनियर डिवीजन), अलीपुर, 24 परगना (द)

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	बयान	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष संबंधित
3(ए)	मध्यस्थता अपील 2010 का एपी संख्या - 738 बीबीजे - बनाम - मैसर्स सिवटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती) के बीच	2010	- संक्षेप में तथ्य: पूर्वी रेलवे की एक परियोजना से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता कार्यवाही एक मैसर्स सिवटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती) द्वारा प्रतिनिधित्व) और बीबीजे के बीच आयोजित की गई जो कि डेहरी-ऑन-सोन और मुगलसराय के बीच छह अलग-अलग स्थानों पर समग्र गडर के निर्माण के लिए थी। परियोजना वर्ष लगभग 1998 था। - एकल मध्यस्थ ने 14.09.2010 को प्रतिवादी - बीबीजे के खिलाफ दावेदार (मैसर्स सिवटेक) के पक्ष में निर्णय पारित किया (जिसे दिनांक 25.09.2010 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था)। पुरस्कार का कुल मूल्य रु. 17 लाख + ब्याज था। - इससे व्यथित होकर बीबीजे ने माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता (मूल पक्ष) के समक्ष दिनांक 14.09.2010 के उक्त मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देते हुए दिनांक 10.12.2010 को वर्तमान मध्यस्थता अपील दायर की।	17 लाख रु. + ब्याज	लंबित	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)।
3(बी)	निष्पादन मामला उच्च न्यायालय, कलकत्ता 2022 का ई.सी. संख्या 142 मैसर्स सिवटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती) - बनाम - बीबीजे के बीच	2022	- संक्षेप में तथ्य: 12 वर्ष बीत जाने के बाद, मैसर्स सिवटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती) द्वारा प्रतिनिधित्व) ने माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष) के समक्ष उपरोक्त मध्यस्थता निर्णय दिनांक 14.09.2010 को लागू करने के लिए बीबीजे के खिलाफ वर्तमान निष्पादन मामला दायर किया। दावा की गई कुल राशि 81 लाख रुपये है (जिसमें वर्तमान निष्पादन मामले को दायर करने की तारीख तक अर्जित ब्याज शामिल है)। - बीबीजे उपस्थिति के लिए नोटिस प्राप्त करने के बाद, बीबीजे के सॉलिसिटर और काउंसिल के माध्यम से कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विधिवत उपस्थित हुए और मामले का बचाव किया।	रु.81 लाख (अर्जित ब्याज सहित)	लंबित	कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय (मूल पक्ष)।
4.	मध्यस्थता अपील 2010 का एए नंबर - 1 (कुंवरी प्रथम ब्रीज अनुबंध मामला) एन.सी. रेलवे - बनाम - बीबीजे के बीच	2010	- संक्षेप में तथ्य: मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा 12.11.2008 को एक 'शून्य' दयता मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे ने विद्वान ग्वालियर जिला न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और मुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत उक्त फैसले को चुनौती दी। बीबीजे को कोई प्रति नहीं दी गई, इसलिए किसी को नियुक्त नहीं किया गया। - हालांकि उक्त न्यायालय ने उत्तर मध्य रेलवे के दावों को खारिज कर दिया और आदेश दिनांक 09.11.2009 पारित किया। - इससे व्यथित होकर उत्तर मध्य रेलवे ने माननीय एमपी उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ के समक्ष विद्वान जिला न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती दी।	शून्य देयता	लंबित	म. प्र. के माननीय उच्च न्यायालय, (ग्वालियर बेंच)

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	ब्योरा	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
5.	बिजली का मामला विद्युत प्रमाणपत्र मामला संख्या 01/13-14 बीएसईबी - बनाम - बीबीजे के बीच	2013	- संक्षेप में तथ्य : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) जिसे अब बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) कहा जाता है, ने गंगा ब्रिज परियोजना स्थल पर बिजली की आपूर्ति के एवज में बीबीजे से 54.36 लाख रुपये की अवैध मांग की। - बीएसईबी ने बीबीजे से 54.36 लाख रुपये की वसूली के लिए 2013-14 का यह इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट केस नंबर 1 दायर किया। - बी.बी.जे. को बी.एस.ई.बी. की उक्त जबरन कार्रवाई के खिलाफ माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 88881/2019) दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। दिनांक 08.12.2022 के आदेश द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय पटना ने बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) के दावे को रद्द कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 08.12.2022 के अनुसार बीबीजे अब मुंगेर, बिहार में वर्तमान बिजली मामले का निपटान करने के लिए कदम उठा रहा है।	रु. 54.36 लाख	लंबित	जिला नीलामी प्रमाण पत्र अधिकारी के विद्वान अदालत, मुंगेर, बिहार।



टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	व्याख्या	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
6.	अपील मामला 2014 का नियमित अपील सं. 129 (2014 का डायरी सं. 9046) ओएमडीसी - बनाम - - यूको बैंक - टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड - बीपीएमईएल (परिसमापन में) - सचिव, भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय - बीबीयूएल (अब बीबीजे) [यहां भारत संघ और बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूएल) प्रोफार्मा प्रतिवादी हैं] के बीच -	2014	- संक्षेप में तथ्य: यूको बैंक ने 04.11.2003 को संयुक्त रूप से, पृथक्-पृथक् रूप से और व्यक्तिगत रूप से बीपीएमईएल (परिसमापन में) से 1,92,12,957.92 रुपये और यूओआई से 2,16,13,312.35 रुपये का आदेश डीआरटी से प्राप्त किया था जो 08.05.1991 से वसूली तक "उपयुक्त प्रमाणित राशि" पर 19.5% के हिसाब से ब्याज सहित कुल 4,08,26,270 रुपये की राशि थी जिसे यूको बैंक द्वारा टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई थी। - ओडिशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी), आरआईएनएल की सहायक कंपनी ने पहले उड़ीसा राज्य में तीन खदानों का संचालन किया था और जब बीपीएमईएल को 14.10.1980 को सरकारी कंपनी, भारत सरकार के रूप में शामिल किया गया था तब बीपीएमईएल के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत खदानों को निहित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई। चूंकि ओएमडीसी उक्त खदानों का संचालन कर रहा था, इसलिए बीपीएमईएल ने एक मुद्दारानामा (पीओए) के माध्यम से ओएमडीसी को अपने सभी अधिकार और शीर्षक निहित कर दिए थे। - अब टीपीजी बीपीएमईएल का सुखित ऋणदाता होने के नाते, रिकवरी ऑफिसर से और उसके बाद पीठासीन अधिकारी, डीआरटी से उक्त खानों के ऋणों का दावा कर रहा है। - पीडित होने के कारण ओएमडीसी ने पी.ओ.डीआरटी-आई द्वारा पारित पहले के सभी आदेश दिनांक 08.06.2010 की समीक्षा/रद्द करने और टीपीजी को यूको बैंक के असाइनमेंट को रद्द करने के लिए डीआरटी के समक्ष 09.05.2014 को वर्तमान अपील दायर की, जहां भारत संघ और बीबीयूएल (अब बीबीजे) प्रोफार्मा प्रतिवादी हैं। - दिनांक 20.05.2026 के एक निर्णय द्वारा, डीआरटी कोलकाता ने इस आधार पर पूर्व निर्धारित अपील का निपटारा किया कि 2003 के लंबित आर.पी. सं. 142 में दिनांक 8.6.2010 के आदेशों और दिनांक 23.2.2012 के आदेश के खिलाफ दायर दोनों अपीलों 1994 के टी.ए. 216 से उत्पन्न और 2003 के आर.पी. केस नं. 142 की कार्यवाही को पहले ही डीआरटी-1, कोलकाता के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 9.12.2025 के आदेश द्वारा वापस ले लिया गया है, तदनुसार, दोनों अपील निष्फल हो गया और तदनुसार उनका निपटारा हो गया।	अपील मामला [बीपीएमईएल के खिलाफ यूको बैंक के बकाया राशि (परिसमापन के तहत) के संबंध में]	20.05.2026 दिनांक के निर्णय द्वारा निपटारा गया	विद्वान ऋण वसूली अपील की न्यायाधिकरण

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	बयौरा	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
7(ए)	मध्यस्थता अपील 2016 का ए.पी. संख्या 9 2016 का जीए संख्या: 120 इंडो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड - बनाम - बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल) के बीच	2016	- संक्षेप में तथ्य: जेसप एंड कंपनी लिमिटेड ("जेसप") इक्विटी की शेयरों और अन्य से संबंधित विवादों के लिए कंपनी और इंडो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड (आईडब्ल्यूईएल) के बीच मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की गई थी। - माननीय एकमात्र मध्यस्थ - न्यायमूर्ति आलोक चक्रवर्ती (सेवानिवृत्त) ने 11.09.2015 को बीबीयूएनएल के पक्ष में निर्णय पारित किया और आईडब्ल्यूईएल को ब्याज के साथ 41.02 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। - पीड़ित होकर आईडब्ल्यूईएल ने 04.01.2016 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.09.2015 के उक्त अंतिम मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देते हुए इस मध्यस्थता याचिका को दायर किया।	41.02 करोड़ रुपये + ब्याज	लंबित	कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय (मूल पक्ष)।
7(बी)	निष्पादन मामला 2018 का ई.सी. संख्या 458 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल) - बनाम - इंडो वैगन इंज. कंपनी लिमिटेड के बीच	2018	संक्षेप में तथ्य: उपरोक्त उल्लिखित अंतिम मध्यस्थता निर्णय दिनांक 11.09.2015 को बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) के पक्ष में पारित किया गया और आईडब्ल्यूईएल को ब्याज के साथ 41.02 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल) ने 41.02 करोड़ रुपये + ब्याज की वसूली के लिए 19.09.2018 को यह निष्पादन आवेदन दायर किया।	41.02 करोड़ रुपये + ब्याज	लंबित	कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय (मूल पक्ष)।
8.	मध्यस्थता अपील 2019 का मध्यस्थता अपील सं.2 (जोगीघोषा ब्रिज अनुबंध मामला) एन.एफ. रेलवे - बनाम - बीबीजे के बीच	2016	संक्षेप में तथ्य : मामला असम में निर्मित जोगीघोषा पुल से संबंधित है। 02.11.2010 को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय के अनुपालन में बी.बी.जे. के पक्ष में पारित किया गया। इससे व्यथित होकर एनएफ रेलवे ने गुवाहाटी के विद्वान जिला न्यायालय के समक्ष अंतिम मध्यस्थता निर्णय को चुनौती दी। 23.07.2014 को विद्वान जिला न्यायालय, कामरूप, गुवाहाटी ने एनएफ रेलवे के दावों को खारिज कर दिया। 351 दिनों की देरी के बाद एनएफ रेलवे ने माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान मध्यस्थता अपील 17.10.2015 को (02.02.2019 को स्वीकार किया गया) दायर की।	शून्य देयता	लंबित	माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, असम।



टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	व्याख्या	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
9.	सिविल अपील 2017 का पीपी अपील संख्या 6 (विक्टोरिया हाउस मामले) बीबीजे - बनाम - केओपीटी (अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन) के बीच	2017	संक्षेप में तथ्य: यह मामला सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेवखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(3) के प्रावधान के तहत केओपीटी द्वारा बीबीजे के खिलाफ 'विक्टोरिया वार्ड' में 01.04.1988 से 31.03.1989 तक अनधिकृत कब्जे के लिए 10,57,872/- रुपये के नुकसान के भुगतान के संबंध में एक दावे से संबंधित है। बीबीजे ने विभिन्न आधारों पर संपदा अधिकारी के समक्ष केओपीटी के दावे को चुनौती दी थी। दिनांक 08.03.2017 के एक विवादित आदेश द्वारा केओपीटी के विद्वान संपदा अधिकारी ने केओपीटी के दावों को बर्करार रखा। उक्त आदेश दिनांक 08.03.2017 से व्यथित होकर, बीबीजे ने 23.03.2017 को अलीपुर में विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष यह अपील दायर की। विद्वान जे एंडिशनल जिला न्यायाधीश ने दिनांक 22.06.2017 के एक आदेश द्वारा केओपीटी के संपदा अधिकारी के दिनांक 08.03.2017 के विवादित भुगतान आदेश पर रोक लगा दी और यह रोक अभी भी जारी है।	रु. 62.38 लाख 31.03.2026 तक ब्याज सहित	लंबित	जे एंडिशनल जिला न्यायाधीश के विद्वान न्यायालय, अलीपुर, दक्षिण 24 परगना।
10.	अपील मामला - 2021 का विविध आवेदन संख्या 04 (2012 का नियमित अपील संख्या 118) भारत संघ - बनाम - यूको बैंक और अन्य के बीच उत्तरदाता: 1. यूको बैंक 2. टीपीजी इन्विवेटी मैनेजमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड 3. बीपीएमईएल (एफिसिमापन में) 4. बीबीएसएल (अब बीबीजे)	2018	संक्षेप में तथ्य: इससे पहले भारत संघ (यूओआई) ने 01.08.2012 को वर्तमान अपील दायर की थी। 2012 का मामला सं.118 देखें। दूसरी ओर टीपीजी इन्विवेटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने बीपीएमईएल के शेयरों की कुर्की के आदेश को रद्द करने के लिए विद्वान पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, कोलकाता के दिनांक 23.02.2012 के आदेश के विरुद्ध 2012 का क्रॉस अपील सं.138 दायर की। हालांकि, उक्त आदेश में भारत संघ को अपनी देयता के निर्वहन में या किसी अन्य तरीके से बीपीएमईएल के शेयरों को टीपीजी इन्विवेटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को हस्तान्तरित करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।	अपील मामला	लंबित	विद्वान ऋण वसूली अपील न्यायाधिकरण।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	बयौरा	शामिल राशि (रु. में)	मापले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
11.	विशेष अनुमति याचिका (मध्यस्थता अपील मामला) 2020 का एएसएलपी (सी) संख्या 8221 (संदर्भ - 2019 के ए.पी. संख्या 69) (मनोहरपुर - बोंडामुंडा मध्यस्थता मामला) बीबीजे - बनाम - दक्षिण पूर्व रेलवे के बीच	2020	- संक्षेप में तथ्य: दक्षिण पूर्व रेलवे के खिलाफ बीबीजे के लगभग 7.34 करोड़ रुपये के वैध दावे के संबंध में विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, जो बीबीजे के अनुसार मध्यस्थ (ओ) की नियुक्ति के बाद बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। - बीबीजे द्वारा 16.03.2020 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक स्वतंत्र व्यक्ति की तत्काल नियुक्ति करने के लिए यह वर्तमान एएसएलपी दायर किया गया था ताकि विवाद का न्यायसंगत और निष्पक्ष रूप से न्याय किया जा सके।	7.34 करोड़ रुपये + ब्याज	लंबित	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय
12(ए)	निष्पादन का मामला ई. सी. नंबर 1/2022 बीबीजे - बनाम - पूर्व मध्य रेलवे एवं अन्यान्य के बीच	2022	- संक्षेप में तथ्य: मुासराय में 3400 'सी' श्रेणी और 10500 'बी' श्रेणी के अनलॉड करने योग्य बैगों की मरम्मत के लिए अनुबंध से अवैध समप्ति के लिए पूर्व मध्य रेलवे के खिलाफ बीबीजे के लगभग 40.77 करोड़ रुपये (+ 18% ब्याज) के वैध दावे के संबंध में विवाद - एकमात्र मध्यस्थ - माननीय श्री. न्यायमूर्ति धर्णीधर झा (सेवानिवृत्त) ने दिनांक 17.03.2021 को बीबीजे के पक्ष में अंतिम निर्णय पारित किया। माननीय एकमात्र मध्यस्थ ने बीबीजे के अधिकांश दावों को स्वीकार कर लिया और पूर्व मध्य रेलवे को बीबीजे को कुल 38,72,26,975.00 रुपये की निर्धारित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही कुल निर्धारित राशि पर निर्णय की तिथि से लेकर प्राप्ति तक 12.5% की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया। - दिनांक 17.03.2021 के अंतिम मध्यस्थता निर्णय निष्पादित किया गया है और पूर्व मध्य रेलवे को पटना सदर, बिहार के विद्वान जिला न्यायाधीश-सह-वाणिज्यिक न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए बीबीजे को 58,08,40,462.00 रुपये (ब्याज सहित) का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। - दिनांक 17.04.2026 को अंतिम आदेश द्वारा वर्तमान निष्पादन मामले का निपटारा पटना सदर, बिहार में विद्वान जिला न्यायाधीश-सह-वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा किया गया है।	58.08 करोड़ रुपये	दिनांक 17.04.2026 के अंतिम आदेश द्वारा निपटारा गया	विद्वान जिला न्यायाधीश - सह - वाणिज्यिक न्यायालय, पटना सदर, बिहार



टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	ब्योरा	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
12(बी)	मध्यस्थता अपील 2021 का सिविल विविध मामला सं.45 पूर्व मध्य रेलवे और अन्य - बनाम - बीबीजे के बीच	2021	- संक्षेप में तथ्य: मुगलसराय में 3400 'सी' श्रेणी और 10500 'बी' श्रेणी के अनलोड करने योग्य वैगों की मरम्मत के लिए अनुबंध से अवैध समाप्ति के लिए पूर्व मध्य रेलवे के खिलाफ बीबीजे के लगभग 40.77 करोड़ रुपये (+ 18% ब्याज) के वैध दावे के संबंध में विवाद - एकमात्र मध्यस्थ - माननीय श्री. न्यायमूर्ति धर्णीधर झा (सेवानिवृत्त) ने दिनांक 17.03.2021 को बीबीजे के पक्ष में अंतिम निर्णय पारित किया। माननीय एकमात्र मध्यस्थ ने बीबीजे के अधिकांश दावों को स्वीकार कर लिया और पूर्व मध्य रेलवे को बीबीजे को कुल 38,72,26,975.00 रुपये की कुल निर्धारित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही कुल निर्धारित राशि पर निर्णय की तिथि से लेकर प्राप्ति तक 12.5% की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया। 08.07.2021 को पूर्व मध्य रेलवे ने वर्तमान मध्यस्थता अपील 2021 का सिविल विविध मामला संख्या 45) वैशाली, बिहार के विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष उपर्युक्त मध्यस्थता निर्णय दिनांक 17.03.2021 को चुनौती देते हुए दायर की। - बीबीजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और उसी का विरोध कर रहा है।	38.72 करोड़ रुपये + 12.5% की दर से ब्याज	लंबित	बिहार के वैशाल में विद्वान 15वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	व्योरा	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
13.	कर्मचारी भविष्य निधि मामला (संदर्भ: 2016 का अपील सं. ईपीएफ - 09) बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल) - बनाम - सहायक भविष्य निधि आयुक्त, आर.ओ., कोलकाता के बीच	2023	- संश्लेष में तथ्य: एपीएफसी, आर.ओ., कोलकाता ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14 (बी) और 7 (क्यू) के तहत कुल मिलाकर रु. 96,09,773/- के लिए नुकसान का दावा किया है। कई सुनवाई के बाद एपीएफसी, आर.ओ., कोलकाता ने उक्त अधिनियम की धारा 14(बी) के तहत उपरोक्त क्षति के लिए 66,43,791/- रुपये जमा करने के लिए दिनांक 15.02.2016/- के आदेश के माध्यम से फिर से निर्देश दिया। - केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोलकाता (सीजीआईटी) के दिनांक 21.06.2023 के आदेश द्वारा, सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कोलकाता द्वारा जारी दिनांक 15.02.2016 के आदेश को रद्द करते हुए मामले का निपटारा किया गया, जिसमें बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14(बी) के तहत नुकसान के रूप में 66,43,791 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश दिनांक 21.06.2023 द्वारा, सीजीआईटी ने विभागीय परिपत्रों पर विचार करने के बाद और बीबीजे को सुनवाई का अवसर देकर एक नया आदेश पारित करने के लिए सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कोलकाता को भी मामला भेजा। - तदनुसार, सहायक भविष्य निधि आयुक्त - श्री अजय कुमार सिंह, ई.पी.एफ.ओ., कोलकाता ने 27.12.2023, 17.01.2024, 12.02.2024 और 21.02.2024 को बी.बी.जे. को सुना। उक्त सुनवाई में बीबीजे ने प्रस्तुत किया है कि बीबीजे ने कभी भी भविष्य निधि अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है और ईपीएफ.ओ. द्वारा बीबीजे पर लगाया गया जुर्माना गलत और गैरकानूनी है। मामला अभी भी लंबित है और आज तक ईपीएफ.ओ., कोलकाता द्वारा कोई और तारीख तय नहीं की गई है। 20.05.2026 को सहायक भविष्य निधि आयुक्त-II - श्री. बासुकी चरण, ई.पी.एफ.ओ., कोलकाता ने फिर से 25.05.2026 को उनके समक्ष पेश होने के निर्देश के साथ एक समन जारी किया और बी.बी.जे. ने उनके सामने पेश होकर सुनवाई के लिए समय मांगा।	96.09 लाख	लंबित	श्री. बासुकी चरण क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II, ईपीएफ.ओ., कोलकाता।



टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	बयौरा	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
14.	मध्यस्थता कार्यवाही (2022 का संदर्भ - ओ.एम.पी. (टी) (कॉम. 73) (जौनपुर परियोजना मामला) बीबीजे - बनाम - उत्तरी रेलवे के बीच	2023	- संक्षेप में तथ्य : विवाद जौनपुर के निकट लखनऊ - जफराबाद खंड में उत्तर रेलवे की परियोजना से संबंधित है। - बीबीजे ने मामले को तटस्थ रूप से न्याय के निर्णय करने के लिए पिछले मध्यस्थ न्यायाधिकरण को औपचारिक रूप से समाप्त करने और नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष वर्तमान मध्यस्थता याचिका दायर की। 20.12.2023 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माननीय एकमात्र मध्यस्थ सुश्री न्यायमूर्ति दीपा शर्मा (सेवानिवृत्त) को इस मामले में एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। 22.01.2024 को माननीय एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष बीबीजे - बनाम - उत्तर रेलवे के बीच वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही की पहली बैठक।	5.35 करोड़ रु. + ब्याज	लंबित	एकमात्र मध्यस्थ - माननीय एकमात्र मध्यस्थ सुश्री. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपा शर्मा
15.	निष्पादन मामला (गौबान परियोजना मध्यस्थता मामला) 2025 का ईसी-कॉम नंबर 159 2023 का ई.सी. संख्या 470 परामर्शदाता कन्साइन प्राइवेट लिमिटेड - बनाम - बीबीजे के बीच	2023	- संक्षेप में तथ्य : विद्वान एकमात्र मध्यस्थ - न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग (सेवानिवृत्त) ने 20.05.2023 को अंतिम मध्यस्थता निर्णय पारित किया, जिसमें सीसीपीएल और बीबीजे को कुछ राशि की अनुमति दी गई। 16.11.2023 को सीसीपीएल ने 20.05.2023 के अंतिम मध्यस्थता निर्णय को लागू करने के लिए बीबीजे के खिलाफ वर्तमान निष्पादन मामला दायर किया। - बीबीजे उपस्थित हुआ और अब सीसीपीएल द्वारा दायर अप्रोक्त निष्पादन मामले में प्रतिवाद कर रहा है। - इस बीच बीबीजे ने 20.05.2024 को मध्यस्थता निर्णय का अनुपालन किया था। - वर्तमान में सीसीपीएल मूल निर्णय राशि पर ब्याज के लिए बीबीजे के खिलाफ अप्रोक्त निष्पादन मामले का प्रतिवाद कर रहा है। बीबीजे ने सीसीपीएल के दावों का विरोध किया।	रु. 42.21 लाख	लंबित	कलकत्ता (मूल पक्ष), वाणिज्यिक प्रभाग में माननीय उच्च न्यायालय।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	व्योरा	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
16.	ग्रेच्युटी दावा मामले (3 संख्या) 1) श्री मधु चक्रवर्ती 2) श्री समीर दासगुप्ता और 3) श्री अमित कुमार मित्रा - बनाम - बीबीजे के बीच	2024	संक्षेप में तथ्य: बीबीजे के तीन पूर्व कर्मचारियों अर्थात् 1) श्री मधु चक्रवर्ती (1,53,678 रुपये की अतिरिक्त ग्रेच्युटी का दावा किया), 2) श्री समीर दासगुप्ता (1,58,558 रुपये की अतिरिक्त ग्रेच्युटी का दावा किया) और 3) श्री अमित कुमार मित्रा (1,19,615 रुपये की अतिरिक्त ग्रेच्युटी का दावा किया) ने बीबीजे से सेवानिवृत्ति पर अपने अंतिम देय राशि (ग्रेच्युटी राशि सहित) प्राप्त करने के बाद भी तीन अलग-अलग रिट याचिकाएं (2023 का डब्ल्यूपीए सं. 22075, 2023 का डब्ल्यूपीए सं. 22085 और 2023 का डब्ल्यूपीए सं. 22088) कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समूह-डी श्रेणी के कर्मचारियों (89 दिनों की अवधि के लिए) विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर बीबीजे द्वारा नियोजित) के रूप में उनकी सेवाओं के लिए ग्रेच्युटी के उक्त बकाये का दावा करते हुए दायर कीं। - बीबीजे ने उपरोक्त तीन रिट याचिकाओं से निपटने के लिए माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के समक्ष श्री कमल कुमार चट्टोपाध्याय, अधिवक्ता को नियुक्त किया। दिनांक 04.12.2023 का अनुमोदित नोट शीट की एक प्रति रखी गई है। - दिनांक 13.03.2024 के आदेश द्वारा माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तीन रिट याचिकाओं का निपटारा बीबीजे के पक्ष में किया और उपरोक्त तीन पूर्व कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत निबंधन प्राधिकारी के समक्ष अन्य प्रभावी वैकल्पिक उपाय करने का निर्देश दिया। 02.04.2024 को उपरोक्त तीन पूर्व कर्मचारियों ने बीबीजे को अलग-अलग तीन फॉर्म-1 (ग्रेच्युटी के लिए आवेदन) दाखिल किए। पूर्व कर्मचारियों के उक्त तीन दावों का जवाब मुख्य प्रबंधक (मा.सं.प्रब.) द्वारा विधिवत दिया गया था। 30.08.2024 को निबंधन प्राधिकारी और सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) - 1, कोलकाता के समक्ष उपस्थिति के लिए 26.08.2024 को बीबीजे को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत तीन नोटिस प्राप्त हुए। - बीबीजे वकील के माध्यम से उपस्थित हुआ और सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष तीन ग्रेच्युटी मामलों पर प्रतिवाद कर रहा है।	रु. 4.31 लाख + ब्याज	लंबित	सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) - 1, कोलकाता।



टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	व्योरा	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
17.	रिट याचिका (सेवा मामला) 2024 का डब्ल्यूपीए 5789 बीबीजे - बनारस - 1. पश्चिम बंगाल राज्य, 2. श्री तरुण घोषाल के बीच	2024	- संक्षेप में तथ्य : श्री तरुण घोषाल को 08.07.1996 से "नौट्टी ऑपरेटर" के पद पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बीबीजे के दिनांक 06.05.2000 के नोटिस द्वारा श्री तरुण घोषाल की सेवा समाप्त कर दी गई। उक्त समाप्ति के खिलाफ श्री तरुण घोषाल ने उप सचिव, प. बंग. सरकार के समक्ष दिनांक 28.03.2001 को शिकायत पत्र दायर की। - मामले को श्रम आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार को हस्तान्तरित कर दिया गया और अंत में प्रथम औद्योगिक न्यायाधिकरण, पश्चिम बंगाल को हस्तान्तरित कर दिया गया। 19.12.2023 को प्रथम औद्योगिक न्यायाधिकरण, पश्चिम बंगाल ने श्री तरुण घोषाल की समाप्ति को अनुचित और कानून में बुरा मानते हुए अंतिम आदेश पारित किया और बीबीजे के प्रबंधन को पूर्ण पिछला वेतन के साथ कामगार को बहाल करने और यदि वह सेवानिवृत्ति की आयु को प्राप्त नहीं करता है तो बहाल करने की तारीख से लाभ देने का निर्देश दिया गया था। - इससे व्यथित होकर, बीबीजे ने माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के समक्ष दिनांक 19.12.2023 के आदेश के खिलाफ वर्तमान रिट याचिका दायर की है।	सेवा का मामला	लंबित	कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय (अपीलीय पक्ष)
18.	मध्यस्थता याचिका (पूर्व मध्य रेलवे की गंडक परियोजना) 2025 का अनुरोध मामला संख्या 19 बीबीजे - बनारस - पूर्व मध्य रेलवे के बीच	2025	- संक्षेप में तथ्य: यह मामला पूर्व मध्य रेलवे की गंडक परियोजना से संबंधित है। बीबीजे ने परियोजना पूरी कर ली है लेकिन आज तक पूर्व मध्य रेलवे बीबीजे की कुल बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा है जो 8.83 करोड़ रुपये है और साथ ही 18% प्रति वर्ष की दर से मुआवजा भी दिया गया है। - वर्तमान याचिका बीबीजे द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्वतंत्र व्यक्ति को मध्यस्थता के रूप में तत्काल नियुक्ति के लिए दायर की गई है ताकि विवाद का न्यायसंगत और निष्पक्ष रूप से न्याय किया जा सके।	8.83 करोड़ रुपये और 18% प्रति वर्ष की दर से मुआवजा।	लंबित	पटना, बिहार में माननीय उच्च न्यायालय

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	व्योरा	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
19.	मध्यस्थता अपील धारा 34 के तहत याचिका (सियालदाह, हावड़ा, आसनसोल और मालदा डिवीजन की परियोजना)	2021	- संक्षेप में तथ्य: पूर्वी रेलवे के सियालदाह, हावड़ा, आसनसोल और मालदा डिवीजन के परियोजना में 36 पुलों के निर्माण के दौरान उत्पन्न विवादों के लिए पूर्वी रेलवे के खिलाफ बीबीजे द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही दायर की गई थी। - बीबीजे के अन्य दावों के अलावा, पूर्वी रेलवे के खिलाफ बीबीजे का लगभग 1.20 करोड़ रुपये का एक बड़ा दावा है और अन्य दावे भी हैं जिन पर मध्यस्थता में निर्णय लेने की आवश्यकता है। - दिनांक 07.04.2021 के एक आदेश द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने श्री न्यायमूर्ति इंद्रजीत चटर्जी (सेवानिवृत्त) को बीबीजे और पूर्वी रेलवे के बीच विवादों और मतभेदों का न्यायनिर्णय करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। 01.03.2022 को विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने 28.02.2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उत्तरदायी - पूर्वी रेलवे को दावेदार - बीबीजे को 1,12,75,117.67 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। 20.05.2022 को उत्तरदायी - पूर्वी रेलवे ने 1,12,75,117.67 रुपये की राशि बीबीजे को भुगतान किया। - शेष बी.बी.जे. के 12.46 करोड़ रुपये के दावे और 18% प्रति वर्ष की दर से आगे का मुआवजा तथा पूर्वी रेलवे के 3.63 करोड़ रुपये के प्रतिदावा। - विद्वान एकमात्र मध्यस्थ - न्यायमूर्ति इंद्रजीत चटर्जी (सेवानिवृत्त) ने बीबीजे और पूर्वी रेलवे दोनों के तर्कों को सुनने के बाद 16.07.2025 को 'शून्य' अंतिम मध्यस्थता निर्णय पारित किया (प्रति रखाई गई है) जिसमें मध्यस्थ ने बीबीजे और पूर्वी रेलवे के सभी दावों को खारिज कर दिया (अंतरिम आदेश दिनांक 01.03.2022 में स्वीकार किए गए बीबीजे के दावों को छोड़कर जिसमें पूर्वी रेलवे द्वारा बीबीजे को 1,12,75,117.67 रुपये का भुगतान किया गया था)।	12.46 करोड़ रुपये + ब्याज	लंबित	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (वाणिज्यिक प्रभाग) (मूल पक्ष)
	2025 का ए.पी. (कॉम) संख्या 843					
	बीबीजे - बनाम - पूर्वी रेलवे और अन्य के बीच					

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	व्याख्या	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
20.	फिट याचिका (अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गुब्बो रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे की परियोजना) 2025 का डब्ल्यूपी संख्या 15367 एसीआरसीपीएल (जेबी) - बनाम - 1. भारतीय संघ (दक्षिण पश्चिम रेलवे के मंडल प्रबंधक के माध्यम से), 2. दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्य परियोजना प्रबंधक 3. बीबीजे के बीच	2025	- संक्षेप में तथ्य: बीबीजे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गुब्बो रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे के टेंडर में भाग लिया है। स्वीकृति पत्र दिनांक 27.05.2025 द्वारा उक्त निविदा में बीबीजे का चयन किया गया है। - दिनांक 14.06.2025 के एक आंतरिक पत्र (प्रति रखी गई है) द्वारा दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बीबीजे को सूचित किया कि एक असफल बोली लगाने वाले - ए.सी. आर.सी.पी.एल. (जे.बी.) ने एक फिट याचिका (2025 का डब्ल्यूपी संख्या 15367) भारत संघ और अन्य के खिलाफ (जहां बीबीजे को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में शामिल किया गया है) दायर की है (मामले की स्थिति की प्रति रखी गई है)। इसके अलावा, माननीय कर्नल उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.06.2025 के आदेश (प्रतिनिधि रखी गई है) द्वारा दक्षिण पश्चिम रेलवे के वकील को 18.06.2025 को अधिवक्ता के माध्यम से उक्त फिट याचिका में उपस्थित होने के लिए बीबीजे को सूचित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, बीबीजे इस मामले में उपस्थित हुआ और अपना लिखित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।	दक्षिण पश्चिम रेलवे की निविदा प्रक्रिया के खिलाफ फिट याचिका दायर की गई	लंबित	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
21(ए)	मध्यस्थता अपील 2025 का एआरपीएलडी संख्या 263 (2022 के मध्यस्थता अपील मामला संख्या 30 से उत्पन्न) (चंबल प्रथम ब्रिज अनुबंध मामला) एन.सी. रेलवे - बनाम - बीबीजे के बीच	2025	संक्षेप में तथ्य: दिनांक 31.10.2008 को 'शून्य' देयता मध्यस्थता निर्णय बी.बी. जे. के पक्ष में पारित किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (2017 का विविध सिविल केस नं. 858) के तहत 17.11.2017 को जिला न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के विद्वान न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय को चुनौती दी। बाद में मामला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक न्यायालय की विद्वान अदालत में हस्तान्तरित कर दिया गया। जिला न्यायालय, इलाहाबाद के विद्वान न्यायालय के समक्ष उक्त मध्यस्थता अपील को इलाहाबाद के वाणिज्यिक न्यायालय के विद्वान न्यायालय में हस्तान्तरित कर दिया गया था। 23.09.2025 को इलाहाबाद के वाणिज्यिक न्यायालय के विद्वान न्यायालय ने उत्तर मध्य रेलवे के आवेदन को खारिज कर दिया। उक्त बर्खास्तगी आदेश दिनांक 23.09.2025 के विरुद्ध, उत्तर मध्य रेलवे ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष यह वर्तमान मध्यस्थता अपील दायर की।	9.68 करोड़ रुपये	लंबित	माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	व्योरा	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
21(बी)	मध्यस्थता अपील 2025 का एआरपीएल संख्या 354 (2018 का मध्यस्थता मामला संख्या 21 से उत्पन्न) (चंबल दूसरा ब्रिज अनुबंध मामला) एन.सी. रेलवे - बनाम - बीबीजे के बीच	2025	संक्षेप में तथ्य : 07.04.2015 को शून्य देयता मध्यस्थता निर्णय बीबीजे के पक्ष में पारित किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (2018 का मध्यस्थता मामला संख्या - 21) के तहत 10.07.2018 को जिला न्यायालय, इलाहाबाद के विद्वान न्यायालय के समक्ष उक्त मध्यस्थता दी। जिला न्यायालय, इलाहाबाद के विद्वान न्यायालय के समक्ष उक्त मध्यस्थता अपील को इलाहाबाद के वाणिज्यिक न्यायालय के विद्वान न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया गया था। 23.09.2025 को इलाहाबाद के वाणिज्यिक न्यायालय के विद्वान न्यायालय ने उत्तर मध्य रेलवे के आवेदन को खारिज कर दिया। उक्त बर्खास्तगी आदेश दिनांक 23.09.2025 के विरुद्ध, उत्तर मध्य रेलवे ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष यह वर्तमान मध्यस्थता अपील दायर की।	5.90 करोड़ रुपये	लंबित	माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
22.	मध्यस्थता कार्यवाही (एनईआरएसडीएस के तहत परियोजना) कारिडस इंफ्रा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड - बनाम - 1. मणिपुर जनजातीय विकास निगम, 2. बीबीजे 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमओडीओएनईआर) के बीच	2025	- संक्षेप में तथ्य: माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2025 [मध्यस्थता याचिका संख्या 1313/2025 में] द्वारा वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही में बीबीजे को उत्तरदाता संख्या 2 के रूप में जोड़ा गया है। कारिडस ने एनईआरएसडीएस के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क और पुलों के विकास के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार के रूप में अपने काम के लिए एमटीडीसी के खिलाफ 7.93 करोड़ रुपये के बिलों का भुगतान न करने के लिए यह मध्यस्थता दायर की। - बीबीजे उपस्थित हुआ और इस प्रक्रिया में एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा कि बीबीजे इस परियोजना के संबंध में मध्यस्थता का पार्टी नहीं है जहां कैरिडस शामिल था।	7.93 करोड़ रु. + ब्याज	लंबित	एकमात्र मध्यस्थ - ब्रिगेडियर संदीप त्रात्रा (सेवानिवृत्त)



टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	बयान	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
23.	सिविल मुकदमा (आगरा-पलवाल आरओबी परियोजना) 2025 का सिविल मुकदमा (सी.एस.) सं. 835 श्री शेरा @ शेर सिंह - बनाम - 1. हरियाणा राज्य सड़क एवं सेतु विकास निगम लिमिटेड, 2. जिला कलेक्टर, पलवाल के माध्यम से हरियाणा राज्य 3. क्रिएटिव मिनेरल इंडिया प्रा. लिमिटेड, 4. बीबीजे के बीच	2025	बयान - संक्षेप में तथ्य: श्री शेरा @ शेर सिंह का घर दिल्ली से आगरा के रेलवे लाइन के पास, रेलवे क्रासिंग के पास, बंचारी से दोकोरा रोड से सटी हुई भूमि पर है। यह संपत्ति आगरा-पलवाल रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) परियोजना के क्षेत्र में स्थित है। - श्री शेरा का दावा है कि किसी भी प्राधिकारी ने उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया है और उनकी जमीन का अधिग्रहण करने के लिए कभी भी कोई नोटिस प्रकाशित नहीं किया गया है या कोई राजपत्र अधिसूचना शुरू नहीं की गई है। अब श्री शेरा ने अपनी याचिका में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की है, जिससे प्रतिवादियों को उनकी भूमि का अधिग्रहण किए बिना और उन्हें किसी भी तरह से मुआवजा राशि का भुगतान किए बिना उनकी भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण/आरओबी को बनाने से रोका जा सके। - बीबीजे को 31.12.2025 को कोर्ट का समन प्राप्त हुआ और वह 21.01.2026 को कोर्ट की सुनवाई के समक्ष उपस्थित हुआ। - दिनांक 21.01.2026 के एक आदेश द्वारा, विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), होडल, हरियाणा ने श्री शेरा की भूमि के संबंध में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया।	शून्य	लंबित	विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), होडल, हरियाणा

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	बय़रा	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
24.	समझौता कार्यवाही (एनसी रेलवे की आरओबी परियोजना एनसी-476) बीबीजे - बनारस- उत्तर मध्य रेलवे के बीच	2025	- संक्षेप में तथ्य: एलओए दिनांक 04.11.2024 के संदर्भ में, बीबीजे को उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) द्वारा "झाँसी डिवाजन: बादा-माणिकपुर खंड में किमी 1351/8-9 पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 476 के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण" के कार्य के लिए 40.46 करोड़ रुपये के कुल अनुबंध मूल्य के लिए अनुबंध किया गया था, जिसे एलओए जारी करने की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित है। - एलओए में निर्धारित शर्तों के अनुसार, बीबीजे ने 21,74,600.00 रुपये की बयाना राशि (बाद में एनसीआर द्वारा सुरक्षा जमा में परिवर्तित) जमा किया, बीबीजे के दिनांक 13.08.2024 के पत्र देखें और 2,02,30,627.04 रुपये के परफॉर्मंस बैंक गारंटी जमा किया, बीबीजे के दिनांक 16.11.2024 के पत्र देखें। - एनसीआर प्राधिकरण न केवल एनसीआर के पारस्परिक संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है, बल्कि बीबीजे को काम की प्रगति के लिए कोई अवसर भी नहीं दिया है। बल्कि एनसीआर प्राधिकरण ने मनमाने ढंग से अनुबंध की समयपूर्व समाप्ति का सहारा लिया है। एनसीआर ने बीबीजे द्वारा सामना की गई ऐसी कठिनाइयों/समस्याओं पर ध्यान दिए बिना सबसे कठोर, मनमाने और अनुचित तरीके से अनुबंध को समाप्त करने की धमकी के चार (4) 7 दिनों के नोटिस जारी किया। - जीसीसी, 2022 के खंड 62 के तहत एनसीआर की शक्ति और अंततः खंड 62 के तहत दिनांक 11.08.2025 की 48 घंटे की सूचना जारी करने के बाद, एनसीआर ने अनुबंध को जल्दबाजी में समाप्त कर दिया। समाप्ति नोटिस दिनांक 14.08.2025 देखें। - कि. 22.08.2025 को 21,74,600 रुपये का उपरोक्त उल्लिखित ईएमडी/एसडी और 2,02,30,627.04 रुपये का पीबीजी, बीबीजे के बैंक खाते से एनसीआर द्वारा अवैध रूप से जब्त और नकदीकृत किया गया था। - कोई और रास्ता न मिलने पर बीबीजे ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत प्रयागराज में विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष एक मामला (2025 का सिविल विविध मध्यस्थता आवेदन संख्या 25) दायर किया। - बीबीजे ने विवादों को हल करने के लिए जीसीसी 2022 के खंड 63 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एनसीआर को 19.09.2025 को एक सुलह नोटिस भी जारी की। - दिनांक 07.10.2025 के आदेश द्वारा, प्रयागराज में विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने बीबीजे द्वारा दायर धारा 9 के तहत मामले को खारिज कर दिया। - दिनांक 13.10.2025 के एक पत्र द्वारा एनसीआर ने श्री संतोष कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता/निर्माण मुख्यालय, एनसीआर/मुख्यालय/प्रयागराज को "एकमात्र सुलहकर्ता" के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया और बीबीजे को बीबीजे के विवादों/दावों का विवरण एकमात्र सुलहकर्ता के पास प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।	22.28 करोड़ रुपये + वास्तविक लागत के अनुसार अन्य दावे	लंबित	विद्वान एकमात्र सुलहकर्ता - श्री संतोष कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता/निर्माण/मुख्यालय, एनसीआर/मुख्यालय/प्रयागराज।



टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	ब्योरा	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष लंबित
25.	रिट याचिका (ताकेश्वर परियोजना मामले) 2026 का डब्ल्यूपीए संख्या 3307 बीबीजे - बनाम - पूर्वी रेलवे के बीच	2026	• संक्षेप में तथ्य: वर्तमान न्यायालय का मामला "पूर्वी रेलवे के अंतर्गत हावड़ा डिवीजन में एलसी संख्या 23ए को हटाने के संबंध में शेवड़ाफुली ताकेश्वर (एसएचई-टीएके) लाइन में बहिरखंड-ताकेश्वर के बीच 34/4-5 किलोमीटर की लंबाई वाले आरओबी के निर्माण और अन्य सहायक कार्यों से उत्पन्न विवादों से संबंधित है" (स्वीकृति पत्र संख्या ईआर-सीएओ-सी-एचक्यू-गतिशक् ति/03_2025-26/00819630140239 दिनांक 26.09.2025 को पूर्वी रेलवे द्वारा निविदा संख्या 03_2025-26 के संबंध में जारी किया गया था)। • दिनांक 09.02.2026 के ईमेल द्वारा पूर्वी रेलवे ने बीबीजे को एक 48 घंटे का नोटिस जारी किया और 11.02.2026 को पूर्वी रेलवे ने बीबीजे को एक समाप्ति नोटिस जारी करके अनुबंध को गैरकानूनी रूप से समाप्त कर दिया। इस स्थिति में, मानक सामान्य शर्तों के खंड 62 के संदर्भ में, न केवल पूर्वी रेलवे द्वारा बीबीजे का अनुबंध (48 घंटे की समाप्ति के बाद) रद्द कर दिया गया है, बल्कि बीबीजे की दो बैंक गारंटी (38,54,900/- रुपये की ईएमडी और 3,38,03,330/- रुपये की पीबीजी) भी पूर्वी रेलवे द्वारा भुना ली जाएगी। • चूंकि मामले का दांव बहुत अधिक है, इसलिए अधोहस्ताक्षरी ने तत्काल पूर्वी रेलवे के दिनांक 09.02.2026 के 48 घंटे के नोटिस और दिनांक 11.02.2026 के समाप्ति पत्र को वापस लेने के लिए पूर्वी रेलवे को बीबीजे के उपरोक्त दो बैंक गारंटी को भुनाने से रोकने और अन्य अंतरिम आदेशों के लिए माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता, अपीलीय पक्ष के समक्ष एक तत्काल रिट याचिका दायर करने के लिए फॉक्स एंड मंडल (अधिवक्ता और सॉलिसिटर) से संपर्क किया। • दिनांक 11.02.2026 के एक आदेश द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता (अपीलीय पक्ष) ने दिनांक 09.02.2026 के विवादित 48 घंटे के नोटिस और दिनांक 11.02.2026 के समापन पत्र पर रोक लगा दी। समय-समय पर स्थगन आदेश को बढ़ाया गया है। • दिनांक 07.04.2026 के एक निर्णय द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय ने मामले का निपटारा कर दिया और पूर्वी रेलवे के मुख्य अभियंता को बीबीजे द्वारा उठाए गए विवाद का निर्णय करने का निर्देश दिया और यदि कोई डीएबी गठित नहीं किया गया है और मुख्य अभियंता विवाद का निर्णय करने में विफल रहा है, तो मामला मध्यस्थ को भेजा जाएगा, अंतरिम आदेश जारी रहेगा।	3.76 करोड़ रुपये	दिनांक 07.04.2026 के एक निर्णय द्वारा निपटारा गया	कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय (अपीलीय पक्ष)

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्र.सं.	मामले का विवरण	आरंभ होने का वर्ष	व्योरा	शामिल राशि (रु. में)	मामले की वर्तमान स्थिति	के समक्ष संबंधित
26.	धारा 34 के तहत मध्यस्थता अपील (एनईआरएसडीएस के तहत परियोजना) 2026 का ओएमपी (कॉम) संख्या 47 बीबीजे - बनारस - 1. औश्ता कंसल्टिंग इंजीनियर्स (आई) प्रा. लिमिटेड 2. मणिपुर जनजातीय विकास निगम के बीच -	2026	- संक्षेप में तथ्य: माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 [मध्यस्थता याचिका संख्या 1456/2022 में] द्वारा वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही में बीबीजे को उसदाता संख्या 2 के रूप में जोड़ा गया है। औश्ता ने एनईआरएसडीएस के तहत पूर्वोक्त राज्यों में सड़क और पुलों के विकास के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार के रूप में अपने काम के लिए एमटीडीसी के खिलाफ 87.64 लाख रुपये के बिलों का भुगतान न करने के लिए यह मध्यस्थता दायर की थी। - बीबीजे एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हुआ और एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें इस तथ्य के बारे में बताया गया कि बीबीजे इस मध्यस्थता में पार्टी नहीं है और उसने परियोजना के संबंध में एमटीडीसी के सभी बिलों का भुगतान पहले ही कर दिया है जहां औश्ता शामिल था। 18.12.2025 को विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने दावेदार - औश्ता के पक्ष में अंतिम मध्यस्थता निर्णय पारित किया (प्रतिलिपि रखी गई है) और प्रतिवादी संख्या 2 - बीबीजे को रु. 87,64,987/- (औश्ता के अंतिम चालानों के तहत बकाया राशि के लिए) 9% की दर से ब्याज के साथ और अन्य लागतों का भुगतान करने का निर्देश दिया। विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने बीबीजे के किसी भी साक्ष्य और प्रस्तुति पर विचार नहीं किया और एक मध्यस्थ के रूप में अपने अधिदेश से पोर अंतिम मध्यस्थता निर्णय पारित किया (जैसा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में निर्दिष्ट है, जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है)। 16.03.2026 को बीबीजे ने विभिन्न कानूनी और तथ्यात्मक आधारों पर जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय), पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली के माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.2025 के उक्त विवादित अंतिम मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देते हुए ए.ए.एंड.सी. अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत वर्तमान मध्यस्थता अपील/आवेदन दायर किया।	रु. 87.64 लाख + ब्याज + लागत	लंबित	माननीय जिला न्यायाधीश न्यायालय, (वाणिज्यिक न्यायालय), पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली।

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विषय: बीबीजे के लंबित कानूनी मामलों की कुल संख्या (31.03.2026 तक)

क्र.सं.	न्यायालय/फोरम/न्यायाधिकरण का नाम	लंबित मामलों की कुल संख्या (31.03.2026 तक)
1.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	1
2.	उच्च न्यायालय	15
3.	निचली अदालतें	8
4.	मध्यस्थ न्यायाधिकरण	2
5.	कोई अन्य प्राधिकरण या फोरम	4
	कुल	30

44 विश्लेषणात्मक अनुपातों के संबंध में प्रकटीकरण:

अनुपात	अंश-गणक	भाजक	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	% विचलन	विचलन का कारण >25%
वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	1.44	1.43	0.64%	
ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.25	0.26	-4.39%	
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में) - (शुद्ध लाभ + मूल्यहास + दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज) / वर्ष के दौरान देय या चुकाए गए दीर्घकालिक ऋण के ब्याज और मूलधन की कुल राशि।	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	0.05	0.10	-52.47%	लाभ में कमी के कारण
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (%)	करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक की इक्विटी	11.56%	25.32%	-54.36%	लाभ में कमी के कारण
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	संचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री	3.72	5.49	-32.29%	
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात (समय में)	शुद्ध ऋण बिक्री	औसत प्राप्य खाते	4.19	7.00	-40.12%	राजस्व में कमी के कारण
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (गुना)	शुद्ध क्रेडिट खरीदारी	औसत विविध लेनदार	9.29	13.09	-28.99%	राजस्व में कमी के कारण
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (%)	संचालन से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी	45.57%	88.24%	-48.35%	राजस्व में कमी के कारण
शुद्ध लाभ अनुपात (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	परिचालन से राजस्व/शुद्ध बिक्री	13.90%	16.74%	-16.99%	राजस्व में कमी के कारण
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	ब्याज और करों से पहले की कमाई	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	6.49%	14.51%	-55.28%	लाभ में कमी के कारण
निवेश पर प्रतिफल (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल संपत्ति	1.7%	3.69%	-53.80%	लाभ में कमी के कारण

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- 45 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों में ऐसे मद सम्मिलित हैं जो अत्यधिक पुराने हो चुके हैं तथा अपनी उपयोगी आयु पूरी कर चुके हैं। ऐसे परिसंपत्तियों का लेखा-पुस्तकों में पूर्ण रूप से मूल्यहास किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने ऐसे मदों को ₹45.74 लाख (पिछला वर्ष 2024-25 – ₹49.35 लाख) (प्राइम कॉस्ट) के रूप में पहचाना तथा उन्हें कबाड़ के रूप में निस्तारित किया। कंपनी वर्तमान में ऐसे अन्य मदों की पहचान की प्रक्रिया में है, जो अपनी उपयोगी आयु पूरी कर चुके हैं, ताकि उन्हें कबाड़/लेखाबाह्य किया जा सके।
- 46 गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत व्यापार देयक ₹38.98 लाख (31 मार्च 2025 : ₹38.98 लाख) का प्रतिनिधित्व करता है, जो 'लाकवा परियोजना' के संबंध में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) से प्राप्त होने योग्य राशि है, जिसे वर्ष 2009-10 में बंद कर दिया गया था। अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में ₹42.29 लाख (31 मार्च 2025 : ₹42.29 लाख) की रिटेंशन डिपॉजिट तथा ₹37.49 लाख (31 मार्च 2025 : ₹37.49 लाख) की सुरक्षा डिपॉजिट सम्मिलित है, जो उपरोक्त कार्य से संबंधित है। इस राशि को 'सही' माना गया है क्योंकि लेखा-पुस्तकों में ठेकेदार मेसर्स फ्रंटियर इंजीनियरिंग कंपनी के विरुद्ध ₹126.46 लाख (31 मार्च 2025 : ₹126.46 लाख) की समकक्ष समग्र देनदारी दर्ज है। लाकवा परियोजना के संबंध में कंपनी ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) से प्राप्त होने योग्य ₹38.98 लाख (31 मार्च 2025 : ₹38.98 लाख) की राशि के लिए पहले ही प्रावधान कर दिया है।
- 47 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ – चालू में ₹45.41 लाख (31 मार्च 2025 – ₹45.41 लाख) की अग्रिम राशि एवं अन्य जमा राशि सम्मिलित है, जो अत्यधिक पुरानी हैं। इनके विरुद्ध ₹40.78 लाख (31 मार्च 2025 – ₹40.78 लाख) की राशि ठेकेदारों को देय है, जिसे 'अन्य वित्तीय देनदारियाँ – चालू' में सम्मिलित किया गया है। उक्त राशि संबंधित पक्षों द्वारा अब तक पुष्टि नहीं की गई है, तथापि कंपनी ने इसे 'सही' माना है क्योंकि इसके विरुद्ध समकक्ष देनदारियाँ विद्यमान हैं।
- 48 वर्ष के लिए भंडार में पुराने एवं अप्रयुक्त स्टॉक सम्मिलित हैं – कच्चे माल में ₹119.85 लाख, स्टोर्स, स्पेयर एवं उपभोग्य सामग्रियों में ₹2.78 लाख (जो 8 वर्ष से अधिक समय से पड़े हुए हैं), तथा ढीले उपकरणों में ₹8.18 लाख (जो 10 वर्ष से अधिक समय से पड़े हुए हैं)। इनके विरुद्ध ₹70.88 लाख का संचयी प्रावधान रिपोर्टिंग अवधि तक खातों में किया गया है।
- 49 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ – चालू में उन पक्षों को अग्रिम रूप से जमा की गई राशि सम्मिलित है, जो अत्यधिक पुरानी हैं। कंपनी ने इन्हें 'चालू प्रकृति' का माना है।

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
1	ग्राहक-बी बी यू एन एल से वसूल किया जाने वाला बिक्री कर	15.76	15.76
2	वेतन अग्रिम	10.45	10.45
कुल		26.21	26.21

ग्राहक-बी बी यू एन एल से वसूल किया जाने वाला बिक्री कर वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए बिहार के वाणिज्य करों के संयुक्त आयुक्त के समक्ष दायर अपीलों के विरुद्ध जमा की गई राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

- 50 व्यापारिक देयताएँ - गैर-चालू और अन्य देयताएँ: गैर-चालू में निम्नलिखित राशियाँ शामिल हैं जिनके विरुद्ध पिछले वर्षों में माल और सेवाएँ प्राप्त हुई थीं, और कंपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के विरुद्ध इनका मिलान करने की प्रक्रिया में है। हालाँकि, कंपनी ने इन्हें दीर्घकालिक और गैर-चालू प्रकृति में देय माना है:

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
1	पारिवारिक पेंशन योजना – संविदा श्रमिक	15.02	15.02
2	श्रमिक भविष्य निधि संस्था	6.82	6.82
कुल		21.84	21.84

- 51 व्यापारिक देयताएँ - गैर-चालू और अन्य देयताएँ: गैर-चालू में निम्नलिखित राशियाँ शामिल हैं जिनके विरुद्ध पिछले वर्षों में माल और सेवाएँ प्राप्त हुई थीं, और कंपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के विरुद्ध इनका मिलान करने की प्रक्रिया में है। हालाँकि, कंपनी ने इन्हें दीर्घकालिक और गैर-चालू प्रकृति में देय माना है:

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
1	पूर्ण हो चुके अनुबंधों पर देनदारियाँ खाता	1493.35	1493.35
2	देयता खाता	698.01	698.01
3	भारत सरकार को देय खाता – बी बी भी एल परिसमापन एवं ब्याज	182.90	182.90
4	भारत सरकार पी/ई देय (उप.) - बीडब्ल्यूईएल	69.60	69.60
5	सहायक कंपनियों को देय पी/ई कोष पर ब्याज	357.65	357.65
6	“विविध लेनदार – सहायक कंपनियाँ	0.00	2.33
7	आईटी निलंबन (अन्य) (194) देय - ओसीएल	1.04	1.04
8	बिक्री कर देय -ओसीएल	1.54	1.54
9	बीबीसीसी को देय ब्याज	2.37	2.37
10	पुराना असमंजित शेष		6.36
	कुल	2,806.46	2,815.15

उपरोक्त शेष राशियाँ पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों — बी बी यू एन एल (अब बी बी जे) — से संबंधित हैं, जिनका अन्य बकाया डेबिट शेषों के साथ समायोजन/सामंजस्य किया जाना आवश्यक है। कंपनी ने इन राशियों को दीर्घकालिक देनदारी माना है और इन्हें ‘गैर-वर्तमान प्रकृति’ का माना गया है।

- 52 वर्ष के अंत में कच्चे माल, भंडार, उपभोग्य सामग्रियों आदि की सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है और भौतिक और पुस्तक स्टॉक के बीच विसंगतियाँ, यदि कोई हो, जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो वर्ष के दौरान लेखा पुस्तकों में उचित रूप से निपटा दी गई हैं।
- 53 आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार 320.80 लाख रुपये (31 मार्च 2025 : 31.85 लाख रुपये) की एक निर्विवाद आयकर मांग है, जिसके लिए कंपनी के पास खंडन के लिए उचित दस्तावेज या साक्ष्य नहीं हैं। तथापि, कंपनी की राय है कि भुगतान के लिए कोई राशि बकाया नहीं है, जिसका खंडन नहीं किया गया है और आयकर पोर्टल में प्रदर्शित राशि गलत हो सकती है। कंपनी इसे सुधारने के लिए प्रयास करेगी। तदनुसार, कोई देयता प्रदान नहीं की गई है।
- 54 संबंधित सहायक अभिलेखों में दर्शाए गए शेषों के अनुसार, कुछ व्यापारिक प्राप्त्य, व्यापारिक देय, ऋण और अग्रिम आदि के शेष, संबंधित पक्षों से पुष्टि और समाधान तथा समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन, यदि कोई हों, के अधीन हैं। हालाँकि, कंपनी का मानना है कि इस संबंध में कोई भौतिक विसंगति नहीं होगी।
- 55 भारत सरकार (जीओआई) की 2015 में स्वीकृति के अनुसार, बीबीजे (ट्रांसफरर कंपनी) का भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) के साथ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391(2) के साथ पठित धारा 394 के तहत विलय हो गया। विलय से पहले ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की सहायक कंपनी थी। आरओसी ने दिनांक 18 नवंबर 2015 के अपने आदेश द्वारा कंपनी का नाम भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) से बदलकर द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) करने के लिए अनुमोदन दिया था। इससे पहले बीबीयूएनएल की सहायक कंपनियाँ भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड (बीपीएमईएल), बर्न स्टैंडर्ड एंड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), जेसोप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसीएल), लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड और द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) थीं। ऐसी सहायक कंपनियों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:
- i) भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड (बीपीएमईएल) (परिसमापन के तहत), ii) बर्न स्टैंडर्ड एंड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) (रेलवे को सौंपा गया), iii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) (रेलवे को सौंपा गया), iv) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) (रेलवे को सौंपा गया), v) जेसोप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसीएल) (विघटित (72%) और परिसमापन के तहत), vi) लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (परिचालन में विघटित (60%), vii) द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) (बीबीयूएनएल के साथ विलय और “बीबीजे” के रूप में पुनः नामित) और viii) बीपीएमईएल की सहायक कंपनी वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (“डब्ल्यूआईएल”) (विघटित)

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- 56 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (चालू) में बीपीएमईएल को 5932.96 लाख रुपये (31 मार्च 2025: 5932.96 लाख रुपये) और वेईगबर्ड इंडिया लिमिटेड को 656.03 लाख रुपये (31 मार्च 2025: 656.03 लाख रुपये) दिए गए ऋण शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 6588.99 लाख रुपये हैं और बीपीएमईएल से 33,656.29 लाख रुपये (31 मार्च 2025: 33,656.29 लाख रुपये) और डब्ल्यूईएल से 350.26 लाख रुपये (31 मार्च 2025: 34006.55 लाख रुपये) की ब्याज राशि रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार देय है। उक्त ऋण भारत सरकार द्वारा बीबीयूएनएल के माध्यम से अपनी सहायक कंपनियों बीपीएमईएल और डब्ल्यूईएल को उनकी विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं के लिए दिए गए थे। वर्तमान में बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है और डब्ल्यूईएल परिसमापन के बाद बंद हो गया है। इसी तरह की राशि का ऋण 6588.99 लाख रुपये और ब्याज 34006.55 लाख रुपये भारत सरकार से ऋण के रूप में दिखाया गया है। उपरोक्त संस्थाओं की स्थिति के बावजूद, ऐसे ऋण और ब्याज लागत पर ले जाए जाते हैं।
- 57 कंपनी का भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) में 486.30 लाख रुपये (31 मार्च 2025: 486.30 लाख रुपये), जेसोप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसीएल) में 2558.01 लाख रुपये (31 मार्च 2025: 2558.01 लाख रुपये) का निवेश परिसमापन के अधीन है और 42.20 लाख रुपये (31 मार्च 2025: 42.20 लाख रुपये) के लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड में रिपोर्टिंग तिथि पर है। उपरोक्त संस्थाओं की स्थिति के बावजूद, ऐसे निवेश लागत पर किए जाते हैं।
- 58 कंपनी ने भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीपीएमईएल') और वेईबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यूआईएल') को दिए गए 6,588.99 लाख रुपये के ऋणों पर चालू वित्त वर्ष के लिए अर्जित किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है, क्योंकि उपरोक्त सहायक कंपनियाँ परिसमापन के अधीन हैं।
- कंपनी ने भारत सरकार से लिए गए 6588.99 लाख रुपये के ऋण पर चालू वित्त वर्ष के लिए देय किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है, जिसका उपयोग उपर्युक्त सहायक कंपनियों को ऋण देने के लिए किया गया था, क्योंकि इसकी वसूली नहीं हो सकी। यदि ऐसे ऋणों पर देय ब्याज चालू वित्त वर्ष के लिए वित्त लागत के लिए प्रदान किया गया होता, तो ब्याज पर देय राशि 2161.52 लाख रुपये (31 मार्च 2025 : 2153.03 लाख रुपये) अधिक होती और भारत सरकार को ब्याज के लिए देय राशि 29231.61 लाख रुपये (31 मार्च 2025 : 27070.09 लाख रुपये) अधिक होती। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए लाभ 2161.52 लाख रुपये (31 मार्च 2025 : 2153.03 लाख रुपये) कम होता।
- 59 भारत सरकार के पत्र संख्या 17(12)/2000-पीई. III दिनांक 26.08.2003 के अनुसार मंजूरी के फलस्वरूप तथा कंपनी, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसप) और इंडो-वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच निष्पादित "शेयर खरीद समझौते" के अनुसार, कंपनी ने जेसप एंड कंपनी के 6,81,34,428 इक्विटी शेयर (अर्थात 72%) 1818.00 लाख रुपये के मूल्य पर 29.08.2003 को इंडो-वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड को बेचे/हस्तांतरित किए तथा 1818.00 लाख रुपये की पूरी बिक्री आय भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई।
- 60 वर्ष 2005-06 के दौरान, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड ने अपने इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) में आवेदन किया। बीआईएफआर ने 31.08.2005 को जारी निर्देशों के तहत जेसप एंड कंपनी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 100, 101, 102 और 103 के प्रावधान के अनुसार अपनी इक्विटी शेयर पूंजी में कमी करने की अनुमति दी।
- कंपनी ने बीआईएफआर के उपरोक्त निर्देश के विरुद्ध औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) के समक्ष रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 25 के अंतर्गत अपील दायर की। कंपनी ने बीआईएफआर के उपरोक्त निर्देश के विरुद्ध एएआईएफआर के समक्ष दायर दो अन्य अपीलों में भी पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किए। इनमें से एक अपील पहले ही वापस ले ली गई थी, लेकिन एएआईएफआर ने 28.02.2008 के आदेश द्वारा कंपनी द्वारा दायर अपील के साथ-साथ दूसरी अपील को भी खारिज कर दिया।
- कंपनी ने एएआईएफआर के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता स्थित माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जिसका निपटारा आज तक लंबित है। कंपनी ने 29.08.2003 को इंडो-वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड (जेसोप में रणनीतिक साझेदार) के साथ हुए "शेयरधारक समझौते" के अनुसार विवादों को मध्यस्थता के लिए भी भेज दिया है। परिणामी लेखांकन प्रभाव को लेखांकन मानकों और सरकारी निर्देशों के अनुपालन में अंतिम निर्णय के बाद लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा।
- 61 वित्तीय वर्ष 2005-06 में, अक्टूबर 2001 से अगस्त 2003 की अवधि के संबंध में 'सेवा शुल्क' के रूप में वसूल की गई राशि के लिए जेसोप एंड कंपनी लिमिटेड को 82.72 लाख रुपये की राशि वापस कर दी गई थी। कंपनी ने ब्याज और लागत के साथ राशि की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया है, जो आज तक निपटान के लिए लंबित है (नोट संख्या 43 की अनुसूची संख्या 2 देखें)

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- 62 वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, कंपनी ने गैबॉन गणराज्य के बाइकेल टाउनशिप में नेबरहुड यूनिट के निर्माण के लिए “बीसीडी आईएनजीएबी कंसोर्टियम” के नाम और शैली के तहत एक कंसोर्टियम व्यवस्था में प्रवेश किया था। कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्य (कंसोर्टियम भागीदार के साथ समझौते के अनुसार) एकत्रित किया गया था और 2.75 करोड़ रुपये तक सीमित था, जिसमें बैंक गारंटी शुल्क, यात्रा, स्थापना व्यय आदि जैसे विभिन्न मदों पर किए गए वास्तविक खर्च शामिल नहीं थे। अपनी परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के हिस्से के रूप में, कंपनी ने कंसोर्टियम को जारी की गई समतुल्य राशि के मोबिलाइजेशन एडवांस के खिलाफ गैबॉन सरकार के पक्ष में यूएस \$ 725,000 (प्रोजेक्ट ऑर्डर मूल्य का 5%) की एक प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रदान की है। कंपनी को कंसोर्टियम से ऐसी गारंटी (वैधता अवधि समाप्त हो गई है) के लिए मार्जिन मनी प्राप्त हुई है।
- परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति संतोषजनक न होने के कारण, कंपनी ने सम्मानजनक तरीके से इससे बाहर निकलने का निर्णय लिया है, जिस पर कार्य चल रहा है। मौजूदा समझौते के अनुसार, परियोजना से होने वाली किसी भी हानि और/या घाटे की स्थिति में कंपनी कंसोर्टियम भागीदार को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- बीबीजे और सीसीपीएल (संघ भागीदार) के मध्य एक मध्यस्थता कार्यवाही माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त माननीय मध्यस्थ के समक्ष प्रारंभ की गई, ताकि संघ से किए गए भुगतान तथा ब्याज के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध उठाए गए विभिन्न दावों का निपटारा किया जा सके।
- मध्यस्थता कार्यवाही का पुरस्कार, 2023-24 में प्राप्त हुआ है और बीबीजे को 3.64 करोड़ रुपये की राशि वापस करने की सलाह दी गई है, जो 7,25,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है, कंसोर्टियम को और बदले में सीसीपीएल को और बीबीजे को उक्त राशि पर संचित ब्याज को बनाए रखने का आदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बीसीडी इंगब कंसोर्टियम को कंपनी ने उसी को वापस कर दिया है। हालांकि, सीसीपीएल ने पोस्ट अवार्ड ब्याज का दावा करते हुए एक निष्पादन मुकदमा दायर किया है जो कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है (नोट संख्या 43 के क्रमांक संख्या 15 देखें)।
- 63 बीबीजे का संयुक्त उद्यम भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीसीसीपीएल) और पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल की सहायक कंपनी भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) आज की तारीख में निष्क्रिय हैं, क्योंकि बीपीएमईएल 2004 से परिसमापन के अधीन है और बीबीसीसीपीएल का आधार उस उद्देश्य के पूरा होने के बाद नष्ट हो गया जिसके लिए इसे 1971 में शामिल किया गया था। आज की तारीख में दोनों कंपनियों में कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं हैं और निष्क्रिय संयुक्त उद्यम / सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुपलब्धता के कारण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया है।
- 64 भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान कोई भी परिचालन पट्टा अस्तित्व में नहीं है, अतः इस संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।
- 65 **अन्य वैधानिक जानकारी:**
- कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहाँ कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।
 - कंपनी का किसी भी कंपनी के साथ कोई लेन-देन रद्द नहीं किया गया है।
 - कंपनी का कोई भी ऐसा शुल्क या संतुष्टि ऋण नहीं है जो वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होना बाकी हो।
 - कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थ) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:
- क. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या
- ख. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा।
- व) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (निधि पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से इस समझ के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं की है (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी:

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- क. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देना या निवेश करना वित्तपोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) या
- ख. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा आदि प्रदान करना।
- vi) कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा-पुस्तकों में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।
- vii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- viii) कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड में उचित लेखा-पुस्तकें बनाए रखती है और ये लेखा-पुस्तकें भारत में हर समय उपलब्ध रहती हैं और लेखा-पुस्तकों और खातों का बैकअप दैनिक आधार पर भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वरों में रखा जाता है।
- 66 पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक हुआ, पुनः वर्गीकृत अथवा पुनः व्यवस्थित किया गया है।

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
संनदी लेखाकार

फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

हेमल मेहता

साझीदार

सदस्यता सं. 063404

UDIN : 26063404JWVBXE5585

स्थान : कोलकाता

तारीख: 20 जून 2026

एन के मिश्रा

कंपनी सचिव

पैन - AIQPM3388P

नरेश कुमार

निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन - 11194115

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

एस के घोष

निदेशक (वित्त)

डीआईएन - 10659781

सीएमडीई. राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 09832486

Annual Report (English)

CONTENTS

Sl No.	Particulars	Page No.
1.	Board of Directors	1
2.	Notice to the Shareholders	3
3.	Chairman's Message	7
4.	Directors' Report	9
5.	Independent Auditor's Report	36
6.	Management's replies to the Auditor's Observations	52
7.	Comments of the Comptroller and Auditor General of India	55
8.	Balance Sheet	57
9.	Statement of Profit and Loss	59
10.	Statement of Cash Flows	60
11.	Statement of Changes in Equity	62
12	Company Information and Material Accounting Policy & Notes to Financial Statement	63

UPTO DATE LIST OF DIRECTORS INCLUDING CHANGES DURING THE FINANCIAL YEAR 2025-26

	Name	Period
Bord of Directors	Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.) Chairman & Managing Director Director (Technical) - Additional Charge	Full Year Upto 13.07.2025
	Shri Sujit Kumar Ghosh Director (Finance)	Full Year
	Shri Naresh Kumar Director (Technical)	From 14.07.2025
	Shri Udai Bhan Singh Govt. Nominee Director	Full Year
	Shri Jagannath Prasad Panigrahi Non-official (Independent) Director	From 17.08.2026
Chief Vigilance Officer	Ms Chandrani Gupta Shri Rohit Kumar Mishra	Upto 15.12.2025 From 08.06.2026
Auditors	Batliboi, Purohit & Darbari Chartered Accountants	
Solicitor	Fox & Mondal Kolkata Fox Mondal & Associate LLP Kolkata Fox & Mondal LLP New Delhi	
Bankers	State Bank of India Canara Bank HDFC Bank Axis Bank	
Registered Office	27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001, West Bengal	

NOTICE OF 40th ANNUAL GENERAL MEETING TO THE MEMBERS / SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the Members/ Shareholders of **The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited** shall be held on Monday, 14th September 2026 at 11:45 A.M. at the Registered Office of the Company at **27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001, W. Bengal** to transact the following business :-

Ordinary Business :

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements containing the Balance Sheet as at 31st March 2026, Statements of Profit and Loss, Cash Flows and Changes in Equity including Notes etc. forming part thereof for the financial year ended 31st March 2026 together with Report of the Board, Report of Independent Auditors & Comments of Comptroller and Auditor General of India thereon.
2. To Declare Dividend for the financial year 2025-26.
3. To authorize the Board of Directors of the Company to fix remuneration of the Independent Auditors, to be appointed by The Comptroller and Auditor General of India for the Financial Year 2026-27.
4. To take note of the Appointment of Directors made by Government Order.

BY ORDER OF THE BOARD

Sd/-

(Navin Kumar Mishra)

COMPANY SECRETARY

Regd. Office :

27, R.N.Mukherjee Road .

Kolkata – 700001, West Bengal

Date : 21st August 2026

Copy to : All the Directors and Statutory Auditors

NOTE :

1. **A Member entitled to attend and Vote at the Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and Vote instead of himself and such Proxy need not be a Member of the Company. Proxy Form is enclosed with this Notice.**
2. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and MCA Circulars, the Annual General Meeting will be held through Video Conferencing (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM) and accordingly, the 40th AGM of the Company shall be conducted with option to Members to participate through VC/OAVM, if so required and the VC/OAVM link for this purpose shall be shared separately.
3. The deemed venue for 40th AGM shall be the Registered Office of the Company as stated in the Notice of the AGM.

PROXY FORM

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN : U70100WB1986GOI041286
 Name of the Company : THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
 Registered office : 27, R. N. Mukherjee Road, Modi Building, Kolkata, WB - 700001. INDIA

Name of the Member(s)	:	
Registered address	:	
E-mail Id	:	
Folio No/ Client Id	:	
DP ID	:	Not Applicable

I/ We being the member of the Company holding.....shares in the above named Company, hereby appoint

- Name: Address : E-mail Id:
 Signature:, or failing him
- Name: Address : E-mail Id:
 Signature:, or failing him
- Name: Address : E-mail Id:
 Signature:

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the 39th Annual General Meeting of members of the Company, to be held on - --- day, -- ----, 2026 at the Registered Office of the Company at Kolkata., and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.

- 1
- 2
- 3
- 4

Affix Revenue Stamp

Signed this(day) of (Month) 2026

Signature:(Signature of Member)

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, before the commencement of the Meeting.



CHAIRMAN'S MESSAGE

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, I have great pleasure in welcoming you all to the 40th Annual General Meeting of the Members of the Company. Annual Report containing the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2026 together with Directors' Report, Auditors' Report and Comments of Comptroller & Auditor General has already been circulated for your kind perusal.

I would briefly share with you the performance of your company during the financial year 2025-26: -

- During financial year 2025-26 the Company generated total income of ₹ 11593.78 Lakh as against ₹ 19578.07 Lakh during financial year 2024-25.
- Net Profit (Profit after Tax) for the said period is ₹ 1396.77 Lakh (Previous financial year ₹ 3059.62 Lakh).
- Reserves & Surplus stand at ₹ 15060.28 Lakh w.r.t ₹ 14291.54 Lakh in FY2024 – 25 (5.38% growth YoY) and Net Worth is ₹ 27146.33 Lakh vis-à-vis ₹ 26377.59 Lakh in FY 2024 -25 (2.91% growth YoY).
- During the year under report order book has displayed an upward trend with a value of ₹ 61104.41 Lakh as on 31 March, 2026. We are optimistic that order book will grow further considering forthcoming business opportunities.
- Revenue for FY 2025-26 is less w.r.t. to previous financial years. Over the last decade BBJ has encountered significant changes in its Core Segment of Steel Railway Bridges (95% business). Transition from Nomination Basis to BoQ/ Item Rate to EPC, coupled with entry of large number of major entities and stiff competition have affected the Company's Order Book and Top Line over the years.
- BBJ bagged Railway's order over Rs. 1200 Crore in phases from 2015 to 2021 in Mizoram, Manipur, Uttar Praesh and J&K. Due to several techno-commercial/ logistic issues, delay in readiness of sub-structures by Railway and Covid, which were beyond BBJ's control, progress of works were adversely affected.
- As a result, financial assets were locked and Bid Capacity clogged. Moreover, credentials of Munger Rail-cum-Road Project also expired in Apr 2023 severely affecting the Order Book, which is the leading parameter for Revenue. On availability of conducive project sites conditions, works over Rs. 1200 Crore were most expeditiously completed during 2023-26. BBJ now possesses valuable Techno/ Financial Credentials of Railway Steel Bridges, healthy finances and adequate Bid Capacity to explore business opportunities.

The major projects, Construction of Railway Bridge across Ganga River at Prayagraj (UP), Railway Bridges on Bairabi-Sairang Rail Link in Mizoram and Rail Bridges across Irang & Iring Rivers in Manipur have been undertaken efficiently. Railway Bridge across Ganga River at Prayagraj has been operational since Dec 2024 and extensively used during Maha Kumbh. Bairabi – Sairang Line in Mizoram has been operationalised wef Jun 2025. The other projects in Chhattisgarh and Karnataka have also been completed and operationalised in Oct 2025 and Mar 2026 respectively. The company has effectively & efficiently undertaking all the operations in spite of uptrend in

materials cost and logistic challenges of remote locations and been able to maintain operating margins/ profitability. The successful completion of challenging projects has augmented institutionalised expertise of the organisation, boosted the confidence of the team and enhanced technical/ financial credentials of the company for future business opportunities.

Concerted efforts are being made to consolidate business in the Core Segment of Railway Bridges and diversification opportunities in other segments being consistently explored. Recently the company has made modest beginning in other business segments - Road-over-Bridge (RoB), Re-girding of Rail Bridges, Foot-over-Bridges (FoB), Industrial Structures and Legacy Waste Management. It is encouraging to note that order book of over ₹ 45000.00 Lakh has been achieved in these new verticals. The company is continuously working towards enhancing efficiencies, improving customer relationship, reconfiguring the organisation's structure to match the future business opportunities and challenges.

Our primary objective is to achieve growth with sustainability by diversifying our services across various infra sectors. A robust business strategy, for execution of small/ medium/ large value projects on our own or through MoU/ Tie up with reputed entities, is being pursued to seize promising opportunities. Prudent financial management, risk mitigation, cost consciousness and optimization and business competitiveness while ensuring financial stability & resilience underpin our approach in all endeavours. The Company is taking measured steps in the right direction factoring sustainability, growth and profitability.

We are steadfast in our approach to develop a lean and agile organisation with a diverse and multi-skilled team to address the current business requirements as well as new areas of work. While consolidating our institutionalised expertise, thrust is being maintained on training, enhanced skills, technologies/ innovative methods/ processes and thus enabling our team to be future ready. We are also committed to sustainability and conservation of environment and adhere to the environmental standards while undertaking our projects.

The Company is committed to adhere to the corporate governance guidelines issued by DPE, Govt. of India. Quarterly and Annual compliance report under Corporate Governance guidelines are filed with DPE within the prescribed due date, without any delay. As per Grading Report of CPSEs issued by DPE, BBJ has consistently achieved 'Excellent' Grade for Corporate Governance Compliance. Detailed Report on Corporate Governance has been given separately in the Annexure to Directors' Report of the Company for the financial year 2025-26. We keep ourselves actively engaged in our corporate social responsibility as per extant guidelines and directives of DPE/ GoI.

I take this opportunity to express my sincere thanks and gratitude to my colleagues on the Board of Directors for their valuable support and co-operation in the overall management of the company.

I am also thankful for the whole-hearted support received from Ministry of Heavy Industries, Ministry of Railway and other Ministries/ Departments of Govt. of India, State Governments, Syama Prasad Mookerjee Port, RVNL, IRCON, Financial Institutions, Banks, Regulatory & Statutory Authorities, Comptroller & Auditor General of India, Auditors, Legal Advisors & Consultants, Joint Venture Partners and all the stakeholders. We look forward for their continued support in Company's future endeavours.

I, on behalf of the entire Board of Directors, sincerely thank the employees of BBJ at all levels and would like to place on record our appreciation for their commitment, hard work and dedication.

Thank you all.

Jai Hind

Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)

Chairman & Managing Director

DIRECTORS' REPORT

To
The Shareholders,
The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited.

Your Directors have pleasure in presenting the 40th Annual Report on the Company's Operation and Performance together with Audited Annual Financial Statements for the financial year ending 31st March 2026.

1 Financial Highlights

- 1.1.1 The Financial Statements of the Company are prepared on accrual basis of accounting in compliance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and subsequent amendments thereto to the extent notified and applicable provisions under Companies Act, 2013.
- 1.1.2 A summary of Financial Performance of the company for the financial year 2025-26 vis-à-vis 2024-25 is given below:-

(₹ in Lakh)

PARTICULARS	2025-26	2024-25
Revenue from Operation	10051.78	18276.59
Other Income	1542.00	1301.48
Profit/(loss) before Depreciation, Finance Costs, Exceptional items and Tax Expense	1988.57	4178.96
Less: Depreciation/ Amortization/ Impairment	98.24	119.49
Profit /(loss) before Finance Costs, Exceptional items and Tax Expense	1,890.32	4059.47
Less: Finance Costs	58.44	50.84
Profit /(loss) before Tax Expense	1831.89	4008.63
Less: Tax Expense (Current & Deferred)	435.12	949.01
Profit /(loss) for the year	1396.77	3059.62

- 1.1.3 Total income of the Company for financial year 2025-26 is ₹ 11593.78 Lakh as against the ₹ 19578.07 Lakh during financial year 2024-2025. Net Profit (Profit after Tax) for the said period is ₹1396.77 Lakh (Previous financial year ₹ 3059.62 Lakh).
- 1.1.4 Your Company consciously targeted remunerative orders from Railways and other Clients, aiming impetus of growth both in terms of Operation and profitability. Your company has maintained the track record of a consistent profit making CPSE.

2 Capital Structure

- 2.1 There was no change in the capital structure of the Company during financial year 2025-26. The Authorized Capital as on 31st March, 2026 is ₹ 34810 Lakh and paid-up share capital is ₹ 12086.05 Lakh.

3 General Reserves

- 3.1 General Reserves (excluding Retained earnings) as on 31st March, 2026 stands at ₹ 1473.65 Lakh (31st March 2025 ₹ 1473.65 Lakh).

4 Dividend

- 4.1 Dividend would be payable to the Govt. of India post recommendation by the Board and subsequent approval by the Shareholders of the Company at the ensuing Annual General Meeting which shall be held as per the requirements under Companies Act, 2013. During financial year 2025-26, your Company paid dividend of ₹611.92 Lakh for the financial year 2024-25.
- 4.2 The dividend pay-out shall be in accordance with the Guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and as directed by the Govt. of India / Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) or exemption, if any, as may be considered by DIPAM.

5 Management Discussion and Analysis

5.1 Brief Profile of the Company

- 5.1.1 Incorporated on 17th September, 1986 as a Central Public Sector Undertaking (CPSE), President of India through Ministry of Heavy Industries (MHI), Government of India holds its entire 100% equity share capital. The Company is a Schedule 'C' CPSE under MHI.
- 5.1.2 The Company is engaged in the business of:
- i Engineering Procurement & Construction (EPC) business – Steel Bridges for Railways, ROB, Regirdering etc.,
 - ii Project Management Consultancy (PMC) business – Civil Construction ,
 - iii Industrial Structures,
 - iv Bio mining legacy waste,
 - v Company is also endeavouring to diversifying in other related sectors.
- 5.1.3 Projects undertaken by the company are spread in different parts of the country.
- 5.1.4 Quality Management System of BBJ is in accordance with requirements of Quality Policy and certified under ISO 9001:2015 certification.

5.2 VISION MISSION & OBJECTIVE OF BBJ:

5.2.1 Vision

- To innovate, design and construct Bridges and other Engineering marvels with high Engineering standard through state of art technology and cost efficient practices.
- To remain profitable, productive, creative, compliant and financially sound with care and concern for all stake holders.

5.2.2 Mission & Objective

- To become a world class premier Engineering Project implementing organization.
- To construct signature Bridges and Engineering marvels with in and outside the country.
- To be innovative, entrepreneurial, constantly creating value and attaining global benchmarks.
- Committed to total customer satisfaction and continuously enhancing capabilities of the organization and employees through innovation and skill upgradation.

5.3 Industry Structure and Developments

5.3.1 State of the Economy-Global & Indian Economy

According to the **Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, June 3 to 5, 2026** :

‘Real GDP growth for 2026-27 is projected at 6.6 per cent, with Q1 at 6.6 per cent; Q2 at 6.3 per cent; Q3 at 6.5 per cent; and Q4 at 6.8 per cent. Prolonged global supply chain disruptions, heightened volatility in global financial markets, and weather-related shocks continue to pose downside risks to the domestic growth outlook.

CPI inflation for 2026-27 is projected to be 5.1 per cent with Q1 at 4.2 per cent; Q2 at 5.1 per cent; Q3 at 5.9 per cent; and Q4 at 5.4 per cent. Core inflation is projected at 4.7 per cent for 2026-27 ‘
(Source -https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=62974)

5.3.2 Indian Infrastructure Sector & Government Initiatives

5.3.2.1 Government Initiatives shall significantly contribute to overall growth in the Infrastructure Sector through:

- Robust demand
- Attractive opportunities
- Policy support
- Increasing investments

5.3.2.2 The vision of the Govt. for development of Infrastructure and Railways is expected to boost up the Construction sector with excellent growth opportunity. Your Company, with its experience, expertise and competence/capability in Bridge Construction, Civil Construction and Industrial Structures, is well placed to leverage its strength. Your Company’s strategy to consistently endeavor towards market development and enhance capability through tie-up with established entities while maintaining focus on sustainability and growth, will enable it to create long-term value for all the stakeholders. Your Company will continue to focus on being **Purpose-led and Future Ready**.

5.3.2.3 Your Company is also geared up to improve its financials through proliferation in Modern Infra Projects and diversification in PMC business while consolidating business in the core segment of Railway Bridges in the coming years.

5.3.2.4 Steps taken by your Company will significantly improve its performance from the conventional business trajectory to the Diversified area with promised growth rate.

5.3.2.5 Continuous emphasis on infrastructure by Govt. of India and the ability of Your Company to work in difficult areas like North East, Jammu & Kashmir etc. is expected to result in enhanced business in these areas.

5.4 Strength and Weakness

5.4.1 Strength

- Strong brand awareness and reputation, rich experience in important/ signature Bridges in India. Operates in Railway Bridge, Civil Construction and Industrial Structure projects.
- Decades of experience of working in remote and in-accessible area
- Track record of successfully completing complex projects
- Enduring relationships built on mutual trust and respect with our clients, sub-contractors, financial institutions and other stakeholders
- Lean Organization with highly qualified and experienced Engineers/Executives and other skilled employees
- Positive Net Worth. Consistent profitability since 2005.
- Having Credit rating facilities of A1+ in short term and A+ in long term instrument.
- Credentials to work in remote and high terrain areas in North & North East.

5.4.2 Weakness

- Depleting numbers of experienced employees due to superannuation at higher level and key position in the Company,
- Dependence on major entities for participation in major/ large value EPC Railway Projects through JV/ MoU/ Tie-up, being a small size Company with limited Techno/ Financial Credentials.
- Inability to enter in to BOT/BOO and other major project execution, due to financial and other limitations.

5.5 Opportunities, Threats and Constraints

5.5.1 Opportunity

- Declared Policies of Govt. of India towards ‘Atmanirbhar Bharat Abhiyan’, ‘Make in India’, ‘Smart Cities Mission’, ‘PM Gati Shakti Yojna’ and various other initiative would result in demand inroad and civil construction etc. thus offering substantial opportunities for construction companies.
- Higher budgetary allocation for infrastructure sector by Govt. of India.
- Pro- industry policies and initiatives such as rationalisation of corporate tax, setting up of REITs and Infrastructure Investment Trusts would drive investment in infrastructure sector etc.
- Thrust in infrastructure work by the Govt. of India and development work in border area and North Eastern State’s development work.
- Thrust in infrastructure development for surface transport.
- Joint Ventures/Collaboration for major Indian projects.

5.5.2 Threat

- Huge investment in infrastructure has attracted large number of private sector players which has intensified competition.
- Profit margins may shrink due to increased competition from Private Sector players.
- Restriction on nomination business.
- Reverse auction affects operating margin.

5.5.3 Constraints

Company being a public sector entity has lesser flexibility vis-à-vis Private Sector competitors. Notwithstanding and in spite of small size and financial limits, Your Company with its core competencies has maintained profitability and continuously paid Dividend to Govt. of India while making modest contribution to infrastructure initiatives including North & North East part of India.

5.5.3.1 Long gestation period of the major Projects in hand leading to locking of financial assets thereby limiting participation in new projects.

5.5.3.2 Lack of credential for high value and complex civil project/ via-duct / elevated corridor.

5.5.4 Risks and Concerns

5.5.4.1 Restriction in business by nomination, stiff competition & aggressive bidding by Private Sector, large value EPC contracts vis-à-vis limited financial capacity/Turnover coupled with

lesser operational flexibility vis-à-vis Private Sector competitions may affect future business opportunities.

5.5.4.2 The Company's employees and projects have been exposed/are exposed to risks of operating in difficult geographical terrain. It, however, takes pride in executing prestigious works in the national building task. The Company has taken measures to provide adequate safety.

5.5.4.3 Risk related details are also mentioned under Notes on Financial Statements.

5.6 Present Operations, State of Affairs and Outlook for Future

5.6.1 The business environment is facing stiff competition from Private Sector with aggressive bidding. In addition, Reverse Auction has also limited the opportunities. Large value EPC Tenders, necessitate enhanced credentials (Technical as well as Threshold Financial Capacity). In this present scenario margins are reduced substantially.

5.6.2 As a result of above initiatives towards enhanced efficiencies, Your Company is very optimistic of securing and improving the Order Book substantially in near future. We are consistently looking towards enhancing efficiencies in Bidding, Operations, procurements, executions and faster turnover of Projects.

5.6.3 Your Company is also exploring Joint Ventures and Tie-ups with reputed entities to meet the challenges of higher value EPC & other Contract while leveraging its ability to undertake complex Projects in difficult terrains of North & North Eastern India.

5.7 Discussion on Financial Performance with Respect to Operational Performance

5.7.1 BBJ is engaged in Engineering, Procurement & Construction (EPC) jobs for Construction & Erection of Steel Bridges for the Railways, civil construction, ROB and other civil projects

5.7.2 Current business verticals of the Company are given hereunder:

Sl No	Particulars	Products & Services	Customers / Clients
(a)	Engineering Procurement & Construction (EPC) business – steel bridges	Construction of: Steel Bridges, Rehabilitation of old bridges, Manufacturing & supply of bridge girders etc.	Indian Railway and other CPSEs as RVNL & IRCON
(b)	Project Management Consultancy (PMC) business – civil construction job	Construction of: Buildings, School Campuses, Road etc.	Kendriya Vidyalaya Sangathan
(c)	Industrial Structure	Fabrication & erection of steel structure	MECON and other CPSEs
(d)	Bio-mining of legacy waste	Waste Management	Chandigarh Municipality

5.7.3 Operational Performance

5.5.7.3.1 The order book position as on 31st March 2026 is ₹ 60408.88 Lakh from Railway Bridge projects and ₹ 695.53 Lakh from Civil and Industrial Projects including Industrial Structure, aggregating to ₹ 61104.41 Lakh.

5.7.3.2 During financial year 2025-26, order of ₹ 34985.72 Lakh secured for Rail Bridge, Road Overbridge, Re-girdering, Station development etc.

5.7.4 Diversification & Future Out Look

5.7.4.1 The outlook for the future is positive and Company is likely to excel in the forthcoming year.

5.7.4.2 The Company is conscious of the need for enhancing its credentials (Technical and Financial) and be “future Ready” for high value PMC/EPC/Rate Contracts.

Steps are being taken by the Company for consolidation of the existing Product line as well as re-activation of wider Product line of the Company in the past.

Towards this, the Company is continuously exploring Collaboration/Tie ups with reputed entities for higher value orders and more opportunities.

Diversification in related Sectors as Elevated Corridors, Cable Stayed Bridges, FOBs , ROB, Industrial Structures etc. are being pursued. Efficiencies in complete spectrum of activities are being enhanced.

Steps are being taken to complete the existing orders and release the financial assets and leveraging the same for future orders. Proactive approach and de-risking of potential challenges is being practiced. Your Company is optimistic of significant improvements in Production and Profitability in future.

5.7.4.3 Strategic Tie-Up in the Form of MOU /Consortium is under consideration of your Company with other major players in Construction Industry to quote for the High Value Tenders . This policy initiative is primarily intended to explore the benefit of techno-economic synergy amongst the Companies through MOU process . Besides being technically compatible, the process would in course of time become beneficial for the Companies and the consortium and would result in value addition to the bottom line.

5.7.5 Company’s plan to strengthen its core competence and venture into new verticals in the following manner :

1) Enhancement in EPC business

a) Through Joint Venture: Ties up/Joint venture (JV) with other agencies to participate in high value Govt. tenders.

For this purpose, Your Company has formed JVs with ITD Cementation and ABCI respectively which are presently in operation.

b) Regular participation in bids invited by Railways, RVNL, IRCON, etc. for Construction of Steel Bridges under State connectivity projects, construction of new line / doubling line projects of various sections of Railway etc.

2) Enhancement in Marketing efforts in PMC business:

To explore opportunities in PMC business for bagging and executing PMC contracts has been explored towards diversification. Project in PMC business has recently been undertaken by BBJ for execution. Competitors in this vertical are other CPSEs.

5.8 Internal Control Systems and their Adequacy

5.8.1 The Company has adequate system of Internal Control and Internal Audit System which helps the management to review the effectiveness of financial and operating controls. It also ensures that all

transaction are authorized, recorded and reported correctly.

5.9 Developments in Human Resources, Industrial Relations

5.9.1 This section has been discussed separately in the Directors' Report.

5.10 Environmental Protection and Conservation, Technological conservation, Renewable energy developments, Foreign Exchange conservation :

5.10.1 This section has been discussed separately in the Directors' Report.

5.11 Corporate Social Responsibility

5.11.1 This section has been discussed separately in the Directors' Report.

5.12 Cautionary Statement

5.12.1 Statements in this Management Discussion and Analysis Report describing the Company's objectives, projections, and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. Actual results might differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the Company's operations include a downtrend in the infrastructure sector, significant changes in economic environment in India and abroad, exchange rate fluctuations, tax laws, litigations and labour relations.

5.12.2 General Source of Information under this section has been as follows :

- Minutes of the RBI Monetary Policy Committee Meeting and India Brand Equity Foundation (IBEF) - Trust established by the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

6 Memorandum of Understanding (MoU)

6.1 Your Company has been exempted from MoU process vide OM No. M-03/0021/2022-23-DPE(MoU) dated 25-10-2022. However, an Internal MoU had been formulated following DPE Guidelines and ratified by the Board.

7 Board, Committees and Related Information/Disclosures

7.1 Board of Directors

7.1.1 Details of composition of the Board and other Committee Meetings, date of Meetings, number of Meetings during the period including presence of Directors/Members in the said Meetings and other required details, are covered separately under Corporate Governance Report, annexed to and forming part of this Report.

7.2 Key Managerial Personnel

7.2.1 Following were the Functional Directors and Key Managerial Personnel as on 31st March 2026: -

- i Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)– Chairman & Managing Director and Director (Finance) Additional Charge
- ii Shri Sujit Kumar Ghosh– Director (Finance)
- iii Shri Naresh Kumar – Director (Technical)
- iv Shri Navin Kumar Mishra –Company Secretary (CS).

7.3 Board Evaluation & Training of Board Members

- 7.3.1 Ministry of Corporate Affairs vide notification bearing no. G.S.R. 463(E) exempted Government Companies from annual evaluation of its Directors.
- 7.3.2 The non-executive Board members are appointed by Govt. of India into the Board are of eminent personalities having wide experience in the field of industry, commerce and administration. Their presence on the Board has been advantageous and fruitful in taking business decisions. Directors are given presentation on the overview of the company with the object to familiarize them with the Company's business and other activities. The Board is kept up-to-date about the overall affairs of the Company through Agenda papers and briefings by senior officials with respect to the Financial Performance, status of ongoing Projects and other important business operation related matters.

7.4 Directors' Responsibility Statement

- 7.4.1 Pursuant to Section 134 of the Act, the Directors certify that:
- (a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards as per Companies Act, 2013 have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
 - (b) Appropriate accounting policies have been selected and applied consistently and have made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31,2026 and of the profit and loss of the Company for the year ended March 31,2026;
 - (c) Proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
 - (d) The annual accounts have been prepared on a going concern basis;
 - (e) Proper systems are devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

7.5 Declaration by Independent Directors

- 7.5.1 Due to vacant position of 2 Independent Directors as at 31st March 2026, declaration as prescribed under Companies Act, 2013 including declaration under Section 149 from Independent Director is not applicable.

7.6 Audit Committee, Remuneration Committee and CSR Committee

- 7.6.1 Your Company continues to hold Meeting of Audit and other Board level Committee at regular intervals to ensure transparency, accountability, integrity as prescribed in DPE Guidelines on Corporate Governance.
- 7.6.2 Details of Constitution, Meetings, Attendance and other details relating to various Committees constituted by the Board are covered under Corporate Governance Report, annexed to and forming part of this Report.
- 7.6.3 Audit Committee of the Board has been constituted as required under the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 by Department of Public Enterprise (DPE Guidelines on Corporate Governance).
- 7.6.4 Terms of Reference for the Audit Committee are governed under Section 177 of the Companies Act,

2013 and Clause 4.2 on 'Role of Audit Committee' under DPE Guidelines on Corporate Governance.

7.7 Related Party Transactions

7.7.1 During the year under review, the company had not entered into any contract/ arrangement/transaction with related parties which could be considered material in accordance with provisions of related party transaction referred to in section 188(1) of the Companies Act, 2013.

7.7.2 Routine transactions covered under Related Party, if any, are disclosed & explained in the Financial Statement Section of this Report.

7.8 Disclosures as per Companies (Appointment & Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

7.8.1 The Company, being a Government of India Enterprise, is exempt from disclosure requirements pertaining to remuneration and other details as prescribed under Section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

7.8.2 Your Company has not paid any remuneration attracting the provisions of Rule 5(2) & 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

8 Information & Vigilance Framework, Policies, Procedures

8.1 Quality Assurance/Quality Control & Safety

8.1.1 Your Company is committed to follow the quality norms and standardized specific process as specified in the contract to maintain the desired quality. As part of the continuous appraising and to facilitate the functional requirements, a Quality Assurance/Quality Control process is followed as practice. Safety in construction is not a matter to be taken lightly. In fact, safety needs to be the top most priority in every aspect of construction at all times. The Quality Management System of the Company is Certified under ISO 9001:2015, being in accordance with the requirements of Quality Policy.

8.1.2 Quality Policy in BBJ (IS/ISO 9001: 2015)

'To innovate, design, construct and maintain quality system in Bridges and other Engineering marvels with high engineering standard through state of art technology and cost efficient practices.

To ensure total customer satisfaction and continual improvement, enhancing capabilities of the organization and employees through innovation and skill up gradation complying all statutory, legal and other requirement.'

8.1.3 On annual basis, National Safety week is celebrated at Head Office, organized by Quality Cell & General Guidelines for Safety are deliberated and disseminated out for awareness on this occasion to ensure the requirements of Safety at project sites.

8.2 STATEMENT INDICATING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A RISK MANAGEMENT POLICY FOR THE COMPANY INCLUDING IDENTIFICATION THEREIN OF ELEMENTS OF RISK, IF ANY, WHICH IN THE OPINION OF THE BOARD MAY THREATEN THE EXISTENCE OF THE COMPANY

8.2.1 The risk management system is an integrated and aligned system with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time. Being an integral part, policy initiatives were taken to secure Risk Management wherever required and necessitated in the process of functioning .

8.3 Corporate Governance

- 8.3.1 Your Company constantly endeavors to adopt best practices of Corporate Governance to ensure transparency, integrity and accountability in its overall functioning. The Corporate Governance Report is submitted along with Certificate on Compliance of conditions of Corporate Governance, duly certified by the Statutory Auditors in terms of the DPE Corporate Governance Guidelines.
- 8.3.2 Your company has adequate Internal Financial Control in place and such controls are tested from time to time through the process of Audit Committee constituted by Members nominated by the Board.

8.4 Vigil Mechanism / Whistle Blower Policy

- 8.4.1 The Company has well placed vigil mechanism for directors and employees to report genuine concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation to the Company's Code of conduct which includes the duly adopted Whistle Blower Policy to conduct of the affairs in a fair and transparent manner, by adopting the highest standards of professionalism, honesty, integrity and ethical behavior.
- 8.4.2 Focus of the policy is to create a fearless environment. The Whistle Blower Policy is posted on the website of the Company and available at <https://www.bbconst.com/rti/bbj-whistle-blower-policy.pdf>.

8.5 Right To Information

- 8.5.1 Company has appropriate mechanism to provide information to citizens under the provisions of Right to Information (RTI) Act, 2005.
- 8.5.2 Total 15 applications and 3 First Appeal were received under RTI Act during the financial year 2025-2026. Applications were replied within the prescribed time limit under the said Act.

8.6 Vigilance

- 8.6.1 During the financial year 2025-2026, vigilance activities were managed effectively.
- 8.6.2 Ms. Chandrani Gupta, IES completed her tenure as the Chief Vigilance Officer (CVO) in the Company on 15th December 2025 in terms of Ministry of Heavy Industries' Order No. 8(12)/2004-PE.III dated 13th December 2023. Shri Rohit Kumar Mishra, IOFS (2009) joined as CVO (Additional Charge) in the Company w.e.f. 08th June, 2026.

8.7 Adherence to the Accounting Policy /Standard

- 8.7.1 Financial Statements of the Company was drawn in accordance with the applicable Accounting Standards and Rules as per Companies Act, 2013 and are being followed since its adoption.
- 8.7.2 Details of significant accounting policies are adequately explained under Notes forming part of the Financial Statements.
- 8.7.3 Maintenance of cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, are made and maintained continuously.

8.8 Internal Audit and Internal Controls

- 8.8.1 The Company has adequate internal financial controls system for ensuring orderly and efficient conduct of its business including adherence to the Company's policies, safeguarding of its assets and prevention of frauds, accurate and prompt financial reporting, for compliances and improve the effectiveness of risk management towards good corporate governance.
- 8.8.2 Company ensures that business is conducted in accordance with the legal, statutory and regulatory compliance requirements.
- 8.8.3 Firm of Chartered Accountants are appointed by the Board of the company to carry out Internal Audit Function and Reporting thereon. The Reports of Internal Audit findings are periodically submitted to management and Audit Committee of the company. Corrective action in respective areas are undertaken and thereby strengthen the overall control system as per suggestions by Internal Auditors.
- 8.8.4 The company has adequate internal control measures in the form of established office procedures issued by the management covering all important activities i.e., Marketing, Purchase and Works, Material, Stores, Accounts and Personal Manual etc.
- 8.8.5 The Internal Audit Scope, Plan, Internal control mechanism and issues of financial and operational system are made more structured to take on all kinds of future challenges.
- 8.8.6 The Management takes reasonable care and ensures safeguard of assets, prevention and detection of fraud and error, accuracy and completeness of accounting records and timely preparation of reliable financial information.

9 Auditors

9.1 Report of The Statutory Auditors on The Accounts of 2025-2026

- 9.1.1 M/s Batliboi Purohit & Darbari (CA1398), Chartered Accountants, Kolkata, Chartered Accountants (Firm Registration Number 303086E), Kolkata have been appointed as the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2025-26 by the Order of Comptroller and Auditor General of India under section 139 of the Companies Act, 2013.
- 9.1.2 Observation in the Report of the Statutory Auditors on the Annual Audited Financial Statement for the financial year 2025-26 have been adequately explained in the notes on accounts. Management Reply on the Auditors' Observation has also been placed along with the Report of the Statutory Auditors dated 29th July 2026 (in supersession of their earlier Report dated 20th June 2026) in the Audited Financial Statement section of this Annual Report.
- 9.1.3 As required under Section 134 (3) (ca) of the Companies Act, 2013, there is no adverse reporting by the auditors under sub-section (12) of section 143 in respect of frauds.

9.2 Comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG)

- 9.2.1 C&AG vide their Comments dated 2nd September 2026 on the Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2026, have stated that in view of the revision made in the Statutory Auditors' Report to give effect to some of observations raised by C&AG during supplementary audit, C&AG have no further comments to offer upon or supplement to the Statutory Auditors' Report under section 143 (6) (b) of the Act.
Copy of the Comments of C&AG forms part of the Annual Report of the Company for financial year 2025-26.

9.3 Secretarial Auditor and Audit Report

- 9.3.1 Provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 regarding Secretarial Audit is not applicable to

the Company.

- 9.3.2 The Company has secured compliance of applicable / mandatory Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

10 Human Resources, CSR, Women Empowerment & Welfare Activities

10.1 Human Resources

- 10.1.1 With a view to attain the operational excellence, rigorous and constant efforts are being carried out to meet the organization expectations as well as keeping pace with the changing industrial scenario.
- 10.1.2 Policies were modified as needed, focusing on recognizing employees as an important resources in the Organization through Employee Centric Approach. Many initiatives were taken towards creation of proficient HR Systems leading to increased transparency and effective communication system in the Company and MoU parameters were properly addressed through proper system in place.
- 10.1.3 Any grievances related the employee are to be taken up by Grievance Committee for resolving in time. In keeping with the functional and behavioral skills of the employees, training under different modules were arranged at various levels to enhance proficiency and to encourage the self-learning among employees.
- 10.1.4 Furthermore, in view of the present innovative and challenging market, your Company arranged need based Training Programs to make officials / employees aware of latest trends / techniques and changes that are taking place in their respective functional areas and to enhance their knowledge so that they work with improved potential and zeal to achieve the overall organizational goal as a team. Area of Training/Workshop for capacity building were as per DPE Calendar on Contract Management, Arbitration, Corporate Governance, Leadership Development Program for Women Managers, Administrative Leadership & Good Governance, Machine Learning & AI, Public Procurement etc. Industrial Relation remained cordial throughout the year under review.

10.2 Corporate Social Responsibilities; details about the policy developed and implemented by the Company on Corporate Social Responsibility initiatives taken during the year

- 10.2.1 Annual Report on CSR as required under The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 is placed as Annexure to this Report, elaborating the CSR fund and its utilization during reporting period.
- 10.2.2 CSR Policy of the Company is available at the Web-site of the Company at <https://www.bbjconst.com/rti/bbj-csr-policy.pdf>

10.3 Empowerment of Women

- 10.3.1 The Company continues to accord due importance to gender equality. All necessary measures/ statutory provisions for safeguarding the interests of women employees in issues like payment of wages, hours of work, health, safety, welfare aspects and maternity benefits etc. are being followed by the Company in its letter and spirit.

10.4 Welfare of Weaker Sections of The Society

- 10.4.1 Statutory welfare facilities as incorporated in extant Labour Laws and Rules made thereunder are

administered by the company for welfare of the employees apart from the provisions of welfare and social justice towards reservation policy for SC, ST, OBC, EWS and Differently Abled (PWD) respectively in line with the Govt. Policies and Guidelines. All Presidential Directives with regard to reservation of SC/ST/OBC/EWS issued from time to time are being followed by the Company.

10.4.2 SC/ST/OBC/PWD Personnel

As on 31st March 2026 there are 7 Scheduled Caste employees, Nil Scheduled Tribe Employees, 2 OBC Employees and Nil PWD Employee. All the above are male employees.

10.5 Encouragement / Assistance to MSME

10.5.1 Out of total purchase for the period under review, most were made through MSMEs. Nothing remains unpaid to the MSME suppliers at the end of the financial year 2025-2026 for a period of over 45 days.

10.5.2 Aids and Supports were extended to the Social Welfare Organizations through selective sourcing / procurement of materials and services from them in need in phased manner.

11 Other Disclosures

11.1 Legal Compliances

11.1.1 Board is apprised of the statutory and other mandatory legal compliances on regular basis through Agenda Notes including notices, if any, received from statutory authorities and the remedial action taken by the Company to meet those requirements.

11.2 Disclosures under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act 2013

11.2.1 The company has complied with the provision relating to the constitution of Internal Complaints Committee under the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. The Internal Complaints Committee is empowered to look into all complaints of sexual harassment and facilitate free and fair enquiry process with clear timelines.

11.2.2 Details of cases as required under the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 is given hereunder :

(i)	number of complaints filed during the financial year :	Nil
(ii)	number of complaints disposed of during the financial year :	Nil
(iii)	number of complaints pending as at the end of the financial year :	Nil

11.3 Particulars of Loans, Guarantees or Investments

11.3.1 For the period under review, no Loans, Guarantees and Investments were made by the Company which requires approval under Section 186 of the Companies Act, 2013. Details of Loans, Guarantees and Investments are covered under financial statements and Notes forming part thereof.

11.4 Code of conduct for Board Members and Senior Management Personnel

11.4.1 Your Company has well defined policy framework which lays down procedures to be adhered to by all Board Members and Senior Management for ethical professional conduct with the objective to

conduct the Company's business ethically and with responsibility, integrity, fairness, transparency and honesty. The Code is available on the Company's website <https://www.bbjconst.com/rti/bbj-code-of-conduct.pdf>. All Directors and senior management personnel have complied with the Code of Conduct for the period under review.

11.4.2 Declaration by Chairman & Managing Director on compliance with the Code of Conduct in line with Guidelines on Corporate Governance for CPSEs by DPE

Declaration on Code of Conduct

In terms of Clause 3.4.2 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 dated 14th May, 2010 issued by the DPE, I hereby declare that all Board members and senior management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct as prescribed under said Guidelines on an annual basis for the financial year 2025-26.

Signature :

Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)
Chairman & Managing Director
DIN: - 09832486

11.5 Progressive use of Hindi

11.5.1 Measures taken for effective implementation of Hindi in the Company

During the period under review, the Company continued its effort for proper implementation and compliance of the Official Language Policy of the Rajbhasha Vibhag, Government of India. Few major compliances are as follows :

- Quarterly meetings of Official Language Implementation Committee of the company were held regularly.
- Quarterly Hindi Workshops were also organized.
- Participation in meeting called by TOLIC for their review and ensured participation in various competitions held by TOLIC in Hindi Language.
- "Hindi Pakhwada" in the month of Sept, 2025 was organised in the Company and during the said fortnight various Hindi workshops and competitions between the employees of the company were held. To encourage the employees, prizes were also distributed among the winners of these competitions.

11.6 Extract of Annual Return

11.6.1 Web link of annual return duly filed with the Ministry of Corporate Affairs are available at following web-link - <https://www.bbjconst.com/financials.html>. In view of the provisions stated in above first para, 'Extract of the annual return' in Form No. MGT-9 does not form part of Board Report for the period under review.

11.7 Performance of Subsidiaries, Associates And Joint Venture Companies During The Year

- 11.7.1 Bhagirathi Bridge Construction Company Private Limited (BBCCPL) is the Joint Venture Company, jointly promoted by BBJ and Gammon India Limited (GIL). After status of nominee Director as 'Inactive', request was made by BBJ for either rectifying the defect for its Director or make fresh nomination of Directors in terms of Articles of Association and the Joint Venture Agreement for formation of BBCCPL. Despite several reminders, no rectification or fresh nomination of Directors are made by GIL. Due to this reason, there is deadlock in holding Meetings of Directors or Shareholders since there is no quorum for holding the said Meetings of Board or Shareholders. There has been no new development in this regard.
- 11.7.2 Form No. 22A, Active could not be filed due to said deadlock and therefore, the present status of the Company is inactive, non-compliant.
- 11.7.3 BBCCPL is virtually defunct Joint Venture Company, with its substratum lost after completion of the purpose of Construction of Second Hooghly Bridge, for which it was incorporated. Presently, there are no employees on the roll of BBCCPL.
- 11.7.4 Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd. (BPMEL) a subsidiary is under liquidation upon passing of winding-up order by Hon'ble High Court at Kolkata. The Process of liquidation is yet to complete.
- 11.7.5 Due to non availability of Financial Statement of the defunct JV/subsidiary consolidated Financial Statement is not prepared.

11.8 Environment and Pollution Control, Conservation of Energy and Technology & Foreign Exchange Earnings and Outgo

11.8.1 Conservation of Energy, Environment And Pollution Control :

- 11.8.1.1 Environment and Pollution Control continued to receive specific attention during the year under review. Through internal mechanism, steps are being taken for conservation of energy through periodical checking of system and its policy to monitor the level of emission of Carbon and other gases from the Plants in use at it Project sites at various locations.
- 11.8.1.2 With limited deployment of its resources, nature of contracts & short duration of its Projects going on at various sites, use of alternate source through capital investment in energy conservation equipment at said sites and is not feasible for the time being. However, avenues are explored for utilizing alternate sources of energy in feasible manner in future.
- 11.8.1.3 The stress is given to minimize the energy consumption in all new construction projects by adopting to the best available power saving technologies switching over from LCDs to LED lightings has already been accomplished. Besides most of the projects executed are in line with the Energy norms, the equipment used are all energy efficient.
- 11.8.1.4 Your Company remained eco-friendly to the Community and it's people at large. No Notice or Show Cause was ever received from the Authorities or Regulators for any non compliance of relevant Laws.

11.8.2 Technology Absorption:

- 11.8.2.1 During the last three years reckoned backward from the beginning of the financial year 2025-2026 there was no import of technology by the Company.

11.8.2.2 Awareness about the new technologies and products is being imparted to the senior management for utilizing the same. Presentations on the new and innovative technologies are being organized. Due to various factors viz. conventional nature of job, cost and size constraints etc., Research & Development activities are not presently taken up by the Company.

11.8.3 Foreign Exchange Earnings and Outgo

11.8.3.1 During the period under review there was no foreign exchange transaction undertaken by Your Company.

12 Other Disclosures as Prescribed under Companies Act 2013

Sl. No.	Particulars	Comments
1)	Material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statements relate and the date of the report	Nil
2)	A statement indicating the manner in which formal annual evaluation has been made by the Board of its own performance and that of its committees and individual directors.	BBJ is a Private Limited Company, with 100% Government shareholding. Moreover, on account of exemption given to specified Government Companies, these provision are not applicable to BBJ.
3)	Company's Policy on Directors' appointment and remuneration	BBJ is a Private Limited Company, with 100% Government shareholding. Moreover, on account of exemption given to specified Government Companies, these provision are not applicable to BBJ.
4)	Any changes in the capital structure of the company during the year	Nil
5)	Issue of shares or other convertible securities	Nil
6)	Issue of Employee Stock Options or Sweat Equity Shares	Nil
7)	Issue of debentures, bonds or any non-convertible securities	Nil
8)	Issue of warrants	Nil
9)	Details of Deposits	Nil
10)	Investor Education And Protection Fund (IEPF)	There is no unpaid Dividend in respect of the last seven years.
11)	the change in the nature of business, if any;	Nil
12)	the names of companies which have become or ceased to be its Subsidiaries, joint ventures or associate companies during the year;	Nil
13)	the details relating to deposits, covered under Chapter V of the Act	Nil

Sl. No.	Particulars	Comments
14)	the details of deposits which are not in compliance with the requirements of Chapter V of the Act;	Nil
15)	the details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future;	Nil

ACKNOWLEDGEMENT

Directors commend the indefatigable efforts of the employees at all levels which has contributed immensely to the growth of the Company during Reported period. Their dedication and commitment will stand the organization in good stead to meet the challenges in future.

BBJ has also enjoyed unstinting support and guidance from all the Ministries of the Government of India, particularly the Ministry of Heavy Industries, State Governments etc. All the stakeholders, especially the suppliers, customers and business partners, have extended tremendous support towards the success of the Organization.

The Directors assure of their unwavering focus on the strategic plans of your Company to steer it responsibly to stellar heights.

**For and on behalf of the Board of Directors,
The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited**

**Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)
Chairman & Managing Director
DIN: -09832486**

Date: 14th September, 2026
Kolkata

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

This Report is in accordance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, Govt. of India.

Company’s Philosophy on Guidelines on Corporate Governance	The Company’s Philosophy on Corporate Governance is aimed at enhancing long term Shareholders value and capacity of the Company to generate wealth through : - Assisting top Management in taking sound business decisions and prudent Financial Management - Achieving transparency and professionalism in all decisions and activities of the Company - Adhering to Compliances of disclosure requirement - Achieving excellence in Corporate Governance by : - Conforming to the prevalent guidelines on Corporate Governance and excelling in wherever possible - Setting high ethical standards in conduct of business complying with laws and regulations - Reviewing periodically the existing system and controls for further improvements																	
Board of Directors	All Directors of the Board of the Company are appointed on behalf of the President of India by the Ministry of Heavy Industries, Govt. of India. The details of Directors on the Board of the Company during the Financial Year ended 31st March, 2026 are given hereunder :																	
Board Composition	<table><tr><th>DIN of Directors</th><th>Name</th><th>Category</th></tr><tr><td>09832486</td><td>Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)</td><td>Chairman & Managing Director and Director (Technical)/ Additional Charge</td></tr><tr><td>09222808</td><td>Shri Udai Bhan Singh</td><td>Deputy Secretary – MHI (Govt. Nominee Director)</td></tr><tr><td>09614219</td><td>Shri Sujit Kumar Ghosh</td><td>Director (Finance) - Functional Director</td></tr><tr><td>11194115</td><td>Shri Naresh Kumar</td><td>Director (Technical) - Functional Director</td></tr></table> Following changes occurred in the Board of Directors during FY 2025-26 including period after 31st March, 2026 till the date of the Directors’ Report: Pursuant to the order of Ministry of Heavy Industries vide Reference No. 12(1)/2020-PE-III dated 08th July 2025, Shri Naresh Kumar has been appointed with effect from 14.07.2025 as Director (Technical) in the Board of Directors of The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited for a period of five years from the date of assumption of the charge of the post or till the date of his superannuation, whichever is earlier Sanctioned Strength for Non-official Independent Director on the Board of Directors of the Company is 2. Shri Jagannath Prasad Panigrahi has been appointed as the Non-official Independent Director with effect from 17.08.2026 vide Order Ref. No. 8(15)/2004.PE.III (Vol III) dated 17.08.2026 issued by the Ministry of Heavy industries (MHI), Government of India. At present one post for the Non-official Independent Director is vacant.			DIN of Directors	Name	Category	09832486	Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)	Chairman & Managing Director and Director (Technical)/ Additional Charge	09222808	Shri Udai Bhan Singh	Deputy Secretary – MHI (Govt. Nominee Director)	09614219	Shri Sujit Kumar Ghosh	Director (Finance) - Functional Director	11194115	Shri Naresh Kumar	Director (Technical) - Functional Director
DIN of Directors	Name	Category																
09832486	Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)	Chairman & Managing Director and Director (Technical)/ Additional Charge																
09222808	Shri Udai Bhan Singh	Deputy Secretary – MHI (Govt. Nominee Director)																
09614219	Shri Sujit Kumar Ghosh	Director (Finance) - Functional Director																
11194115	Shri Naresh Kumar	Director (Technical) - Functional Director																

Meetings Held (Board & Audit Committee)	Board Meetings (BM) held during the Financial Year 2025- 26	Meeting No. & Date of Meeting		Directors’ / Members Attendance
		171st BM on 25-06-2025		Attended by all
		172nd BM on 20-08-2025		Attended by all
		173rd BM on 27-11-2025		Attended by all
		174th BM on 26-02-2026		Attended by all
	Audit Committee Meetings (ACM) held During financial year 2025-26	77th ACM on 25-06-2025		Attended by all
		78th ACM on 20-08-2025		Attended by all
		79th ACM on 27-11-2025		Attended by all
		80th ACM on 26-02-2026		Attended by all
	Board of Directors of the Company has Re-constituted Audit Committee with effect from 17.08.2026 comprising of total 3 Members namely Non-official Independent Director (Chairman), Government Nominee Director (Member) & one Functional Director (Member).			
Audit Committee	Role and the Terms of Reference :	● To attend the Matters specified under para 4.2 of the Guideline on Corporate Governance for Public Enterprises and Section 177 of the Companies Act, 2013. ● To act as link between the Management ,the Statutory and Internal Auditors and the Board of Directors ● To assesses financial reporting system and Risk related matters		
Composition , Board Meetings & Attendance	Name of Directors	Board Meetings attendance during FY 2025-26		
	Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)	Meeting held -04	Attended - 04	
	Shri Sujit Kumar Ghosh	Meeting held -04	Attended – 04	
	Shri Naresh Kumar	Meeting held -03	Attended – 03	
	Shri Udai Bhan Singh	Meeting held -04	Attended - 04	
Composition , Audit Committee Meetings & Attendance	Name of Directors	Audit Committee Meetings attendance during FY 2025-26		
	Shri Udai Bhan Singh	Meeting held -04	Attended – 04	
	Shri Sujit Kumar Ghosh	Meeting held -04	Attended – 04	
	All the recommendations in the financial year 2025-26, made by Audit Committee of the Board, which were mandatorily required, were accepted by the Board of Directors.			
	Board of Directors of the Company has Re-constituted Audit Committee with effect from 17.08.2026 comprising of total 3 Members namely Non-official Independent Director (Chairman), Government Nominee Director (Member) & one Functional Director (Member).			

CSR and other Committee Meetings	During Financial Year 2025-26, one Meeting i.e. 14th CSR Committee Meeting was held on 26th February 2026. All the Members were present in this Meeting.			
Independent Directors	Independent Directors are appointed by the Govt. Orders, having expertise/experience in their respective field/profession. The Independent Directors are neither connected nor related to the Promoters and do not have pecuniary relationship with the Company and further do not hold two percent or more of the total voting power of the Company. Due to vacant position of Non-official Independent Director in the Board of Directors of the Company, declaration from the Independent Directors as per the requirement under Section 149 of the Companies Act, 2013 is not applicable. The sitting Fees of Independent Directors are within the limits prescribed under the Companies Act, 2013.			
Code of Conduct	The Draft Code of Conduct for Members of the Board and Senior Management as laid down has been Implemented. In terms of Clause 3.4.2 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 issued by the DPE, the declaration by C&MD that all Board members and senior management personnel have affirmed compliance with the code on an annual basis for the FY 2025-26 is given under relevant portion of the Directors' Report.			
General Body Meetings Particulars of last three Annual General Meetings (AGM)	Fin. Year	Meeting No. and Date	Time & Venue	Special Resolution
	2022-23	37th AGM, September 30, 2023	11:00 Hours at the Registered Office of the Company at 27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001, W. Bengal	Nil
	2023-24	38th AGM, August 31, 2024	11:00 Hours at the Registered Office of the Company at 27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001, W. Bengal	Nil
	2024-25	39th AGM, September 12, 2025	11:00 Hours at the Registered Office of the Company at 27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001, W. Bengal	Nil
	All AGMs were held within the prescribed time limit under the Companies Act, 2013			
Annual General Meeting – 2026	40th Annual General Meeting of the Members of the Company is scheduled to be held within the prescribed period as per the requirement of the Companies Act 2013 i.e. within September 2026.			

Other Disclosures	Transactions of material nature with Directors or their relatives that may have potential conflict with the Interest of the Company	Nil
	Related Party Transactions	Disclosed, attached to Accounts for the year ended March 31, 2026
	Details of non-compliances by Company or strictures imposed on it	Nil
	Whistle Blower Policy and affirmation that no personnel has been denied access to Audit Committee	It is affirmed that none was denied access to the Audit Committee
	Details of Compliance of the requirements of these Guidelines	Complied. Sanctioned Strength for Non-official Independent Director on the Board of Directors of the Company is 2. Shri Jagannath Prasad Panigrahi has been appointed as the Non-official Independent Director with effect from 17.08.2026 vide Order Ref. No. 8(15)/2004.PE.III (Vol III) dated 17.08.2026 issued by the Ministry of Heavy industries (MHI), Government of India. At present one post for the Non-official Independent Director is vacant. Board of Directors of the Company has Re-constituted three Board Level Committee i.e. Audit Committee, CSR Committee and Remuneration Committee with effect from 17.08.2026 comprising of total 3 Members namely Non-official Independent Director (Chairman), Government Nominee Director (Member) & one Functional Director (Member).
	Details of Presidential Directives issued by Central Govt. & their Compliance during the year & last three years	No Directives are pending for compliance
	Items of Expenses debited in Books of Accounts not for business purposes	Nil
	Expenditure incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors & Top Management	Nil

Means of Communications	Being an Unlisted Government Company, quarterly Results are not required to be published in the News Papers. Annual Audited Financial Results are displayed on the Company's website Address for Correspondence: The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited, 27, Rajendra Nath Mukherjee Road. Kolkata – 700001, West Bengal. Web-site : www.bbjconst.com e-mail : info@bbjconst.com Telephone : 91 33 2248 5841-44 (EPBX) 91 33 2210 3961 (FAX)
Audit Qualifications	Management Reply on the Auditors' Observation has also been placed along with the Report of Statutory Auditors in the Audited Financial Statement section of this Annual Report.
Training	Policy for Training of Board Members is approved by the Board and is followed by the Company.
Corporate Governance Audit	Certificate of the Statutory Auditors on Corporate Governance is received and annexed to the Directors' Report.

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To ,
The Members,
The Braithwaite Burn and Jessop Construction Co. Ltd.,
27, R.N.Mukherjee Road,
Kolkata-700001, West Bengal

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by The Braithwaite Burn and Jessop Construction Co. Ltd. (hereinafter referred to as “the Company”) for the financial year ended 31 March 2026 as stipulated in Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs), 2010 issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India (hereinafter referred to as “the Guidelines”).

Compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination has been limited to review of the procedures and implementation thereof, adopted by the Company, for ensuring the compliance with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Guidelines. It is neither an Audit nor an expression of opinion of financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we hereby certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance during Financial Year 2025-26, as stipulated in Guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Batliboi, Purohit & Darbari

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration Number 303086E

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN: 26063404OVIZZH3081

Place: **Kolkata**

Date: 20 June 2026

ANNEXURE TO THE DIRECTORS' REPORT

Format For The Annual Report on CSR Activities to be Included in the Board's Report For Financial Year Commencing on or After 1st Day of April, 2020

[Annexure –II as prescribed under Rule 8 of The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014]

1. Brief outline on CSR Policy of the Company.

In alignment with the vision of the Company, BBJ through its CSR initiatives, approved CSR Policy in the Board Meeting held on Sept., 2012 for the first time and made subsequent amendments thereafter to keep pace with dynamic changes made from time to time in the CSR related matters under the Companies Act, 2013 read with Rules framed thereunder, addressing various areas which inter-alia included the following:

- Planning of the CSR Project
- Baseline Survey
- Process of Implementation
- Funding, Monitoring and Qualifying Criteria for executing agency
- In the areas of Health, Education, Sanitation and Public Health etc. including contribution to the Fund notified under the provisions of the Companies Act, 2013.

CSR Guidelines of the Department of Public Enterprises read with guidelines as prescribed under the provisions of the Companies Act, 2013 have been complied.

2. Composition of CSR Committee:

Composition of CSR Committee is as under :-

Sl. No.	Name of Director	Designation / Nature of Directorship
1.	Shri Udai Bhan Singh	Government Nominee Director - Chairman
2.	Shri Sujit Kumar Ghosh	Director (Finance) - Member

Number of meetings of CSR Committee held during the year: 1 (One) CSR Committee Meetings was held in the FY 2025-26

Number of meetings of CSR Committee attended during the year: Attendance in CSR Committee Meeting is given hereunder:

14th CSR Committee Meeting held on 26-02-2026 was attended by all the Members as follows:

S.No.	Name	Designation / Nature of Directorship
1.	Shri Udai Bhan Singh	Government Nominee Director - Chairman
2.	Shri Sujit Kumar Ghosh	Director (Finance) - Member

3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

- Weblink: <https://bbjconst.com/rti.html>

4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report).

- Not Applicable.

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any
- Not applicable

6. Average net profit of the company as per section 135(5).

The average net profit of the company as per section 135(5) for immediately preceding three Financial Years is as follows:

Financial Year	Profit Before Tax (Rupees Lakhs)
2022-23	1309.43
2023-24	2795.32
2024-25	4008.63
Average Net Profit	2704.46

7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)
Rs.54.09 Lakhs (which is 2% of Average Net Profit of FY 2022-23, 2023-24 & 2024-25)
- (b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years.
None
- (c) Amount required to be set off for the financial year, if any
None
- (d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c).
Total CSR obligation for the financial year 2025-26 is Rs.54.09 Lakhs
8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6). (in Rs.)		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5). (in Rs.)		
	Amount.	Date of transfer.	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer.
54.09 Lakhs* (FY 2025-26)	Nil		District Rural Development Agency, Pudukkottai District, Tamil Nadu	10,00,000	09.01.2026
			PM Cares Fund	44.09 Lakhs	27.03.2026

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No)	Location of the project		Project duration.	Amount allocated for the project (in Rs.)	Amount spent in the current financial Year (in Rs.)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.)	Mode of Implementation - Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registration number
Not Applicable												

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year: **N.A.**

(d) Amount spent in Administrative Overheads- **N.A.**

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable- **N.A.**

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e)- **N.A.**

(g) Excess amount for set off, if any- **N.A.**

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	Rs.54.09 Lakhs (FY 2025-26)
(ii)	Total amount spent for the Financial Year *	Rs.54.09 Lakhs (FY 2025-26)
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	Nil
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Nil
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	Nil

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.)	Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.).	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in Rs.)
				Name of the Fund	Amount (in Rs).	Date of transfer.	
Not Applicable							

- (b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s): **Not Applicable**
10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (**asset-wise details**) - **NIL**
- (a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s)- Nil
- (b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset- Nil
- (c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc-Nil
- (d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset)-Nil
11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5).
- Not Applicable in view of point 6 above.

(Charman & Managing Director).

(Chairperson, CSR Committee).

Date : 14th September, 2026

REVISED INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of

THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION CO. LTD.

Report on the Audit of the standalone financial statements

Basis for Revision of Report

This Revised Independent Auditor's Report is being issued pursuant to the observations communicated by the Office of the Comptroller and Auditor General of India. Accordingly, this Revised Independent Auditor's Report supersedes our earlier Independent Auditor's Report dated 20 June 2026.

The reporting in para 2(e) and 2(g) Report on Other Legal and Regulatory Requirement has been amended, addition of point xxi in our statement on the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") (Annexure "A") and in Section 143(5) of the Companies Act, 2013(Annexure "C") has been amended.

Our opinion remains unchanged.

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited** ("the Company"), which comprise the Balance sheet as at 31 March 2026, the Statement of Profit and Loss, (including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31 March 2026, and its profit (including other comprehensive income), its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

- Note No.7 Other Financial Assets-Current include loan of Rs.5,932.96 lakhs (31 March 2025 Rs.5,932.96 lakhs) and interest accrued Rs.33,656.29 lakhs (31 March 2025 Rs.3,3656.29 lakhs) to Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd (BPMEL), a subsidiary company and loan of Rs.656.03 lakhs (31 March 2025 Rs.656.03 lakhs) and interest accrued Rs.350.26 lakhs (31 March 2025 Rs.350.26 lakhs) to Weigh bird India Ltd (WIL), a subsidiary of the company. Note No.16, Borrowings includes loan from GOI Rs.6,588.99 lakhs

(31 March 2025 Rs.6,588.99 lakhs) and Note No.20, Other Financial Liabilities, includes interest payable Rs.34,006.55 lakhs (31 March 2025 Rs.34,006.55 lakhs) on said GOI loans. BPMEL is under liquidation since 2004 with company's admitted claims of Rs. 39,898.01 lakhs (31 March 2025 Rs.39,898.01 lakhs) and WIL dissolved in 2020 after completion of all liquidation proceedings.

Notwithstanding the status of above subsidiaries, based on facts that loans due to said subsidiaries along with interest and loans from GOI along with accrued interest representing same, as per internal assessment made by the company same have been carried at cost. As no assessment and consequent provision for loss allowance of loans and accrued interest have been made in the financial statement for the year its specific financial implication on company's profitability and liabilities/assets for the year is unascertained.

2. Note No.7 Other Financial Assets, Advance to Creditors comprises Rs.571.56 lakhs (31 March 2025 Rs.571.56 lakhs) to different parties against which a corresponding liability of Rs.885.25 lakhs (31 March 2025 Rs.885.25 lakhs) stands on date. Company considered the same as good and no adjustments have been made during the year. Due to pending such adjustments, with advance to creditors and corresponding liabilities, specific financial implication on company's profitability and liabilities/assets for the year is unascertained.
3. Note no.5 Investments includes Rs.486.30 lakhs (31 March 2025 Rs.486.30 lakhs) in Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd (BPMEL), an erstwhile subsidiary company, Rs.2,558.01 lakhs (31 March 2025 Rs.2,558.01 lakhs) in Jessop & Co. Ltd, both are under liquidation. Based on internal assessment made by the management, notwithstanding the status of above entities as at the reporting date, said investments have been carried at cost. As no assessment and consequent provisions for impairment in the value of such investments have been made in the financial statement during the year its specific financial implication on company's profitability and liabilities/assets for the year is unascertained.

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs), as specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements' section of our report. We are independent of the Company in accordance with the 'Code of Ethics' issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following matters in the Notes to the financial statements:

1. Note No.7 Other Financial Assets-Current includes other advances of Rs. 26.21 lakhs (31 March 2025 Rs. 26.21 lakhs) comprises of Rs. 15.76 lakhs (31 March 2025 Rs. 15.76 lakhs) for deposit against sales tax appeal and balance of Rs. 10.45 lakhs (31 March 2025 Rs. 10.45 lakhs) as salary advance which is under

reconciliation.

2. Note No.13 Other Current Assets includes deposited as advance with Statutory Authorities Rs. 21.84 lakhs (31 March 2025 Rs.21.84 lakhs) which are very old. The Company is in process of reconciliation and adjusting the same.
3. Note No.58, the company has not considered any interest accrued for current financial year on loans of Rs.6,588.99 lakhs (31 March 2025 Rs.6,588.99 lakhs) granted both to Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd. a subsidiary, which is under liquidation and to Weigh bird India Ltd. (WIL) a subsidiary, closed as per Calcutta High court Order dated 07 February 2020 in view of non-recoverability thereof.

Also, the company has not considered any interest payable for current financial year on corresponding loans of Rs.6,588.99 lakhs (31 March 2025 Rs.6,588.99 lakhs) from the Government of India, which was used for granting loans to the aforesaid subsidiary companies.
4. Note No.54, balances of some trade receivables, trade payables, loans and advances etc. incorporated in the books as per balances appearing in the relevant subsidiary records, are subject to confirmation from the respective parties and consequential adjustments arising from reconciliation, if any. The Company however is of the view that there will be no material discrepancies in this regard.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Other Information

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether such other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibility of Management for the standalone financial statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and

other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions

are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements for the financial year ended 31 March 2026 and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the accompanying standalone financial statements except for the matters described in Basis for Qualified Opinion Section;
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books except for the possible effect of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section;
 - (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - (d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended except for the possible effect of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section;

- (e) Being a Government Company pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act 2013, are not applicable to the Company.;
- (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to standalone financial statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in “Annexure B” to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company’s internal financial controls with reference to standalone financial statements;
- (g) As per Notification No. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 of the Companies Act 2013, is not applicable to the Government Companies. Accordingly, reporting in accordance with the requirement of provisions of section 197(16) of the Act is not applicable on the Company.
- (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed impact of pending litigations on its financial position in standalone financial statements refer note 31 and note 43 to standalone financial statement;
 - ii. The Company has entered into long term construction contracts and has accounted for foreseeable loss of Rs.23.66 lakhs as at the end of financial year on unexecuted portion of long-term contracts. The company has not entered into any derivative contract;
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity (“Intermediaries”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
(b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity (“Funding Parties”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of



the Funding Party (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

- v. During the year by the company has declared and paid dividend for the year 2024-25 and is in accordance with section 123 of the Act, as applicable.
- vi. Based on our examination which included test checks, the company has used accounting software for maintaining its books of accounts which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated during the year for all relevant transactions recorded in the application. During the course of our audit, we have not come across any instance of audit trail feature being tampered with respect to the accounting software.

Additionally, the audit trail of previous year has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention to the extent it was enabled and recorded in the previous year.

- (i) As required by sub-section (5) of section 143 of the Act and in terms of directions issued by the Comptroller and Auditor General of India during audit of annual accounts of The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited, we give a report in the attached Annexure “C”

For Batliboi, Purohit & Darbari

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration Number: 303086E

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN: 26063404YFQFXF4580

Place: **Kolkata**

Date: 29 July 2026

ANNEXURE "A" TO THE REVISED AUDITORS' REPORT

ANNEXURE A TO THE REVISED INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

To the best of our information and according to the explanations provided to us by the Company and the books of account and records examined by us in the normal course of audit, we state that:

I. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment and Intangible Assets:

- (a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.
- (B) The Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets.
- (b) Plant, property & equipment were physically verified by the management during the year and according to the information and explanation given to us no material discrepancies were noticed on such verification. It has been observed during our audit that the locations of the Plant, Property & Equipment are not mentioned in the Fixed Assets Register excepts in cases of new Purchase during the year.
- (c) According to the information and explanations given to us and in our opinion, the registered sale deed / transfer deed / conveyance deed provided to us, we report that, the title deeds of all the immovable properties, (other than immovable properties where the Company is the lessee) disclosed in the standalone financial statements included in property, plant and equipment are held in the name of the Company as at the balance sheet date.
- (d) The Company has not revalued any of its Property, Plant and Equipment and intangible assets during the year.
- (e) No proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at 31 March 2026 for holding any benami property under the Benami Transactions(Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.

- II. (a) According to the information and explanations given to us, the management of the Company has conducted physical verification of inventory at reasonable intervals during the year and in our opinion the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate.
- (b) According to the information and explanations given to us, the Company has a working capital limit in excess of ₹ 5 crore sanctioned/renewed by banks on the basis of security of current assets and the quarterly returns or statements filed by the company with such banks are in agreement with the books of accounts of the Company.

- III. According to the information and explanations given to us, the Company has not made any investment in, provided any guarantee or security or granted any loans or advance in the nature of loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties during the year. Hence, clause 3(iii) of the Order is not applicable.
- IV. According to the information and explanations given to us and in our opinion, the Company has complied with the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013 in respect of making investments. The Company has not granted any loans as prescribed in Sections 185 Companies Act, 2013 and hence reporting is not applicable to the Company.
- V. According to the information and explanations given to us and in our opinion, the Company has not accepted or is not holding any deposit or amounts which are deemed to be deposits within the meaning of sections 73 to 76 of the Act and the Companies (Acceptance of Deposits) Rule, 2014. Hence, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable.
- VI. According to the information and explanations given to us and in our opinion, the maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013 for the business activities carried out by the Company. Accordingly, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable.

VII. In respect of statutory dues:

- (a) According to the information and explanations given to us and the books and records examined by us, the company is regular in depositing with the appropriate authorities the undisputed statutory dues relating to Provident Fund, Employees State Insurance, Income tax, Sales Tax, Wealth Tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value Added Tax, Goods and Services Tax, Cess and other statutory dues as applicable to it have been regularly deposited during the year by the Company with the appropriate authorities except for delay in few cases.

According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of Income tax, Service Tax, Goods and Services Tax, Cess and other material statutory dues were in arrears as at 31 March 2026 for a period of more than six months from the date they became payable except as stated below.

S. No	Nature of Dues	Amount (Rs. in Lakh)	Period to which it Relates (FY)
1	Professional Tax	0.66	Old Dues
2	Tax Collected on Source	0.16	
3	Service Tax Payable (BBUNL)	1.94	
4	Tax Deducted at Source	1.45	
5	Sales Tax	1.54	
6	Income Tax	4.47	2006-07
7	Income Tax	2.35	2008-09

- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of the books and records examined by us, as may be applicable, given herein below are the details of dues of income tax, sales tax, service tax, provident fund which have not been deposited on account of disputes and the forum where the dispute is pending:

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of Dues	Period of which relates (F.Y)	Forum where dispute is pending/dismissed	Amount (in Rs. Lakh)
1	W.B. Value Added Tax Act, 2003	Works Contract Tax	2011-12	Joint Commissioner of Commercial Taxes	4.30
2	Bihar Value added Tax Act, 2005	Works Contract Tax	2010-11	Joint Commissioner of Commercial Taxes	33.25
3	Bihar Value added Tax Act, 2005	Works Contract Tax	2011-12	Joint Commissioner of Commercial Taxes	30.98
4	Finance Act, 1994	Service tax Demand, Interest thereon under section 75 (amount not qualified) and penalty imposed	2007-08 to 2011-12	The Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal	154.45
5	Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952	Damages/ Interest payable	03/2000 to 04/2008	Provident Fund Commissioner, RO, Kolkata, West Bengal has raised the demand. The Company has preferred an appeal before Employees Provident Fund Appellate Tribunal New Delhi and before Hon'ble High Court, Calcutta. Demand amount is Rs. 96.10 lakhs & fund with BBUNL Provident Fund Trust Organisation Rs. 41.96 lakhs	54.14
6	Delhi Value Added Tax Act, 2004	Works Contract Tax	2004-05	Commercial Tax Department	19.36
7	W.B. Value Added Tax Act, 2003	Works Contract Tax	2016-17	Appellate Authority	0.21
8	Income Tax	Income Tax Demand	2007-08	Commissioner of Income Tax (Appeal)	11.13
9	Income Tax	Income Tax Demand	2009-10	Commissioner of Income Tax (Appeal)	10.65
10	Income Tax	Income Tax Demand	2010-11	Jurisdiction Assessing Officer	0.96
11	Income Tax	Income Tax Demand	2011-12	Commissioner of Income Tax (Appeal)	69.95
12	Income Tax	Income Tax Demand	2013-14	Jurisdiction Assessing Officer	66.80
13	Income Tax	Income Tax Demand	1999-20	Income Tax Appellate Tribunal	58.67
14	Income Tax	Income Tax Demand	2014-15	Jurisdiction Assessing Officer	4.94
15	Income Tax	Income Tax Demand	2016-17	Jurisdiction Assessing Officer	6.00

- VIII. According to the information and explanation given to us and in our opinion, there were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).
- IX. (a) According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company has not defaulted in repayment of its loans or borrowings to banks or in the payment of the interest thereon.
- (b) According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.
- (c) According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company has not taken any term loan during the year and hence, reporting under clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable.
- (d) According to the information and explanation given to us and in our opinion, on an overall examination of the standalone financial statements of the Company, funds raised on short- term basis have, not been used during the year for long-term purposes by the Company.
- (e) According to the information and explanation given to us and in our opinion, an overall examination of the standalone financial statements of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiary companies or joint ventures.
- (f) According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company has not raised any loans during the year and hence reporting on clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.
- X. (a) According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year and hence reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.
- (b) According to the information and explanation given to us and in our opinion, during the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partly or optionally) and hence reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.
- XI. (a) No fraud by the Company and no material fraud on the Company has been noticed or reported during the year.
- (b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by us in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.
- (c) There are no whistle-blower complaints received during the year by the company.
- XII. The Company is not a Nidhi Company and hence reporting under clause (xii) of the Order is not applicable.
- XIII. According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 with respect to applicable transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the standalone financial statements as required by the applicable accounting standards.
- XIV.(a) In our opinion the Company has an adequate internal audit system commensurate with the size and the nature of its business.
- (b) We have considered, the internal audit reports issued to the Company during the year and till the date of our audit report.

- XV. According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected with its directors and hence provisions of section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.
- XVI. According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause 3(xvi)(a), (b), (c) and (d) of the Order is not applicable.
- XVII. The Company has not incurred cash losses during the financial year and the immediately preceding financial year.
- XVIII. There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.
- XIX. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the standalone financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
- XX (a) According to the information and explanation given to us and in our opinion, there are no unspent amounts towards Corporate Social Responsibility (CSR) requiring a transfer to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act in compliance with second proviso to sub-section (5) of Section 135 of the said Act. Accordingly, reporting under clause 3(xx)(a) of the Order is not applicable for the year.
- (b) The Company has no ongoing projects. Accordingly, reporting under clause 3(xx)(b) of the Order is not applicable for the year
- XXI The reporting under clause 3(xxi) of the Order is not applicable in respect of audit of standalone financial statements of the Company. Accordingly, no comment has been included in respect of said clause under this report.

For Batliboi, Purohit & Darbari*Chartered Accountants*

ICAI Firm Registration Number: 303086E

Place: **Kolkata**

Date: 29 July, 2026

Hemal Mehta*Partner*

Membership No. 063404

UDIN: 26063404YFQFXF4580

Annexure –B

ANNEXURE B TO THE REVISED INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(Referred to in paragraph 2(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to standalone financial statements of **The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited** ("the Company") as of 31 March 2026 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to standalone financial statements based on "the internal control with reference to standalone financial statements criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with reference to standalone financial statements of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to standalone financial statements. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to standalone financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to standalone financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to standalone financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls with reference to standalone financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to standalone financial statements

A company's internal financial control with reference to standalone financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control with reference to standalone financial statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to standalone financial statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to standalone financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to standalone financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to standalone financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements and such internal financial controls with reference to standalone financial statements were operating effectively as at 31 March 2026, based on the internal control with reference to standalone financial statements criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For Batliboi, Purohit & Darbari*Chartered Accountants*

ICAI Firm Registration Number: 303086E

Hemal Mehta*Partner*

Membership No. 063404

UDIN: 26063404YFQFXF4580

Place: **Kolkata**

Date: 29 July 2026

Annexure - C

ANNEXURE C TO THE REVISED INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

CAG's directions to statutory auditor under section 143(5) of the Companies Act 2013 applicable to the financial statements of Government Companies for the year 2025-26.

Directions u/s 143(5) of the companies Act, 2013	Auditor's reply on action taken on the directions
1. Assess the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.	As per explanation and information given to us post-retirement benefits available to the company is Retirement Gratuity and Leave Encashment. Gratuity, is a Defined Contribution Plan and maintained by Life Insurance Corporation of India (LIC) through Group Gratuity Scheme. Leave Encashment benefits are paid by the Company on retirement of its employees as leave due and accumulated based on Company's Rule. Regarding valuation approach and valuation methodologies applied by Company for these investments are reasonable and consistent with Ind AS-19 as disclosed at Note 35 of financial statements. No material deviations or misstatements have been observed.
2. Whether the company has a system in place to process all the accounting transaction through IT system? If yes, whether review of this system and controls that are significant to the Companies' financial reporting process as well as cyber security has been done by Information Security Auditing Organization empanelled by Cert-In at a minimum frequency of once in a year and material discrepancies found, if any, have been suitably reported? The implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications may also be reported.	Yes, as per the explanation and information provided to us that the company is using accounting software named Tally Prime and processes all the accounting transactions through it except Stock which is being accounted for manually. Based on the audit procedures performed by us and reports of reviews conducted by the management there is no material weakness in the IT systems and controls, which may result in material misstatement of the financial statements of the entity. There was no evidence of any IT review of systems and controls of the Company during the year by the Company or by any Information Security Auditing Organization empaneled by CERT IN or any other outside agency.

3. Whether funds (grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for as per the applicable accounting standards or norms and whether the received funds were utilised as per its terms and conditions? Whether accounting of interest earned on grants received has been done as per terms and conditions of the Grant. List the cases of deviation.	Based on the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, we report that the Company has not received any funds (grants/subsidy, etc) under any specific scheme from the Central/State Government or its agencies during the year. Accordingly, the question of utilization of such funds as per the terms and conditions of the respective scheme doesn't arise.
4. Whether the Company has identified the key Risk areas? If yes, whether the Company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? (b) whether the Company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?	The Company has identified the Key risk areas and has formulated a risk management policy to mitigate these risks. It incorporates principles considered appropriate to the company's operations and risk profile. (a) The Policy has been formulated considering the global best practice into account. (b) The Company has not identified any data assets for the purpose of valuation.
5. Whether the Company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERTIN, Ministry of Electronics and information Technology and National Payments Corporation of India wherever applicable? If not, the cases of deviation may be highlighted.	Based in the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, we report that the Company is an unlisted entity. Accordingly, the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are not applicable to the Company. Further, based on our procedures and as per the information provided, the Company is generally complying with the applicable rules and regulations, wherever applicable, of the concerned authorities such as the Ministry of Corporate Affairs and other relevant regulatory bodies. No instances of non-compliance or deviations with applicable laws and regulations have come to our notice during the course of our audit.

For Batliboi, Purohit & Darbari

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration Number: 303086E

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN: 26063404YFQFXF4580

Place: **Kolkata**

Date: 29 July 2026

MANAGEMENT'S REPLIES TO THE AUDITOR'S OBSERVATIONS

SL NO	Audit Observations	Management Replies
	Qualified Opinions	
1	Note No.7 Other Financial Assets-Current include loan of Rs.5,932.96 lakhs (31 March 2025 Rs.5,932.96 lakhs) and interest accrued Rs.33,656.29 lakhs (31 March 2025 Rs.3,3656.29 lakhs) to Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd (BPMEEL), a subsidiary company and loan of Rs.656.03 lakhs (31 March 2025 Rs.656.03 lakhs) and interest accrued Rs.350.26 lakhs (31 March 2025 Rs.350.26 lakhs) to Weigh bird India Ltd (WIL), a subsidiary of the company. Note No.16, Borrowings includes loan from GOI Rs.6,588.99 lakhs (31 March 2025 Rs.6,588.99 lakhs) and Note No.20, Other Financial Liabilities, includes interest payable Rs.34,006.55 lakhs (31 March 2025 Rs.34,006.55 lakhs) on said GOI loans. BPMEEL is under liquidation since 2004 with company's admitted claims of Rs. 39,898.01 lakhs (31 March 2025 Rs.39,898.01 lakhs) and WIL dissolved in 2020 after completion of all liquidation proceedings. Notwithstanding the status of above subsidiaries, based on facts that loans due to said subsidiaries along with interest and loans from GOI along with accrued interest representing same, as per internal assessment made by the company same have been carried at cost. As no assessment and consequent provision for loss allowance of loans and accrued interest have been made in the financial statement for the year its specific financial implication on company's profitability and liabilities/assets for the year is unascertained.	GOI loans to erstwhile subsidiaries of BBUNL (now BBJ) towards Plan and Non-Plan purposes were routed through BBUNL (erstwhile Holding Company) for disbursement to respective subsidiaries. Irrespective of status of subsidiaries, in case of any eventuality of non-realizability of such loan and interest thereon, same to be adjusted with the corresponding amount of loan and interest payable to GOI, with appropriate directives from GOI. Regarding carrying of such loans to subsidiaries at cost is based on company's Significant Accounting Policies at Para.17 and the same is being followed consistently over the years.

SL NO	Audit Observations	Management Replies
2	Note No.7 Other Financial Assets, Advance to Creditors comprises Rs.571.56 lakhs (31 March 2025 Rs.571.56 lakhs) to different parties against which a corresponding liability of Rs.885.25 lakhs (31 March 2025 Rs.885.25 lakhs) stands on date. Company considered the same as good and no adjustments have been made during the year. Due to pending such adjustments, with advance to creditors and corresponding liabilities, specific financial implication on company's profitability and liabilities/assets for the year is unascertained.	Such advances were given to different parties for executing projects and their bills remain unadjusted till date. For cases where credit balances are lying unadjusted against the contracts same to be adjusted accordingly and for rest, necessary follow-up to be made for their recoveries. In case of any non-recovery or any pending adjustment, appropriate provision to be made on case-to-case basis.
3	Note no.5 Investments includes Rs.486.30 lakhs (31 March 2025 Rs.486.30 lakhs) in Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd (BPMEL), an erstwhile subsidiary company, Rs.2,558.01 lakhs (31 March 2025 Rs.2,558.01 lakhs) in Jessop & Co. Ltd, both are under liquidation. Based on internal assessment made by the management, notwithstanding the status of above entities as at the reporting date, said investments have been carried at cost. As no assessment and consequent provisions for impairment in the value of such investments have been made in the financial statement during the year its specific financial implication on company's profitability and liabilities/assets for the year is unascertained.	Investments in equity instruments of subsidiaries, associates and joint venture are carried at cost as per company's Significant Accounting Policies Para.17. Erstwhile BBUNL (now BBJ) made investments into such subsidiaries out of equity fund released by GOI for corresponding investments into specified subsidiary. Irrespective of status of subsidiaries, in case of any differences in realizable value of such investments, with appropriate directives from GOI, the company will make necessary adjustments into its books of accounts.
	Emphasis of Matters	
1	Note No.7 Other Financial Assets-Current includes other advances of Rs. 26.21 lakhs (31 March 2025 Rs. 26.21 lakhs) comprises of Rs. 15.76 lakhs (31 March 2025 Rs. 15.76 lakhs) for deposit against sales tax appeal and balance of Rs. 10.45 lakhs (31 March 2025 Rs. 10.45 lakhs) as salary advance which is under reconciliation.	A list of such advances is given to Note No.49 of Notes forming part of Financial Statements. Company will thoroughly inquire into all such advances and wherever appropriate necessary follow-up be made for its recovery/adjustment.
2	Note No.13 Other Current Assets includes deposited as advance with Statutory Authorities Rs. 21.84 lakhs (31 March 2025 Rs.21.84 lakhs) which are very old. The Company is in process of reconciliation and adjusting the same.	A list of such deposits is given to Note No.50 of Notes forming part of Financial Statements. Company will thoroughly inquire into all such deposits and wherever appropriate necessary follow-up be made for their recovery/adjustment.

SL NO	Audit Observations	Management Replies
3	Note No.58, the company has not considered any interest accrued for current financial year on loans of Rs.6,588.99 lakhs (31 March 2025 Rs.6,588.99 lakhs) granted both to Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd. a subsidiary, which is under liquidation and to Weigh bird India Ltd. (WIL) a subsidiary, closed as per Calcutta High court Order dated 07 February 2020 in view of non-recoverability thereof. Also, the company has not considered any interest payable for current financial year on corresponding loans of Rs.6,588.99 lakhs (31 March 2025 Rs.6,588.99 lakhs) from the Government of India, which was used for granting loans to the aforesaid subsidiary companies.	GOI loans to erstwhile subsidiaries of BBUNL (now BBJ) towards Plan and Non-Plan purpose were routed through BBUNL (then Holding Company) for disbursement to respective subsidiaries. Irrespective of status of subsidiaries, in case of any eventuality of non-realizability of such loan and interest thereon, same to be adjusted with the corresponding amount of loan and interest payable to GOI, with their appropriate directives. As the subsidiaries are under liquidation/ closed, interest on such loan and advances have not been provided into books. Since, realization of interest is uncertain from subsidiary companies.
4	Note No.54, balances of some trade receivables, trade payables, loans and advances etc. incorporated in the books as per balances appearing in the relevant subsidiary records, are subject to confirmation from the respective parties and consequential adjustments arising from reconciliation, if any. The Company however is of the view that there will be no material discrepancies in this regard.	Confirmation from some parties have since been received and shown to the Auditors. However, observation of the auditors is noted for further compliance.

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE
COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS
OF THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION
COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026**

The preparation of financial statements of The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited for the year ended 31 March 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 29 July 2026 which supersedes their earlier Audit Report dated 20 June 2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited for the year ended 31 March 2026 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revisions made in the statutory auditor's report, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Audit General of India

(Ashutosh Joshi)
Director General of Audit (Power)

Place: New Delhi
Date: 02 September 2026

Audited Financial Statements

Balance Sheet as at 31st March'2026

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

	Note	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
Assets			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	2	422.95	490.56
Intangible assets	3	7.89	3.94
Capital work-in-progress	4	-	-
Financial assets			
Investments	5	3,184.10	3,179.16
Trade receivables	6	-	-
Others	7	5,972.72	4,839.82
Deferred tax assets, net	8	807.25	719.82
		10,394.91	9,233.30
Current assets			
Inventories	9	2,605.62	2,802.85
Financial assets			
Trade receivables	6	5,044.92	1,987.61
Cash and cash equivalents	10	1,927.96	5,190.80
Other bank balances	11	14,852.87	13,945.21
Others	7	44,365.98	43,579.61
Current Tax Assets	12	412.92	-
Other Current Assets	13	2,330.98	6,245.06
		71,541.25	73,751.14
Total assets		81,936.16	82,984.44
Equity and Liabilities			
Equity			
Equity share capital	14	12,086.05	12,086.05
Other equity	15	15,076.39	14,291.54
Total equity		27,162.44	26,377.59
Non-current liabilities			
Financial Liabilities			
Borrowings	16	163.43	192.11
Other financial liabilities	20	95.05	69.89
Trade payables	19		

	Note	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		317.50	323.96
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		-	-
Provisions	17	371.17	418.34
Other non-current liabilities	18	4,114.50	4,135.28
		5,061.65	5,139.58
Current liabilities			
Financial Liabilities			
Borrowings	16	6,589.00	6,589.00
Lease Liabilities		-	-
Trade payables	19	-	-
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		710.51	499.00
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		-	-
Other financial liabilities	20	38,538.99	38,219.10
Other current liabilities	18	3,792.49	6,027.67
Current tax liabilities	21	-	90.98
Provisions	17	81.08	41.52
		49,712.07	51,467.27
Total liabilities		54,773.72	56,606.85
Total equity and liabilities		81,936.16	82,984.44
Material accounting policies	1		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

For BATLIBOI, PUROHIT & DARBARI
Chartered Accountants

Firm's Registration Number: 303086E

for and on behalf of the Board of Directors of
The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited

CIN: U70100WB1986GOI041286

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN : 26063404JWVBXE5585

N K Mishra

Company Secretary

PAN - AIQPM3388P

S K Ghosh

Director (Finance)

DIN - 10659781

Place: Kolkata

Date: 20th June, 2026

Naresh Kumar

Director (Technical)

DIN - 11194115

Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)

Chairman & Managing Director

DIN - 09832486

Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March'2026

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

	Note	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
Revenue from operations	22	10,051.78	18,276.59
Other income	23	1,542.00	1,301.48
Total income		11,593.78	19,578.07
Expenses			
Cost of materials consumed	24	1,459.72	556.02
Changes in inventories and work in progress	25	84.71	959.74
Sub Contract & other conversion charges	25A	4,907.40	9,879.07
Consumption of Stores, Spares & Loose Tools	25B	52.99	80.79
Employee's benefit expenses	26	1,827.07	2,350.97
Finance costs	27	58.44	50.84
Depreciation and amortisation expense	28	98.24	119.49
Other expenses	29	1,273.32	1,572.51
Total expense		9,761.89	15,569.43
Profit before tax		1,831.89	4,008.63
Tax expenses			
Current tax	30	522.55	1,029.68
Deferred tax	30	(87.43)	(80.67)
Total tax expense		435.12	949.01
Profit for the year		1,396.77	3,059.62
Other comprehensive income			
Items that will not be reclassified to profit or loss		-	-
Items that will be reclassified to profit or loss		-	-
Income-tax effect	30	-	-
Other comprehensive income for the year, net of tax		-	-
Total comprehensive income for the year		1,396.77	3,059.62
Earnings per equity share (nominal value of INR 1,000) in INR	37		
Basic		115.57	253.15
Diluted		115.57	253.15

Material accounting policies 1

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

For BATLIBOI, PUROHIT & DARBARI

Chartered Accountants

Firm's Registration Number: 303086E

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN : 26063404JWVBXE5585

N K Mishra

Company Secretary

PAN - AIQPM3388P

S K Ghosh

Director (Finance)

DIN - 10659781

for and on behalf of the Board of Directors of
**The Braithwaite Burn and Jessop Construction
Company Limited**

CIN: U70100WB1986GOI041286

Place: Kolkata

Date: 20th June, 2026

Naresh Kumar

Director (Technical)

DIN - 11194115

Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)

Chairman & Managing Director

DIN - 09832486

Statement of Cash Flows for the year ended 31st March'2026

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
I. Cash flows from operating activities		
Profit before tax	1,831.89	4,008.63
<i>Adjustments to reconcile profit before tax to net cash flows:</i>		
Depreciation of tangible assets	93.95	113.53
Amoritsation of intangible assets	4.29	5.96
Profit on sale Property, Plant & Equipment (Net)	(43.32)	(4.67)
Interest income on bank and Security Deposits	(1,421.60)	(1,245.64)
Finance costs	58.44	50.84
Interest income	(4.95)	(4.69)
Operating profit before working capital changes	518.70	2,923.96
<i>Changes in working capital:</i>		
Adjustment for (increase)/decrease in operating assets		
Trade receivables	(3,057.31)	355.67
Inventories	197.23	1,050.65
Other financial assets	(3,109.26)	593.80
Other current assets	3,914.08	(5,262.57)
Adjustment for (increase)/decrease in operating liabilities		
Trade payables	205.05	(1.64)
Other financial liabilities	345.05	(186.91)
Other current liabilities	(2,235.17)	3,311.94
Provisions	(7.61)	(63.37)
Cash generated from operations	(3,229.24)	2,721.53
Income taxes paid	(1,026.45)	(482.42)
Net cash generated from/(used in) operating activities	(4,255.69)	2,239.11
II. Cash flows from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment and intangibles (including capital work in progress)	(35.20)	(34.76)
Disposal of property, plant and equipment and intangibles (including capital work in progress)	43.94	6.86
(Investments in)/ redemption of term deposits with Banks with original maturities of more than 3 months	(907.66)	(249.51)
Interest received	1,421.60	1,245.64
Deposits with Bank having maturity if more than one year from the balance sheet date	1,189.99	213.92
Net cash from / (used in) investing activities	1,712.67	1,182.15
III. Cash flows from financing activities		
Proceeds from/(repayment of) long-term borrowings, net	(49.46)	(47.42)
Proceeds from/(repayment of) short-term borrowings, net	-	-

	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
Interest paid	(58.44)	(50.84)
Final dividend	(611.92)	(412.61)
Tax on final dividend	-	-
Net cash from / (used in) financing activities	(719.82)	(510.87)
Net increase in cash and cash equivalents (I+II+III)	(3,262.84)	2,910.39
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	5,190.80	2,280.41
Cash and cash equivalents at the end of the year (refer note below)	1,927.96	5,190.80

Note:

Cash and cash equivalents comprise:

Cash on hand	2.71	2.17
Balances with banks:		-
- On current accounts	181.55	324.29
- In deposit accounts with Original Maturity of less than three months	1,743.70	4,864.34
Overdraft from Canara Bank	-	-
	1,927.96	5,190.80

Material accounting policies 1

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

For BATLIBOI, PUROHIT & DARBARI
Chartered Accountants

Firm's Registration Number: 303086E

for and on behalf of the Board of Directors of
**The Braithwaite Burn and Jessop Construction
Company Limited**

CIN: U70100WB1986GOI041286

Hemal Mehta
Partner
Membership No. 063404
UDIN : 26063404JWVBXE5585

N K Mishra
Company Secretary
PAN - AIQPM3388P

S K Ghosh
Director (Finance)
DIN - 10659781

Place: Kolkata
Date: 20th June, 2026

Naresh Kumar
Director (Technical)
DIN - 11194115

Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)
Chairman & Managing Director
DIN - 09832486

Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2026

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

a. Equity Share Capital

	No. of shares	Amount
Balance as at 1 April 2024	12,08,605	12,086.05
Balance as at 31 March 2025	12,08,605	12,086.05
Add: Issued during the year	-	-
Balance as at 31 March 2026	12,08,605	12,086.05

b. Other equity

Particulars	Share application money pending allotment	Restructuring Equity Share Deposit	Reserves and Surplus				Total
			Capital Reserve	General reserve	Retained earnings	Debenture Redemption Reserve	
As at 31 March 2024	-	-	0.06	1,473.65	10,079.66	91.16	11,644.53
Profit for the year	-	-	-	-	3,059.62	-	3,059.62
Transfer to retained earnings	-	-	-	-	12.50	(12.50)	-
Final dividend	-	-	-	-	(412.61)	-	(412.61)
Tax on final dividend	-	-	-	-	-	-	-
Other comprehensive income							
Re-measurement gains/ (losses) on defined benefit plans	-	-	-	-	-	-	-
Income-tax effect	-	-	-	-	-	-	-
As at 31 March 2025	-	-	0.06	1,473.65	12,739.17	78.66	14,291.54
Profit for the year	-	-	-	-	1,396.77	-	1,396.77
Final dividend	-	-	-	-	(611.92)	-	(611.92)
Tax on final dividend	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to retained earnings	-	-	-	-	12.50	(12.50)	-
Other comprehensive income							
Re-measurement gains/ (losses) on defined benefit plans, net of tax	-	-	-	-	-	-	-
Income-tax effect	-	-	-	-	-	-	-
Balance as of 31 March 2026	-	-	0.06	1,473.65	13,536.52	66.16	15,076.39

Material accounting policies

1

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

For BATLIBOI, PUROHIT & DARBARI
Chartered Accountants

Firm's Registration Number: 303086E

 for and on behalf of the Board of Directors of
The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited

CIN: U70100WB1986GOI041286

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN : 26063404JWVBXE5585

N K Mishra

Company Secretary

PAN - AIQPM3388P

S K Ghosh

Director (Finance)

DIN - 10659781

Place: Kolkata
Date: 20th June, 2026
Naresh Kumar

Director (Technical)

DIN - 11194115

Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)

Chairman & Managing Director

DIN - 09832486

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

1 Company Information and Material Accounting Policies

A. Company Overview

The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited ('the Company') is a Company domiciled in India and limited by shares (CIN: U70100WB1986GOI041286). The address of the Company's registered office is 27, R. N. Mukherjee Road, Modi Building, Kolkata - 700001. The Company is primarily involved in business of construction engineering including fabrication work.

B. Basis of preparation of financial statements

1 Statement of Compliance

These financial statements are prepared on accrual basis of accounting and comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and subsequent amendments thereto, the Companies Act, 2013 (to the extent notified and applicable) and applicable provisions of the Companies Act, 1956.

2 Basis of preparation

These financial statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS), under historical cost convention on accrual basis as per provision of the Companies Act, except as otherwise as mentioned

3 Presentation of financial statements

The Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are prepared and presented in the format prescribed in the Schedule III to the Companies Act, 2013 ("the Act"). The Statement of Cash Flows has been prepared and presented as per the requirements of Ind AS 7 "Statement of Cash Flows". The disclosure requirements with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of notes forming part of the financial statements.

4 Functional currency

The financial statements are presented in Indian rupees, which is the functional currency of the Company. Functional currency of an entity is the currency of the primary economic environment in which the entity operates.

All financial information presented in INR has been rounded to the nearest lakhs (upto two decimals), except as stated otherwise.

5 Operating cycle

All the assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013.

Assets:

An asset is classified as current when it satisfies any of the following criteria:

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

- a) it is expected to be realized in, or is intended for sale or consumption in, the Company's normal operating cycle;
- b) it is held primarily for the purpose of being traded;
- c) it is expected to be realized within twelve months after the reporting date; or
- d) it is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date.

Liabilities:

A liability is classified as current when it satisfies any of the following criteria:

- a) it is expected to be settled in the Company's normal operating cycle;
- b) it is held primarily for the purpose of being traded;
- c) it is due to be settled within twelve months after the reporting date; or
- d) the Company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date. Terms of a liability that could, at the option of the counterparty, result in its settlement by the issue of equity instruments do not affect its classification.

Current assets/ liabilities include the current portion of non-current assets/ liabilities respectively. All other assets/ liabilities are classified as non-current. Deferred tax assets/liabilities are classified as non-current.

6 Critical accounting judgements and key sources of estimation uncertainty

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS requires the management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses and disclosure of contingent liabilities and contingent assets at the date of financial statement and the results of operation during the reporting period. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimates are revised and in any future period affected. Information about critical judgements in applying accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements is included in the accounting policies and/or the notes to the financial statements.

In order to enhance understanding of the financial statements, information about significant areas of estimation, uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements is as under:

Recognition of deferred tax assets – The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the probability of the future taxable income against which the deferred tax assets can be utilized.

Evaluation of indicators for impairment of assets – The evaluation of applicability of indicators of impairment of assets requires assessment of several external and internal factors which could result in deterioration of recoverable amount of the assets.

Impairment of financial assets – At each balance sheet date, based on historical default rates observed over expected life, the management assesses the expected credit loss on outstanding financial assets.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Provisions – At each balance sheet date the management judgment, changes in facts and legal aspects, the Company assesses the requirement of provisions against the outstanding contingent liabilities. However, the actual future outcome may be different from this judgement.

Useful lives of depreciable/ amortisable assets – Management reviews its estimate of the useful lives of depreciable/amortisable assets at each reporting date, based on the expected utility of the assets. Uncertainties in these estimates relate to technical and economic obsolescence that may change the utility of assets.

Defined benefit obligation (DBO) – Management’s estimate of the DBO is based on a number of underlying assumptions such as standard rates of inflation, mortality, discount rate and anticipation of future salary increases. Variation in these assumptions may significantly impact the DBO amount and the annual defined benefit expenses.

Fair value measurements – Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available). This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument.

7 Measurement of fair values

A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the measurement of fair values, for both financial and non-financial assets and liabilities.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the inputs used in the valuation techniques as follows:

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses observable market data as far as possible. If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability fall into different levels of the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorised in its entirety in the same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement.

The Company recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting period during which the change has occurred.

C. Material accounting policies

1 Revenue recognition

a) Revenue from construction contract is recognised as follows

In accordance with IndAS 115 “Revenue from Contracts with customers”, Revenue is recognised from construction and service activities is based on “over time” method and the company uses the output method to measure progress of delivery.

When the outcome of individual contracts can be estimated reliably, contract revenue and contract cost are recognised as revenue and expenses respectively by reference to the stage of completion at the reporting date. Costs are recognised as incurred and revenue is recognised on the basis of proportion of total cost at the

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

reporting date to the estimated total cost of the contract.

The estimated outcome of a contract is considered reliable when all the following conditions are satisfied:

- i. the amount of revenue can be measured reliably;
- ii. it is probable that the economic benefits associated with the contract will flow to the Company;
- iii. the stage of completion of the contract at the end of the reporting period can be measured reliably; and
- iv. the costs incurred or to be incurred in respect of the contract can be measured reliably.

Expected loss, if any, on a contract is recognised as expense in the period in which it is foreseen, irrespective of the stage of completion of the contract.

Contracts result in revenue recognised in excess of billings are considered as Contract Assets and advance payments received against Contracts are considered as Contract Liability. Contract Assets and Contract Liabilities are presented as part of Current Assets and Current Liabilities in Financial Statements. For depository works, Contract assets are shown net of deposit received against those contracts.

Contract Assets relate to Company's right to consideration on certain definite basis for work completed but not billed at the reporting date. The amount of Contract Assets during the period was impacted by impairment and / or provisions whenever felt appropriate. Contract Liabilities relate to advance consideration received from customers for which revenue is recognised over time.

Amounts billed for work performed but yet to be paid by the customer are disclosed in the Balance Sheet as trade receivables. The amount of retention money held by the customers is disclosed as part of other current assets and is reclassified as trade receivables when it becomes due for payment.

- b) Sale of Goods:** Revenue from sale of goods is recognised when the Company has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods, it no longer retains control over the goods sold, the amount of revenue can be measured reliably, it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company and the costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.
- c) Rendering of services :** Revenue from rendering services is recognised when the outcome of a transaction can be estimated reliably by reference to the stage of completion of the transaction. The outcome of a transaction can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied:
 1. the amount of revenue can be measured reliably;
 2. it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company;
 3. the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period can be measured reliably; and
 4. the costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.

Stage of completion is determined by the proportion of actual costs incurred to-date, to the estimated total costs of the transaction.

Unbilled revenue represents value of services performed in accordance with the contract terms but not billed.

- d) Interest Income:** Interest income from a financial asset is recognised when it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time proportion basis, by reference to the principal outstanding and the effective interest rate

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial assets to that asset's net carrying amount on initial recognition.

- e) **Dividend Income:** Dividend income is recognised when the Company's right to receive the dividend is established.

2 Leases

Leases are accounted as per Ind AS 116 which has become mandatory from April 1, 2019.

Assets taken on lease are accounted as right-of-use assets and the corresponding lease liability is accounted at the lease commencement date.

Initially the right-of-use asset is measured at cost which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments, discounted using the Company's incremental borrowing rate. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or a rate, or a change in the estimate of the guaranteed residual value, or a change in the assessment of purchase, extension or termination option. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in the Statement of Profit and Loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The right-of-use asset is measured by applying cost model i.e. right-of-use asset at cost less accumulated depreciation and cumulative impairment, if any. The right-of-use asset is depreciated using the straight-line method from the commencement date to the end of the lease term or useful life of the underlying asset whichever is earlier. Carrying amount of lease liability is increased by interest on lease liability and reduced by lease payments made.

Lease payments associated with following leases are recognised as expense on straight-line basis: (i) Low value leases; and (ii) Leases which are short-term.

Assets given on lease are classified either as operating lease or as finance lease. A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an underlying asset. Initially asset held under finance lease is recognised in balance sheet and presented as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease. Finance income is recognised over the lease term, based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on Company's net investment in the lease. A lease which is not classified as a finance lease is an operating lease.

The Company recognises lease receipts in case of assets given on operating leases as income on a straight-line basis. The Company presents underlying assets subject to operating lease in its balance sheet under the respective class of asset.

3 Foreign currencies

In preparing the financial statements of the Company, transactions in currencies other than the company's

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

functional currency (foreign currencies) are recognised at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated. Exchange differences on monetary items are recognised in profit or loss in the period in which they arise.

4 Borrowing costs

Specific borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of such asset till such time the asset is ready for its intended use and borrowing costs are being incurred. A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

Borrowing cost includes interest expense, amortization of discounts, ancillary costs incurred in connection with borrowing of funds and exchange difference arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as an adjustment to the Interest cost.

5 Income Tax

Income tax expense consists of current and deferred tax. Income tax expense is recognized in the income statement except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in equity.

Current tax

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.

Deferred tax

Deferred tax is recognized using the balance sheet method, providing for temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognized for the following temporary differences: the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit; differences relating to investments in subsidiaries and jointly controlled entities to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future; and taxable temporary differences arising upon the initial recognition of goodwill. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date. Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be realized simultaneously.

A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary difference can be utilized. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

6 Earnings per share

The Company presents basic and diluted earnings per share (“EPS”) data for its ordinary shares. The basic earnings per share is computed by dividing the net profit attributable to equity shareholders for the period by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit attributable to equity shareholders for the year relating to the dilutive potential equity shares, by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and the weighted average number of equity shares which could have been issued on the conversion of all dilutive potential equity shares. Potential equity shares are deemed to be dilutive only if their conversion to equity shares would decrease the net profit per share.

7 Property, plant and equipment

The initial cost of PPE comprises its purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, and any directly attributable costs of bringing an asset to working condition and location for its intended use, including relevant borrowing costs and any expected costs of decommissioning, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Expenditure incurred after the PPE have been put into operation, such as repairs and maintenance, are charged to the Statement of Profit and Loss in the period in which the costs are incurred.

If significant parts of an item of PPE have different useful lives, then they are accounted for as separate items (major components) of PPE.

Material items such as spare parts, stand-by equipment and service equipment are classified as PPE when they meet the definition of PPE as specified in Ind AS 16 – Property, Plant and Equipment. Property, Plant and Equipment costing Rs.10,000/- or less are fully depreciated in the year of acquisition

7.1 Expenditure during construction period

Expenditure during construction period (including financing cost related to borrowed funds for construction or acquisition of qualifying PPE) is included under Capital Work-in-Progress, and the same is allocated to the respective PPE on the completion of their construction. Advances given towards acquisition or construction of PPE outstanding at each reporting date are disclosed as Capital Advances under “Other non-current Assets”.

7.2 Depreciation

Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of PPE over its useful life and is provided as per the Written Down Value Method over the useful lives as prescribed in Schedule II to the Act.

Depreciable amount for PPE is the cost of PPE less its estimated residual value. The useful life of PPE is the period over which PPE is expected to be available for use by the Company, or the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by the Company.

Depreciation on additions is provided on a pro-rata basis from the date of installation or acquisition. Depreciation on deductions/disposals is provided on a pro-rata basis up to the date of deduction/disposal.

Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with carrying amount. These are included in the Statement of Profit & Loss.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

8 Intangible assets and amortisation

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and impairment. Intangible assets are amortized over their respective estimated useful lives on a straight-line basis, from the date that they are available for use.

Amortization

The estimated useful life of an identifiable intangible asset is based on a number of factors including the effects of obsolescence, demand, competition and other economic factors (such as the stability of the industry and known technological advances) and the level of maintenance expenditures required to obtain the expected future cash flows from the asset.

The Company amortizes computer software using the straight-line method over the period of 3 years.

9 Inventories

Inventories are valued after providing for obsolescence, as under:

- (i) Raw materials, components, construction materials, stores, spares and loose tools at lower of weighted average cost or net realisable value. However, these items are considered to be realisable at cost if the finished products in which they will be used, are expected to be sold at or above cost.
- (ii) Completed property/work-in-progress in respect of construction activity at lower of specifically identifiable cost or net realisable value.

Assessment of net realisable value (NRV) is made at the end of each reporting period and when the circumstances that previously caused inventories to be written-down below cost no longer exist or when there is clear evidence of an increase in net realisable value because of changed economic circumstances, the write-down, if any, in the past period is reversed to the extent of the original amount written-down so that the resultant carrying amount is the lower of the cost and the revised net realisable value.

10 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the Balance Sheet comprise cash at bank and in hand and short-term deposits with banks that are readily convertible into cash which are subject to insignificant risk of changes in value and are held for the purpose of meeting short-term cash commitments.

11 Statement of Cash Flows

Statement of Cash Flows is prepared segregating the cash flows into operating, investing and financing activities. Cash flow from operating activities is reported using indirect method, adjusting the profit before tax excluding exceptional items for the effects of:

- (i) changes during the period in inventories and operating receivables and payables transactions of a non-cash nature;
- (ii) non-cash items such as depreciation, provisions, unrealised foreign currency gains and losses; and
- (iii) all other items for which the cash effects are investing or financing cash flows.

Cash and cash equivalents (including bank balances) shown in the Statement of Cash Flows exclude items which are not available for general use as at the date of Balance Sheet.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

12 Government grants

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received and all attached conditions will be complied with.

Where the Company receives non-monetary grants, the asset and the grant are accounted at fair value and recognised in the statement of profit and loss over the expected useful life of the asset.

13 Impairment of non financial assets

The carrying amounts of the Company's non-financial assets, inventories and deferred tax assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the asset's recoverable amount is estimated. The recoverable amount of an asset or cash-generating unit (as defined below) is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset or the cash-generating unit. For the purpose of impairment testing, assets are grouped together into the smallest group of assets that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows of other assets or groups of assets (the "cash-generating unit").

An impairment loss is recognized in the income statement if the estimated recoverable amount of an asset or its cash-generating unit is lower than its carrying amount. Impairment losses recognized in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized. Goodwill that forms part of the carrying amount of an investment in an associate is not recognized separately, and therefore is not tested for impairment separately. Instead, the entire amount of the investment in an associate is tested for impairment as a single asset when there is objective evidence that the investment in an associate may be impaired.

An impairment loss in respect of equity accounted investee is measured by comparing the recoverable amount of investment with its carrying amount. An impairment loss is recognized in the income statement, and reversed if there has been a favorable change in the estimates used to determine the recoverable amount.

14 Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognized for the amount expected to be paid if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

Defined contribution plans

The Company's contributions to defined contribution plans are charged to the income statement as and when the services are received from the employees.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Defined benefit plans

The liability in respect of defined benefit plans and other post-employment benefits is calculated using the projected unit credit method consistent with the advice of qualified actuaries. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related defined benefit obligation. The current service cost of the defined benefit plan, recognized in the income statement in employee benefit expense, reflects the increase in the defined benefit obligation resulting from employee service in the current year, benefit changes, curtailments and settlements. Past service costs are recognized immediately in income. The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the income statement. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Termination benefits

Termination benefits are recognized as an expense when the Company is demonstrably committed, without realistic possibility of withdrawal, to a formal detailed plan to either terminate employment before the normal retirement date, or to provide termination benefits as a result of an offer made to encourage voluntary redundancy. Termination benefits for voluntary redundancies are recognized as an expense if the Company has made an offer encouraging voluntary redundancy, it is probable that the offer will be accepted, and the number of acceptances can be estimated reliably.

Other long-term employee benefits

The Company's net obligation in respect of other long term employee benefits is the amount of future benefit that employees have earned in return for their service in the current and previous periods. That benefit is discounted to determine its present value. Re-measurements are recognized in the statement of profit and loss in the period in which they arise.

15 Provisions

A provision is recognized if, as a result of a past event, the Company has a present legal or constructive obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. If the effect of the time value of money is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. Where discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

16 Contingent liabilities & contingent assets

A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. Where there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

Contingent assets are not recognised in the financial statements. However, contingent assets are assessed

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

continually and if it is virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, the asset and related income are recognised in the period in which the change occurs.

17 Financial instruments

Financial assets and/or financial liabilities are recognised when the company becomes party to a contract embodying the related financial instruments. All financial assets, financial liabilities and financial guarantee contracts are initially measured at transaction values and where such values are different from the fair value, at fair value.

Transaction costs that are attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from as the case may be, the fair value of such financial assets or liabilities, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognised immediately in the statement of Profit or Loss.

In case of funding to subsidiary companies in the form of interest free or concession loans and preference shares, the excess of the actual amount of the funding over initially measured fair value is accounted as an equity investment.

(i) Financial assets:

All recognised financial assets are subsequently measured in their entirety either at amortised cost or at fair value depending on the classification of the financial assets as follows:

1. Investments in debt instruments that are designated as fair value through profit or loss (FVTPL) - at fair value.
2. Investments in debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at - at amortised cost (unless the same designated as fair value through profit or loss):
 - i) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets in order to collect contractual cash flows; and
 - ii) The contractual terms of instrument give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
3. Investment in debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income [FVTOCI] (unless the same are designated as fair value through profit or loss)
 - i) The asset is held within a business model whose objective is achieved both by collecting contractual cash flows and selling financial assets; and
 - ii) The contractual terms of instrument give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
4. Debt instruments at FVTPL is a residual category for debt instruments, if any, and all changes are recognised in profit or loss.
5. Investment in equity instruments issued by subsidiary, associate and joint venture companies are measured at cost less impairment.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

6. Investment in preference shares of the subsidiary companies are treated as equity instruments if the same are convertible into equity shares or are redeemable out of the proceeds of equity instruments issued for the purpose of redemption of such investments. Investment in preference shares not meeting the aforesaid conditions are classified as debt instruments at FVTPL.
7. Investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the related instruments are not held for trading and the Company irrevocably elects on initial recognition to present subsequent changes in fair value in Other Comprehensive Income.
8. For financial assets that are measured at FVTOCI, income by way of interest and dividend, provision for impairment and exchange difference, if any, (on debt instrument) are recognised in profit or loss and changes in fair value (other than on account of above income or expense) are recognised in other comprehensive income and accumulated in other equity. On disposal of debt instruments at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in other equity is reclassified to profit or loss. In case of equity instruments at FVTOCI, such cumulative gain or loss is not reclassified to profit or loss on disposal of investments.
9. A financial asset is primarily derecognised when:
 - i). the right to receive cash flows from the asset has expired, or
 - ii). the company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass-through arrangement; and
 - (a) the company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or
 - (b) the company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount measured at the date of derecognition and the consideration received is recognised in Profit or Loss.

10. Impairment of financial assets: The company recognises impairment loss on trade receivables using expected credit loss model, which involves use of a provision matrix constructed on the basis of historical credit loss experience as permitted under Ind AS 109. Impairment loss on investments is recognised when the carrying amount exceeds its recoverable amount.

(ii) Financial liabilities:

1. Financial liabilities, including derivatives and embedded derivatives, which are designated for measurement at FVTPL are subsequently measured at fair value. Financial guarantee contracts are subsequently measured at the amount of impairment loss allowance or the amount recognised at inception net of cumulative amortisation, whichever is higher.

All other financial liabilities including loans and borrowings are measured at amortised cost using Effective Interest Rate (EIR) method.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

2. A financial liability is derecognised when the related obligation expires or is discharged or cancelled.

A financial asset and a financial liability is offset and presented on net basis in the balance sheet when there is a current legally enforceable right to set-off the recognised amounts and it is intended to either settle on net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

18 Dividends

Dividends and interim dividends payable to Company's shareholders are recognized as changes in equity in the period in which they are approved by the shareholders' meeting and the Board of Directors respectively.

19 Material prior period errors

Material prior period errors are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred. If the error occurred before the earliest period presented, the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest period presented, are restated.

20 Operating segments

In accordance with Ind AS 108, the operating segments used to present segment information are identified on the basis of internal reports used by the Company's Management to allocate resources to the segments and assess their performance. The Board of Directors is collectively the Company's 'Chief Operating Decision Maker' or 'CODM' within the meaning of Ind AS 108. The indicators used for internal reporting purposes may evolve in connection with performance assessment measures put in place.

Segment results that are reported to the CODM include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items comprise mainly corporate expenses, finance expenses and income tax expenses.

Revenue directly attributable to the segments is considered as segment revenue. Expenses directly attributable to the segments and common expenses allocated on a reasonable basis are considered as segment expenses.

Segment capital expenditure is the total cost incurred during the period to acquire property, plant and equipment, and intangible assets other than goodwill.

Segment assets comprise property, plant and equipment, intangible assets, trade and other receivables, inventories and other assets that can be directly or reasonably allocated to segments. For the purpose of segment reporting for the year, property, plant and equipment have been allocated to segments based on the extent of usage of assets for operations attributable to the respective segments. Segment assets do not include investments, income tax assets, capital work in progress, capital advances, corporate assets and other current assets that cannot reasonably be allocated to segments.

Segment liabilities include all operating liabilities in respect of a segment and consist principally of trade and other payables, employee benefits and provisions. Segment liabilities do not include equity, income tax liabilities, loans and borrowings and other liabilities and provisions that cannot reasonably be allocated to segments.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

2 Property, plant and equipment

Particulars	Buildings	Plant and Machinery	Ship (Speed Boat)	Computers	Furniture and Fixtures	Vehicles	Total
Cost or Deemed Cost (Gross Carrying Amount)							
As at 31 March 2024	132.63	2,380.80	2.32	93.07	77.13	3.72	2,689.67
Additions	-	4.54	-	28.11	0.68	-	33.33
Less: Disposal / Adjustments	-	(49.35)	-	-	-	-	(49.35)
As at 31 March 2025	132.63	2,335.99	2.32	121.18	77.81	3.72	2,673.65
Additions	-	6.67	-	1.70	18.59	-	26.96
Less: Disposal / Adjustments	-	(45.46)	-	-	(0.28)	-	(45.74)
As at 31 March 2026	132.63	2,297.20	2.32	122.88	96.12	3.72	2,654.87
Accumulated depreciation							
As at 31 March 2024	93.81	1,861.04	2.29	87.29	68.62	3.68	2,116.73
Additions	4.00	100.18	-	6.47	2.88	-	113.53
Less: Disposal / Adjustments	-	(47.17)	-	-	-	-	(47.17)
As at 31 March 2025	97.81	1,914.05	2.29	93.76	71.50	3.68	2,183.09
Additions	3.58	73.11	-	13.49	3.77	-	93.95
Less: Disposal / Adjustments	-	(44.85)	-	-	(0.27)	-	(45.12)
As at 31 March 2026	101.39	1,942.31	2.29	107.25	75.00	3.68	2,231.92
Net Book Value							
As at 31 March 2026	31.24	354.89	0.03	15.63	21.12	0.04	422.95
As at 31 March 2025	34.82	421.94	0.03	27.42	6.31	0.04	490.56

Note: All the title deed for the immovable property are in the name of the Company.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

3 Intangible assets

Particulars	Computer Software
Cost or Deemed Cost (Gross Carrying Amount)	
As at 31 March 2024	46.33
Additions	1.44
As at 31 March 2025	47.77
Additions	8.24
As at 31 March 2026	56.01
Accumulated amortisation	
As at 31 March 2024	37.87
Charge for the year	5.96
As at 31 March 2025	43.83
Charge for the year	4.29
As at 31 March 2026	48.12
Net Book Value	
As at 31 March 2026	7.89
As at 31 March 2025	3.94

4 a. Capital Work in Progress (CWIP)

Particulars	CWIP
As at 31 March 2025	-
Additions	-
(Transfer)	-
As at 31 March 2026	-

b. Capital Work in Progress (CWIP) ageing schedule

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
As at 31 March 2026					
Projects in progress	-	-	-	-	-
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-
As at 31 March 2025					
Projects in progress	-	-	-	-	-
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

5 Investments	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
Non-current investments		
(A) Investments in Equity Instruments		
(a) Subsidiary companies (Unquoted, Valued at Cost)		
Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd*	486.30	486.30
48,630 (31 March 2025 : 48,630) Equity Shares of Rs 1000/- each fully paid-up		
(b) Joint Venture companies		
Bhagirathi Bridge Construction Company Limited (Unquoted, Valued at Cost)	0.30	0.30
300 (31 March 2025 : 300)Equity Shares of Rs 100/- each fully paid-up		
Less: Provision	(0.30)	(0.30)
(c) Other companies		
Lagan Jute Machinery Co Ltd. (Unquoted, Valued at Cost)	42.20	42.20
4,22,000 (31 March 2025 : 4,22,000) Equity Shares of Rs 10/- each fully paid-up		
Jessop & Co. Ltd. (Unquoted, Valued at Cost)*	2,558.01	2,558.01
2,55,80,122 (31 March 2025 : 2,55,80,122) Equity Shares of Rs 10/- each fully paid-up (refer Note 60)		
Woodlands Multispeciality Hospital Ltd (Unquoted, Valued at Cost)		
3,015 (31 March 2025 : 3,015) fully paid Equity share	0.16	0.16
(B) Investments in debentures or bonds		
99 No. (31 March 2025 : 99 No.) ICICI Redeemable Money Multiplier Bond-2026	97.43	92.49
Total investments	3,184.10	3,179.16
Aggregate book value of		
- quoted investments	-	-
- unquoted investments	3,184.10	3,179.16
Aggregate market value of quoted investments	N/A	N/A
* Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd. (BPMEL) and Jessop & Co. Ltd, earstwhile subsidiaries of Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd (BBUNL), are under liquidation.		
6 Trade receivables (Unsecured)	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
Non-current		
Long Term Trade Receivables, considered good	1,084.58	1,108.42
Less: Allowances for doubtful receivables (ECL)	(1,084.58)	(1,108.42)
	-	-
Current		
Considered good	6,630.90	3,340.51
Considered doubtful	-	-
	6,630.90	3,340.51
Less: Allowance for doubtful receivables (ECL)	(1,585.98)	(1,352.90)
	-	-
Total trade receivables	5,044.92	1,987.61

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

6 Trade receivables (contd.)

Trade receivable ageing schedule		Outstanding for following periods from due date of payment							Total
Sl. No	Particulars	Not due	Unbilled amount	< 6 months	6month-1 year	1-2 years	2-3 years	> 3 years	
	As at March 31,2026								
i)	Undisputed Trade Receivables – considered good	4,396.14	-	-	-	1,165.81	60.02	1,008.93	6,630.90
ii)	Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	1,084.58	1,084.58
iii)	Undisputed Trade Receivables – Credit Impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
iv)	Disputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
v)	Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-	-
vi)	Disputed Trade Receivables – Credit Impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
	Less: Expected Credit loss and doubtful receivable adjustment	-	-	-	-	-	-	-	(2,670.56)
	Total	-	-	-	-	-	-	-	5,044.92
	As at March 31,2025								
i)	Undisputed Trade Receivables – considered good	662.52	-	145.71	489.59	1,001.17	200.34	841.18	3,340.51
ii)	Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	1,108.42	1,108.42
iii)	Undisputed Trade Receivables – Credit Impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
iv)	Disputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
v)	Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-	-
vi)	Disputed Trade Receivables – Credit Impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
	Less: Expected Credit loss and doubtful receivable adjustment								(2,461.32)
	Total	-	-	-	-	-	-	-	1,987.61

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

7 Other Financial Assets

	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
Non-current		
Deposits with Bank having maturity of more than one year from the balance sheet date*	1,189.99	213.92
Others		
Security Deposit/EMD/Other Deposits	4,835.88	4,679.05
Less: Allowance for doubtful deposits	(53.15)	(53.15)
	5,972.72	4,839.82
Current		
Loans & Advances		
GOI Loan receivable on loan to subsidiary companies and others	6,589.06	6,796.31
Less: Provisions	(0.06)	(207.25)
Advances to Creditors	6,589.00	6,589.06
Other advances	1,562.93	1,034.10
	100.85	111.11
Interest Receivable/Accrued		
On loans to subsidiary companies	34,006.55	34,006.55
Accrued Interest on Investment, Deposit & Term Deposits	826.21	745.45
Others		
Security Deposit/EMD/Other Deposits	1,358.20	1,171.10
Less: Allowance for doubtful deposits	(77.76)	(77.76)
Receivables - Others	-	-
	44,365.98	43,579.61

*Includes deposits marked lien in favour Bank Rs.1,050.00 lakhs (31 March 2025 - Rs.60.17 Lakhs).

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
8 Deferred tax asset, net		
Deferred tax asset		
- Expected credit loss on financial assets	686.89	591.94
- Provision for employee benefits	108.87	108.96
Total	795.76	700.90
Deferred tax liability		
- Tangible and Intangible assets	22.60	28.79
- Financial assets at amortised cost	(11.11)	(9.87)
Deferred tax asset, net	807.25	719.82
9 Inventories		
	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
Raw materials	495.43	595.05
Stores, Spare Parts & Consumables	16.69	16.90
Loose Tools	14.73	15.44
Less: Provisions	(78.62)	(66.64)
Work in progress	2,157.39	2,242.10
Total inventories	2,605.62	2,802.85
10 Cash and cash equivalents		
	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
Balances with banks:		
- On current accounts	181.55	324.29
- In deposit accounts with Original Maturity of less than three months*	1743.70	4,864.34
Cash in hand	2.71	2.17
Total cash and cash equivalents	1927.96	5,190.80

*Includes deposits marked lien in favour Bank - Rs. NIL (31 March 2025 - Rs.2,335.81 Lakhs).

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

11 Other Bank balances

	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
Term deposits with Banks with original maturities of more than 3 months*	14,852.87	13,945.21
Total other Bank balances	14,852.87	13,945.21

*Includes deposits marked lien in favour Bank Rs.6,392.84 lakhs (31 March 2025 - Rs.4,771.25 Lakhs).

12 Current tax assets

	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
Current tax assets (Net of provision)	412.92	-
	412.92	-

13 Other Current Assets

	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
GST A/C - (INPUT) - ASSETS	608.86	727.22
Others Balance with Government and Statutory Authorities	22.22	22.22
	631.08	749.44
Contract Assets (Refer Note below)	1,699.90	5,495.62
	2,330.98	6,245.06

Changes in Contract Assets during the year are as follows:-

Particulars

Contract Assets at the beginning of the Reporting Period	5,495.62	-
Add: Contract Assets during the Period	1,612.89	5,495.62
Less: Recognised as Contract Receivable	5,408.61	-
Less: Expected Credit Loss to Contract Asset	-	-
Contract Assets at the end of the Reporting Period	1,699.90	5,495.62

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

14 Share Capital	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
Authorised Share Capital		
Equity Share Capital		
34,81,000 (31 March 2025: 34,81,000) equity shares of Rs.1000/- each	34,810.00	34,810.00
Issued Share Capital		
Equity Share Capital		
12,08,605 (31 March 2025: 12,08,605) equity shares of Rs.1000/- each	12,086.05	12,086.05
Subscribed and fully paid-up Share Capital		
Equity Share Capital		
12,08,605 (31 March 2025: 12,08,605) equity shares of Rs.1000/- each	12,086.05	12,086.05
	12,086.05	12,086.05

(a) Reconciliation of shares outstanding at the beginning and end of the reporting year

Particulars	No. of equity shares	No. of equity shares
Outstanding at the beginning of the year	12,08,605	12,08,605
Issued during the year	-	-
Outstanding at the end of the year	12,08,605	12,08,605

(b) Terms / rights attached to the equity shares

Equity shares of the Company have a par value of ₹ 1000 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. The Company declares and pays dividend in Indian rupees. The dividend proposed by the Board of Directors (except interim dividend) is subject to the approval of the shareholders in the Annual General Meetings. In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

(c) Shareholding Pattern with respect of Holding or Ultimate Holding Company

The Company does not have any Holding Company or Ultimate Holding Company.

(d) Details of shareholders holding more than 5% shares in the Company

Particulars	No. of equity shares held	No. of equity shares held
President of India and its nominees	12,08,605	12,08,605
	12,08,605	12,08,605

(e) No ordinary shares have been reserved for issue under options and contracts/ commitments for the sale of shares/ disinvestment as at the Balance Sheet date.

(f) Consequent to Capital Restructuring Schemes sanctioned by Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) in respect of Braithwaite & Co. Ltd. ('BCL'), Burn Standard Co. Ltd. ('BSCL'), Bharat Brakes & Valves Ltd. ('BBVL') and RBL Ltd. ('RBL') and pursuant to approval of the Government of India for financial restructuring allowing conversion of loans & interest into equity share capital & Zero Rated Debentures in respect of BSCL, BCL and BBJ and in consideration of the direction of Department of Investment and Public Asset Management for the aforesaid amount, the company has issued equity shares to President of India on 28th April, 2017.

(g) No securities convertible into Equity/ Preference shares have been issued by the Company during the year.

(h) No calls are unpaid by any Director or Officer of the Company during the year.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

15 Other equity	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
Capital Reserve	0.06	0.06
General Reserve	1,473.65	1,473.65
Debenture Redemption Reserve	66.16	78.66
Retained Earnings	13,536.52	12,739.17
	15,076.39	14,291.54
(a) Capital Reserve		
Opening balance	0.06	0.06
Additions during the year	-	-
Closing balance	0.06	0.06
(b) General Reserve		
Opening balance	1,473.65	1,473.65
Add: Transfers during the year	-	-
Closing balance	1,473.65	1,473.65
(c) Debenture Redemption Reserve*		
Opening balance	78.66	91.16
Add: Transfers during the year	(12.50)	(12.50)
Closing balance	66.16	78.66
* The Company had created Debenture Redemption Reserve (DRR) on the basis of outstanding amount of Debentures in terms of the applicable provision under Companies Act'2013		
(d) Retained Earnings		
Opening balance	12,739.17	10,079.66
Profit/(loss) for the year	1,396.77	3,059.62
Final dividend	(611.92)	(412.61)
Add: Transferred from Debenture redemption Reserve	12.50	12.50
Closing balance	13,536.52	12,739.17
Total other equity	15,076.39	14,291.54

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

16 Borrowings

	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
Non-current Borrowings		
Unsecured loans		
Restructuring Debenture Deposit (ZRD)*	163.43	192.11
Total non-current borrowings	163.43	192.11
Current Borrowings		
Secured loans repayable on demand		
- Overdraft from Canara Bank **	-	-
Other Loans and advances from the Government of India	6,589.00	6,589.00
Total current borrowings	6,589.00	6,589.00

* Restructuring Debenture Deposit (ZRD) :

As per approved scheme of Financial restructuring of The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Ltd (BBJ) by GOI in 2005, allowed conversion of GOI loan amounting to Rs.3.88 crore into Equity, conversion of interest outstanding on GOI loan amounting to Rs.10.00 crore into Equity and conversion of interest outstanding on GOI loan amounting to Rs.10.00 crore to Zero Rate Debenture (ZRD). In pursuance company is repaying Zero Rate Debentures (ZRD) in equal yearly installments of Rs.0.50 crore since 2007-08 and has issued Equity shares to President of India on 28th April,2017.

** Overdraft from Canara Bank:

Overdraft from Canara Bank is primarily secured by hypothecation of stock, book debts and other current assets of the Company and collaterally secured by hypothecation of Fixed assets including Plant and Machinery, Furniture and Fixtures and Vehicles and Equitable mortgage of the Company's Flat at 22, Lee Road, Kolkata - 700020. The overdraft having interest rate 9.70% p.a.is repayable on demand.

17 Provisions

	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
Non-Current		
Provision for employee benefits		
- Gratuity	-	8.15
- Leave Encashment	371.17	410.19
	371.17	418.34
Current		
Provision for employee benefits		
- Gratuity	16.76	15.90
- Leave Encashment	64.32	25.62
	81.08	41.52

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

18 Other liabilities	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
Non-current		
Restructuring Debanture Deposits (ZRD)	29.87	48.33
Other Non Current Liabilities	4,084.63	4,086.95
	4,114.50	4,135.28
Current		
Statutory Dues	420.10	154.00
Restructuring Debanture Deposits (ZRD)	21.32	24.19
Advance from customers	255.74	262.14
Other Current Liabilities	3,095.33	5,587.34
	3,792.49	6,027.67
 19 Trade payables	 As at	 As at
Non-current	31 March 2026	31 March 2025
Trade payables		
- Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	317.50	323.96
- Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (refer note 36)	-	-
	317.50	323.96
Current		
Trade payables		
- Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	710.51	499.00
- Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (refer note 36)	-	-
	710.51	499.00

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

19 Trade payable

Trade payable ageing schedule

As on March 31, 2026

Outstanding for following periods from due date of payment

S.no	Particulars	Not due	Unbilled amount	< 1 year	1-2 years	2-3 years	> 3 years	Total
i)	MSME							-
ii)	Others	705.66			0.07		322.27	1,028.00
iii)	Disputed dues-MSME							-
iv)	Disputed dues-Other							-
	Total	705.66	-	-	0.07	-	322.27	1,028.00

As on March 31, 2025

Outstanding for following periods from due date of payment

S.no	Particulars	Not due	Unbilled amount	< 1 year	1-2 years	2-3 years	> 3 years	Total
i)	MSME							-
ii)	Others			494.35			328.61	822.96
iii)	Disputed dues-MSME							-
iv)	Disputed dues-Other							-
	Total	-	-	494.35	-	-	328.61	822.96

20 Other financial liabilities

As at
31 March 2026

As at
31 March 2025

Non-current

Trade and Security Deposits

95.05	69.89
95.05	69.89

Current

Employee Benefit Payable

89.76 92.56

Interest accrued & due on borrowing from GOI

34,016.12 34,016.12

Restructuring Debenture Deposits (ZRD)

50.00 50.00

Trade and Security Deposits

4,382.44 4,060.22

Payable Others

0.67 0.20

38,538.99	38,219.10
------------------	------------------

21 Current tax liabilities

As at
31 March 2026

As at
31 March 2025

Current tax liabilities (Net of advance tax)

-	90.98
-	90.98

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

22	Revenue from operations	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
	Revenue from Contracts	10,783.66	12,710.23
	(Gross Revenue from Contracts - Rs.12,692.83 Lakhs (31 March 2025- Rs.14,998.07 Lakh)		
	Changes in Contract Assets	(764.36)	5,495.62
		10,019.30	18,205.85
	Other Revenue:		
	Sale of Scrap	32.48	70.74
		10,051.78	18,276.59
23	Other income	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
	Interest income		
	- on bank and Security Deposits	1,421.60	1,245.64
	- on bonds	4.95	4.69
	Other income	72.13	45.18
	Profit on sale Property, Plant & Equipment (Net)	43.32	4.67
	Encashment of B.G / Forfeiture of S.D. & E.M.D.	-	1.30
		1,542.00	1,301.48
24	Cost of materials consumed	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
	Opening Stock of Raw Materials and Consumables	595.05	669.76
	Add : Purchases during the year	1,330.29	466.49
		1,925.34	1,136.25
	Less : Closing Stock of Raw Materials and Consumables	495.43	595.05
		1,429.91	541.20
	Add : Other expenses during the year	29.81	14.82
		1,459.72	556.02
25	Changes in inventories and Work in progress	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
	Work in progress		
	Inventories at the beginning of the year	2,242.10	3,201.84
	Less : Inventories at the end of the year	2,157.39	2,242.10
		84.71	959.74
	(Increase) / Decrease in Inventories		
25A	Sub Contract & other conversion charges	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
	Sub Contracting Expenses	4,363.63	6,055.19
	Fabrication Work Expenses	33.09	792.52
	Contract Expenses	510.68	3,031.36
		4,907.40	9,879.07

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

25B	Consumption of Stores, Spares & Loose Tools	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
	Consumption of Stores, Spares & Loose Tools	52.99	80.79
		52.99	80.79
26	Employee benefits expense	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
	Salaries, wages and bonus	1,646.46	2,135.37
	Contribution to provident and other funds	141.52	179.99
	Staff welfare expenses	39.09	35.61
		1,827.07	2,350.97
27	Finance costs	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
	Bank interest and commissions	58.44	50.84
		58.44	50.84
28	Depreciation and Amortisation expense	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
	Depreciation	93.95	113.53
	Amortization	4.29	5.96
		98.24	119.49
29	Other expenses	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
	Advertisement	4.68	6.77
	Allowance for doubtful debts, receivables & others	339.09	583.57
	Bank Charges	13.66	11.00
	Car Hire Charges	63.44	61.21
	Corporate Social Responsibility (Note 42)	54.09	30.66
	Freight & forwarding	10.96	43.22
	Insurance	63.87	118.81
	Legal Expenses	105.29	72.73
	Consultancy Fees	96.26	85.05
	Miscellaneous Expenses	69.12	72.37
	Payment to Auditors (Note 34) :		
	<i>Audit Fee</i>	0.80	0.80
	<i>Tax Audit Fee</i>	0.25	0.25
	<i>Others</i>	1.64	0.35
	Postage, Telephone & Fax	5.44	4.74
	Printing and stationery	11.20	8.03
	Wages (Con)	88.91	83.40
	Plant & Crane Hire Charge	10.20	2.15
	Power & Fuel	59.99	119.81

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Rates and taxes	58.45	84.44
Rent	121.32	108.69
Repair & Maintenance :		
- Buildings	0.01	0.01
- Plant & Machinery	6.24	0.51
- Others	5.82	4.24
Site Establishment expenses	3.05	-
Subscription & Donation	1.86	8.22
Testing Charges	7.26	12.86
Encashment of B.G / Forfeiture of S.D. & E.M.D.	17.80	-
Travelling Expenses	52.62	48.62
	1,273.32	1,572.51

30 Tax expenses

For the year ended 31 March 2026 For the year ended 31 March 2025

Current income tax:

Current income tax charge	512.34	1,029.68
Adjustments/(credits) related to previous years	10.21	-
Total current tax	522.55	1,029.68

Deferred tax:

Relating to originating and reversal of temporary differences	(87.43)	(80.67)
Income tax expense recognised in the statement of profit or loss	435.12	949.01

Deferred tax related to items considered in OCI during the year

Items that will not be reclassified to profit or loss	-	-
Items that will be reclassified to profit or loss	-	-
Income tax charge to OCI	-	-

Reconciliation of tax expense with the accounting profit multiplied by domestic tax rate:

Accounting profit before income tax	1,831.89	4,008.63
Tax on accounting profit at statutory income tax rate 25.17% (31 March 2025: 25.17%)	461.09	1,008.97
Adjustments in respect of deferred tax	(87.43)	(80.67)
Tax effect of amount adjustable in calculating taxable income / expense not considered for tax purpose	51.25	20.71
Adjustments/(credits) related to previous years	10.21	-
Tax expense reported in the statement of profit and loss	435.12	949.01

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

31 Contingent liabilities and commitments

Particulars		As at 31-Mar-2026	As at 31-Mar-2025
i)	Contingent liabilities:		
	- Disputed Sales Tax demand	88.10	88.10
	- Disputed Income Tax demand	229.12	497.28
	- Disputed Service Tax demand	154.45	154.45
	- Disputed PF demand under appeal	54.14	54.14
	- Bank Guarantee	8,338.87	6,556.09
	- Disputed Goods and Service Tax demand (TRAN I Interest) - BIHAR	0.00	12.55
	- Disputed Goods and Service Tax demand due to differences between GSTR 3B & GSTR 2A (Year 2019-20) - Chattisgarh	0.00	5.15

** In addition, there is disputed interest demand pertaining to Income tax of Rs.320.80 Lakhs (31 March 2025 :Rs.31.85 Lakhs) against above disputed Income Tax demand and Interest, some demands were adjusted with refund of earlier years.

* The Company is subject to legal proceedings and claims, which have arisen in the ordinary course of business including litigation before tax authorities and including matters mentioned above. The uncertainties and possible eventualities are dependent on the outcome of the different legal processes which have been invoked by the claimants or the Company, as the case may be, and therefore cannot be predicted accurately. The Company engages reputed professional advisors to protect its interests and has been advised that it has strong legal positions against such disputes. The Management believes that it has a reasonable case in its defense of the proceedings and accordingly no further provision is required. Further details of court cases is provided in note 43.

32 Related party disclosures

a) The following table provides the name of the related party and the nature of its relationship with the Company:

Name	
Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)	Chairman & Managing Director
Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.) upto 13 July 2025	Director (Technical) - Additional Charge
Shri Sujit Kumar Ghosh	Director (Finance)
Shri Naresh Kumar w.e.f 14 July 2025	Director (Technical)
Shri Udai Bhan Singh	Government Nominee Director

b) Details of all transactions with related parties during the year:

Particulars		For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
i)	Remuneration of Managing/Whole-time Directors: -		
	Salaries and Allowances as Director	116.70	137.34
	Contribution to provident fund as Director	9.68	9.59
	(Salaries and allowances include leave encashment payment)		
ii)	Sitting Fees & Other Fees to Non Official independent Director	-	0.60

c) Terms and conditions of transactions with related parties:

The transactions with related parties are made on terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

33 Segment information

Ind AS 108 “Operating Segment” (“Ind AS 108”) establishes standards for the way that business enterprises report information about operating and geographical segments and related disclosures about products and services, geographic areas, and major customers. Based on the “management approach” as defined in Ind AS 108, Operating segments and geographical segments are to be reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the Chief Operating Decision Maker (CODM). The CODM evaluates the Company’s performance and allocates resources on overall basis.

The Company is primarily engaged in the business of construction including fabrication, which as per Indian Accounting Standard - 108 on ‘ Operating Segments ‘ is considered to be the only reportable business segment. The Company is operating in India which is considered as a single geographical segment.

34 Auditors’ remuneration include:

Particulars	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
Statutory audit fee	0.80	0.80
Tax audit fee	0.25	0.25
Others	1.64	0.35
Total	2.69	1.40

35 Disclosure as per Ind AS 19 ‘Employee benefits’

a) Gratuity

The Company provide its employees with benefits under a defined contribution plan, referred to as the “Gratuity Plan”. The Gratuity Plan entitles an employee, who has rendered at least five years of continuous service, to receive 15 days salary for each year of completed service as Gratuity at the time of retirement/exit, restricted to a sum of Rs.20.00 Lakhs.

The Company has taken a Group Gratuity Policy from LIC of India and the resultant liability as determined by LIC has been remitted by the Company every year.

Gratuity expenditure of the Company for the financial year 2025-26 amounts to Rs.17.55 Lakhs (31 March 2025 Rs.15.90 Lakhs) determined by LIC(the Fund Administrator).

As per actuarial valuation as given by LIC , following tables summarize the different components of Gratuity fund as on balance sheet:

Reconciliation of opening and closing balances of the present value of the obligation:

Particulars	As at 31-Mar-2026	As at 31-Mar-2025
Opening defined benefit obligation	449.84	542.89
Current service cost	15.66	18.22
Past service cost		
Interest cost	32.61	39.36
Benefits paid	(57.47)	(140.15)
Actuarial gain	2.91	(10.48)

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Acquisition Adjustment		
Closing balance defined benefit obligation	443.55	449.84
Changes in Fair Value of Plan Assets as at :		
Fair value of Plan Assets at Beginning of period	457.70	509.23
Interest Income	-	-
Employer Contributions	13.40	50.98
Benefits Paid	(57.47)	(140.15)
Return on Plan Assets excluding Interest Income	33.89	37.64
Fair value of Plan Assets at End of measurement period	447.52	457.70

Assumptions	As at 31-Mar-2026	As at 31-Mar-2025
Discount rate (per annum)	7.25%	7.25%
Expected Return on Plan Asset	7.60%-7.63%	7.67%-7.68%
Rate of Compensation Increase(Salary Inflation)	5.75%-10.00%	5.50%-9.00%

b) Leave

The Company provides for earned leave benefit (including compensated absences) to the employees of the Company which accrue annually at the rate of 30 days. Earned leave (EL) is en-cashable while in service. However, total number of leave that can be encashed on superannuation shall be restricted to 300 days. The scheme is unfunded and liability for the same is recognised on the basis of actuarial valuation. Accumulated provision of Rs. 435.49 Lakhs (31 March 2025: Rs. 435.81 Lakhs) have been made on the basis of actuarial valuation at the year end in the Financial Statements. The following tables summarize the components of net benefit expense recognised in the statement of profit or loss and the amounts recognised in the balance sheet:

Reconciliation of opening and closing balances of the present value of the obligation:

Particulars	As at 31-Mar-2026	As at 31-Mar-2025
Opening balance	435.81	472.69
Current service cost	20.08	21.02
Past service cost	-	-
Interest cost	27.74	26.61
Benefits paid	(85.80)	(154.62)
Actuarial gain	37.66	70.11
Acquisition Adjustment		
Closing balance	435.49	435.81
Accrued leave Encashment	439.35	428.10
Fair value of plan assets at the end of the year	-	-
Net liability recognised in the balance sheet	439.35	428.10
Current provision	64.32	25.62
Non current provision	371.17	410.19

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Expenses recognised in statement of profit and loss	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
Service cost	20.08	21.02
Interest cost	27.74	26.61
Re-measurement gains/ (losses)		
Actuarial gain / (loss) due to demographic assumption changes	-	-
Actuarial gain / (loss) due to financial assumption changes	-	-
Actuarial gain / (loss) due to experience adjustments	37.66	70.11
Return on plan assets greater (less) than discount rate	-	-
Total cost	85.48	117.74

Assumptions	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
Discount rate (per annum)	7.06%	6.73%
Future salary increases	7.00%	7.00%

A quantitative sensitivity analysis for significant assumption and its impact in percentage terms on projected benefit obligation are as follows:

	For the year ended 31 March 2026	
	Discount rate	Salary escalation rate
Impact of increase in 50 bps on projected benefit obligation	-3.73%	3.96%
Impact of decrease in 50 bps on projected benefit obligation	3.99%	-3.73%
	For the year ended 31 March 2025	
	Discount rate	Salary escalation rate
Impact of increase in 50 bps on projected benefit obligation	-4.02%	4.26%
Impact of decrease in 50 bps on projected benefit obligation	4.31%	-4.01%

These sensitivities have been calculated to show the movement in projected benefit obligation in isolation and assuming there are no other changes in market conditions.

36 Dues to Micro, small and medium enterprises

The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has issued an office memorandum dated 26 August 2008 which recommends that the Micro and Small Enterprises should mention in their correspondence with its customers the Entrepreneurs Memorandum Number as allocated after filing of the Memorandum. Accordingly, the disclosure in respect of the amounts payable to such enterprises as at 31 March 2026 has been made in the financial statements based on information received and available with the Company. Further in view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 ('The MSMED Act') is not expected to be material. The Company has not received any claim for interest from any supplier.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Particulars		For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
a)	the principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year.	Nil	Nil
b)	the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year;	Nil	Nil
c)	the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this MSMED Act	Nil	Nil
d)	the amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year; and	Nil	Nil
e)	the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act.	Nil	Nil

37 Earnings per share

Basic EPS amounts are calculated by dividing the profit for the year attributable to equity holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted EPS amounts are calculated by dividing the profit attributable to equity holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year plus the weighted average number of equity shares that would be issued on conversion of all the dilutive potential equity shares into equity Shares.

The following table sets out the computation of basic and diluted earnings per share:

Particulars	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
Profit for the year attributable to equity share holders	1,396.77	3,059.62
Shares		
Weighted average number of equity shares outstanding during the year – basic	12,08,605	12,08,605
Weighted average number of equity shares outstanding during the year – diluted	12,08,605	12,08,605
Earnings per share		
Earnings per share of par value ₹ 1000 – basic (₹)	115.57	253.15
Earnings per share of par value ₹ 1000 – diluted (₹)	115.57	253.15

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

38 Fair valuation techniques

The Company maintains policies and procedures to value financial assets or financial liabilities using the best and most relevant data available. The fair values of assets and liabilities are included at the amount that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The following methods and assumptions were used to estimate certain fair values:

- i) Fair value of cash and deposits, trade receivables, trade payables, borrowings and other financial assets and liabilities approximate their carrying amounts.

Fair Value hierarchy

The following tables provide the fair value measurement hierarchy of Company's asset and liabilities, grouped into Level 1 to Level 3 as described below:

- i) Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (level 1). It includes fair value of financial instruments traded in active markets and are based on quoted market prices at the balance sheet date.
- ii) Inputs, other than quoted prices included within level 1, that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (level 2). It includes fair value of the financial instruments that are not traded in an active market (for example, over-the-counter derivatives) and are determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on the company specific estimates. If all significant inputs required to fair value of an instrument are observable, then the instrument is included in level 2.
- iii) Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (level 3). If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

Particulars	As at 31st March, 2026			As at 31st March, 2025		
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3
Financial Assets						
Investment in equity instruments	-	3,086.51	-	-	3,086.51	-
Investments in debentures or bonds	-	97.59	-	-	92.65	-
Total Financial Assets	-	3,184.10	-	-	3,179.16	-
Financial Liabilities						
Loan converted to Zero Rate Debenture	-	163.43	-	-	192.11	-
Total Financial Liabilities	-	163.43	-	-	192.11	-

During the year ended 31 March 2026 and 31 March 2025, there were no transfers between Level 1 and Level 2 fair value measurements and no transfer into and out of Level 3 fair value measurements. There is no transaction / balance under Level 3.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

39 Risk management policies

The Company's principal financial liabilities comprise loans and borrowings, trade and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance and support Company's operations. The Company's principal financial assets include inventory, trade and other receivables, cash and cash equivalents and refundable deposits that derive directly from its operations.

a) Market risk

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's short-term debt obligations with floating interest rates.

The Company manages its interest rate risk by having a balanced portfolio of variable rate borrowings. The Company does not enter into any interest rate swaps.

Interest rate sensitivity

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on that portion of loans and borrowings affected. With all other variables held constant, the Company's profit before tax is affected through the impact on floating rate borrowings, as follows:

	Increase/decrease in interest rate
March 31, 2026	
INR	+1%
INR	-1%
March 31, 2025	
INR	+1%
INR	-1%

b) Credit risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The credit risk arises principally from its operating activities (primarily trade receivables) and from its investing activities, including deposits with banks and financial institutions and other financial instruments.

Credit risk is controlled by analysing credit limits and creditworthiness of customers on a continuous basis to whom credit has been granted after obtaining necessary approvals for credit. The collection from the trade receivables are monitored on a continuous basis by the receivables team.

The Company establishes an allowance for credit loss that represents its estimate of expected losses in respect of trade and other receivables based on the past and the recent collection trend. The maximum exposure to credit risk as at reporting date is primarily from trade receivables and other financial assets. The movement in allowance for credit loss in respect of trade receivables during the year was as follows:

Allowance for credit loss	As at 31-Mar-2026	As at 31-Mar-2025
Opening balance	1,646.25	1,062.68
Credit loss provided	339.09	583.57
Credit loss reversed	-	-
Closing balance	1,985.34	1,646.25

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

c) Liquidity risk

The Company's objective is to maintain a balance between continuity of funding and flexibility through the use of bank deposits and loans.

The table below summarises the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments:

	Carrying Amount	Less than 12 months	After 12 Month	Total
Year ended 31 March 2026				
Borrowings	264.62	50.00	214.62	264.62
Trade payables	1,028.01	710.51	317.50	1,028.01
Other Financial Liabilities	4,617.92	4,522.87	95.05	4,617.92
Year ended 31 March 2025				
Borrowings	314.62	50.00	264.62	314.62
Trade payables	822.96	499.00	323.96	822.96
Other Financial Liabilities	4,287.46	4,217.57	69.89	4,287.46

There is outstanding GOI loan of Rs.6,589.00 Lakhs (31 March 2025: Rs. 6,589.00 Lakhs) and accumulated interest of Rs.34,016.13 Lakhs (31 March 2025: Rs. 34,016.13 Lakhs) on such loan included in financial liabilities which were given by GOI through erstwhile BBUNL to its subsidiaries namely BPMEL and WIL. BPMEL is under liquidation and WIL wound up (post liquidation). As the recoverability of the said loan and interest is uncertain from subsidiaries, has not been shown into the maturity profile of financial liabilities.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

40 Capital management

The Company's policy is to maintain a stable capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of the business. Management monitors capital on the basis of return on capital employed as well as the debt to total equity ratio.

For the purpose of debt to total equity ratio, debt considered is long-term and short-term borrowings. Total equity comprise of issued share capital and all other equity reserves.

The capital structure as of 31 March 2026, 31 March 2025 was as follows:

Particulars	31 March 2026	31 March 2025
Total equity attributable to the equity shareholders of the Company	27,162.44	26,377.59
As a percentage of total capital	99.04%	98.82%
Long term borrowings including current maturities	264.62	314.63
Short term borrowings	-	-
Total borrowings	264.62	314.63
As a percentage of total capital	0.96%	1.18%
Total capital (equity and borrowings)	27,427.06	26,692.22

41 Disclosure pursuant to IndAS 115 "Revenue from Contracts with Customers"

A Effective 1 April, 2018, the company adopted Ind AS 115 "Revenue from contracts with customer" and recognition from construction and service activities is based on "over time" method and the company uses the output method to measure progress of delivery using the Percentage Completion method, which is in line with the policy used by the company earlier. There is no significant transaction impact on the financials of the company.

During the year revenues earned by the Company are as follows:-

B	Particulars	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
	Revenue from operations (Gross Revenue from Contracts - Rs.12,692.83 Lakhs (31 March 2025-Rs.14,998.07 Lakhs)	10,783.66	12,710.23
	Changes in Contract Assets	(764.36)	5,495.62
	Other Revenue	32.48	70.74
	TOTAL	10,051.78	18,276.59

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

42 Corporate Social Responsibility Expenses (CSR)

As per Section 135 of the Companies Act, 2013 read with guidelines issued by Department of Public Enterprises, GOI, the Company is required to spend, in every financial year, at least two per cent of the average net profits of the Company made during the three immediately preceding financial years in accordance with its CSR Policy. The details of CSR expenses for the year are as under:

Particulars	31 March 2026	31 March 2025
A. Amount required to be spent during the year	54.09	30.66
B. Shortfall amount of previous year	-	-
C. Total(A+B)	54.09	30.66
D. Amount spent during the year on:		
- Construction/acquistion of any asset	-	-
- On purposes other than above	54.09	30.66
Total	54.09	30.66
Shortfall amount	-	-

a) Amount spent during the year ended 31 March 2026:

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
Construction/acquistion of any asset	-	-	-
On purposes other than above	54.09	-	54.09

b) Amount spent during the year ended 31 March 2025:

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
Construction/acquistion of any asset	-	-	-
On purposes other than above	30.66	-	30.66

c) Break-up of the CSR expenses under major heads is as under:

Particulars	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
1. Swachh Bharat Kosh	-	-
2. Clean Ganga Fund	-	-
3. Skill Development Training		
4. Education	-	-
5. Health	-	-
6. Armed Forces Flag Day Fund	-	-
7. Rural Development Project	10.00	
8. PM CARES FUND	44.09	30.66
Total	54.09	30.66

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

43. Details of Court Cases

Present status of pending Legal Cases (Arbitration & Court Cases) concerning BBJ/BBUNL as on 31 March 2026

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
1.	Eviction Suit Civil Suit (C.S.) No. – 482 of 1982 Between Hindustan Consultancy And Services Ltd. (previously Modi Building Ltd.) – Versus – BBJ	1982	Facts in brief : Eviction case was filed in July, 1982 by the Building Owner – Precious Stocks & Bonds Ltd. (PSBL) later on renamed as Modi Building Ltd. (now Hindustan Consultancy And Services Ltd.) for eviction of BBJ from the premises where the Head Office of BBJ is located.	Eviction Suit	Pending	The Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side).
2.	Money Suit Title Suit T. S. No. 91 of 2009 (T. S. No. 0001653 of 2016) Between – BBUNL (now BBJ) – Versus – Jessop & Co. Ltd.	2009	Facts in brief : This Money Suit was filed by BBUNL (now BBJ) on 27.11.2009 for recovery of service charges from Jessop & Co. Ltd. for the period from Sept'01 to Aug'03 of Rs.82,71,520 wrongly refunded by the Company in 2005 along with interest, costs, etc.	Rs.82.71 Lakhs	Pending	The Learned Court of First Civil Judge (Senior Division), at Alipore, 24 PGs (S).
3(a).	Arbitration Appeal AP No. – 738 of 2010 Between – BBJ – Versus – M/s. Civitech (Mr. Partha Chakraborty)	2010	Facts in brief : An Arbitration proceedings were held between one M/s. Civitech (represented by Mr.Partha Chakraborty) and BBJ for the disputes relating to one Project of Eastern Railway for construction of composite girders at six different locations between Dehri-on-Sone and Mughalsarai. The project year was about 1998. - The Sole Arbitrator passed the Award on 14.09.2010 (which had been corrected by an Order dated 25.09.2010) in favour of the Claimant (M/s.Civitech) against the respondent - BBJ. Total value of Award was Rs.17 Lakhs + interest. - Being aggrieved BBJ filed the present Arbitration Appeal on 10.12.2010 before the Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side) challenging the said Arbitration Award dated 14.09.2010.	Rs.17 Lakhs + interest	Pending	The Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side).

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
3(b).	Execution Case High Court, Calcutta E.C No. 142 of 2022 Between – M/s. Civitech (Mr. Partha Chakraborty) – Versus – BBJ	2022	Facts in brief : After passing of 12 years, M/s.Civitech (represented by Mr.Partha Chakraborty) filed the present Execution Case against BBJ before the Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side) for enforcing the above mentioned Arbitration Award dated 14.09.2010. The total claimed amount is Rs.81 Lakhs (which includes interest accrued till the date of filing of the present Execution Case). - BBJ after receiving the notice for appearance, duly appeared before the Hon'ble High Court at Calcutta through BBJ's Solicitors & Counsels and defending the matter.	Rs.81 Lakhs (including Interest accrued)	Pending	The Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side).
4.	Arbitration Appeal AA No. – 1 of 2010 (Kunwari Ist Bridge Contract matter) Between – N.C. Railway – Versus – BBJ	2010	Facts in brief : One 'Nil' liability Arbitration Award was passed on 12.11.2008 by the Arbitral Tribunal. North Central Railways challenged the said Award u/s.34 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 before the Learned Gwalior District Court. No copy was served upon BBJ, hence none was engaged. - The said Court however rejected Claims of North Central Railways and passed Order dated 09.11.2009. - Being aggrieved, North Central Railways challenged the said Order of the Learned District Court before the Gwalior Bench of the Hon'ble MP High Court.	Zero liability	Pending	The Hon'ble High Court of M.P. (Gwalior Bench)
5.	Electricity Matter Electricity Certificate Case No. 01/13-14 Between BSEB – Versus – BBJ	2013	Facts in brief : The Bihar State Electricity Board (BSEB) now called as the Bihar State Power Holding Company Ltd. (BSPHCL) illegally demanded Rs.54.36 Lakhs from BBJ against supply electricity at Ganga Bridge Project Site. - BSEB filed this Electric Certificate Case No. 1 of 2013-14 for recovery of Rs.54.36 Lakhs from BBJ. - BBJ was compelled to file a Writ Petition (CWJC No. 17069 of 2019) before the Hon'ble Patna High Court against the said coercive action of BSEB. By an Order dated 08.12.2022, the Hon'ble High Court at Patna set aside the claim of the Bihar State Power Holding Company Ltd. (BSPHCL). In terms of the said Order dated 08.12.2022, BBJ is now taking steps to dispose of the present Electricity Case at Munger, Bihar.	Rs.54.36 Lakhs	Pending	The Learned Court of District Auction Certificate Officer, Munger, Bihar.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
6.	Appeal Matter Regular Appeal No. 129 of 2014 (Diary No. 9046 of 2014) Between – OMDC – Versus – 1. UCO Bank 2. TPG Equity Management & Pvt. Ltd. 3. BPMEL (in Liquidation) 4. The Secretary Government of India, Ministry of Heavy Industries 5. BBUNL (now BBJ) [Here Union of India and BBJ (erstwhile BBUNL) are proforma Respondents.]	2014	• Facts in brief : UCO Bank had obtained a decree from DRT on 04.11.2003 for Rs.1,92,12,957.92 from BPMEL (in Liquidation) and Rs.2,16,13,312.35 from UOI jointly, severally and personally totalling Rs.4,08,26,270/- with interest @ 19.5% on the “aforesaid certified amounts” from 08.05.1991 till realization which was assigned by UCO Bank to TPG Equity Management Pvt. Ltd. • Orissa Mineral Development Co. Ltd. (OMDC), the subsidiary of RINLearlier maintained the operations of three mines in Orissa State and when BPMEL was incorporated on 14.10.1980 as Govt. Company, Govt. Of India issued the notification to vest the mines under administrative control of BPMEL. Since OMDC was operating the said mines, BPMEL had vested all their rights and title to OMDC through a Power of Attorney (POA). • Now TPG being the secured creditor of BPMEL, is claiming the possession of the said mines from the Recovery Officer and thereafter from Presiding Officer, DRT. • Being aggrieved OMDC filed the present Appeal on 09.05.2014 before the DRAT for reviewing/ cancelling all earlier Order dated 08.06.2010 passed by P.O/DRT-I and cancelling of assignment of UCO Bank to TPG etc., where UOI and BBUNL (now BBJ) are proforma Respondents. • By a Judgment dated 20.05.2026, DRAT Kolkata disposed of the preset appeal on the ground that both the appeals filed against orders dated 8.6.2010 and order dated 23.2.2012 in pending R.P. No. 142 of 2003, arising out of T.A. 216 of 1994 and the proceedings of the R.P. Case No. 142 of 2003 has already been withdrawn by the Learned Presiding Officer of DRT-I, Kolkata vide order dated 9.12.2025, accordingly, both the appeals become infructuous and are disposed of accordingly.	Appeal Matter [regarding dues of UCO Bank against BPMEL (under Liquidation)]	Disposed of by Judgment dated 20.05.2026	The Learned Debt Recovery Appellate Tribunal.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
7(a).	Arbitration Appeal A.P.No. 9 of 2016 G.A No:120 of 2016 Between – Indo Wagon Engineering Ltd. – Versus – BBJ (erstwhile BBUNL)	2016	• Facts in brief : An Arbitration proceedings were held between the Company and Indo Wagon Engineering Ltd (IWEL) for the disputes relating to equity shares of Jessop & Co. Ltd. (“Jessop”) and others. • The Hon’ble Sole Arbitrator - Justice Aloke Chakrabarti (Retired) passed the Award on 11.09.2015 in favour of BBUNL and directed IWEL to pay a sum of Rs.41.02 Crore along interest. • Being aggrieved IWEL filed this Arbitration Petition before the Hon’ble High Court on 04.01.2016 challenging the said final Arbitration Award dated 11.09.2015.	Rs.41.02 Crores + interest	Pending	The Hon’ble High Court at Calcutta (Original Side).
7(b).	Execution Case E.C No. 458 of 2018 Between – BBJ (erstwhile BBUNL) – Versus – Indo Wagon Engg. Co. Ltd.	2018	• Facts in brief : To execute the above mentioned final Arbitration Award dated 11.09.2015 passed in favour of BBUNL (now BBJ) and directed IWEL to pay a sum of Rs.41.02 Crore along interest. BBJ (erstwhile BBUNL) filed this Execution Application on 19.09.2018 for recovery of awarded sum of Rs.41.02 Crores + interest.	Rs.41.02 Crores + interest	Pending	The Hon’ble High Court at Calcutta (Original Side).
8.	Arbitration Appeal Arb. Appeal No.2 of 2019 (Jogighopa Bridge Contract matter) Between – N.F. Railway – Versus – BBJ	2016	• Facts in brief : The matter is related to Jogighopa Bridge constructed at Assam. In compliance with the final Award passed on 02.11.2010 by the Arbitral Tribunal in favour of BBJ. Being aggrieved NF Railway challenged the final Arbitration Award dated before the Learned District Court at Gauhati. On 23.07.2014, the Learned District Court, Kamrup, Gauhati dismissed the claims of NF Railway. After delay of 351 days NF Railway filed the present Arbitration Appeal on 17.10.2015 (admitted on 02.02.2019) before the Hon’ble Gauhati High Court.	Zero liability	Pending	The Hon’ble Gauhati High Court, Assam.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
9.	Civil Appeal PP Appeal No. 6 of 2017 (Victoria House matter) Between – BBJ – Versus – KoPT (now Syama Prasad Mookerjee Port)	2017	Facts in brief : This matter is relating to a claim by KoPT under the provision of Section 7(3) of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act 1971, against BBJ regarding payment of damages amounting to Rs.10,57,872/- for unauthorized occupation from 01.04.1988 to 31.03.1989 at 'Victoria Works'. The claim of KoPT was challenged by BBJ before the Estate Officer on different grounds. By an impugned Order dated 08.03.2017 the Learned Estate Officer of KoPT upheld the claims of KoPT. Being aggrieved by the said Order dated 08.03.2017, BBJ filed this Appeal before the Learned District Judge at Alipore on 23.03.2017. The Learned 3rd Addl. District Judge by an Order dated 22.06.2017 stayed the impugned payment Order dated 08.03.2017 of the Estate Officer of KoPT and the stay is still continuing.	Rs.62.38 Lakh including interest as on 31.03.2026	Pending	The Learned Court of 3rd Addl. District Judge at Alipore, South 24 Parganas
10.	Appeal matter – Misc. Application No. 04 of 2021 (Regular Appeal No. 118 of 2012) Between – Union of India – Versus – UCO Bank & Ors. Respondents: 1. UCO Bank 2. TPG Equity Management & Pvt. Ltd. 3. BPMEL (in Liquidation) 4. BBUNL (now BBJ)	2018	Facts in brief : Earlier Union of India (UoI) filed the present Appeal vide Case No. 118 of 2012 on 01.08.2012. On the other hand TPG Equity Management Pvt. Ltd. filed cross Appeal vide No.138 of 2012 against the Order dated 23.02.2012 of the Ld. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Kolkata for setting aside the order of attachment of the shares of BPMEL. However, in the said Order, Union of India was directed to consider transfer of the shares of BPMEL to TPG Equity Management Pvt. Ltd., in discharge of their liability or by any other way.	Appeal Matter	Pending	The Learned Debt Recovery Appellate Tribunal.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
11.	Special Leave Petition (Arbitration Appeal Matter) SLP(C) No. 8221 of 2020 (Ref. - A.P. No. 69 of 2019) (Manoharpur – Bondamunda Arbitration matter) Between – BBJ – Versus – South Eastern Railway	2020	Facts in brief : The dispute regarding BBJ's legitimate claim of about Rs.7.34 Crore against South Eastern Railway was referred for Arbitration which is going to be initiated very soon after appointment of Arbitrator(s) as per GCC. - The present SLP was filed on 16.03.2020 by BBJ before Hon'ble Supreme Court of India on for immediate appointment of an independent person as an Arbitrator to adjudicate the dispute properly & impartially.	Rs.7.34 Crore + interest	Pending	The Hon'ble Supreme Court of India.
12 (a)	Execution case E.C. No.1 of 2022 Between BBJ – Versus – East Central Railways and Others	2022	Facts in brief : The dispute regarding BBJ's legitimate claim of about Rs.40.77 Crore (+ 18% Interest) against East Central Railway for illegal termination from contract for "repairing of 3400 'C' Category & 10500 'B' Category Unloadable wagons at Mughalsarai." - The Sole Arbitrator – Hon'ble Mr. Justice Dhamidhar Jha (Retired) passed a Final Award dated 17.03.2021 in favour of BBJ. The Hon'ble Sole Arbitrator allowed most of the claims of BBJ and directed the East Central Railways to pay a total awarded amount of Rs.38,72,26,975.00 to BBJ along with interest @12.5% on the total awarded amount from the date of Award to the realization of the same. - The Final Arbitration Award dated 17.03.2021 has been executed and East Central Railway was directed to pay Rs.58,08,40,462.00 (including interest) to BBJ by complying the Orders of the Learned District Judge -cum- Commercial Court at Patna Sadar, Bihar. - By a final Order dated 17.04.2026 the present execution case has been disposed of by the Learned District Judge -cum- Commercial Court at Patna Sadar, Bihar.	Rs.58.08 Crore	Disposed of by final Order dated 17.04.2026	The Learned District Judge -cum- Commercial Court at Patna Sadar, Bihar.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
12(b)	Arbitration Appeal Civil Misc. Case No.45 of 2021 Between East Central Railways and Others – Versus – BBJ	2021	Facts in brief : The dispute regarding BBJ's legitimate claim of about Rs 40.77 Crore (+ 18% Interest) against East Central Railway for illegal termination from contract for "repairing of 3400 'C' Category & 10500 'B' Category Unloadable wagons at Mughalsarai." - The Sole Arbitrator – Hon'ble Mr. Justice Dharnidhar Jha (Retired) passed a Final Award dated 17.03.2021 in favour of BBJ. The Hon'ble Sole Arbitrator allowed most of the claims of BBJ and directed the East Central Railway to pay a total awarded amount of Rs.38,72,26,975.00 to BBJ along with interest @12.5% on the total awarded amount from the date of Award to the realization of the same. - On 08.07.2021, E.C.Railway filed the present Arbitration Appeal (Civil Misc. Case No.45 of 2021 before the Learned District Judge at Vaishali, Bihar challenging the above mentioned Arbitration Award dated 17.03.2021. - BBJ appeared in the matter and contesting the same.	Rs.38.72 Crores + interest @12.5%	Pending	The Learned 15th Additional District Judge at Vaishali, Bihar

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
13.	Employees Provident Fund Matter (Ref.: Appeal No. EPF – 09 of 2016) Between – BBJ (erstwhile BBUNL) – Versus – Asstt. Provident Fund Commissioner, R.O, Kolkata.	2023	Facts in brief : APFC, R.O, Kolkata has made a damage claim under Section 14(B) and 7(Q) of the Employees' Provident Fund & Misc. Provisions Act, 1952 for totalling 96,09,773/- After several hearing the APFC, R.O, Kolkata again directed vide order dated 15.02.2016 to deposit Rs.66,43,791/- towards above damage u/s 14(B) of the said Act. - By an Order dated 21.06.2023 of the Central Government Industrial Tribunal, Kolkata (CGIT) the matter was disposed of by setting aside the Order dated 15.02.2016 issued by the Assistant Provident Fund Commissioner, Kolkata wherein BBUNL (now BBJ) was directed to pay Rs.66,43,791/- as damage under Section 14B of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952. By the said Order dated 21.06.2023, the CGIT also remitted the matter to the Assistant Provident Fund Commissioner, Kolkata to pass a fresh order after taking into consideration the departmental circulars and by giving an opportunity of hearing to BBJ. - Accordingly, the Assistant Provident Fund Commissioner – Mr. Ajay Kumar Singh, E.P.F.O., Kolkata heard BBJ on 27.12.2023, 17.01.2024, 12.02.2024 and 21.02.2024. In the said hearing BBJ has submitted that BBJ has never disobeyed any provision of Provident Fund Act and the fine imposed against BBJ by E.P.F.O. is wrong & unlawful. The matter is still pending and till date no further date has been fixed by E.P.F.O., Kolkata. - On 20.05.2026, the Assistant Provident Fund Commissioner-II – Mr. Basuki Charan, E.P.F.O., Kolkata again issued a summon with a direction to appear before him on 25.05.2026 and BBJ appeared before him and prayed for time for hearing.	Rs96.09 Lakhs	Pending	Mr. Basuki Charan, Regional Provident Fund Commissioner-II, E.P.F.O., Kolkata.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
14.	Arbitration Proceeding (Ref. - O.M.P. (T) (COMIM.) 73 of 2022) (Jaunpur Project matter) Between – BBJ – Versus – Northern Railway	2023	Facts in brief: The dispute is related to the Project of Northern Railway in Lucknow – Zafraabad Section near Jaunpur. - BBJ filed the present Arbitration Petition before the Hon'ble High Court at Delhi for formal termination of previous Arbitral Tribunal and appointment of new Arbitral Tribunal to adjudicate the matter neutrally. - On 20.12.2023, the Hon'ble High Court of Delhi was pleased to appoint Hon'ble Ms. Justice Deepa Sharma (Retired) as the sole Arbitrator in this matter. - On 22.01.2024, the first sitting of the present Arbitration proceedings between BBJ - Vs.- Northern Railway, before Hon'ble Sole Arbitrator.	Rs.5.35 Crore + Interest	Pending	The Sole Arbitrator – Hon'ble Sole Arbitrator Ms. Justice (Retired) Deepa Sharma.
15.	Execution Case (Gabon Project Arbitration matter) EC-COM No. 159 of 2025 E.C. No. 470 of 2023 Between Consultants Combine Private Limited. – Versus – BBJ	2023	Facts in brief: The Learned Sole Arbitrator – Justice Ranjit Kumar Bag (Retired) passed a Final Arbitration award on 20.05.2023 allowing some amount to CCPL and BBJ. - On 16.11.2023, CCPL filed the present Execution Case against BBJ for enforcing the final Arbitration Award dated 20.05.2023. - BBJ appeared and now contesting the above mentioned Execution Case filed by CCPL. - In the meantime BBJ had complied the Arbitration Award dated 20.05.2024. - Presently CCPL is contesting the above mentioned Execution Case against BBJ for the post award interest on the principal Awarded sum. BBJ opposed the claims of CCPL.	Rs.42.21 Lakhs	Pending	The Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side), Commercial Division.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
16.	Gratuity Claim matters (3 Nos.) Between 1) Shri Madhu Chakraborty, 2) Shri Samiran Dasgupta and 3) Shri Amit Kumar Mitra –Vs.- BBJ	2024	Facts in brief: The three ex-employees of BBJ namely 1) Shri Madhu Chakraborty (claimed further Gratuity of Rs.1,53,678/-), 2) Shri Samiran Dasgupta (claimed further Gratuity of Rs.1,58,558/-) and 3) Shri Amit Kumar Mitra (claimed further Gratuity of Rs.1,19,615/-) even after receiving their terminal dues on retirement (including Gratuity amount) from BBJ, filed three separate Writ Petitions (being No. W.P.A No. 22075 of 2023, W.P.A. No. 22085 of 2023 and W.P.A. No. 22088 of 2023) before the Hon'ble High Court at Calcutta claiming said arrears of Gratuity for their services rendered as Group-D category staffs (engaged by BBJ on purely temporary basis for a period of 89 days). - BBJ engaged Shri Kamal Kumar Chattopadhyay, Advocate to deal the above three Writ Petitions before the Hon'ble High Court at Calcutta. A copy of approved Note Sheet dated 04.12.2023 is placed. - By Order dated 13.03.2024, the Hon'ble Calcutta High Court disposed of the above mentioned three Writ Petitions in favour of BBJ and directed the above named three ex-employees to take other effective alternative remedy before the controlling authority under the Payment of Gratuity Act, 1972. - On 02.04.2024, the above named three ex-employees filed separate three Form I (Application for Gratuity) to BBJ. The said three claims of ex-employees were duly replied by Chief Manager (HRM). - On 26.08.2024 BBJ received three Notices under the Payment of Gratuity Act, for appearance before the Controlling Authority & Assistant Labour Commissioner (Central) – 1, Kolkata on 30.08.2024. - BBJ appeared through Advocate and is contesting the three gratuity matters before the Assistant Labour Commissioner.	Rs.4.31 Lakh + interest	Pending	The Assistant Labour Commissioner (Central) – 1, Kolkata.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
17.	Writ Petition (Service Matter) W.P.A. 5789 of 2024 Between BBJ – Versus – 1. State of West Bengal, 2. Shri Tarun Ghosal.	2024	Facts in brief : One Shri Tarun Ghosal was appointed as temporary employee in the post of “Gantry Operator” from 08.07.1996. By a notice dated 06.05.2000 of BBJ, the service of Shri Tarun Ghosal was terminated. Against the said termination the Shri Tarun Ghosal filed a complaint Letter dated 28.03.2001 before the Deputy Secretary, Govt. of W.B. - The matter was transferred to Labour Commissioner, Govt. of W.B. and lastly transferred to First Industrial Tribunal, West Bengal. - On 19.12.2023, the First Industrial Tribunal, West Bengal passed a final Order considering the termination of Shri Tarun Ghosal was unjustified and bad in law and the management of BBJ was directed to reinstate the workman with full back wages and benefit from the date of termination to the date of reinstatement if he does not attend the age of superannuation. - Being aggrieved, BBJ has filed the present Writ Petition against the Order dated 19.12.2023 before the Hon'ble High Court at Calcutta.	Service matter	Pending	The Hon'ble High Court at Calcutta (Appellate Side).
18.	Arbitration Petition (Gandak Project of East Central Railway) Request Case No. 19 of 2025 Between BBJ – Versus – East Central Railway	2025	Facts in brief : This case is related to Gandak Project of East Central Railway. BBJ completed the project but till date East Central Railway failed to pay the total due amounts of BBJ is Rs.8.83 Crore plus Compensation @18% p.a. - The present Petition has been filed by BBJ before Hon'ble Patna High Court for immediate appointment of an independent person as an Arbitrator to adjudicate the dispute properly & impartially.	Rs.8.83 Crore plus Compensation @18% p.a.	Pending	The Hon'ble High Court at Patna, Bihar.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
19.	Arbitration Appeal Petition under Section 34 (Sealdah, Howrah, Asansol and Malda Division Project) A.P. (Com) No. 843 of 2025 Between – BBJ – Versus – Eastern Railway & other	2021	Facts in brief : The Arbitration proceeding was filed by BBJ against Eastern Railway for the disputes aroused during the execution of 36 number of Bridges at Sealdah, Howrah, Asansol and Malda Division Project of Eastern Railway. - Apart from other Claims of BBJ, there is a huge admitted claim of BBJ about Rs.1.20 Crore against Eastern Railway and also other claims which are required to be adjudicated in Arbitration. - By an Order dated 07.04.2021, the Hon'ble High Court at Calcutta appointed Mr. Justice Indrajit Chatterjee (Retired) as the Sole Arbitrator to adjudicate the disputes and differences between BBJ and Eastern Railway. - On 01.03.2022, the Learned Sole Arbitrator passed an Interim Order dated 28.02.2022 directing the Respondent - Eastern Railway to pay a sum of Rs.1,12,75,117.67p to the Claimant – BBJ. On 20.05.2022, the Respondent – Eastern Railway paid the said Amount of Rs.1,12,75,117.67p to BBJ. - The remaining BBJ's Claims of Rs.12.46 Crore and further compensation @18% p.a. and Eastern Railway's Counter Claim of Rs.3.63 Crore. - The Learned Sole Arbitrator – Justice Indrajit Chatterjee (Retired) after hearing the arguments of both BBJ and Eastern Railway, passed a 'Nil' final Arbitration Award on 16.07.2025 (copy placed) wherein the Arbitrator rejected all the claims of BBJ and Eastern Railway (except the claims of BBJ accepted in Interim Order dated 01.03.2022 of Rs.1,12,75,117.67 paid by Eastern Railway to BBJ).	Rs.12.46 Crore + interest	Pending	The Hon'ble High Court at Calcutta (Commercial Division) (Original Side)
20.	Writ Petition (Project of South Western Railway for Modernization of Gubbi Railway Station under Amrit Bharat Station Scheme) W.P. No. 15367 of 2025 Between ACRCPL(JV) – Versus – 1. Union of India (Through Divisional Manager of South Western Railway), 2. Chief Project Manager of South Western Railway, 3. BBJ	2025	Facts in brief : BBJ has participated in the Tender of South Western Railway for Modernization of Gubbi Railway Station under Amrit Bharat Station Scheme. By Letter of Acceptance dated 27.05.2025, BBJ has been selected in the said Tender. - By one internal Letter dated 14.06.2025 (copy placed), South Western Railway informed BBJ that one unsuccessful Bidder – ACRCPL (JV) has filed one Writ Petition (W.P. No. 15367 of 2025) (copy of case status is placed) against Union of India and others (where BBJ has been implicated as Respondent No. 3). Moreover, by Order dated 13.06.2025 (copy placed) the Hon'ble High Court of Karnataka directed the counsel of South Western Railway to inform BBJ to appear in the said Writ Petition through advocate on 18.06.2025. Accordingly, BBJ appeared in the matter and submitted their Written Submission.	Writ Petition filed against Tender Procedure of South Western Railway	Pending	The Hon'ble High Court of Karnataka.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
21 (a)	Arbitration Appeal ARPLD No. 263 of 2025 (Arising out of Arbitration Appeal Case No. 30 of 2022) (Chambal 1st Bridge Contract matter) Between – N.C. Railway – Versus – BBJ	2025	Facts in brief : A 'Nil' liability Arbitration Award dated 31.10.2008 was passed in favour of BBJ. North Central Railways challenged the said Award u/s.34 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 (Misc. Civil Case No. 858 of 2017) on 17.11.2017 before the Learned Court of the District Court, Allahabad, U.P. Later on the matter was transferred to the Learned Court of Commercial Court at Allahabad, U.P. The said Arbitration Appeal before the Learned Court of the District Court, Allahabad was transferred to the Learned Court of Commercial Court at Allahabad. On 23.09.2025, the Learned Court of Commercial Court at Allahabad was pleased to dismiss the Application of North Central Railway. Against the said dismissal Order dated 23.09.2025, North Central Railway filed this present Arbitration Appeal before the Honorable High Court at Allahabad.	Rs.9.68 Crore	Pending	The Hon'ble High Court at Allahabad, U.P.
21 (b)	Arbitration Appeal ARPL No. 354 of 2025 (Arising out of Arbitration Case No. 21 of 2018) (Chambal 2nd Bridge Contract matter) Between – N.C. Railway – Versus – BBJ	2025	Facts in brief : A Nil liability Arbitration Award dated 07.04.2015 was passed in favor of BBJ. North Central Railways challenged the said Award under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Arbitration Case No. - 21 of 2018) on 10.07.2018 before the Learned Court of the District Court, Allahabad. The said Arbitration Appeal before the Learned Court of the District Court, Allahabad was transferred to the Learned Court of Commercial Court at Allahabad. On 23.09.2025, the Learned Court of Commercial Court at Allahabad was pleased to dismiss the Application of North Central Railway. Against the said dismissal Order dated 23.09.2025, North Central Railway filed this present Arbitration Appeal before the Honorable High Court at Allahabad.	Rs.5.90 Crore	Pending	The Hon'ble High Court at Allahabad, U.P.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
22.	Arbitration Proceeding (Project under NERSDS) Between – Caritas Infra Consulting Private Limited – Versus – 1. Manipur Tribal Development Corporation, 2. BBJ 3. Ministry of Development of North East Region (MODONER).	2025	Facts in brief : By an Order dated 26.11.2025 passed by the Hon'ble Delhi High Court of Delhi [in Arbitration Petition No. 1313 of 2025] BBJ has been added as Respondent No.2 in the present arbitration proceedings. Caritas filed this Arbitration against MTDC for non payment of bills of Rs.7.93 Crore for their work as Consultant for preparation of DPR for development of road & bridges at North East States under the NERSDS. - BBJ appeared and in the process to submit an Application before the Sole Arbitrator stating about the fact that BBJ is not a party to this Arbitration with regards to the project where Caritas was involved.	Rs.7.93 Crore + Interest	Pending	The Sole Arbitrator – Brigadier Sandeep Ratra (Retd.)
23.	Civil Suit (Agra-Palwal ROB Project) Civil Suit (C.S.) No. 835 of 2025 Between Shri Shera @ Sher Singh -Versus- 1. Haryana State Road & Bridges Development Corporation Limited, 2. State of Haryana through District Collector, Palwla, 3. Creative Mineral India Pvt. Ltd., 4. BBJ	2025	Facts in brief : One Shri Shera @ Sher Singh has his house over the land adjoining with Banchari to Dokora Road, near Railway Crossing, Delhi to Agra Sanction Railway line. The property lies in the area of Agra-Palwal Rail over Bridge (RoB) Project. - Shri Shera claims that no authority has acquired his land and no notice ever published or not initiate any Gazette notification to acquire his land. Now Shri Shera in his petition prays for Permanent Injunction thereby restraining the defendants from raising any type of construction/RoB over his land without acquiring his land and without paying compensation amount to him in any manner. - BBJ received the Court Summon on 31.12.2025 and appeared before the Court hearing on 21.01.2026. - By an Order dated 21.01.2026, the Learned Civil Judge (Jr. Division), Hodal, Haryana passed an ad interim stay order in respect of the Land of Shri Shera.	Nil	Pending	The Learned Civil Judge (Jr. Division), Hodal, Haryana.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
24.	Conciliation Proceedings (ROB Project LC-476 of N.C. Railway) between BBJ -Vs.- North Central Railway,	2025	Facts in brief: With reference to LOA dated 04.11.2024, BBJ was awarded the contract by North Central Railway (NCR) for the work of "Jhansi Division : Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 476 at Km 1351/ 8-9 in Banda-Manikpur Section" for a total contract value of Rs.40.46 crores which is required to be completed within a period of 18 months from the date of issuance of LOA. - Pursuant to the conditions stipulated in the LOA, BBJ has submitted Earnest Money Deposit (later on converted to Security Deposit by NCR) of Rs.21,74,600.00 vide BBJ's letter dated 13.08.2024 and Performance Bank Guarantee for Rs.2,02,30,627.04 vide BBJ's letter dated 16.11.2024. - That the NCR authority has not only failed to fulfil NCR's reciprocal contractual obligations but also denied any opportunity to BBJ for the progress of the work. Rather NCR authority has taken recourse to premature termination of the contract arbitrarily. NCR without even paying heed and / or attention to such difficulties / problems encountered by BBJ in a most drastic, arbitrary and unjustified manner initially issued four (4) 7 days Notices of threat to terminate the contract in exercise - of NCR's power under Clause 62 of the GCC, 2022 and ultimately after issuing the 48 Hour's Notice dated 11.08.2025 under clause 62, NCR terminated the contract vide Termination Notice dated 14.08.2025 in haste. - That on 22.08.2025, the above mentioned EMD/SD of Rs. 21,74,600/- and PBG of Rs. 2,02,30,627.04/- was invalidly and illegally forfeited and encashed by NCR from BBJ's Bank Account. - Finding no other way BBJ filed one Case (Civil Misc. Arbitration Application No. 25 of 2025) before the Learned Commercial Court at Prayagraj under Section 9 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996. - BBJ also issued one Conciliation Notice dated 19.09.2025 to NCR for appointment of Conciliator under Clause 63 of GCC 2022 to resolve the disputes. - By an Order dated 07.10.2025, the Learned Commercial Court at Prayagraj dismissed the Case under Section 9 filed by BBJ. - By a Letter dated 13.10.2025 (copy placed), NCR appointed Shri Santosh Kumar Gupta, Chief Engineer/Construction/HQ,NCR/HQ/PRYJ to act as "Sole Conciliator" and directed BBJ to submit the details of BBJ's disputes/claims to the Sole Conciliator.	Rs.22.28 Crore + other claims as per actual cost	Pending	The Learned Sole Conciliator - Shri Santosh Kumar Gupta, Chief Engineer/Construction/HQ,NCR/HQ/PRYJ.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
25.	Writ Petition (Tarakeswar Project Matter) W.P.A. No. 3307 of 2026 Between BBJ -Versus- Eastern Railway	2026	- Facts in brief : The present Court Case is related to the disputes arises out of the work of "Construction of ROB comprising Bow String Girder between Bahirkhand-Tarakeswar at km 34/4-5 in Seoraphuli Tarakeswar(SHE-TAK) line & other ancillary works in connection with elimination of LC no 23/A in Howrah Division under Eastern Railway" (Letter of Acceptance No. ER-CAO-C-HQ-GATI SHAKTI / 03_2025-26 / 00819630140239, dated 26.09.2025 issued by Eastern Railway in relation to Tender No. 03_2025-26). - By an Email dated 09.02.2026, Eastern Railway issued one 48 hours' Notice to BBJ and on 11.02.2026, Eastern Railway unlawfully terminated the Contract by issuing one Termination Notice to BBJ. In this situation, in terms of Clause 62 of the Standard General Conditions, not only the contract of BBJ has been rescinded by Eastern Railway (after expiry of 48 hours) but also the two Bank Guarantees (EMD of Rs. 38,54,900/- and PBG of Rs. 3,38,03,330/-) of BBJ will be encashed by Eastern Railway. - As the stake of the matter is very high, the undersigned immediately contacted Fox & Mandal (Advocates & Solicitors) to file an urgent Writ Petition before the Hon'ble High Court at Calcutta, Appellate Side for withdrawal of Eastern Railway's 48 hours' Notice dated 09.02.2026 and Termination Letter dated 11.02.2026, restraining Eastern Railway from encashing the above mentioned two Bank Guarantees of BBJ and for other interim orders. A copy of approved Note Sheet dated 10.02.2026 is placed. - By an Order dated 11.02.2026, the Hon'ble High Court at Calcutta (Appellate Side) stayed the impugned 48 hours' Notice dated 09.02.2026 and Termination Letter dated 11.02.2026. The stay order has been extended from time to time. - By a Judgement dated 07.04.2026, the Hon'ble High Court disposed of the matter and directed Chief Engineer of Eastern Railway to decide the dispute raised by BBJ and if no DAB has been constituted & Chief Engineer failed to decide the dispute then the matter to be referred to the Arbitrator, the interim order shall continue.	Rs.3.76 Crore	Disposed of by a Judgment dated 07.04.2026	The Hon'ble High Court at Calcutta (Appellate Side)

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
26.	Arbitration Appeal Under Section 34 (Project under NERSDS) OMP (COMIM.) NO. 47 OF 2026 Between – BBJ – Versus – 1. Aushta Consulting Engineers (I) Pvt. Ltd. 2. Manipur Tribal Development Corporation.	2026	Facts in brief : By an Order dated 07.02.2024 passed by the Hon'ble Delhi High Court of Delhi [in Arbitration Petition No. 1456 of 2022] BBJ has been added as Respondent No.2 in the present arbitration proceedings. Aushta filed this Arbitration against MTDC for non-payment of bills of Rs.87.64 Lakhs for their work as Consultant for preparation of DPR for development of road & bridges at North East States under the NERSDS. - BBJ appeared and submitted an Application before the Sole Arbitrator stating about the fact that BBJ is not a party to this Arbitration and has already paid all the bills of MTDC with regards to the project where Aushta was involved. - On 18.12.2025, the Learned Sole Arbitrator passed a Final Arbitration Award (copy placed) in favour of the Claimant – Aushta and directed the Respondent No. 2 – BBJ to pay a sum of Rs.87,64,987/- (towards the outstanding balance under the final invoices of Aushta) along with interest @9% and other costs. The Learned Sole Arbitrator did not consider any evidence & submission of BBJ and passed the Final Arbitration Award beyond his mandate as an Arbitrator (as specified in the Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended upto date). - On 16.03.2026, BBJ filed the present Arbitration Appeal/ Application under Section 34 of A&C Act, 1996 challenging the said impugned Final Arbitration Award dated 18.12.2025 on various legal & factual grounds before the Hon'ble Court Of District Judge, (Commercial Court), Patiala House Courts, New Delhi.	Rs.87.64 Lakhs + Interest + Cost	Pending	The Hon'ble Court Of District Judge, (Commercial Court), Patiala House Courts, New Delhi.

SUB.: TOTAL NUMBER OF PENDING LEGAL CASES OF BBJ (AS ON 31.03.2026).

Sl. No.	Name of the Court / Forum / Tribunal	Total Number of Cases Pending
1.	Supreme Court of India	1
2.	High Courts	15
3.	Lower Courts	8
4.	Arbitral Tribunal	2
5.	Any Other Authority or Forum	4
	Total	30

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

44 Disclosure Regarding analytical ratios:

Ratio	Numerator	Denominator	31st March 2026	31st March 2025	% Variance	Reason for >25%
Current Ratio (in times)	Current Assets	Current Liabilities	1.44	1.43	0.64%	
Debt-equity ratio (in times)	Total Debt	Shareholder's Equity	0.25	0.26	-4.39%	
Debt service coverage ratio (in times) - (Net Profit + Depreciation + Interest on long term loans) / Total amount of interest & principal of long term loan payable or paid during the year.	Earnings available for debt service	Debt Service	0.05	0.10	-52.47%	Due to decrease in profit
Return on equity ratio (%)	Net Profits after taxes – Preference Dividend (if any)	Average Shareholder's Equity	11.56%	25.32%	-54.36%	Due to decrease in profit
Inventory turnover ratio (in times)	Revenue from Operation	Average Inventory	3.72	5.49	-32.29%	
Trade receivables turnover ratio (in times)	Net Credit Sales	Average Accounts Receivable	4.19	7.00	-40.12%	Due to decrease in revenue
Trade payables turnover ratio (times)	Net Credit Purchases	Average Sundry Creditors	9.29	13.09	-28.99%	Due to decrease in revenue
Net capital turnover ratio (%)	Revenue from Operation	Average Working Capital	45.57%	88.24%	-48.35%	Due to decrease in revenue
Net profit ratio (%)	Net Profit after tax	Revenue from operation/Net Sales	13.90%	16.74%	-16.99%	Due to decrease in revenue
Return on capital employed (%)	Earning before interest and taxes	Capital Employed	6.49%	14.51%	-55.28%	Due to decrease in profit
Return on investment (%)	Net Profit after tax	Total Assets	1.7%	3.69%	-53.80%	Due to decrease in profit

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

- 45 The Property Plant and Equipment includes items, which are very old and have outlived their useful lives. Such assets have been fully depreciated in the books of accounts. During 2025-26 Company identified such items of Rs.45.74 Lakhs (Previous Year 2024-25 - Rs.49.35 Lakhs) (Prime cost) and disposed as scrap. The Company is in process to identify further such items which have outlives their useful lives for scrapping / writing-off.
- 46 Trade Receivable – non-current assets of Rs.38.98 Lakhs (31 March 2025 :Rs.38.98 Lakhs) represents amount due from Bharat Heavy Electrical Ltd (BHEL) for Lakwa Project, which was closed in 2009-10 and Other current financial assets includes Retention Deposit Rs. 42.29 Lakhs (31 March 2025 :Rs. 42.29 Lakhs) and Security Deposit Rs.37.49 Lakhs (31 March 2025 :Rs.37.49 Lakhs) relating to above work. The amount has been considered as good because of corresponding aggregate liability of Rs.126.46 Lakhs (31 March 2025 : Rs.126.46 Lakhs) lying in the books against the contractor M/S Frontier Engineering Co. For Lakwa Project company has already provided Rs. 38.98 Lakhs (31 March 2025 :Rs.38.98 Lakhs) with respect to amount due from Bharat Heavy Electrical Ltd (BHEL).
- 47 Other Financial Assets – Current includes amounts Rs.45.41 Lakhs (31 March 2025- Rs.45.41 Lakhs) as Earnest Money and Other deposits, which are very old against which an amount of Rs.40.78 Lakhs (31 March 2025- Rs.40.78 Lakhs) is payable to Contractors and is included in Other financial liabilities - Current, which have not been confirmed by the respected parties, however company has considered it as good because of corresponding liabilities.
- 48 Inventories for the year includes old and unused stocks Rs 119.85 Lakhs (31 March 2025: Rs.119.85 Lakhs) in Raw Material, Rs 2.78 Lakhs (31 March 2025: Rs.2.78 Lakhs) in Stores Spares and Cosumables which are lying for more than 8 years, and Rs 8.18 Lakhs (31 March 2025: Rs.8.18 Lakhs) in Loose Tools, which are lying for more than 10 years and accumulated provision of Rs.70.88 Lakhs (31 March 2025: Rs.58.46 Lakhs) against the same has been made in the accounts till the reporting period.
- 49 Other Financial Assets – Current includes amount deposited as advance to the following parties which are very old and the Company considered the same as current in nature.

SL. No.	Particulars	31 March 2026	31 March 2025
1	Sales Tax Recoverable from client-BBUNL	15.76	15.76
2	Salary Advance	10.45	10.45
Total		26.21	26.21

Sales Tax Recoverable from client-BBUNL represent amount deposited against appeals made before Joint commissioner of Commercial taxes Bihar for the year 2010-11 and 2011-12.

- 50 Other Current Assets includes amounts deposited as advance to the following parties for which no confirmation is available and are very old. The Company considers the same as good and realizable/ adjustable and hence considered the same to be current in nature.

SL. No.	Particulars	31 March 2026	31 March 2025
1	Family Pension Scheme- Contract Labour	15.02	15.02
2	Workmen's Providend Institution	6.82	6.82
Total		21.84	21.84

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

- 51 Trade Payables – Non current and other liabilities non current includes following amounts against which goods and services were received in earlier years, and the Company is in the process of reconciling the same against other financial assets. However, Company considered the same as payable in long term and Non current in nature:

SL. No.	Particulars	31 March 2026	31 March 2025
1	Liabilities A/C-on completed contracts	1493.35	1493.35
2	Liabilities A/C	698.01	698.01
3	GOI Payable A/c - BBVL Liquid. & Interest	182.90	182.90
4	GOI P/E Payable (SUBS.) - BWEL	69.60	69.60
5	Interest on P/E Fund Payable to Subs.	357.65	357.65
6	Sundry Creditors - Misc. (Subsidiary)	0.00	2.33
7	IT Suspance (Others) (194) Payable	1.04	1.04
8	Sale Tax Payable	1.54	1.54
9	Interest payable to BBCC	2.37	2.37
10	Old Un-Reconciled Balance	0.00	6.36
Total		2,806.46	2,815.15

Above balances relates to earstwhile subsidiaries of BBUNL (Now BBJ) and are subject to any adjustment / reconciliation with other outstanding debit balances of such subsidiaries.

- 52 Physical verification of Inventories of Raw materials, stores, Consumables etc. have been carried out at the year end and discrepancies between physical and book stock, if any, not being significant, have been properly dealt with in the Books of Accounts during the year.
- 53 There is an uncontested Income-tax demand of Rs.320.80 Lakhs (31 March 2025 :Rs.31.85 Lakhs) as per the official portal of the Income-tax Department for which the company does not have appropriate documents or evidences for rebuttal. However, the company is of the opinion that no amounts are outstanding to be paid, which have not been contested and the amounts as displayed in the Income-tax portal may be erroneous. The Company will take effort in getting the same rectified. Accordingly, no liability has been provided for.
- 54 Balances of some of the trade receivables, trade payables, loans and advances etc. incorporated in the books as per balances appearing in the relevant subsidiary records, are subject to confirmation and reconciliation from the respective parties and consequential adjustments arising from reconciliation, if any. The Company however is of the view that there will be no material discrepancies in this regard.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

- 55 As per sanction of Govt. of India (GOI) in 2015, BBJ (Transferor company) amalgamated with BBUNL (Transferee company) under section 391(2) read with section 394 of the companies Act 1956. Before amalgamation The Braithwaite Burn & Jessop Construction Co Ltd (BBJ) was a subsidiary of Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd (BBUNL). ROC, by its order dated 18th Nov'2015 conveyed approval for change of name of the Company from Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd (BBUNL) to The Braithwaite Burn & Jessop Construction Co Ltd (BBJ). Earlier BBUNL had subsidiaries namely Bharat Process and Mechanical Engineering Ltd (BPMEL), Burn Standard & Co Ltd (BSCL), Braithwaite & Co Ltd, Bharat Wagon and Engineering Ltd (BWEL), Jessop & Co Ltd.(JCL), Lagan Jute Machinery Co Ltd and The Braithwaite Burn and Jessop Construction Co Ltd (BBJ). Current status of such subsidiaries are as follows:
- i) Bharat Process and Mechanical Engineering Ltd (BPMEL) (Under liquidation), ii) Burn Standard & Co Ltd (BSCL) (Assigned to Railways), iii) Braithwaite & Co Ltd (BCL) (Assigned to Railways), iv) Bharat Wagon and Engineering Ltd (BWEL) (Assigned to Railways), v) Jessop & Co Ltd.(JCL) (Disinvested (72%) and under liquidation), vi) Lagan Jute Machinery Co Ltd (Disinvested (60%) in operation), vii) The Braithwaite Burn and Jessop Construction Co Ltd (BBJ) (Amalgamated with BBUNL and renamed a "BBJ") and viii) Weighbird India Ltd. ('WIL') subsidiary of BPMEL (Dissolved)
- 56 Other Financial assets (Current) included Loans of Rs.5932.96 Lakhs in BPMEL (31 March 2025 :Rs.5932.96 Lakhs) and Rs.656.03 Lakhs in Weighbird India Limited (31 March 2025 :Rs.656.03 Lakhs) in total Rs.6588.99 Lakhs and interest receivable of Rs.33,656.29 Lakhs from BPMEL (31 March 2025 :Rs.33,656.29 Lakhs) and Rs.350.26 Lakhs from WIL in total Rs.34006.55 Lakhs (31 March 2025 :Rs.350.26 Lakhs) are due as at the reporting date. Said loan were given by GOI through BBUNL to its subsidiaries BPMEL and WIL for their different financial requirements. On date BPMEL under liquidation and WIL winded up (post liquidation). A corresponding amount of loan Rs.6588.99 Lakhs and interest of Rs.34006.55 Lakhs is shown as loan from GOI. Notwithstanding the status of above entities, such loans and interest are carried at cost.
- 57 The Company has investments in Bharat Process and Mechanical Engineers Limited (BPMEL) of Rs.486.30 Lakhs (31 March 2025 :Rs.486.30 Lakhs), in Jessop & Co Ltd (JCL) of Rs.2558.01 Lakhs (31 March 2025 :Rs.2558.01 Lakhs) are under liquidation and in Lagan Jute Machinery Co Ltd of Rs.42.20 Lakhs (31 March 2025 :Rs.42.20 Lakhs) at the reporting date. Notwithstanding the status of the above entities, such investments are carried at cost.
- 58 The company has not considered any interest accrued for current financial year on loans of Rs. 6,588.99 Lakhs granted to Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd. ('BPMEL') and Weighbird India Ltd. ('WIL') in view of non-recoverability thereof as the aforesaid subsidiaries are under liquidation.
- The company has not considered any interest payable for current financial year on loans of Rs.6588.99 Lakhs taken from the Government of India, which was used for granting loans to the aforesaid subsidiaries, because of non recoverability. Had the interest payable on such loans been provided for the finance cost for the current financial year would have been higher by Rs. 2161.52 Lakhs (31 March 2025 :Rs.2153.03 Lakhs) and the amounts payable to the Government of India towards the interest would have been higher by Rs.29231.61 Lakhs (31 March 2025 : Rs.27070.09 Lakhs). Accordingly, the profit for the current financial year would have been lower by Rs.2161.52 Lakhs (31 March 2025 : Rs.2153.03 Lakhs).

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

- 59 Consequent to clearance of GOI vide letter No.17(12)/2000-PE.III dated 26 Aug 2003 and in terms of the “Share Purchase Agreement” executed by and amongst the Company, Jessop & Co. Ltd. (Jessop) and Indo-Wagon Engineering Ltd., the Company sold/transferred 6,81,34,428 equity shares of Jessop & Co. (i.e. 72%) for a consideration of Rs. 1818.00 Lakhs to Indo-Wagon Engineering Ltd. on 29.08.2003 and entire sale proceeds of Rs. 1818.00 Lakhs as realised had been transferred to Government of India.
- 60 During the year 2005-06, Jessop & Co. Ltd applied to Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) for de-rating (reducing) the nominal value of its equity shares from Rs.10 to Re.1. BIFR vide directions issued on 31 Aug 2005 permitted Jessop & Co. Ltd. to proceed with reduction of their equity share capital in terms of the provisions under Sections 100, 101, 102 & 103 of the Companies Act, 1956 (refer sl. no.7 of note no. 43).

The Company preferred an appeal under Section 25 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 before the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIFR) against the aforesaid direction of BIFR. The Company also filed applications impleading itself in two other appeals preferred before AAIFR against the aforesaid direction of BIFR. While one of the appeals was earlier withdrawn, AAIFR vide Order dated 28 Feb 2008 dismissed the appeal preferred by the Company as well as the other appeal.

The Company has filed a writ petition in the Hon’ble High Court at Calcutta challenging AAIFR’s Order, which is pending disposal as on date. The Company has also referred the disputes to arbitration as provided in the “Shareholders Agreement” entered into by it with Indo-Wagon Engineering Ltd. (strategic partner in Jessop) on 29 Aug 2003. The resultant accounting effect will be considered in the books of account after final adjudication complying with the Accounting Standards and Government direction

- 61 In the financial year 2005-06, an amount of Rs. 82.72 Lakhs was refunded to Jessop & Co. Ltd. on account of ‘Service Charges’ recovered in respect of the period October 2001 to August 2003. The Company has filed a suit for recovery of the amount together with interest and cost, which is pending disposal as on date (refer sl. no.2 of note no. 43)
- 62 During financial year 2008-09, the Company had entered into a consortium arrangement under the name and style of “BCD INGAB Consortium” for construction of Neighbourhood Unit at Bikele township in the Republic of Gabon. The value of services to be rendered by the Company (as per agreement with the consortium partner) was aggregated and limited to Rs. 2.75 crores, excluding actual expenses incurred on various heads such as on bank guarantee charges, travelling, establishment expenses, etc. As part of its defined roles & responsibilities, the Company has provided a performance bank guarantee of US\$ 725,000 (5% of project order value) in favour of Government of Gabon against Mobilisation Advance of an equivalent amount released to the Consortium. The Company has received margin money for such guarantee (validity period since expired) from the Consortium.

The progress in execution of the project not being satisfactory, the Company decided to seek an honourable exit there from, which is being pursued. In terms of extant agreement, the Company is not liable to compensate the Consortium partner in the event of any loss and/or deficit arising out of the project.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

An Arbitration proceeding between BBJ and CCPL (Consortium Partner) was initiated before Hon'ble Arbitrator, appointed by Hon'ble High Court at Calcutta to resolve the various claim raised by both the parties against each other for the payment made from Consortium along with interest.

Award of the Arbitration proceedings, has been received in 2023-24 and advised BBJ to refund Rs. 3.64 Crore, the equivalent INR of US\$ 7,25,000 to the consortium and in turn to CCPL and ordered BBJ to retain the accumulated interest on the said amount. The Company has refunded the same as per direction of Hon'ble High Court to BCD INGAB Consortium. However, CCPL filed an execution suit claiming post award interest which is pending before Hon'ble High Court at Calcutta (refer sl. no.15 of note no. 43).

- 63 Bhagirathi Bridge Construction Company Limited (BBCCL), Joint Venture of BBJ and Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd (BPMEL), subsidiary of erstwhile BBUNL are defunct on date as BPMEL is under liquidation since 2004 and BBCCL substratum lost after completion of the purpose for which it was incorporated in 1971. As on date there is no business activities in both the companies and due to non availability of financial statements of defunct JV / subsidiary, consolidated financial statement is not prepared..
- 64 As per IND AS 116, there is no Operating Lease exist during the year and hence no disclosure is required in this respect.

65 Other Statutory Information:

- i) The Company do not have any Benami property, where any proceeding has been initiated or pending against the Company for holding any Benami property.
- ii) The Company do not have any transactions with companies struck off.
- iii) The Company do not have any charges or satisfaction which is yet to be registered with ROC beyond the statutory period.
- iv) The Company has not advanced or loaned or invested funds to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall:
 - a. directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or
 - b. provide any security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries
- v) The Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall:
 - a. directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
 - b. provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries,
- vi) The Company does not have any such transaction which is not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961.
- vii) The Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or any lender.



Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

viii) The Company is maintaining proper books of accounts in electronic mode and these books of accounts are accessible in India at all times and the back up of books and accounts has been kept in servers physically located in India on a daily basis.

66 Previous year's figures have been regrouped/rearranged, whenever necessary.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

For BATLIBOI, PUROHIT & DARBARI
Chartered Accountants

Firm's Registration Number: 303086E

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN : 26063404JWVBXE5585

Place: Kolkata

Date: 20th June, 2026

for and on behalf of the Board of Directors of

**The Braithwaite Burn and Jessop Construction
Company Limited**

CIN: U70100WB1986GOI041286

N K Mishra

Company Secretary

PAN - AIQPM3388P

S K Ghosh

Director (Finance)

DIN - 10659781

Naresh Kumar

Director (Technical)

DIN - 11194115

Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)

Chairman & Managing Director

DIN - 09832486



बलिया-छपरा रेलवे दोहरीकरण परियोजना के तहत घाघरा नदी पर पुल संख्या 16 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
Construction of Bridge No.16 over Ghaghra river of
Ballia-Chhapra Railway Doubling project is in progress.



गदग-होटगी रेलवे दोहरीकरण परियोजना के तहत पुल संख्या 63डी का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।
Construction of Bridge No.63D in Gadag-Hotgi
Railway Doubling project successfully completed.

